



India's Port of Millennium

Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Trust)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)



SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कंपनी)

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - भारत सरकार)

(CIN : U45203TN1999GOI043322)

21st

**ANNUAL REPORT
2020-21**





Inauguration of New block of Siddha Section in Govt. Primary Health Centre, Kurunthenkode, Kanyakumari District.



Vaccination Drive organized at KPL



KAMARAJAR PORT LIMITED
(A Company of Chennai Port Trust)
(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)
(CIN: U45203TN1999GOI043322)

TWENTY FIRST ANNUAL REPORT
2020-21



Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Trust)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

Board of Directors

Shri Sunil Paliwal, Chairman-cum-Managing Director
Shri P. Raveendran, Nominee Director-ChPT
Shri S. Balaji Arunkumar, Nominee Director-ChPT
Shri V.M.V. Subba Rao, Independent Director
Capt. Anoop Kumar Sharma, Independent Director
Smt. Sarla Balagopal, Independent Director

DIN

01310101
07640613
07526368
02435597
03531392
01572718

Key Officials

Shri Sanjay Kumar,
General Manager (CS & BD)
Shri M. Gunasekaran,
General Manager (Finance) cum CFO
Shri V. Krishnasamy,
General Manager (Operation)
Shri P. Radhakrishnan,
Deputy General Manager (Civil)
Shri G.M. Balan,
Deputy General Manager (MS)
Smt. Jayalakshmi Srinivasan,
Company Secretary

Registered Office

2nd Floor (North Wing) & 3rd Floor
Jawahar Building,
17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.
Ph: 044 - 25251666-70 / Fax : 044 - 25251665

Registrar & Share Transfer Agent

Link Intime India Private Limited
C-101, 247 Park, L.B.S Marg
Vikhroli (West), Mumbai – 400 083.
Ph : 022 – 49186000 / Fax : 022 - 49186060

Statutory Auditors

M/s.B. Thiagarajan & Co.
Chartered Accountants

Internal Auditors

M/s.G.C. Daga & Co
Chartered Accountants

Secretarial Auditors

M/s.S. Dhanapal & Associates
Company Secretaries

Bankers

Axis Bank
Andhra Bank
State Bank of India
Indian Bank

Debenture Trustees

- (i) SBICAP Trustee Company Ltd
Mistry Bhavan, 4th Floor,
122, Dinshaw Vachha Road,
Churchgate, Mumbai – 400 020.
Ph : 022 – 43025555/ Fax : 022 - 43025500
- (ii) Catalyst Trusteeship Limited
GDA House, Plot No.85,
Bhusari Colony (Right),
Paud Road, Pune – 411 038
Ph : 020 – 25280081/ Fax : 020 - 25280275

Depositories

National Securities Depository Limited
Central Depositories Services (India) Limited

Vision & Mission

Vision

“To develop Kamarajar Port as a mega port with world class facilities to become the Eastern gateway Port of India.”

Mission

"To Provide Port Services of International Standards."





Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Trust)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

BOARD OF DIRECTORS



SHRI SUNIL PALIWAL, I.A.S.
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR



SHRI P. RAVEENDRAN, IRTS
NOMINEE DIRECTOR



SHRI S. BALAJI ARUNKUMAR, IRTS
NOMINEE DIRECTOR




SHRI V.M.V. SUBBA RAO,
FCA, DISA (ICAI)
INDEPENDENT DIRECTOR




CAPT. ANOOP KUMAR SHARMA
INDEPENDENT DIRECTOR



SMT. SARLA BALAGOPAL, IRTS (Retd)
INDEPENDENT DIRECTOR



Operating Income & PBT during the last 5 years



Cargo handled during the last 5 years



Kamarajar Port Limited

Annual Report 2020-21

Index

Sl.No	Contents	Page No.
1.	Chairman's Message.....	8
2.	Notice	10
3.	Board's Report	12
4.	Annual Report on CSR Activities.....	26
5.	Secretarial Audit Report	31
6.	Report on Corporate Governance.....	37
7.	Comments of Comptroller & Auditor General	43
8.	Independent Auditors' Report	49
9.	Statement of Assets And Liabilities	58
10.	Statement of Profit and Loss Account	59
11.	Cash Flow Statement	60
12.	Notes to the Financial Statements.....	62

Chairman's Message



Dear Shareholders,

It is a pleasure to welcome you all to the 21st Annual General Meeting of your Company. Financial year 2020-21 has been very challenging for your Company and its Stakeholders/Clients. COVID-19 pandemic which has affected every country, business and individual has also impacted the performance of your Company.

Physical Performance & Highlights

During the year 2020-21, the Company handled cargo throughput of 25.89 million tonnes, 18.46% lesser as against 31.75 million tonnes handled during the previous year 2019-20. Though overall the cargo through put has come down, many milestones have been achieved as under:

- Containers handled during the year were 53.32% higher than previous year.
- Avg. Total Turn Round Time (calculated from Pilot Boarding to De-boarding) of 42.97 hours was achieved as against the Ministry target of 43 hours.

- Your Port handled the Largest Ever Container Transshipment Vessel and the largest LNG vessel to have been handled/ berthed in East Coast of India.
- 7th Trade Meet was organised in association with Madras Chamber of Commerce & Industry to create awareness of the project facilities available at your Port for attracting new customers and also to get suggestions from Stakeholders/Trade to improve Port services.
- Long Term Agreements have been executed with M/s.Daimler India Commercial Vehicles Pvt. Ltd. and M/s.Isuzu Motors India Pvt. Ltd for export of automobiles.
- During the MIS 2021, your Company has signed 14 MoUs with potential investors/ developers for port projects mainly related to dredging, expansion of rail connectivity, technology transfer, creating new rail connectivity for liquid/POL cargo evacuation, etc. The investment commitments from these MoUs are worth around Rs.2,695 Crores. The above MoUs

will give a further fillip to the overall growth and efficiency improvement of your Company, which in turn would provide enhanced development opportunities for all the stakeholders.

Financial Performance

During the year under review, your Company registered an operating income of Rs.581.09 Crores as against Rs.703.18 Crores reported in the previous year mainly due to handling lower cargo throughput. Consequently, a lower Profit Before Tax (PBT) and Profit After Tax (PAT) of Rs.295.84 Crores and Rs.152.71 Crores respectively were reported during the year under review.

Dividend

Board of Directors have recommended dividend @ 50% on paid up equity share capital which is Rs.5/- per share for the financial year 2020-21 which will be paid, subject to your approval at the Annual General Meeting.

Corporate Governance

Your Company believes that Corporate Governance is not merely compliance check point but a

framework designed to inspire confidence in the Board and the external stakeholders with respect to the Company's business. Hence, a Report on Corporate Governance is attached to the Board's Report voluntarily.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Your Company as a responsible Corporate citizen has undertaken projects in line with adopted CSR Policy and requirement of the Companies Act, 2013, the details of which are available in the Annual report.

Acknowledgement

On behalf of the Board of Directors, I would like to place on record our gratitude for the continued support and guidance received from various stakeholders and take this opportunity also to thank our employees who had shown great resilience during the pandemic. I wish to place on record my sincere appreciation to all my colleagues on the Board for their invaluable contribution in fulfilling the responsibilities of Board and strengthening the Company. Last but not the least, I seek your continued support and patronage to take our Company to greater heights.

Regards,

Sd/-
Sunil Paliwal, I.A.S.,
Chairman cum Managing Director

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999GOI043322

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building,
17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

Phone: 044 - 25251666 -70 Fax No: 044 - 25251665.

Website: www.kamarajarport.in, Email: info@kplmail.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 21st Annual General Meeting of Members of Kamarajar Port Limited will be held on Friday the 24th day of September 2021 at 12:30 P.M. (IST) through two way Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as at 31st March 2021, the Statement of Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2021 and the reports of the Board of Directors, the Auditor's Report and Comments of Comptroller and Auditor General of India under Section 143 (6) of the Companies Act, 2013.

2. To declare Dividend on equity shares for the financial year 2020-21.
3. To appoint a Director in place of Shri Sadagopan Kumar Balajiarun (DIN:07526368) who retires by rotation and being eligible, offers himself for reappointment.
4. To pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution for payment of remuneration to Statutory Auditors:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 142(1) of the Companies Act, 2013, approval be and is hereby given to the Board of Directors for fixing the remuneration of the Statutory Auditors of the Company, to be appointed by Comptroller and Auditor General of India for the financial year 2021-22."

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai

Date : 07.09.2021

Sd/-

Jayalakshmi Srinivasan
Company Secretary

NOTES:

- a) In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular dated January 13, 2021 read with circulars dated May 05, 2020, April 13, 2020 and April 08, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue till 31.12.2021. Those wishing to participate through VC or OAVM may do so in person. Proxy cannot participate in the meeting through VC or OAVM. Hence, Proxy Form, Attendance Slip, Route Map are not annexed to the Notice. Members participating through VC

or OAVM may cast their votes on the resolutions during the meeting by show of hands or only by sending emails through their email addresses registered with the Company in case of a Poll. The said emails shall only be sent to the designated email address circulated by the Company.

- b) Corporate members intending to authorize their representatives to participate and vote at the meeting are requested to send a certified copy of the Board resolution/such other documents authorizing their representative to attend the AGM through VC/OAVM on its behalf and to vote.
- c) The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice.

Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

- d) Statutory Registers as stipulated in the Companies Act, 2013 will be available electronically/ kept open for inspection during the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to agm-shareholders@kplmail.in.
- e) Members are requested to notify immediately any change of address to their respective

Depository Participant.

- f) Brief Resume of the Director seeking appointment at this Annual General Meeting is attached hereto and forms part of the Notice.

Instructions for attending the AGM through VC:

1. Weblink and log-in credentials for attending AGM through VC/OAVM will be provided in the e-mail forwarding the Notice and Annual Report.
2. Members can join Video Conference either through Mobile/Laptop/Desktop.

Brief Resume of Shri S. Balaji Arunkumar is as under:-

Particulars	Details	
Date of Birth and Age	05.06.1971; 50 Years	
Educational & Professional Qualification	B.Law	
Business Occupation	Deputy Chairman, Chennai Port Trust	
Experience	Indian Railway Traffic Service Officer of 1997 batch (I.R.T.S). He worked in Southern Railways & Southern Eastern Railway, Bilaspur, for 17 years in operations, commercial and safety wings. He has wide experience in operations, Traffic Planning, Rail Freight Marketing and Passenger Time Tabling. He has also worked as Senior General Manager, Chennai CONCOR on deputation for 2 years. Before joining as Deputy Chairman, Chennai Port Trust, he has worked as Deputy Chairman, Kolkata Port Trust (now called as Syama Prasad Mookerjee Port) for more than 4 years and he was holding the charge of Deputy Chairman, Haldia Dock Complex, Kolkata and Deputy Chairman, Kolkata Dock Labour Board. He is also the Managing Director of Central Inland Water Transport Corporation Ltd (CIWTC) and Director in Hooghly Dock and Port Engineers Ltd. He graduated in Law from Madras University.	
Securities held in KPL	1 Equity Share of Rs.10/- as a Nominee of Chennai Port Trust	
Relationship with other Directors/KMP of KPL	Not applicable	
Directorship/ Membership in other Companies	Name of the Company	Nature of interest/ concern
	Central Inland Water Transport Corpn Ltd.	Managing Director
	Hooghly Dock & Port Engineers Ltd	Director
	Bhor Sagar Port Ltd.	Nominee Director
	Kolkatta Port Accretion Ltd	Nominee Director
Terms and conditions of appointment	Nominee Director liable to retire by rotation	
Remuneration last drawn	Not applicable	
Number of Meetings of the Board attended during the year	Corporate Governance Report (Annexure VI of Board's Report) may be referred.	

BOARD'S REPORT

Dear Members,

Your Directors take pleasure in sharing the developments and progress made by your Company during the financial year 2020-21 and in presenting the Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2021.

1.0 PERFORMANCE

(i) (a) FINANCIAL HIGHLIGHTS

(Rs. in Crs.)

Particulars	2020-21	2019-20
Income from Operations	581.09	703.18
Other Income	6.32	30.50
Total Income	587.41	733.68
Operating Expenses	141.59	146.30
Finance Costs	64.99	84.65
Depreciation and Amortization	84.99	52.13
Total Expenses	291.57	283.08
Profit Before Extraordinary & Exceptional Items	295.84	450.60
Exceptional Items (-)	-	2.61
Profit Before Tax	295.84	447.99
Taxes	143.13	198.96
Profit After Tax	152.71	249.03

(i) (b) FINANCIAL PERFORMANCE

During the year under review, your Company registered an operating income of Rs.581.09 Crores as against Rs.703.18 Crores reported in the previous year. The decrease of Rs.122.09 Crores was mainly on account of handling lower cargo throughput due to COVID-19 pandemic. Consequently, your Company has reported a lower Profit Before Tax (PBT) and Profit After Tax (PAT) of Rs.295.84 Crores and Rs.152.71 Crores respectively during the year under review as against Rs.447.99 Crores and Rs.249.03 Crores reported in the previous year.

(ii) OPERATIONAL PERFORMANCE & HIGHLIGHTS

During the year 2020-21, the Company recorded cargo handling of 25.89 MTPA as against 31.75 MTPA in 2019-20. The main reasons for shortfall of cargo throughput of your Company were due to:-

- reduced Thermal Coal handled at TNEB Thermal Power Plants due to lesser demand of power on account of lockdown measures due to Covid coupled with sourcing of power through renewable energy like Solar and Wind Power;
- slowdown in POL consumption, EXIM Cargo through containers, bulk consumption and shutting down of Automobile units due to COVID-19 pandemic and consequent lockdown effecting Indian Maritime sector.

Your Company handled largest ever Container Vessel M.V. MSC Faith having a length of 366 meters and capacity of 14336 TEUs. Another notable achievement was that the total Container cargo handled during the year is about 53% higher than previous year.



(Largest transshipment Vessel to call on East Coast, MV MSC Faith berthed at Container Terminal)

Your Company also handled one of the largest LNG Vessels to have berthed in East Coast of India, M.T. Al Nuaman ('Q-Flex LNG carrier') having a length 315 meters, width of 50 meters and cargo handling capacity of 207,032 m³.



(Calling of Q-Flex LNG Carrier at LNG Terminal)

Your Company achieved average Turn Around Time (TAT) (calculated from Pilot Boarding to De-boarding) of 42.97 hours as against the target of 43 hours fixed by Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

Your Company organised the 7th Trade Meet in coordination with MCCI on 05.02.2021 for an interaction with the Stakeholders/Trade to highlight project facilities available at KPL to attract new customers and also to get their suggestions to further improve the Port services, particularly in the post Covid period.

(7th Trade Meet conducted in coordination with MCCI)

Your Company executed agreements with M/s.Daimler India Commercial Vehicles Pvt Ltd on 25.02.2021 and M/s.Isuzu Motors India Pvt. Ltd. on 20.05.2021 for export of automobiles exclusively through KPL for a period of 10 years with effect from 1st March 2021 to 28th February 2031 and for a period of five 5 years from 01st April 2021 to 31st March 2026 respectively.

Cargoes handled by the 8 operational Berths are given below:

Sl. No.	Terminals	Capacity	Cargo Handled FY - 2020-21
		(in Million Tonnes)	
1.	TANGEDCO – CB1	8	6.2
2.	TANGEDCO – CB2	8	3.49
3.	CICTPL (Now ECTPL)*	10	5.55
4.	ETTPL	3	4.12
5.	AECTPL (8,00,000 TEUs)	15.44	3.87
6.	CIBTPL (Now EBTPL)**	2	0.85
7.	GCB	2	1.17
8.	LNG	5	0.64

* During the reporting year, M/s.JSW Infrastructure Ltd. has purchased the entire shares of M/s.Chettinad Builders Pvt. Ltd., which was the holding Company of M/s.CICTPL and has subsequently changed the name of the SPV Company as Ennore Coal Terminal Private Limited.

** During the reporting year, M/s. JSW Infrastructure Ltd. has purchased the entire share of M/s.Chettinad Builders Private Limited, which owned 90% stake in the SPV Company viz., CIBTPL and has subsequently changed the name of the SPV Company to Ennore Bulk Terminal Private Limited.

2.0 DIVIDEND

For the financial year 2020-21, Board of Directors in their meeting held on 26.8.2021 have recommended dividend @ 50% on paid up equity share capital which is Rs.5/- per share. The dividend will be paid, subject to the approval of Members at the Annual General Meeting.

3.0 TRANSFER TO RESERVES

3.1 General Reserve:

Your Company has not transferred any amount to General Reserve during the year as it is not mandatory to transfer any amount before declaration of dividend under the Companies Act, 2013. The balance as on 31st March 2021 remains at Rs.79.02 Crores.

3.2 Debenture/Bond Redemption Reserve:

Your Company has transferred Rs.8.63 Crores to Debenture/Bond Redemption Reserve pursuant to Section 71 of the Companies Act, 2013 and the balance as on 31st March 2021 stood at Rs.71.30 Crores.

4.0 FINANCE

During the reporting year, your Company has not availed/raised any loan/borrowings.

Your Company repaid scheduled installments of Foreign Currency Loan (FCL) amounting to Rs.91.48 crores availed from Axis Bank which had become due during the year and also promptly paid the monthly interest payments.

Your Company repaid scheduled installments of term loans availed from Chennai Port Trust amounting to Rs.23.01 Crores which had become due during the current year and promptly paid the quarterly interest payments.

Your Company promptly discharged the annual interest obligation to the tune of Rs.6.74 crores and Rs.32.22 crores on Tax Free Bonds issued during the financial years 2012-13 and 2013-14 respectively on the due dates.

4.1 Ratings

As per the offer document of Tax Free Bonds issued by your Company, your Company has to carry out the annual surveillance of Credit Ratings.

The Credit Rating Agencies have assigned the following ratings during annual surveillance as detailed below:

Credit Rating Agencies	Ratings / Outlook
CRISIL	AA/Stable
CARE	AA/Negative
ICRA	AA-/Stable
Brick Work	AA+/Stable

4.2 Particulars of transaction made with Related Parties

All the contracts/arrangements/transactions entered by the Company during the financial year 2020-21, with the related parties were in the ordinary course of business and on arm's length basis.

The disclosure of Related Party Transaction as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 in Form AOC-2 is enclosed as **Annexure-I**.

4.3 Material changes and commitments affecting financial position between the end of the financial year and date of report

There are no material changes and commitments affecting financial position of your Company between the end of financial year and date of report.

4.4 Change in the nature of business, if any

There has been no change in the business of the Company during the Financial Year.

4.5 Particulars of Loans, Guarantees

Your Company has not given any Loans and Guarantees or provided any Security under Section 186 of the Companies Act, 2013.

4.6 Investments

During the year under review, your Company has not invested / paid advance towards Investments.

4.7 Capital Expenditure

Your Company spent Rs.94.57 Crores on capital expenditure during the financial year 2020-21 as against Rs.200 Crores spent in the previous year.

4.8 Fixed Deposits

During the year under review, your Company has not accepted any fixed deposits, nor has any outstanding unclaimed or unpaid deposits as on 31.03.2021.

4.9 Internal Financial Control

Your Company has adopted policies and procedures for ensuring orderly and efficient conduct of its business and adheres to the Company's policies, for safeguarding its assets, for preventing and detecting frauds and errors, for accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial disclosures. Internal control procedures are also considered sufficient to provide a reasonable assurance as to the integrity and reliability of the Financial Statements. The internal control and governance processes are duly reviewed by the Internal Auditor for their adequacy and effectiveness.

5.0 MOU 2020-21

As per the MOU guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE), your Company had

submitted the Draft MoU 2020-21 through Ministry of Shipping (now Ministry of Ports, Shipping & Waterways-MoPS&W) on 02.12.2019. However, consequent to your Company ceasing to be a Government Company and becoming a Subsidiary Company of Chennai Port Trust in March 2020, signing of MoU with MoPS&W was not required. Hence, your Company has signed the MoU for the year 2020-21 with Chennai Port Trust on 25.03.2021.

6.0 MARITIME INDIA SUMMIT 2021

Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPS&W) organized the Maritime India Summit (MIS) 2021 from 2nd March 2021 to 4th March 2021 on virtual platform to showcase the development and investment opportunities in the Maritime sector. The summit was inaugurated by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi on 2nd March 2021.



(CMD, KPL and officials of KPL at Maritime India Summit – 2021)

Your Company, being an important stake holder participated in the Summit. CMD, KPL acted as Convener for an important Break Out Session to deliberate on Bulk Cargo Transportation with focus on Liquid cargo.

During MIS 2021, your Company has signed 14 MOU's with potential investors/ developers for port projects mainly related to dredging, expansion of rail connectivity, technology transfer, creating new rail connectivity for liquid/POL cargo evacuation, development of Energy Facilitation Centres, Large Format Retail Outlets, Bunkering facilities etc. The investment commitments from these MoUs are worth around Rs.2695 Crores.



(Signing of MoU with MOL Toyofuji Automotive Logistics (India) Pvt Ltd for complete Yard Management and Stevedoring Operations)

The above MoU's will give a further fillip to the overall growth and efficiency improvement of your Company, which in turn would provide enhanced development opportunities for all the stake holders.

7.0 PROJECTS UNDER IMPLEMENTATION

To increase its ability to provide various services to its customers with pro-active and futuristic market sensitivity, your Company has initiated action for development of additional six berths/terminals: - three berths to handle Coal, two berths to handle Liquid Cargo, and one more berth to handle Containers. The ongoing projects on completion will add 50.58 Million Tonnes further to the existing capacity of 53.44 Million Tonnes totaling to 104.02 Million Tonnes. The status is as detailed below:

(a) Coal Berths 3 & 4 (18 MTPA)

Considering the expansion of the existing Thermal Power Plants and new Power Plants in the vicinity of KPL, TANGEDCO had requested KPL to establish additional Coal Berths. KPL constructed two additional Coal berths (CB3 & CB4) at an investment of Rs.500 Crore. The new Coal Berths can accommodate capesize vessel of 18 m draft and have capacity of 9 MTPA each. KPL has handed over Coal Berth - 4 and Coal Berth - 3 to TANGEDCO during August 2018 and June 2019 respectively, for installation of top loading facilities like Unloaders, Conveyor system etc. Mechanisation of the berths by TANGEDCO is under progress.

(b) Modification of Iron Ore Terminal on as is where is basis to also handle common user coal (12 MTPA)

KPL had signed an agreement for an Iron Ore Terminal on a 30 years BOT basis in September 2006 with the Project Company SICAL Iron Ore Terminal Limited (SIOTL). The BOT operator had developed the first phase of 6 MTPA during 2010-11. However, due to ban on export of Iron Ore, the Terminal was never put into use. Consequently, modification of existing Iron Ore Terminal on “as is where is” to also handle Common User Coal was contemplated and accordingly License Agreement was signed on 11.07.2016 between KPL and SIOTL.

However, due to the occurrence of Financial Default by the Concessionaire, ‘Termination Notice’ was issued by your Company to M/s. SIOTL on 22.03.2021 and the License Agreement was terminated on 19.06.2021. However, the Termination process (Refer Clause 15 (iii)(b) of Note No.30 to the Accounts) is under process.

(c) IOCL Captive Jetty (3 MTPA)

Your Company has signed the agreement on 9.6.2016 with IOCL for construction of Captive Jetty to handle POL and LPG products. The capacity of the Terminal is 3 Million Tonnes per annum. Independent Engineer has been appointed. IOCL has obtained CTE and is expecting to get PESO clearance soon.

(d) Marine Liquid Terminal – 2 (3 MTPA)

In order to meet ever increasing demand for POL, KPL has initiated action for development of 2nd Marine Liquid Terminal consisting of berth and tankage facilities in DBFOT mode at an investment of Rs.393 Crores. The capacity of the Terminal is 3 MTPA. After competitive bidding, KPL issued Letter of Award (LoA) to Consortium of BPCL-HPCL on 14.02.2018. Due to litigation by existing BOT operator of MLT-1, the Concession Agreement is yet to be signed.

(e) Container Terminal - Phase 1 (stage 2) (6,00,000 TEUs/11.58 MTPA)

The Concessionaire has raised Arbitration on many issues including Schedule of Stage II construction.

(f) Automobile Export/ Import Terminal-2 (3 MTPA)

Your Company intends to develop the 2nd Automobile Export/Import Terminal with estimated capacity of 3 MTPA. The estimated project cost is Rs.188.13 Crores (including GST). NIT was published on 02.06.2021. Your Company intends to award the work by 3rd quarter of 2021-22.

8.0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

As a corporate port, functioning on “Landlord” model, your Port has to provide the basic infrastructure like road & rail connectivity, dredged basin/channel, marine services and other common utilities.

Effective internal network of road and rail as well as external connectivity to the National Highway and trunk railway routes are essential to ensure faster receipt and evacuation of cargo. Towards this end your Company has initiated actions as detailed below:

I. Road connectivity

(i) Internal Road Connectivity

To avoid congestion in the road traffic and parking problems of truck drivers inside the port area, your Company has completed the development of the internal roads, truck parking bays, Rest Shelter Building, etc. at a cost of Rs.46.86 Crores.



(Common Truck Parking Bay near West gate)



(Rest Shelter Building for truck drivers at Common Truck Parking Bay)

(ii) External Road Connectivity

(a) Southern Port Access Road

Present road connectivity of Kamarajar Port to the three National Highways (NH5, NH4 & NH45) is through the Port Access Road, the NCTPS approach road, Tiruvottiyur – Ponneri – Panchetty (TPP) Road, the Inner Ring Road (IRR) and the Chennai Bypass Road. Considering the increasing road traffic movement of import/export of cargoes, KPL has undertaken widening of the existing two lane road starting from Vallur Junction (TPP road) to Kamarajar Port Main entrance to four lane road and has entrusted the work on a turnkey basis to TNRDC for a cost of Rs.195 Crores. The proposal comprises of 4.8 km length of North Chennai Thermal Power Station (NCTPS) Road belonging to Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd (TANGEDCO) and 2.3 km length of Port Access Road belonging to Kamarajar Port.

Road improvement from NCTPS junction to KPL Main Gate (2.3 km) is expected to be completed by September 2021 and Road improvement from Vallur Junction to NCTPS junction (4.8 km) is expected to be completed by June 2022.

(b) Northern Port Access Road

The Northern Port Access Road, which connects Kamarajar Port to NH5 has a length of 21.148 km with a 4.35 km SPUR Road to the existing Chennai ORR. This Northern Port Access Road forms part of Section-1 of the Chennai Peripheral Ring Road (CPRR). The State Government vide G.O.(Ms) No.37 Highways and Minor

Ports (HW2) Department dated 8.3.2019 has accorded Administrative Sanction for Rs.2673.42 Crore for the formation of the road. JICA is the funding agency for this project. The project is being executed by TNRDC. M/s.Tata Projects has been identified as the L1 bidder for the work. Award of work by Government of Tamil Nadu is expected shortly.

II. Rail Connectivity

Presently, your Company is connected by rail to the mainline at Attipattu and Attipattu Pudunagar Stations located in the Chennai – Gudur Section of the Southern Railway on the Chennai – Delhi/Kolkata route. Your Company developed the railway facilities connecting the stackyards of the Coal and Iron Ore Terminals to the existing NCTPS railway line. Further, as part of obligations of your Company, Rail Connectivity to Container and Multi Cargo Terminals have been provided and is operational since October 2018.

To ease congestion in rail bound traffic, your Company has initiated actions for the following Rail Connectivity projects:

(a) Southern Rail Connectivity

Your Company has entered into agreement with Indian Port Rail & Ropeway Corporation Limited (IPRCL) for doubling the existing single line rail connectivity from Holding yard No.1 to Container Yard at a project cost of Rs.86.00 Crores. The total length of doubling rail connectivity is 2.62 kms.

IPRCL has awarded contracts for major and minor bridge construction and track formation works in 2 separate packages in December 2018 and November 2020 (re-tender) respectively. CRZ Clearance was obtained for the project in January 2020. Works have commenced in both the packages. The project is expected to be completed by August 2022.

(b) Northern Rail Connectivity

Northern Rail Link connects Kamarajar Port to Northern side of Minjur Station i.e. Chennai - Gudur Railway mainline. Total length of the Northern rail link connectivity is 11.211 kms. Your Company and Kattupalli Ports agreed for 30m ROW (15m each) out of 100m ROW being acquired by Govt. of Tamil Nadu for NPAR. Your Company has conveyed its

consent for incremental cost sharing due to change in design of NPAR for providing rail connectivity to KPL and Kattupalli Port.

Your Company has identified 55.73 acres as the total land requirement for NRL and has requested Industries Department, Govt of Tamil Nadu for acquiring the required land from private owners and also to give ROW permission for Govt. land for 99 years lease on upfront basis for NRL.

9.0 INDUSTRIAL RELATIONS

Your Company maintained cordial and harmonious Industrial relations during the year 2020-21. No man days were lost during the year due to any strike or stoppage of work. The labour situation at the port was normal.

10.0 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

10.1 Manpower

The manpower details with respect to all employees as on 31.03.2021 are given below:

	SC	ST	OBC	Others	Total
Officers	12	3	28	20	63
Staff	9	1	20	6	36
Total	21	4	48	26	99

10.2 Representation of SCs/STs/OBCs and Minorities

Your Company meticulously follows the Presidential Directives and orders of the Central Government from time to time on reservation of posts/benefits in favour of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Minorities etc. SC employees constitute 21% of total manpower and ST employees constitute 4% of total manpower.

Liaison Officers for SC/ST and OBC have been appointed to ensure compliance and implementation of the reservation orders in the organization.

10.3 Training

Your Company has always been showing keen interest in imparting training to its employees to keep them abreast of the knowledge in their related fields. During the year, due to COVID-19 Pandemic, few employees attended online training programmes.

10.4 Grievance Redressal Mechanism

Your Company has in place a grievance redressal procedure for Executives as well as non-executive employees. No grievances were received for the year under review.

11.0 HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT

Your Port is committed to providing a safe and healthy work environment for its users, contractors & employees.

Your Company is running OHC equipped with trained paramedical staff and ambulance service round the clock (24 x 7) basis to provide the first aid during emergency to the employees of the Company and other BOT Operators and port users.

As a welfare measure, periodical health check-ups are provided to employees and their family members. Port organized a medical camp on 04.03.2021 at Occupational Health Centre which benefitted KPL Employees, BOT Operators and SHG Women.



(Medical camp conducted at Occupational Health Centre, KPL)

To prevent the outbreak of COVID-19 within port premises, your port has taken various preventive measures.

Your Port gives utmost importance to Safety in the work place. To sensitize employees, stakeholders and port users to improve the health and safety performance in your Port, National Safety Week was celebrated during first week of March 2021 in your Company.

Training programmes on Fire fighting training for port users (11 nos.), mock drills at berths and port users (10

nos.), mutual aid drills with neighbouring industries namely IPPL & BPCL (02 nos.) were conducted.



(Fire fighting training conducted at KPL)

National Safety Council conducted a Safety Audit during 23rd - 27th November, 2020 for the berths/terminals/storage facilities handling non-inflammable products inside your Port.

Your Company endeavors to remain as eco-friendly port serving various needs of the Maritime industry. Port is regularly monitoring the environment. Port has engaged M/s.Hubert Enviro Care Systems (P) Ltd, a NABL accredited/MoEF&CC recognized laboratory for sampling and testing of various environmental parameters like ambient air, marine water quality, sediment and noise. BOT operators inside the Port are also monitoring the environment. The environmental quality reports are regularly forwarded to the State Pollution Control Board.

Port has empanelled three Tamil Nadu Pollution Control Board approved recyclers of waste oil for collection and disposal of ship generated oily wastes. Your port has appointed a contractor for the collection, segregation and disposal of solid waste generated from the ships and inside port. The segregated wastes are sent to Pollution Control Board approved re-cyclers for further beneficial use.

12.0 DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013 AND WOMEN EMPOWERMENT

The provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal)

Act, 2013 and the Rules thereunder including the constitution of Internal Complaints Committee have been implemented in the Company with the aim of providing protection to women against sexual harassment at workplace and for prevention and redressal of complaints. No complaints were received during the year 2020-21.

As on 31st March 2021, there are a total of 17 women employees on Company rolls. Women constitute 5% of the total employees in staff cadre and 12% in officers cadre. International Women's Day was celebrated on 6th March 2021 with active participation of women employees in various events.

13.0 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY

Your Company as a responsible Corporate citizen has undertaken projects in line with adopted CSR Policy and requirement of the Companies Act, 2013. CSR Policy has been amended to be in line with the newly amended Rules/newly amended provisions of Companies Act 2013. CSR Annual Report detailing the various CSR initiatives is enclosed as **Annexure - II** and forms part of the Board's Report. All the requisite disclosures relating to composition of the CSR committee, CSR policy and initiatives taken during the year on CSR are contained in the said Report.

14.0 PUBLIC PROCUREMENT POLICY

The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has notified Public Procurement Policy which is applicable for CPSEs. Your Company has ceased to be a CPSE. However, your Company has procured 65.05% of annual value of goods or services from Micro and Small Enterprises as against 20% mandated in the policy.

15.0 RISK MANAGEMENT POLICY

Risk Management Policy adopted by the Company provides a framework to identify, assess and manage potential risks and opportunities. It provides a way for managers to make informed management decisions.

Some of the objectives of a Risk Management Framework are given below:

- A focused approach in identifying the obstacles & managing them to help the Organization perform better.
- Introduce a structured risk management initiative across the Organization to identify potential risks that may adversely affect the objectives of the Organization, plan for their mitigation with specific responsibilities assigned.
- Improve strategic decision making.
- Improve business performance.
- Reduce operational surprises and losses.
- Improve deployment of capital.
- Provide a sound basis for integrated risk management and internal control as components of good corporate governance;

The risks are identified, evaluated and mitigating plans are reviewed and monitored from time to time.

16.0 WHISTLE BLOWER POLICY

Company has put in place a “Whistle Blower Policy” for employees to report to the management instances of unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Company’s code of conduct or ethics policy by adopting highest standards of professionalism, honesty, integrity and ethical behavior. No complaints have been received under the Policy during the year.

17.0 NOMINATION AND REMUNERATION POLICY

The Terms and Conditions of Remuneration were determined by the Government of India as your Company was a Government Company till 27.3.2020. Subsequent to disinvestment of entire Shareholding held by Government of India to Chennai Port Trust, the Company ceased to be Government Company and is a Subsidiary of Chennai Port Trust, an autonomous body under Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India. As per the Share Purchase Agreement entered between The President of India (Seller) and Chennai Port Trust (Acquirer), no action

(except in the ordinary course of business of the Company) shall be taken by the acquirer which may adversely impact the seniority, compensation and benefit packages (including retirement benefits), and growth and progression plans/prospects of the employees of the Company, except with the prior written consent of the Seller for a period of 3 (Three) years after the closing date. The Nomination and Remuneration Policy comprising the above feature is available in the weblink <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/manuals.php>

18.0 RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company is complying with the Right to Information Act, 2005 and has designated a Public Information Officer, and an Appellate Authority to look after the compliances of RTI Act, 2005. The information required to be provided as per Section 4(1)(b) of the Right to Information Act, 2005 has been posted on the website of the Company www.kamarajarport.in.

During the year, 57 applications were received and attended to under the Act. 4 appeals were received and the same were disposed off within the stipulated time.

19.0 INFORMATION TECHNOLOGY

Your Company has always been at the forefront in technology adoption for better business process management and providing value to the business. Your Company has undertaken many IT initiatives to carry out all business processes and service delivery through IT systems and IT enabled services and realized the digital transformation propounded by the Government of India. Your Company maintained more than 99 percent uptime of SAP operations during the year.

Some of the IT systems implemented and initiatives taken by your Company are:

- M/s. Pricewaterhouse Coopers (PWC) conducted IT Audit and submitted Risk Assessment report along with policy documents. The entire activity including ISMS Roll-out is expected to be completed by third quarter of 2021-22. On successful completion, action will be initiated towards external audit and process of obtaining ISO-27001 Certification.

- Administrative, Technical & Budgetary sanction was obtained to replace the legacy POMS and LMS system with a new portal for the Customers & Vendors to interact electronically with your Company. This is slated for implementation in 2021-22 and will cover the entire Port Operations, including vessels, cargo, port crafts, etc and seamlessly merge various port operations in a single IT system.
- Action is being taken for creation of proper Disaster Recovery (or) Business Continuity site during 2021-22.

20.0 IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Your Company has made focused efforts for the propagation and implementation of the official language policy of the Government of India. Official Language Implementation Committee meetings chaired by CMD were held every quarter for effective implementation of Rajbhasha. Hindi workshops were conducted every quarter to give wide awareness on ensuring progressive use of Hindi.

Hindi Day was celebrated at Kamarajar Port on 14.09.2020 with a fortnight long celebrations from 01.09.2020 to 14.09.2020. Competitions like essay writing, poster making, etc. were conducted for the employees and all the programs were organized online in view of the Covid 19 pandemic.



(Participation of KPL employees in Hindi Day Celebrations)

The ceremony began with a special address by Shri Sunil Paliwal, CMD. The Chief Guest of the function Shri Pradeep Sharma, Registrar, Dakshin Bharath Hindi Prachar Sabha, Chennai expressed happiness over the increased usage of the official language at Kamarajar Port.

Employees were incentivized on successful completion of Prabodh, Praveen and Pragya Exams held during May - Nov/Dec 2020. Important milestone has been achieved in KPL as 27 employees of KPL have gained working knowledge in Hindi and have been entrusted with the task of implementing the Official Language in their respective departments.

21.0 BOARD OF DIRECTORS

a) Changes in Directors & Key Managerial Persons

During the year under review,

- Pursuant to Chennai Port Trust Letter No. ChPT/KPL CELL/2020/F dated 28.08.2020, Shri S. Balaji Arunkumar, Deputy Chairman, ChPT was appointed as Nominee Director of Chennai Port Trust w.e.f. 04.09.2020 on the Board of your Company in place of Shri Cyril C George.
- Pursuant to Chennai Port Trust Letter No. ChPT/KPL CELL/2020/F dated 13.10.2020, Capt. Anoop Kumar Sharma was appointed as Independent Director w.e.f. 10.11.2020 on the Board of your Company.
- Pursuant to Chennai Port Trust Letter No. ChPT/KPL CELL/2020/F dated 13.10.2020, Smt. Sarla Balagopal was appointed as Independent Director w.e.f. 10.11.2020 on the Board of Kamarajar Port Limited.

b) Details of Meetings of the Board/Committees and composition

Details of Meetings of the Board/Committee and composition are given in the Corporate Governance Report that forms part of this Annual Report. All the recommendations of the Committees have been accepted by the Board.

c) Annual Evaluation

Your Company was a Government Company till 27th March 2020 and hence statement indicating manner in which annual evaluation has been made by the Board of its own performance and that of its Committees was not required. 50% of the Directors were appointed by the Board only in later part of the year i.e. November 2020 (and by the Shareholders in December 2020) after which only two Board meetings were held in March 2021. Accordingly the annual evaluation of Directors can be carried out only in the following financial year.

22.0 DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

Your Company has received necessary Declaration from each of the Independent Directors of the Company during the year 2020-21 conforming that they meet the criteria of Independence as prescribed under 149 (6) of Companies Act 2013, and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015.

In the opinion of the Board, the Independent Directors appointed during the year possess the requisite integrity, expertise and experience required to discharge the duties as Independent Directors.

The Independent Director who has neither taken online proficiency self-assessment test conducted nor exempted from taking the test by the Institute notified under sub-section (1) of Section 150 of the Companies Act, 2013 has given an undertaking that the same will be complied within stipulated time.

23.0 VIGILANCE

The Vigilance Division scrutinizes the documents with respect to the work contracts executed by various departments. Procedural lapses, deviations from tendering norms and shortcomings in contract works are pointed out to the concerned departments for corrective actions and system improvements. The recovery of money is also advised in fitting cases.

The CVC guidelines/notifications are circulated to the departments. The Annual Immovable Property Returns submitted by the officers of KPL are scrutinized by the Vigilance Division. Clarifications are sought for the abnormalities, if any, from the concerned officers. The Audit reports are studied at Vigilance Division and departments are advised to take necessary corrective action, wherever required.

23.1 Vigilance Awareness Week, 2020

As per Central Vigilance Commission's direction Kamarajar Port Limited observed Vigilance Awareness Week from 27.10.2020 to 02.11.2020 on the theme **"Vigilant India, Prosperous India"**.

Essay and Slogan writing competitions were held with the active participation from KPL staff. Lectures were organized on vigilance related topics to create more awareness on Vigilance. Your Company also took efforts to involve the students of schools and colleges in the vicinity of the Port on the observance of Vigilance Awareness Week. In the week long program, around 150 students enthusiastically participated in the Essay, Poster Making and Elocution Competitions on the topic "Vigilant India, Prosperous India".



(Prizes were distributed to the students who won in various competitions)

Due to Covid19 Pandemic, as per CVC's advice, various Internal Housekeeping activities were carried out in campaign mode as part of the Vigilance Awareness Week 2020.

23.2 Adoption of Integrity Pact

The Central Vigilance Commission has recommended

- adoption of Integrity Pact and provided basic guidelines for its implementation in respect of major procurements in the Government Organizations.
- appointment of Independent External Monitors (IEMs) for the implementation of Integrity Pact and also advised the organisations to fix a threshold value for the contracts/ procurement which are to be brought under the Integrity Pact.

The Pact envisages an agreement between the prospective vendors/bidders and the Employer/ Principal committing the persons /officials of the both parties, not to exercise any corrupt influence on any aspect of the contract.

KPL Board has approved the Vigilance department's proposal of Integrity Pact in the Board meeting held on 21.02.2015. The threshold value for contracts/procurement to be covered under Integrity Pact has been fixed as Rs.1 Crore and above. The CVC had appointed the following two retired officers as Independent External Monitors (IEM) for implementing the Integrity Pact in KPL.

- 1) Shri. V. Kannan, Former CMD, Vijaya Bank.
- 2) Shri. R.Kuppan, IRSME (1980 batch) Former Principal Chief Mechanical Engineer.

Integrity Pact covers all phases of the contract i.e from the stage of Notice Inviting Tender (NIT) till the conclusion of the contract. All the Departments were advised to incorporate Integrity Pact clause in the tender documents for works/procurements having value more than the threshold value of Rs.1 Crore.

24.0 NAMES OF COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE ITS SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES OR ASSOCIATE COMPANIES DURING THE YEAR

During the year no Company has become or ceased to be its Subsidiary, Joint Venture or Associate Company.

25.0 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Your Directors state that:-

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;
- (c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- (e) the directors had laid down internal financial controls to be followed by the Company

and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

- (f) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

26.0 DISCLOSURE AS PER SECTION 197 OF THE COMPANIES ACT AND THE REQUIREMENTS OF COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014.

The requisite details pursuant to provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013, read with the Rule 5 of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, forms part of Directors' Report and is Annexed to this Report as **Annexure -III.**

27.0 AUDITORS

Pursuant to the provisions of Section 139 of the Companies Act, 2013, the Comptroller & Auditor General of India, New Delhi has appointed M/s.B.Thiagarajan & Co., Chartered Accountants as Statutory Auditors of the Company for auditing the books of accounts of the Company for the period ended 31st March 2021.

27.1 Statutory Auditors' Report

The Statutory Auditor of the Company, M/s. B.Thiagarajan & Co., Chartered Accountants, have given an unqualified report on the accounts of the Company for the financial year 2020-21. The Emphasis of matters and Notes on financial statement referred to in the Auditor's Report are self-explanatory and do not call for any further comments.

27.2 Review of Accounts by Comptroller and Auditor General of India

The comments of C & AG under Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of the Company for the Financial Year 2020-21 and replies of the management thereto are attached as Annexure to the Board's Report and will form part of this report.

28.0 SECRETARIAL AUDIT

M/s. S. Dhanapal & Associates, Practicing Company Secretaries was appointed to conduct Secretarial Audit of your Company for the Financial Year 2020-21. They have reported that during the period under review, your Company has complied in accordance with the

requirements to be met with the applicable provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc to a required extent except appointment of Independent & Women Director(s) and all related compliances till 09th November 2020 and Board evaluation & meeting of Independent Directors for the year. The Secretarial Auditor's Report for the financial year 2020-21 forms part of this Boards' Report as **Annexure – IV**.

28.1 Reply to the comments of Secretarial Auditor

As pointed out by the Secretarial Auditor, Independent Directors including Woman Director have been appointed only in the later part of the Financial year. Consequently, as 50 % of the Board of Directors were inducted in later part of the financial year, Board evaluation & meeting of Independent Directors for the year could not be carried out/held. Steps have been initiated for Board evaluation.

29.0 SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY REGULATORS OR COURTS

There are no significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future.

30.0 ANNUAL RETURN

Pursuant to Section 92(3) and Section 134(3) (a) of the Companies Act, 2013, the Annual Return is available in the following link <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/annual-return.php>.

31.0 DEBENTURE TRUSTEE

Your Company had appointed M/s. SBICAP Trustees Company Ltd. and M/s. Catalyst Trusteeship Ltd. (formerly known as GDA Trusteeship Ltd.) as Debenture Trustees for Tax Free bonds issued during the Financial Years 2012-13 and 2013-14 respectively.

32.0 REPORT ON CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO.

In accordance with the provisions of Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 information

regarding Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange earnings and outgo is given at **Annexure – V** to this report.

33.0 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

A voluntary report on Corporate Governance for the year ended 31st March 2021 is enclosed as **Annexure - VI** to this report.

33.1 Secretarial Standards

Your Company is in compliance with the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2).

33.2 Cost Records

The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the Company.

34.0 ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors would like to place on record their gratitude for the support and guidance received from the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India and Chennai Port Trust and appreciates the co-operation received from TANGEDCO/TNEB, TNPCB, GoTN and GoI, particularly the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Department of Public Enterprises, Indian Port Association, Ministry of Finance and Indian Railways/ Southern Railways.

Your Directors gratefully acknowledge the continued support and cooperation received from the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Internal Auditors and Secretarial Auditor. Your Directors thank the Port Users, BOT Concessionaires, Contractors and Bankers for their continued support and assistance. Your Directors wish to place on record their appreciation of the continued excellent work done by all the employees of the Company during the year.

**For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited**

Sd/-

Sunil Paliwal, I.A.S.,

**Chairman cum Managing Director
(DIN : 01310101)**

Place: Chennai

Date : 26.08.2021

Form No. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis-Not Applicable.

- (a) Name(s) of the related party and nature of relationship
- (b) Nature of contracts/arrangements/transactions
- (c) Duration of the contracts /arrangements/transactions
- (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any-
- (e) Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions
- (f) date(s) of approval by the Board -
- (g) Amount paid as advances, if any :
- (h) Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis

- (a) Name(s) of the related party and nature of relationship- Chennai Port Trust
- (b) Nature of contracts/arrangements/transactions
Appointment of Chennai Port Trust for Project Management Consultancy services on nomination basis for the work of Dredging Plan Phase IV(A) - Capital and Maintenance dredging at Kamarajar Port.
- (c) Duration of the contracts /arrangements/transactions 8 (Eight) Months plus 2 (Two) Months
- (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any:
 - i. The PMC service fee of Rs.3.07 Crs. excluding GST for the 8months contract period. If the contract is extended beyond 8 months, no additional service fee will be charged by ChPT upto 10 months. If the contract period is extended beyond 10 months, additional fee of 0.25 % of the project cost per month or part thereof will be charged by ChPT.
 - Rs.80 Lakhs shall be released after signing of the Agreement.
 - Rs.80 Lakhs shall be released at the end of 4th month from the Date of Commencement i.e. from 11.07.2020.
 - Rs.80 Lakhs shall be released at the end of 8th month from the Date of Commencement i.e. from 11.07.2020.
 - Balance amount of Rs. 67 Lakhs shall be released after completion of the final billing to the contractor.
- (e) Date(s) of approval by the Board, if any: Circular Resolution No.03/2020-21 dated 24.07.2020 and the same has been taken note of by the Board in its meeting held on 09.09.2020
- (f) Amount paid as advances, if any: NO
- (g) Justification for entering into the Contract: As per the roadmap indicated by the Ministry pursuant to disinvestment and subsequent MoU between Chennai Port Trust and KPL.

**For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited**

Sd/-

Sunil Paliwal, I.A.S.,

**Chairman cum Managing Director
(DIN : 01310101)**

Place: Chennai
Date : 26.08.2021

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR FINANCIAL YEAR 2020-21**[Pursuant to Section 135 of the Companies Act, 2013 ('the Act') & Rules made thereunder]****1. Brief Outline of Company's CSR Policy**

Your Company consistently strive to meet the expectations of the society by supporting initiatives for improving infrastructure/ quality of life of society / community without compromising on ecological issues on sustainable basis consistent with the CSR provisions of the Companies Act, 2013; Schedule VII of the Companies Act, 2013.

Your Company, as a socially responsible Corporate Port endeavors to

- promote and leverage green technologies to produce goods and services that contribute to social and environmental sustainability
- take up on priority, CSR projects which are in the National Development agenda like safe drinking water, provision of Toilets especially for girls, health and sanitation and education, etc., with the main focus to address the basic needs of the deprived, under privileged and are in line with CSR rules and the policy directions issued by the Government from time to time.

2. Composition of CSR Committee

Sl.No.	Name of the Director	Designation/Nature of Directorship	Number of Meetings of CSR Committee held during the year	Number of Meetings of CSR Committee attended during the year
1	Shri Sunil Paliwal	CMD of KPL & Chairman of CSR Committee	4	4
2	Shri P. Raveendran	Nominee Director & Member	4	4
3	Shri S. Balaji Arunkumar	Nominee Director & Member	4	2*
4	Shri V.M.V. Subba Rao	Non Official Independent Director of KPL & Member of CSR Committee	4	4

* Only two CSR Committees were held after Shri S. Balaji Arunkumar was appointed as Nominee Director & Member of CSR Committee

3. Provide the web link where composition of CSR Committee and CSR Projects Approved by the Board are disclosed in the website

Composition of CSR Committee link: <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/board-level-committee.php>

CSR Projects Link : <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/corporate-social-responsibility-csr.php>

4. Provide the details of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub rule (3) of rule 8 of the Companies (Companies Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014; If applicable (attach the report)

Not Applicable

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub rule (3) of rule 7 of the Companies (Companies Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014, and the amount required for set off for the financial year, if any –

Not Applicable

6. Average Net profit of the Company as per Section 135 (5) : Rs.40,514.00 Lakhs**7. (a) Two percentage of average net profit of the Company as per Section 135 (5) : Rs.810.00 Lakhs**

(b) Surplus arising out of CSR Projects or Programmes or Activities of the previous financial years - NIL

(c) Amount required to be set off for the financial year, if any - Not Applicable

(d) Total CSR Obligation for the financial year (7a+7b –7c) : Rs.810.00 Lakhs

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the financial year (Rs. in lakhs)	Amount Unspent (Rs. in Lakhs)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per Section 135(6)		Amount transferred to any fund specified in Schedule VII as per second provision to section 135(5)		
	Amount (Rs. in lakhs)	Date of transfer	Name of the fund	Amount	Date of transfer
828.25*	283**	30.04.2021	NA	NA	NA

* Actual spent for the FY 2020-21 is Rs.1856.00 Lakhs which comprises of Rs.828.25 Lakhs spent against projects during the FY 2020-21 and Rs.1029.00 Lakhs spent in the FY year 2020-21 on projects which had commenced in the previous years.

** Pertains to unspent amount of previous years as on 31.03.2021.

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
S. No.	Name of the project	Item from the list of activities in Schedule VII in the Act	Local Area (Yes/No)	Location of the project		Project Duration	Amount allocated for the project (in Rs.)	Amount Spent in the current financial year	Amount Transferred to the unspent CSR Account for the project as per Section 135(6)	Mode of Implementation Direct (Yes/No)	Mode of Implementation through implementing Agency	
				State	District						Name	CSR Registration No.
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
S. No.	Name of the project	Item from the list of activities in Schedule VII in the Act	Local Area (Yes/No)	Location of the project		Amount spent for the project (in Lakh Rs.)	Mode of Implementation Direct (Yes/No)	Mode of Implementation - through implementing Agency	
				State	District			Name	CSR Registration No.
1	Contribution to PM Cares fund for COVID-19 pandemic	Schedule VII (vii)	No	NA	NA	400	No	PM Cares fund	-
2	Contribution to promoting health care- Developing High Dependency Unit	Schedule VII (i)	Yes	TN	Chengalpet	22.05	No	Chengalpet Medical College & Hospital	-
3	Contribution to promoting education	Schedule VII (ii)	Yes	TN	Chennai	100	No	Chennai Port & Dock Educational Trust	-
4	Contribution to Armed Forces Flag Day Fund	Schedule VII (vi)	No	NA	NA	05	No	DRO, Tiruvallur	-
5	Contribution to 22 CSR initiatives -Rural development projects	Schedule VII (x)	Yes	TN	Tiruvallur	300	No	DRDA, Tiruvallur	-
TOTAL						827.05			

(d) Amount spent in Administrative Overheads

Rs.1.20 lakhs

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable

NIL

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e)

Rs.828.25 lakhs

(g) Excess amount for set off, if any

Sl. No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)
(i)	Two percent of average net profit of the Company as per section 135(5)	810.00
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	828.25
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	18.25
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or	0.00
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	18.25

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

Not Applicable*

* Transfer of unspent CSR Funds to Unspent CSR account is introduced by MCA with effect from 01.04.2021.

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

Not Applicable

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (asset-wise details)**(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s).**

NIL

(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.

NIL

(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.

NIL

(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).

NIL

11. Specify the reason(s), if the Company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5)

Not Applicable

For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited

Sd/-

Sunil Paliwal, I.A.S.,

Chairman cum Managing Director &
Chairman of CSR Committee

(DIN : 01310101)

Place: Chennai

Date : 26.08.2021

Information under Section 197 of the Companies Act, 2013

1. The ratio of the remuneration of each director to the median remuneration of the employees of the Company for the financial year;

The ratio of the remuneration of each director for the year 2020-21 to the median remuneration of the employees of the Company is tabulated below. CMD is the only director of the Company.

Sl.No.	Name	Ratio
1.	Shri Sunil Paliwal, CMD	4.59

2. The percentage increase in remuneration of each director, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Company Secretary or Manager, if any, in the financial year;

Sl.No.	Name	Percentage
1.	Shri Sunil Paliwal, CMD	*
2.	Shri M Gunasekaran, CFO	(12%)
3.	Smt Jayalakshmi Srinivasan, CS	(4%)

* Shri Sunil Paliwal joined KPL in mid September 2019 and received salary for around 6 months i.e. from Sep 2019 to Mar 2020 in the previous year. The same is not comparable to the salary of full current year i.e. from April 2020 to Mar 2021. Accordingly, a comparison is not drawn.

As per the policy of the Company, the annual increment in basic pay of the employees of the Company is 3%. The Dearness Allowance is increased as per Government rules. Further the Performance related payments are paid as per the applicable rules depending on the performance of the Company during the relevant year.

3. The percentage increase in the median remuneration of employees in the financial year

	CY	PY	Percentage
Median Remuneration	1078549.63	1137495.48	(5%)

4. The number of permanent employees on the rolls of Company:

The total number of permanent employees on the rolls of the Company as on 31st March 2021 is 99.

5. Average percentile increase already made in the salaries of employees other than the managerial personnel in the last financial year and its comparison with the percentile increase in the managerial remuneration and justification thereof and point out if there are any exceptional circumstances for increase in the managerial remuneration.

Average percentage increase/(decrease) in remuneration including key managerial personnel during the financial year was in the range of (5)-(10)% excluding CMD

6. Affirmation that the remuneration is as per the remuneration policy of the Company.

The remuneration to all employees of the Company is as per the Remuneration Policy of the Company.

7. The particulars for the year 2020-21 as required to be disclosed under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014.

Nil. No employee had earned beyond the limits prescribed therein.

Top ten employees in terms of remuneration drawn

SN	Name & Designation	Remuneration* received	Qualifications & Experience	Date of commencement of employment	Age	Last employment held
1.	Shri Sanjay Kumar, General Manager (CS & BD)	50,17,361	B.Sc Physics with 34 years of experience in various capacities.	03.05.2005	58.1	CISF
2.	Shri Sunil Paliwal, IAS Chairman-cum-Managing Director	49,77,911	B.Tech (Comp.Sci), MS (Comp Science) & MBA with 28 years of experience in various capacities.	16.09.2019	52.8	State Government, Labour & Employment Department
3.	V. Krishnasamy General Manager (Operations)	38,87,129	Dip in CE, B.E. Mechanical, MBA (HRM) with 36 years of experience in various capacities.	13.09.2007	59.10	Chiyoda & Synamprogeti Co.Ltd.
4.	P. Radhakrishnan, DGM (Civil)	38,80,539	BE (CIVIL) & M E Management with 35 years of experience in various capacities.	12.12.2007	58.0	Mecon Ltd
5.	M. Gunasekaran, General Manager (Finance)	37,88,546	M.Com, AICWAI, ACS with 35 years of experience in various capacities.	28.11.2001	58.5	BSES Kerala Power Ltd.
6.	Shri C.S. Vemanna, Chief Manager (Finance)	26,75,186	B.Com, AICWA, Dip in Fisheries Tech & Navigation Engg & MBA with 30 years of experience in various capacities.	05.03.2012	53.4	IOCL
7.	Shri G.M. Balan, Dy. General Manager (Marine Services)	26,60,538	B.Sc PHYSICS & MASTER-FG with 25 years of experience in various capacities.	16.08.2013	48.1	LP Logistics Pvt. Ltd
8.	Shri P. Om Pragesh, Sr. Executive Secretary	25,52,675	B.COM, MBA, PGDM (PM) with 27 years of experience in various capacities.	25.02.2002	48.5	Central Government, Ministry of Shipping
9.	Dr. Sravan Kumar, Sr. Manager, HSE	25,39,509	B.Sc, Chemistry, M.Sc Marine Science & Ph.D Marine Science with 26 years of experience in various capacities.	11.05.2005	55.4	Dept of Ocean Development, ICAM Project Directorate
10	S.P. Desikamani, Pilot	25,36,820	B.Sc/Master FG with 29 years of experience in various capacities.	27.04.2018	50.4	West Asia Maritime Limited

* Remuneration includes pilotage allowances, leave encashment, PRP, etc.

Note:

- (i) All are permanent employees
- (ii) No employee is holding equity share in the Company except Shri Sunil Paliwal, CMD and Shri M. Gunasekaran, General Manager (Finance) who are holding 1 equity share each as Nominees of Chennai Port Trust.
- (iii) No employee is a relative of any Director or Manager of the Company

Suite No. 103, First Floor, Kaveri Complex No. 96/104, Nungambakkam High Road
(Next to NABARD & ICICI Bank), Nungambakkam, Chennai - 600 034
Phone No. 044 - 4553 0256, 4553 0257/4265 2127
E-mail: csdhanapal@gmail.com, website: www.csdhanapal.com

S Dhanapal & Associates

Practising Company Secretaries

Partners

S. Dhanapal, B.Com., B.A.B.L., F.C.S

N. Ramanathan, B.Com., F.C.S

Smita Chirimar, M.Com., F.C.S, DCG(ICSI)

R. Pratheepa, B.C.S., A.C.S

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies
(Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Kamarajar Port Limited
(erstwhile Ennore Port Limited)

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **M/s.KAMARAJAR PORT LIMITED** (erstwhile Ennore Port Limited), (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted based on records made available to us, in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion/understanding thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and made available to us and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we, on strength of those records, and information so provided, hereby report that in our opinion and understandings, the Company, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2021, appears to have complied with the statutory provisions listed hereunder and also in our limited review, the Company has proper

and required Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minutes' book, forms and returns filed and other records maintained by the Company and made available to us, for the financial year ended on March 31, 2021 according to the applicable provisions of:

- i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder and the Companies Act, 1956 and the rules made thereunder as applicable;
- ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings to the applicable extent.
- v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and exchange Board of India Act, 1992('SEBI ACT'):-
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

- b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as substituted by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital And Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 as substituted by Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
- e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
- g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; and
- vi) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 as substituted by the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018.
- vii) Acts, Rules and Regulations relating to Port Management and related activities as identified by the Management and communicated to us.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2), and
- ii) The Listing Agreements entered into by the Company with BSE Limited and The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the period under review, the Company has complied in accordance with the requirements to be met with the applicable provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above to a required extent except appointment of independent & women director(s) and all related compliances till 09th November 2020 and Board evaluation & meeting of Independent Directors for the year.

With respect to the applicable financial laws such as direct and indirect tax laws, based on the information & explanations provided by the management and officers of the Company and certificates placed before the Board of Directors, we report that adequate systems are in place to monitor and ensure compliance.

It is represented to us that the Company has initiated measures, wherever required, to address issues raised by the statutory authorities and letters/notices received by the Company during the financial year under various enactments as applicable to the Company.

We further report that, subject to the above, the related documents that we have come across depict that:

The Board of Directors of the Company is constituted as applicable with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors and the changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes, if any.

We further report that based on our limited review of the compliance mechanism established by the Company, there appear adequate systems and processes in the Company commensurate with the

size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period the Company sought the approval of its members for the following matters other than ordinary business at the Annual General Meeting:

- Appointment of Shri Sunil Paliwal, I.A.S. (DIN: 01310101) as Chairman cum-Managing Director of the Company
- Appointment of Shri V.M.V. Subba Rao (DIN: 02435597) as an Independent Director of the Company
- Appointment of Shri S. Balaji Arunkumar (DIN: 07526368) as a Nominee Director of the Company
- Appointment of Capt. Anoop Kumar Sharma (DIN: 03531392) as an Independent Director of the Company
- Appointment of Smt. Sarla Balagopal, IRTS (Retd.) (DIN: 01572718) as an Independent Director of the Company

On 27/03/2020, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India disinvested its complete stake in the Company which was acquired by Chennai Port Trust, whereby Company became wholly owned subsidiary of Chennai Port Trust, with the Trust as its sole shareholder. On 31/08/2020, Chennai Port Trust nominated six individuals to hold 1 share each in the Company as registered holders u/s 89 (beneficial interest retained by M/s.Chennai Port Trust), and accordingly, from 31/08/2020, the Company is in compliance with Section 3 of the Act having seven shareholders.

We further report that our Audit was subjected only to verifying adequacy of systems and procedures that are in place for ensuring proper compliance by the Company and we are not responsible for any lapses in those compliances on the part of the Company.

We further report that we have conducted entire secretarial audit only through online verification and examination of records, as requested and facilitated by the Company, due to prevailing COVID situation for the purpose of issuing this Report.

For S DHANAPAL & ASSOCIATES

(A firm of Practicing Company Secretaries)

Sd/-

N. RAMANATHAN (Partner)

FCS 6665 CP No. 11084

UDIN: F00665C000834514

Place : Chennai

Date : 26.08.2021

This Report is to be read with our testimony of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

ANNEXURE -A

To
The Members,
Kamarajar Port Limited
(erstwhile Ennore Port Limited)
Chennai

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices,

we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For S DHANAPAL & ASSOCIATES

(A firm of Practicing Company Secretaries)

Sd/-

N. RAMANATHAN (Partner)

FCS 6665 CP No. 11084

UDIN: F00665C000834514

Place : Chennai
Date : 26.08.2021

This Report is to be read with our testimony of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

INFORMATION UNDER SECTION 134(3)(m) OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH RULE 8 OF THE COMPANIES (ACCOUNTS) RULE, 2014

A) Conservation of Energy:

(i) steps taken or impact on conservation of energy:

- (a) To ensure effective utilization of electrical energy, M/s.Greenserve Energy was appointed for conducting Energy Audit. Pursuant to the Audit, report was obtained during June 2020. The following energy conservation measures were recommended by the auditor.

Arresting of air conditioner duct leakages inside false ceiling in both 2nd and 3rd floors of Jawahar Building at Registered Office during September 2020.

The other recommendations will be implemented in the following year.

1. Installing of occupancy sensor in toilet and board rooms and motion sensor in pathway of chairman corridor and other walkways to improve the operational effectiveness of lighting.
2. Installation of additional 40KW new solar power plant in signal station and renovation of existing storage system.
3. Installing new substation near signal station which will help in reduction of distribution losses.

(b) Impacts

- Energy Efficient.
- Environment friendly.
- Reduction in distribution losses leading to conservation of energy.

(ii) steps taken by the Company for utilizing alternate sources of energy:

Around 39,600 KWh (Units) of power has been generated through Diesel Generator and around 32,400 KWh (Units) of power has been generated through solar and the same has been utilized during the year 2020-21.

The following steps have also been taken for setting up of solar power plant inside the port.

Solar Energy:

M/s.TORP Systems Pvt. Ltd., Chennai was appointed as a Consultant to carry out the work of "Preparation of Feasibility Report (FR) for setting up of Solar Power Plant covering Car Parking Yard at Kamarajar Port". The Consultant has submitted the FR and recommended for installation of 300KW roof top solar power plant with covered car parking shed on RESCO model to meet the electrical power requirements of KPL.

(iii) Capital Investment on energy conservation equipments:

Nil.

B) Technology Absorption:

i) SAP ERP System

KPL has successfully implemented SAP S/4 HANA 1610 ERP system covering various functional areas like Budget, Accounts & Finance, HR & Payroll, Material Management, Project Systems, etc.

Plans are being drawn to migrate / upgrade the SAP system to the latest version i.e. SAP S/4 HANA 2020 during the FY 2021-22.

This will enhance the overall IT utilization and take KPL forward in terms of increasing the overall productivity, enhance the customer services, service level commitments, utilization of resources in optimal level, etc.

ii) Benefits

Business processes and functionalities of HR/ Payroll, Finance & Accounting, Purchase & Contracts and Project Systems (WBS), Employee Requests/Claim and Loan processes are made online through Employee Self Service (ESS) Portal. These had resulted in increased transactional efficiency and productivity leading to cost reduction.

iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year)

a) The details of technology imported:
Not applicable

b) The year of import:
Not applicable

c) Whether the technology been fully absorbed:
Not applicable

d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reason thereof :
Not applicable

iv) The expenditure incurred on Research and Development:
NIL

C) Foreign Exchange Earnings & outgo:

Foreign Exchange Earnings is Nil and Foreign Exchange outflow is Rs.97.07 Crores towards debt services of Foreign Currency Loan and Purchase of Mobile X-ray machine.

**For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited**

Sd/-

Sunil Paliwal, I.A.S.,

**Chairman cum Managing Director
(DIN : 01310101)**

Place: Chennai

Date : 26.08.2021

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1.0 BRIEF STATEMENT ON COMPANY'S PHILOSOPHY ON THE CODE OF GOVERNANCE

We believe that Corporate Governance is not merely compliance check point but a framework designed to inspire confidence in the Board and the external stakeholders with respect to the Company's business. To sustain this confidence, we are voluntarily attaching the Report on Corporate Governance. The members of our Audit committee maintain a strong oversight of the financial reporting process, the audit process, the Company's system of internal controls and compliance with laws and regulations.

2.0 Composition and category of the Board of Directors as on 31.03.2021.

Sl. No	Name	Category
1	Shri Sunil Paliwal, I.A.S	Chairman-cum-Managing Director
2	Shri P. Raveendran, I.R.T.S.	Nominee Director
3	Shri S. Balaji Arunkumar, I.R.T.S.	Nominee Director
4	Shri V.M.V. Subba Rao	Non- official Part time (Independent) Director
5	Capt. Anoop Kumar Sharma	Non- official Part time (Independent) Director
6	Smt. Sarla Balagopal, I.R.T.S. (Retd.)	Non- official Part time (Independent) Director

2.1 Changes in Board of Directors during FY 2020-21:

Sl. no	Name	Nature of Change
1	Shri Cyril C George	Cessation w.e.f 04.09.2020
2	Shri S. Balaji Arunkumar, I.R.T.S.	Appointment* w.e.f 04.09.2020
3	Capt. Anoop Kumar Sharma	Appointment* w.e.f 10.11.2020
4	Smt. Sarla Balagopal, I.R.T.S. (Retd.)	Appointment* w.e.f 10.11.2020

* Subsequently regularized at the AGM held on 16.12.2020

2.2 No. of Board Meetings held with dates of the Meeting:

During the financial year 2020-21, 6 (Six) Board meetings were held on 11.05.2020, 29.06.2020, 09.09.2020, 10.11.2020, 05.03.2021 and 30.03. 2021.

2.3 Meetings and Attendance during the year

Attendance of each member along with Chairmanship/Membership of the Audit Committee (AC) and Stakeholder Relationship Committee (SRC) of Public Limited Companies (including KPL) as per the data/details made available during their tenure in the Company/Committee is given below:

Name of Director	Designation of the Director	No. of Board Meeting held during the tenure of respective Director in F.Y. 2020-21	No. of Board Meeting Attended	Last AGM attended	Other Directorship as on 31 st March 2021	No. of Committees across all Companies	
						As Member As on 31 st March 2021	As Chairman As on 31 st March 2021
Shri Sunil Paliwal	Chairman- cum- Managing Director	6	6	Yes	3	AC-KPL SRC-KPL	AC- SCL
Shri P. Raveendran	Nominee Director	6	6	Yes	1	AC-KPL AC- SCL	SRC-KPL
Shri S. Balaji Arunkumar	Nominee Director (w.e.f 04.09.2020)	4	4	Yes	3	Nil	Nil
Shri Cyril C George	Nominee Director (upto 04.09.2020)	2	2	NA	NA	NA	NA
Shri V.M.V. Subba Rao	Independent Director	6	6	Yes	1	Nil	AC-KPL
Capt. Anoop Kumar Sharma	Independent Director (w.e.f 10.11.2020)	3	3	Yes	1	AC-KPL AC-DCI	Nil
Smt. Sarla Balagopal	Independent Director (w.e.f 10.11.2020)	2	2	Yes	Nil	AC- KPL	Nil

Notes: KPL-Kamarajar Port Limited, SCL - Sethusamudram Corporation Limited, DCI-Dredging Corporation of India Limited

3.0 AUDIT COMMITTEE

The role, terms of reference, Composition of the Audit Committee is in accordance with Companies Act, 2013 and other applicable provisions. Company Secretary acts as Secretary to the Audit Committee. Shri M. Gunasekaran, General Manager (Finance) cum CFO acts as the Nodal Officer to the Audit Committee. Head of Finance, Internal Auditors, Statutory Auditors and Senior Executives from various functions were invited in the Audit Committee meetings for interacting with the members of the Audit Committee.

A. Composition of Audit Committee

The Audit Committee of the Company comprised of the following members as on 31.03.2021:

Shri V.M.V. Subba Rao	-	Chairman
Shri Sunil Paliwal	-	Member
Shri P. Raveendran	-	Member
Capt. Anoop Kumar Sharma	-	Member
Smt. Sarla Balagopal	-	Member

B. Meetings and Attendance during the year:

During the year 2020-21, three Audit Committee meetings were held on 29.06.2020, 10.11.2020 and 05.03.2021.

C. The details of members including change, if any, in their tenure, number of meetings held during the year and attendance of the members are as under:

Members	No. of Meeting held during tenure	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Shri V.M.V. Subba Rao	3	3	100
Shri Sunil Paliwal	3	3	100
Shri P. Raveendran	3	3	100
Capt Anoop Kumar Sharma (From 10.11.2020)	1	1	100
Smt. Sarla Balagopal (From 10.11.2020)	1	1	100

4.0 NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The role, terms of reference and composition of the Nomination and Remuneration Committee is in accordance with Companies Act, 2013 and other

applicable provisions. The Company Secretary acts as Secretary to the Nomination and Remuneration Committee

A. Composition of Nomination and Remuneration Committee

Nomination and Remuneration Committee comprised of the following Members as on 31.3.2021:

Capt. Anoop Kumar Sharma	-	Chairman
Shri P. Raveendran	-	Member
Shri Sunil Paliwal	-	Member
Smt. Sarla Balagopal	-	Member

B. Meetings and Attendance during the year

During the year 2020-21, two Nomination and Remuneration Committee meetings were held on 29.06.2020 and 10.11.2020.

C. The details of members including change, if any, in their tenure, number of meetings held during the year and attendance of the members are as under:

Members	No. of Meetings held during tenure	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Shri V.M.V. Subba Rao (Up to 10.11.2020)	2	2	100
Shri Cyril C George (From 11.05.2020 Up to 04.09.2020)	1	1	100
Shri P. Raveendran	2	2	100
Shri Sunil Paliwal	2	2	100
Shri S. Balaji Arunkumar (From 09.09.2020 and up to 10.11.2020)	1	1	100

Capt. Anoop Kumar Sharma and Smt. Sarla Balagopal was inducted in this committee by the Board in its meeting held on 10.11.2020 subsequent to Nomination and Remuneration Committee meeting.

Remuneration received by Functional Directors

Details of remuneration of functional directors of the Company paid for the financial year 2020-21:

Name of the Directors	Salary & Other Allowances (Rs.)	Bonus / Commission / PRP (Rs.)	Total (Rs.)
Shri Sunil Paliwal	49,77,911/-	-	49,77,911/-*

* The total remuneration mentioned above does not include value of perquisites under Section 17(2) of the Income Tax Act, 1961 and Terminal Benefits.

5.0 STAKEHOLDER RELATIONSHIP COMMITTEE

Stakeholder Relationship Committee looks into redressal of complaints/grievances of bondholders pertaining to non receipt of interest/transfer/transmission of bonds and other miscellaneous complaints. The Company Secretary acts as Secretary to the Stakeholder Relationship Committee

A. Composition of Stakeholder Relationship Committee

As on 31.03.2021, the Stakeholder Relationship Committee comprised of the following Members

Shri P. Raveendran	- Chairman
Shri Sunil Paliwal	- Member

B. Meetings and Attendance during the year

During the year 2020-21, four Stakeholder Relationship Committee meetings were held on 29.06.2020, 09.09.2020, 10.11.2020, and 05.03.2021.

C. The details of members including change, if any, in their tenure, number of meetings held during the year and attendance of the members are as under:

Members	Entitled to attend	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Shri P. Raveendran	4	4	100
Shri Sunil Paliwal	4	4	100

6.0 BOARD OF LEVEL COMMITTEE ON CSR AND SUSTAINABILITY DEVELOPMENT

The role, terms of reference and composition of the Committee is in accordance with Companies Act, 2013 and other applicable provisions. Shri P. Radhakrishnan, DGM(C) acts as the Nodal Officer. The Company Secretary acts as Secretary to the CSR Committee.

A. Composition of Board Level Committee on CSR and Sustainability Development

The Board Level Committee on CSR and Sustainability Development of the Company comprised of the following members as on 31.03.2021:

Shri Sunil Paliwal	- Chairman
Shri P. Raveendran	- Member
Shri S. Balaji Arunkumar	- Member
Shri V.M.V. Subba Rao	- Member

B. Meetings and Attendance during the year

During the year under review, four Meetings of the Committee on CSR and Sustainable Development were held on 11.05.2020, 09.09.2020, 10.11.2020 and 05.03.2021.

C. The details of members including change, if any, in their tenure, number of meetings held during the year and attendance of the members are as under:

Members	Entitled to attend	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Shri Sunil Paliwal	4	4	100
Shri P. Raveendran	4	4	100
Shri V.M.V. Subba Rao	4	4	100
Shri S. Balaji Arunkumar (From 09.09.2020)	2	2	100

Shri Cyril C George was inducted in this Committee by the Board in its meeting held on 11.05.2020 subsequent to the CSR meeting.

7.0 GENERAL BODY MEETING

The date, time and place of the AGMs held during the preceding three years and special resolution passed thereat are as under:

Year	Date	Time	Place	Special Resolution passed
2019-20	16.12.2020	11.00 A.M	Through two way Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in Board Room at the Registered office of the Company – 600 001	NIL
2018-19	06.09.2019	12.15 P.M	Board Room at the Registered office of the Company – 600 001	NIL
2017-18	24.09.2018	11.00 A.M	Board Room at the Registered office of the Company – 600 001	NIL

8.0 DISCLOSURES

- (i) Related Party Transactions are set out in Note No. 30 (12) to the notes forming part of the financial statement for the year ended 31st March 2021 in the Annual Report.
- (ii) The statutory authorities have also not passed any strictures or imposed penalty on the Company under any Act/Rules during the last three financial years.
- (iii) Your Company has a Whistle Blower Policy and no personnel of the Company have been denied access to the Audit Committee.
- (iv) No item of expenditure was debited in books of accounts which was not for the purpose of the business. Further, no expense was incurred for the Board of Directors and Top Management which was personal in nature.
- (v) None of the Part time Directors of the Company have pecuniary relationship or transaction with the Company.
- (vi) Details of administrative & office expenses and financial expenses for the year under review and for the previous year are available in annual accounts.

- (vii) The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the Company.

9.0 CODE OF CONDUCT

As part of Kamarajar Port's persisting endeavor to set a high standard of conduct for its employees a "Code of Business Conduct and Ethics" has been laid down for all Board Members and Senior Management Personnel. All Board Members and Senior Management personnel have affirmed compliance with Kamarajar Port's "Code of Business Conduct and Ethics" for the financial year 2020-21.

Declaration

All the Board Members and Senior Management of the Company have confirmed compliance with 'Code of Business Conduct and Ethics' for the year ended 31st March 2021.

for **Kamarajar Port Limited**

Sd/-

Chennai
25-06-2021

(Sunil Paliwal, I.A.S.)
Chairman-Cum- Managing Director
(DIN: 01310101)

10.0 TRAINING OF BOARD MEMBERS

Your Company has a policy for Training of Directors for Promoting better understanding of professional requirements as well as sensitization to professional, socio-economic and political environment in which work is done.

Capt. Anoop Kumar Sharma, Independent Director attended two days Familiarisation Programme for Independent Directors conducted by Indian Institute of Corporate Affairs at Goa on 18th and 19th February 2021.

11.0 REVIEW OF COMPLIANCE OF APPLICABLE LAWS

The Board has periodically reviewed the compliance reports of all laws applicable to the Company and has ensured the compliance of all the applicable laws.

12.0 MEANS OF COMMUNICATION

Pursuant to listing of Tax Free Bonds in the Bombay Stock Exchange, the Company intimated half-yearly financial results/audited annual financial results during 2020-21 to the Stock Exchange. These financial results were published in the Business Standard all Editions. The results were also sent to Debenture Trustees and Bond Holders and displayed on the website of the Company www.kamarajarport.in

Annual Report containing inter-alia, Audited Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, Cash Flow Statement and other important information

is circulated to the members and others entitled thereto. Annual Report and Audited Financial statements including Directors' Report and Auditors' Report are also available on the web-site. Website displays major official news releases.

Website of the Company contains Contact details of Compliance officer, Registrar and Transfer Agent. The Company has designated Shri M.Gunasekaran, General Manager (Finance) and Chief Financial Officer as Compliance Officer for servicing Tax Free Bond holders. The email id mguna@kplmail.in has been created for addressing the queries of Bond holders.

For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited

Sd/-

Sunil Paliwal, I.A.S.,
Chairman cum Managing Director
(DIN : 01310101)

Place: Chennai
Date : 26.08.2021

Suite No. 103, First Floor, Kaveri Complex, No. 96/104, Nungambakkam High Road
(Next to NABARD & ICICI Bank), Nungambakkam, Chennai - 600 034
Phone No. 044 - 4553 0256, 4553 0257/4265 2127
E-mail: csdhanapal@gmail.com, website: www.csdhanapal.com

S Dhanapal & Associates

Practising Company Secretaries

Partners

S. Dhanapal, B.Com., B.A.B.L., F.C.S

N. Ramanathan, B.Com., F.C.S

Smita Chirimar, M.Com., F.C.S, DCG(ICSI)

R. Pratheepa, B.C.S., A.C.S

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Board of Directors

KAMARAJAR PORT LIMITED

Chennai

We have been informed by the management of M/s.Kamarajar Port Limited ("the Company") that pursuant to strategic disinvestment of entire shareholding held by Gol in the Company, the Company has ceased to be a CPSE and accordingly compliance of conditions of Corporate Governance as per the Guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE), vide reference no. 18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010 are not mandatory for the financial year ended March 31, 2021; however the Company has, during the FY 20-21, taken steps to comply with the said Guidelines on a voluntary basis, limited to the extent of only those provisions of DPE Guidelines which are coterminous with the provisions of Companies Act, 2013/SEBI (LODR) Regulations, 2015.

We have been engaged by the Company to examine the compliance of conditions of Corporate Governance by **KAMARAJAR PORT LIMITED** for the financial year ended March 31, 2021 as per the Guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE), vide reference no. 18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010, on a voluntary basis, limited to the extent of only those provisions of DPE Guidelines which are coterminous with the provisions of Companies Act, 2013 / SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Our examination was limited to review the procedures and implementation thereof, adopted by the Company, for ensuring the compliance with the conditions of Corporate Governance as per the Guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE), vide reference no. 18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010, on a voluntary basis, limited to the extent of only those provisions of DPE Guidelines which are coterminous with the provisions of Companies Act, 2013 / SEBI (LODR) Regulations, 2015. It is neither an audit nor an expression of opinion of financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we report that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance, as per the Guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE), vide reference no. 18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010, on a voluntary basis, limited to the extent of only those provisions of DPE Guidelines which are coterminous with the provisions of Companies Act, 2013 / SEBI (LODR) Regulations, 2015, except appointment of Independent Directors and all related compliances till 09th November 2020.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For S DHANAPAL & ASSOCIATES

(A firm of Practising Company Secretaries)

Sd/-

SMITA CHIRIMAR (Partner)

Membership Number: F8137

CP NO: 9357

Place : Chennai

Date : 26.08.2021



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, चेन्नै

Indian Audit and Accounts Department

Office of the Director General of Commercial Audit, Chennai

Dated : 26.08.2021

No. DGCA/Chennai/CA-2/KPL Accounts/2-209/2021-22/683

To

The Chairman-cum-Managing Director,
Kamarajar Port Limited,
2nd Floor (North wing) & 3rd Floor,
Jawahar Building, 17, Rajaji Salai,
Chennai - 600 001

Sub:

Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2021.

Sir,

I forward herewith comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2021. The date of holding of Annual General Meeting may be intimated.

Five copies of Printed Annual Report may be arranged to be forwarded to this office.

Receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/-

DEVIKA NAYAR

DIRECTOR GENERAL OF COMMERCIAL AUDIT, CHENNAI

Encl: Audit Comment

इंडियन ऑइल भवन, स्तर - 2, 139 महात्मा गाँधी मार्ग, चेन्नै - 600 034.
Indian Oil Bhavan, Level-2, 139, Mahatma Gandhi Road, Chennai - 600034
Tel: 044-28330147 Fax: 044-28330142/145 e-mail: pdcachennai@cag.gov.in

Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2021

The preparation of financial statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 25 June 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2021 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

(A) Comments on Financial Position

1. Non-Current Assets

Property, Plant and Equipment: ₹2,75,798.26 lakh

Port Basin & Entrance Channel: ₹81,442.23 lakh

An amount of ₹5,907.98 lakh towards maintenance dredging was capitalized under Property, Plant and Equipment (PPE) and ₹3,110.51 lakh was depreciated out of the capitalised amount during the year. As per Ministry of Shipping's Dredging guidelines

for Major Ports, process of removing deposited material periodically to maintain the operational depth is termed as maintenance dredging which is a continuous process. Thus entire amount of ₹5,907.98 lakh towards maintenance dredging being in revenue nature was required to be charged to Profit and Loss Account. Incorrect capitalisation of dredging expenditure resulted in overstatement of Port Basin & Entrance Channel asset and Profit to the extent of ₹2,797.47 lakh (₹5,907.98 lakh - ₹3,110.51 lakh) as on 31 March 2021.

2. Current Assets

Trade Receivables: ₹7,770.45 lakh

Above includes ₹2,821.86 lakh receivables towards Licence Fee from M/s.SICAL Iron Ore Terminals Limited (SIOTL) with which the Company terminated (March 2021) Licensing Agreement of 'Modification of Iron Ore Terminal to Coal Terminal' (on DBFOT basis) due to default to Lenders by SIOTL. SIOTL could not attract/find any new investor, nor the parent Company is willing to/able to extend any more financial support to SIOTL. Independent Auditors of SIOTL reported its acute liquidity crunch and cast doubt on its ability to continue as a going concern. This was also reproduced in the Audit report (August 2020) of its parent Company. However, provision for doubtful debts was not created by the Company for trade receivables from SIOTL. This has resulted in overstatement of Trade Receivables and Profit by ₹2,821.86 lakh.

3. Other Non-Current Assets

Advance for Capital Expenditure: ₹7,328.63 lakh

Above includes ₹4,509.50 lakh towards Advance for Capital Expenditure to M/s. Hindustan Construction Company Limited (HCC). The Company had lost the Arbitration proceedings (2003 and 2004) to recover ₹4,509.50 lakh from HCC and petitions to set aside the Arbitration awards were also dismissed by High Court of Madras (2017 and 2019). As such recovery of advance from HCC is very remote considering

legal case history and elapse of significant time. Hence, a provision for doubtful debt of ₹4,509.50 lakh was expected to be created by the Company. However, non-existence of provision resulted in overstatement of Advance for Capital Expenditure and Profit by ₹4,509.50 lakh.

(B) Independent Auditors Report

KPL implemented (May 2018) SAP ERP system covering various functional areas like Budget, Accounts & Finance, HR and Payroll, Material Management, Project System etc. for processing all

business transactions. Audit observed that despite implementing SAP ERP system, Management processed some of the accounting entries outside the SAP ERP system and included the same in the financial statements. Accounting entries amounting to ₹477.43 lakh were transferred from Budget Accounts to Capital Work in Progress outside the SAP system. This was not disclosed in Statutory Auditors report resulting in non-compliance of CAG's directions under section 143 (5) of the Companies Act, 2013.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

Sd/-

DEVIKA NAYAR

DIRECTOR GENERAL OF COMMERCIAL AUDIT, CHENNAI

Place: Chennai
Date: 26.08.2021

**MANAGEMENT REPLIES TO THE COMMENTS OF CAG UNDER SEC. 143 (6) (B)
OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF KAMARAJAR PORT
LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021.**

C & AG COMMENTS	MANAGEMENT REPLIES
<p>1. Non-Current Assets</p> <p>Property, Plant and Equipment: ₹2,75,798.26 lakh - Port Basin & Entrance Channel: ₹81,442.23 lakh.</p> <p>An amount of ₹5,907.98 lakh towards maintenance dredging was capitalized under Property, Plant and Equipment (PPE) and ₹3,110.51 lakh was depreciated out of the capitalised amount during the year. As per Ministry of Shipping's Dredging guidelines for Major Ports, process of removing deposited material periodically to maintain the operational depth is termed as maintenance dredging which is a continuous process. Thus entire amount of ₹5,907.98 lakh towards maintenance dredging being in revenue nature was required to be charged to Profit and Loss Account. Incorrect capitalisation of dredging expenditure resulted in overstatement of Port Basin & Entrance Channel asset and Profit to the extent of ₹2,797.47 lakh (₹5,907.98 lakh- ₹3,110.51 lakh) as on 31 March 2021.</p>	<p>During the year 2020-21, KPL carried out maintenance dredging through Dredging Corporation of India amounting to Rs.5907.88 lakh based on the study carried out by IIT, Madras at the instance of KPL.</p> <p>As per Ministry's Dredging Guidelines, <i>"the sediment quantity or approximate reduction of available depth over a period of time can be estimated, which is required to be removed periodically to maintain the operational depth. This process of removing the deposited material is termed as Maintenance Dredging, which is a continuous process depending on the water body characteristics"</i> and nowhere stated that "incurred every year and being revenue in nature"</p> <p>From the above, it is clear that Maintenance Dredging may be carried out periodically but need not be every year and also depending on sediments accumulation / the water body characteristics.</p> <p>Kamarajar Port (unlike other ports such as Kolkatta, Haldia and Cochin which require maintenance dredging every year as per their water body characteristics) carries out maintenance dredging once the accumulation of sediment quantity crosses the tolerance limit in maintaining the operational depth. KPL had carried out Maintenance dredging in FY 2020-21 and accounted as per Ind AS, i.e. capitalized and depreciated based on life of the Asset.</p> <p>As per Para No.6. Definition under Ind AS 16,</p> <p><i>Property, Plant and Equipment are tangible items that :</i></p> <p><i>(a) are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes; and</i></p> <p><i>(b) are expected to be used during more than one period</i></p> <p>As per Para No.7 of Recognition of the asset:</p> <p><i>7. The cost of an item of property, plant and equipment shall be recognised as an asset if, and only if:</i></p> <p><i>(a) it is probable that future economic benefits associated with the item will flow the entity; and</i></p> <p><i>(b) the cost of the item can be measured reliably</i></p>

C & AG COMMENTS	MANAGEMENT REPLIES
	<p>Depreciation:</p> <p>43. Each part of an item of property, plant and equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of the item shall be depreciated separately</p> <p>Maintenance Dredging was carried out at various places viz., Approach Channel, Entrance Channel and alongside of various berths. As per the Technical study of In-house team, certain locations viz. Approach Channel, Entrance channel, Harbour basin etc. accumulate sediments which need annual dredging and inside harbour areas like alongside jetties of CB1, CB2, GCB, Container Terminal, Multi-cargo terminal, SIOTL etc. are having economic benefits of two years. Accordingly, the quantity arrived was 1.544 million cu.m. out of 2.955 million cu.m. (for both set of locations of one year and two years) for calculation of depreciation amounting to Rs.3110.51 lakhs for both locations.</p> <p>Hence, the capitalisation of Maintenance Dredging and depreciation claimed thereon was on the basis of Technical study and Ind AS 16.</p>
<p>2. Current Assets</p> <p>Trade Receivables: ₹7,770.45 lakh</p> <p>Above includes ₹2,821.86 lakh receivables towards Licence Fee from M/s.SICAL Iron Ore Terminals Limited (SIOTL) with which the Company terminated (March 2021) Licensing Agreement of 'Modification of Iron Ore Terminal to Coal Terminal' (on DBFOT basis) due to default to Lenders by SIOTL. SIOTL could not attract/find any new investor, nor the parent Company is willing to/able to extend any more financial support to SIOTL. Independent Auditors of SIOTL reported its acute liquidity crunch and cast doubt on its ability to continue as a going concern. This was also reproduced in the Audit report (August 2020) of its parent Company. However, provision for doubtful debts was not created by the Company for trade receivables from SIOTL. This has resulted in overstatement of Trade Receivables and Profit by ₹2,821.86 lakh.</p>	<p>M/s.Yes Bank, lead lenders to the SIOTL project, has invoked the provision of 5.1 of Substitution Agreement which deals with the Termination upon occurrence of Financial default. Consequently, KPL issued "Notice of Intent to Terminate" on 21.12.2020 with Remedy period of 90 days as per 22.3.3 of LA. During the remedy period, SIOTL has neither cured the default nor Yes Bank, the lenders have withdrawn the Notice. Upon the expiry of the remedy period, KPL has initiated the termination process as per clause 22.3.5 of LA and appointed IIT Madras, as the Condition Surveyor.</p> <p>As per the process of termination specified in LA, the compensation payable shall be the aggregate fair value, as determined by the Expert being a reputed valuer, of Transfer Assets LESS amount, if any due to the Licensor from the Licensee under the Provisions of the Agreement as per Clause 25.3 of LA.</p> <p>Hence, as per the agreement, KPL is confident of recovering the dues after finalisation of "Final compensation".</p> <p>As the termination process has started during the last month of financial year 2020-21, the stated Trade Receivables would be realised after determining the Final compensation amount payable to the Licensee / Lenders.</p> <p>Since the recovery of entire outstanding amount is covered under the provisions of License Agreement, the dues have been considered good and no provision for doubtful debt was made.</p>

C & AG COMMENTS	MANAGEMENT REPLIES
<p>3. Other Non-Current Assets</p> <p>Advance for Capital Expenditure: ₹7,328.63 lakh</p> <p>Above includes ₹4,509.50 lakh towards Advance for Capital Expenditure to M/s.Hindustan Construction Company Limited (HCC). The Company had lost the Arbitration proceedings (2003 and 2004) to recover ₹4,509.50 lakh from HCC and petitions to set aside the Arbitration awards were also dismissed by High Court of Madras (2017 and 2019). As such recovery of advance from HCC is very remote considering legal case history and elapse of significant time. Hence, a provision for doubtful debt of ₹4,509.50 lakh was expected to be created by the Company. However, non-existence of provision resulted in overstatement of Advance for Capital Expenditure and Profit by ₹4,509.50 lakh.</p>	<p>The Audit may please note that the said amounts were originally claimed as counter claims and or alleged excess payments to the Contractor (in the Running account Bills) in an arbitration filed by the then Project Execution Agent, i.e Chennai Port Trust during the FY 1998-2001 and the matter not yet reached its finality. It is stated that Rs.45.06 Crore was shown as "Advance for Capital Expenditure" carried from the earlier Financial years also and there was no movement during the year 2020-21. It is further stated the status of the cases are pending before Division Bench, Honourable High Court of Madras.</p> <p>As and when the finality is reached as per the Court direction, necessary adjustment entries would be made in the year of final verdict. In case, provision is made, it will be capitalised and not charged to P & L account and thus the overstatement of profit of Rs.4509.50 lakhs does not arise.</p>
<p>(B) Independent Auditors Report</p> <p>KPL implemented (May 2018) SAP ERP system covering various functional areas like Budget, Accounts & Finance, HR and Payroll, Material Management, Project System etc. for processing all business transactions. Audit observed that despite implementing SAP ERP system, Management processed some of the accounting entries outside the SAP ERP system and included the same in the financial statements. Accounting entries amounting to ₹477.43 lakh were transferred from Budget Accounts to Capital Work in Progress outside the SAP system. This was not disclosed in Statutory Auditors report resulting in non-compliance of CAG's directions under section 143 (5) of the Companies Act, 2013.</p>	<p>The comment was referred to the Statutory Auditors for their remark.</p>

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**To the Members Kamarajar Port Limited****Report on the Audit of Ind AS Financial Statements****Opinion**

1. We have audited the accompanying Ind AS financial statements of **Kamarajar Port Limited** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2021, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year ended on that date including summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the financial statements").
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2021, the profit and total comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Company in accordance with the *Code of Ethics* issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together

with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Emphasis of Matters

4. Reference is invited to Note 30(18) regarding management's evaluation of the impact of the prevailing and emerging situation and circumstances arising out of Covid-19 virus which have had an impact on people's health and on our society as a whole, as well as on the operational and financial performance of organizations,
5. Reference is invited to Note 4(a) regarding pending conveyance deed/registration deeds for several of the immovable properties obtained by the Company from Government/ Government owned entities. Further, consideration/ compensation payable to various agencies is yet to be finalized and have not been provided for,
6. Reference is invited to Note 11 regarding excess payments of Rs.4509.49 Lakhs made to project contractors included in Other Assets - Non-Current and not capitalized till date pending disputes referred to High Court of Madras.
7. Reference is invited to Note 30(16) regarding balances of Trade Receivable, term Loans and Advances, GST input credit, Advance tax and Tax deducted at source and Trade Payables as at 31st March 2021 to the extent not subsequently adjusted/paid are subject to confirmation and reconciliation.

8. Reference is invited to Note 30(15)(iii)(a) regarding initiation of arbitration proceedings by one of the BOT operators against the Company during the year stating various claims amounting to a sum of Rs.1180.12 Crores in respect of which counter claims have been filed by the Company and arbitrators appointed by both parties and the status of the arbitration proceedings as at the year end. Accordingly, for reasons mentioned in the said Note, no provision for the claims raised by the BOT operator is considered necessary as at the year end.
9. Reference is invited to Note 30(15)(iii)(b) regarding termination notice issued to one of the BOT operators during the year in response to the lenders of the BOT operator initiating action of financial default as per the loan agreement to the BOT operator. Accordingly, for reasons mentioned in the said Note, no provision for the same is considered necessary as at the year end.
10. Reference is invited to Note 10 regarding balance of MAT Credit Entitlement amounting to Rs.43,538.45 Lakhs as at the year end, which

in management's estimates, will be recovered through utilization of such balances in future years.

11. Reference is invited to Note 8 – Loans and Advances regarding advances to employees (House Building Advance) termed as secured, in respect of which necessary creation of charge of security is in process for a sum aggregating to Rs.202.45 Lakhs as at the year end.

Our opinion is not modified in respect of the matters referred to Paragraphs 7 to 11 above.

Key Audit Matters

12. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

S No.	Key Audit Matter	Auditor's response
1	<p>Accuracy of recognition, measurement, presentation and disclosures of revenues and other related balances in view of adoption of Ind AS 115 "Revenue from Contracts with Customers" (new revenue accounting standard)</p> <p>The application of the new revenue accounting standard involves certain key judgements relating to identification of distinct performance obligations, determination of transaction price of the identified performance obligations. The application of the new revenue accounting standard involves certain key judgements relating to identification of distinct performance obligations and determination of transaction price of the identified performance obligations.</p>	<p>We evaluated management's process to identify the impact of adoption of the new standard and tested key controls by selecting a sample of continuing and new contracts, and tested the operating effectiveness of the internal control, relating to identification of the distinct performance obligations and determination of transaction price. We also carried out a combination of procedures involving enquiry and observation, reperformance and inspection of evidence in respect of operation of these controls.</p> <p>We performed the following procedures on the selected samples:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Read, analysed and identified the distinct performance obligations in these contracts. ▪ Compared these performance obligations with that identified by the Company. ▪ Considered the terms of the contracts to determine the transaction price including any variable consideration to verify the transaction price used to compute revenue and to test the basis of estimation of the variable consideration.

S No.	Key Audit Matter	Auditor's response
2	Uncertain Direct/indirect tax positions and recoverability of tax receivables as at March 31, 2021, assets in respect of direct/indirect taxes including MAT Credit entitlements, pre-paid taxes and CENVAT recoverable which are pending for future set-offs/adjudication.	Our in-house expert has reviewed the nature of the amounts recoverable, the sustainability and the likelihood of recoverability upon final resolution.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

13. The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board Report including Annexures to Board's Report and Annual report on CSR Activities but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.
14. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.
15. If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
16. The Management Discussion and Analysis, Board Report including Annexures to Board's Report and Annual report on CSR Activities and Information to Shareholders is expected to be made available to us after that date. When we read the reports which, are expected to be made available to us after the date of this auditor's report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Management's Responsibility for the Financial Statements

17. The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these Ind AS financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, total comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
18. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
19. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

20. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
21. Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.
22. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
 - Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
 - Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation
23. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
24. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most

significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

25. As required under section 143(5) of the Act, 2013, We give in the Annexure A, our report on the directions/sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
26. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("The order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section 11 of section 143 of the Act, we give in the Annexure B, a statement on the matters specified in Paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
27. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
 - c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account;
 - d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;
 - e) On the basis of the written representation received from the directors, as on 31st March, 2021 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2021 from being appointed as a director in terms of sub section (2) of section 164 of the Act.
 - f) With respect to the adequacy of the internal financial control over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such control, refer to our separate report in "Annexure C". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.
 - g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone financial statements.
 - ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.
 - iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For B. Thiagarajan & Co
Chartered Accountants
 FRN 004371S

Sd/-
Ram Srinivasan
Partner

M. No. 220112

UDIN : 21220112AAAABO8554

Place: Chennai
Date: 25th June 2021

ANNEXURE - A TO THE AUDITORS' REPORT

Annexure referred to in paragraph 1 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our Independent Auditors Report of even date on the Financial Statement of Kamarajar Port Limited for the year ended 31st March 2021.

1	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If no, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of accounts along with the financial implications, if any, may be stated	The Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system.
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loan/ interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated	There are no cases of restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loan/ interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan.
3	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of Deviation	During the year under review, the Company has not received funds for specific schemes from Central/State agencies.

ANNEXURE - B TO THE AUDITORS' REPORT

Annexure referred to in paragraph 2 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our Independent Auditors Report of even date on the Financial Statement of Kamarajar Port Limited for the year ended 31st March 2021.

1. (a) The Company is maintaining proper records including quantitative details of fixed assets. *In our opinion, the records require further improvement with respect to updating of the situation of fixed assets.*
- (b) The Company has a program of verification to cover all the items of fixed assets in a phased manner which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. Pursuant to the program, fixed assets were physically verified by the management during the year. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.
- (c) The Company owns land measuring 2,787.27 acres acquired from TIDCO (950.00 acres), TNEB (1092.20 acres), Salt Department, Ministry of Commerce, Government of India (712.42 acres) and Government of Tamil Nadu (47.87 acres), which are under the possession of the Company. Further, out of the total land area owned, 2,008.34 acres including 297.98 acres procured from TIDCO, 995.05 acres from TANGEDCO, 682.66 acres from Salt Department have been registered in the name of the Company and patta has been obtained for 32.65 acres procured from Government of Tamil Nadu and in respect of the balance, registration is in process.

2. The Company is engaged in the development and operation of port and is primarily rendering port services. It does not hold any inventory of goods. Thus, Para 3(ii) of the Order is not applicable.
3. As informed, the Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act.
4. According to the information and explanations given to us and based on the audit procedures conducted by us, the Company has not given Loans, guarantees, investments or securities in violation of Sections 185 & 186 of the Companies Act, 2013.
5. The Company has not accepted any deposits within the meaning of Sections 73 to 76 of the Act and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (as amended). Accordingly, provisions of clause 3(v) of the Order are not applicable.
6. As per the information and explanation given to us, the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under sub-

section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013 for any of the services rendered by the Company.

7. (a) According to the information and explanation given to us and as per our verification of the records of the Company, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, goods and services tax, cess and any other statutory dues with the appropriate authorities and no material statutory dues have been outstanding for more than six months from the due date as at the year end.
- (b) According to the information and explanation given to us and as per our verification of the records of the Company, the following disputed amounts of tax/ duty have not been deposited with appropriate authorities as at 31st March 2021

Statute	Nature of dues	Amount (In Lakhs)	Period to which the amount relates	Forum to which amount is pending
Income Tax Act, 1961	Income tax	Rs.1,264.84	AY 2005-06 to AY 2012-13, 2016-17	Assessing Officer
Income Tax Act, 1961	Income tax	Rs.4,631.43	AY 2012-13, 2014-15, 2017-18	CIT (Appeals)
Income Tax Act, 1961	Income tax	Rs.125.08	AY 2002-03 to AY 2004-05, AY 2012-13	High Court of Madras

8. According to information and explanation given to us and as per our verification of the records of the Company, the Company has not defaulted in repayment of its dues to bank/financial institution/debenture holders during the year.
9. The Company has not raised money by way of Initial Public offer or further public offer. The term loans raised have been applied for the purposes for which they were raised.
10. According to the information and explanations given to us and as per our verification of the records of the Company, no fraud either on or by the Company has been noticed or reported by its officers or employees during the year.
11. In our opinion and according to the information and explanation given by the management, managerial remuneration has been paid or

provided which is in accordance with requisite approvals mandated by Section 197 read with schedule V to the Companies Act.

12. The Company is not a Nidhi Company and accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.
13. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act where applicable and details of such transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.
14. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has

not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, paragraph 3(xiv) of the Order is not applicable.

15. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company

has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.

16. The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For B. Thiagarajan & Co
Chartered Accountants
FRN 004371S

Sd/-

Ram Srinivasan
Partner

M. No. 220112

UDIN : 21220112AAAABO8554

Place: Chennai
Date: 25th June 2021

ANNEXURE - C TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **M/s.Kamarajar Port Limited** ("the Company") as of 31st March 2021 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness

of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting

principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For B. Thiagarajan & Co
Chartered Accountants
FRN 004371S

Sd/-

Ram Srinivasan
Partner

M. No. 220112

UDIN : 21220112AAAABO8554

Place: Chennai
Date: 25th June 2021

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999GOI043322

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS AT 31st MARCH, 2021

(Rupees in lakhs)

Particulars	Note No	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	4	275798.26	273178.30
(b) Right- of- Use Assets		1509.85	1575.22
(c) Capital work-in-progress	5	15881.07	10761.88
(d) Other intangible assets	6	469.90	608.86
(e) Financial Assets			
(i) Investments	7	4160.07	4148.04
(ii) Loans & Advances	8	378.16	408.74
(iii) Others	9	392.87	360.59
(f) Deferred Tax Assets	10	14721.91	23845.14
(g) Other non-current Assets	11	7478.22	13725.83
Current Assets			
(a) Financial Assets			
(i) Trade Receivables	12	7770.45	4816.59
(ii) Cash & Cash Equivalents	13	3201.44	9920.80
(iii) Loans & Advances	8	53.95	52.94
(iv) Others	9	135.11	9.94
(b) Current Tax Assets	14	288.86	388.77
(c) Other Current Assets	11	1875.88	2018.77
Total Assets		334116.00	345820.41
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
(a) Equity Share Capital	15	30000.00	30000.00
(b) Other Equity		205204.86	207906.66
Liabilities			
Non-current liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	16	66377.01	77522.09
(ii) Other Financial Liabilities	17	397.00	566.15
(b) Provisions	18	-	-
(c) Deferred tax liabilities (Net)			
(d) Other non-current liabilities	19	8730.10	8334.98
Current liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Trade payables	20	4600.65	4255.05
(ii) Other Financial Liabilities	17	11608.99	12047.45
(b) Current Tax liabilities	14	-	-
(c) Other current liabilities	19	5639.50	4154.53
(d) Provisions	18	1557.90	1033.50
Total Equity and Liabilities		334116.00	345820.41
Notes to Accounts	30		
Significant Accounting policies	1 to 3		
The notes referred to above form an integral part of the financial statements.			

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,

Chairman cum Managing Director
DIN : 01310101

Sd/-

P. RAVEENDRAN, I.R.T.S.,

Director
DIN : 07640613

For B. THIAGARAJAN & CO.,

Chartered Accountants,
FRN . 0043715

Sd/-

M. GUNASEKARAN

Chief Financial Officer & Compliance Officer

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASAN

Company Secretary

Sd/-

RAM SRINIVASAN

Partner, M.No. 220112
UDIN: 21220112AAAABO8554

Place : Chennai

Date : 25th June 2021

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999GOI043322

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.**STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2021**

(Rupees in lakhs)

Particulars	Note No.	Year Ended Mar 31, 2021	Year Ended Mar 31, 2020
Income			
i) Revenue From Operations	21	58109.25	70317.50
ii) Other Income	22	632.47	3050.49
Total Income		58741.72	73367.99
Expenses			
i) Operating Cost	23	7108.26	8320.51
ii) Employee Benefits	24	1893.15	2058.83
iii) Finance Cost	25	6499.05	8464.84
iv) Depreciation & Amortization Expenses	26	8499.44	5213.04
v) Other Expenses	27	5157.83	4250.38
Total expenses		29157.73	28307.60
Profit before exceptional items and tax		29583.99	45060.39
Exceptional Items	28	-	261.69
Profit Before Tax		29583.99	44798.70
Less : Tax expense			
- Current Tax	10	5200.38	7827.23
- Deferred Tax	10	9112.95	12068.67
Profit for the period from continuing operations		15270.66	24902.81
Profit/(loss) from discontinued operations		-	-
Tax expense of discontinued operations		-	-
Profit from discontinued operations after tax			
I Profit for the year		15270.66	24902.81
II Other Comprehensive Income			
i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
- Remeasurements of the defined benefit plans	10	25.80	34.88
Less: Income Tax on Above		(9.02)	(12.19)
- Change in fair value of Equity instruments		12.03	-
Less: Income Tax on Above		(1.28)	-
Other Comprehensive Income		27.54	22.69
Total Comprehensive Income for the period		15298.20	24925.50
Earnings per equity share :			
(1) Basic	29	5.10	8.31
(2) Diluted		5.10	8.31
Notes to Accounts	30		
Significant Accounting policies	1 to 3		
The notes referred to above form an integral part of the financial statements.			

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,Chairman cum Managing Director
DIN : 01310101

Sd/-

P. RAVEENDRAN, I.R.T.S.,Director
DIN : 07640613**For B. THIAGARAJAN & CO.,**Chartered Accountants,
FRN . 0043715

Sd/-

M. GUNASEKARAN

Chief Financial Officer & Compliance Officer

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASAN

Company Secretary

Sd/-

RAM SRINIVASANPartner, M.No. 220112
UDIN: 21220112AAAABO8554

Place : Chennai

Date : 25th June 2021

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999GOI043322

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2021

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2021	For the year ended March 31, 2020
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit/Loss Before Tax	29583.99	44798.68
Adjustment for:-		
Loss / (Profit) on Sale of Fixed Assets	-	-
Depreciation	8499.44	5213.04
Interest & Finance Charges	6919.63	7730.35
Short Term gain on Mutual Funds	(9.37)	(148.83)
Interest Income	(462.41)	(623.14)
Dividend received	-	(51.01)
Operating Profit before Working Capital Changes	44531.28	56919.10
Adjustment for:-		
Loans & Advances (Non-Current)	30.57	(72.79)
Other Assets (Non-Current)	(32.28)	(20.37)
Other non-current Assets	6247.61	2991.95
Trade Receivables	(2953.86)	(1778.43)
Loans & Advances	(1.01)	29.19
Other Assets	(125.17)	10.25
Other Current Assets	142.90	628.93
Other Financial Liabilities (Non-Current)	(169.15)	266.83
Other Non-current Liabilities	395.12	(2445.24)
Trade payables	345.60	(4294.05)
Other Financial Liabilities	(438.47)	579.22
Other current liabilities	1484.97	124.40
Provisions	550.19	(309.99)
Current Tax Payments	(5100.47)	(7341.63)
Net Cash From Operating Activities	44907.83	45287.37
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of PPE	(16034.26)	(12902.49)
Investments made during the Year	-	(25.04)
Short Term gain on Mutual Funds	9.37	148.83
Interest Income	462.41	623.14
Dividend received	-	51.01
Net Cash From Investing Activities	(15562.48)	(12104.55)
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Dividend paid during the Year	(18000.00)	(9041.65)
Loans raised during the year	-	-
Loans repaid during the year	(11145.08)	(9673.96)
Interest & Finance Charges	(6919.63)	(7730.35)
Net Cash From Financing Activities	(36064.71)	(26445.96)
D. Net changes in Cash & Cash equivalents	(6719.36)	6736.86
E. Opening Cash & Cash Equivalents (Note No 13)	9920.80	3183.94
F. Closing Cash & Cash Equivalents (Note No 13)	3201.44	9920.80

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,

Chairman cum Managing Director
DIN : 01310101

Sd/-

P. RAVEENDRAN, I.R.T.S.,

Director
DIN : 07640613

For B. THIAGARAJAN & CO.,

Chartered Accountants,
FRN . 004371S

Sd/-

M. GUNASEKARAN

Chief Financial Officer & Compliance Officer

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASAN

Company Secretary

Sd/-

RAM SRINIVASAN

Partner, M.No. 220112
UDIN: 21220112AAAABO8554

Place : Chennai

Date : 25th June 2021

Statement of Changes In Equity Balance as at 31st March, 2021

Equity Share Capital

(Rupees in lakhs)

Balance as at April 1, 2021	Changes in share capital during the year	Balance as at Mar 31, 2021
30,000	0.00	30,000

Balance as at April 1, 2020	Changes in share capital during the year	Balance as at Mar 31, 2020
30,000	0.00	30,000

Other Equity

For the year ended 31st March, 2021

Particulars	Debenture Redemption Reserve	Reserves and Surplus		Other Components of Equity		Total
		General Reserve	Retained Earnings	Remeasurement of Net Defined benefit Liability/ Asset	FVTOCI - Investments	
	(Rupees in lakhs)					
Balance at the beginning of the reporting period	6267.37	7902.00	195741.56	(42.51)	(1961.76)	207906.66
Changes in accounting policy prior period errors	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Comprehensive Income for the Year	0.00	0.00	15270.66	0.00	0.00	15270.66
Other Comprehensive Income for the Year	0.00	0.00		16.79	10.75	27.54
Transfer to Debenture Redemption Reserve	862.93	0.00	(862.93)	0.00	0.00	0.00
Dividend - F.Y. 2019-20	0.00	0.00	(18000.00)	0.00	0.00	(18000.00)
Balance at the end of the reporting period	7130.30	7902.00	192149.29	(25.73)	(1951.01)	205204.86

Pursuant to Regulation 16 of the SEBI Debt Regulations and Section 71 C of the Companies Act, 2013, the Company creates Debenture / Bond Redemption Reserve (DRR) upto 25% of the value of bonds / debentures issued through public issue during the maturity period of such bonds / debentures. Accordingly, during the year, the Company has created DRR amounting to Rs.8,62,92,983/- (Previous year Rs.8,62,92,983/-).

Other Equity

For the year ended 31st March, 2020

Particulars	Debenture Redemption Reserve	Reserves and Surplus		Other Components of Equity		Total
		General Reserve	Retained Earnings	Remeasurement of Net Defined benefit Liability/ Asset	FVTOCI - Investments	
	(Rupees in lakhs)					
Balance at the beginning of the reporting period	5404.44	7902.00	180776.87	(19.82)	(1961.76)	192101.73
Changes in accounting policy prior period errors	0.00	0.00	(33.50)	0.00	0.00	(33.50)
Total Comprehensive Income for the Year	0.00	0.00	24902.81	0.00	0.00	24902.81
Other Comprehensive Income for the Year	0.00	0.00		(22.69)	0.00	(22.69)
Transfer to Debenture Redemption Reserve	862.93	0.00	(862.93)	0.00	0.00	0.00
Final Dividend (Incl DDT) - F.Y. 2018-19	0.00	0.00	(9041.68)	0.00	0.00	(9041.68)
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Balance at the end of the reporting period	6267.37	7902.00	195741.57	(42.51)	(1961.76)	207906.66

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999GOI043322

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.**Notes to the Financial Statements****1. Corporate Information:**

Kamarajar Port Limited is a Public Limited Company domiciled in India and incorporated under the provisions of Companies Act, 1956. The Company is operating mostly on landlord port model limiting its functions to overall planning, development, mobilization of investments for the development of port and common infrastructure facilities. The development and operations of the terminals are mostly entrusted to private operators/captive users.

2. Basis of Preparation :

The Company has adopted Ind-AS, in accordance with Notification dated February 16, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, with effect from April 01, 2016 with a transition date of April 01, 2015.

All amounts included in the financial statements are reported in Indian rupees (Rupees in Lacs) except equity shares, which are expressed in numbers.

3. Significant Accounting Policies**3.1. Use of estimates and judgment:**

The preparation of stand-alone financial statements of the Company requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities.

3.2. Functional and presentation currency:

These financial statements are presented in Indian rupees, the national currency of India, which is the functional currency of the Company.

3.3. Revenue Recognition:

1) Revenue from services is measured at the fair value of the consideration received or receivable net of discounts and excluding taxes and

duties. Revenue from service rendered will be recognised upon completion of services. Revenue is recognised when following conditions are met

- i) the amount of revenue can be measured reliably;
- ii) It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity;
- iii) the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.
- iv) No significant uncertainty exists as to its collection.

Revenue stream includes:

- i) Vessel Related Income.
- ii) Cargo related income.
- iii) Revenue share and Licence fee arising from Leasing of land and waterfront on BOT and other port users / captive users.
- iv) Composite Tariff.

Revenue recognition in respect of each stream of revenue is described below:

i) Vessel Related income

Vessel related income consists of income from handling of the vessels. Revenue attributable to Vessel related operations are recognized on completion of the specific services.

ii) Cargo related income

Cargo related income consists of income from rendering services with respect to cargo and are recognised on completion of related services

iii) Leasing of land and waterfront on BOT/ Captive use basis.

- a) Revenue share from BOT operators is calculated at the quoted % on the gross

revenue as per concession / licence agreement on accrual basis up to end of the financial year.

- b) Income from Operating Lease which include escalation clause in line with the general inflation trends is accounted as per terms of the contract.
- c) Income from other Operating Lease is recognized on a straight-line basis over the term of lease.
- d) Contingent Rent is recognized as income in the period in which they accrue.

iv) **Composite Tariff**

Composite Tariff represents the income earned at a composite tariff for the cargo handled by captive users.

- 2) Dividend income from investments is recognized when the Company's right to receive payment is established and it is probable that the economic benefits associated with the transactions will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably.
- 3) a. Interest income from financial instruments is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably. Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash flows through the expected life of the financial instruments to that instrument's net carrying amount on initial recognition.
- b. Interest income on belated/disputed revenue are recognised on realization basis.

3.4. **Property, Plant and Equipment:**

Property, plant and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment, if any. Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the property, plant and equipment

are ready for use, as intended by the Management. The Company depreciates property, plant and equipment over their estimated useful lives using the straight-line method.

The cost of an item of property, plant and equipment is recognized as an asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The cost of an item of PPE is the cash price equivalent at the recognition date.

The cost of an item of PPE comprises:

- i) Purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts, rebates, taxes/duties and cess on which input credit for capital goods is availed.
- ii) Costs directly attributable to bringing the PPE to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.
- iii) The initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located.

The amounts becoming payable by the Company on account of uncontested arbitral awards on project claims and interest on such awards up to the date of commissioning of the asset are capitalized in the year of award as additions during the year in the respective asset category. The interest after the date of commissioning of the asset on such awards payable to the contractor is treated as revenue expenditure in the year of award.

When parts of an item of Property, Plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of property, Plant and equipment.

Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of Property, Plant and equipment and are stated at net values under "Other Income/ Other

Expenses" in the Statement of Profit or Loss.

The Company has chosen the cost model for recognition and this model is applied to all class of assets. After recognition as an asset, an item of PPE is carried at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Major repairs and overhauling costs:

The Company recognises in the carrying amount of property, plant and equipment, the cost of replacing part of such an item when that cost is incurred, cost of major repairs/ overhauling if the recognition criteria are met. The carrying amount of replaced part is derecognised and the cost of repairs is amortized over the remaining useful life of the repair/ overhaul.

3.5. Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment, if any.

Identifiable intangible assets are recognized when the Company controls the asset; it is probable that future economic benefits expected with the respective assets will flow to the Company for more than one economic period; and the cost of the asset can be measured reliably. Amortisation is provided on Straight Line Method (SLM), which reflect the management's estimate of the useful life of the intangible assets.

Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognised in the Statement of Profit and Loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

3.6. Depreciation

The depreciable amount of an item of PPE is allocated on a straight line basis over its useful life as prescribed in the manner specified in Schedule II of Companies Act, 2013.

For each part of an item of PPE with a cost that is significant in relation to the total cost of the asset and

useful life of that part is different from remaining part of the asset, is depreciated separately. Depreciation on all such items is provided from the date they are 'Available for Use' till the date of sale / disposal and includes amortization of intangible assets. Freehold land is not depreciated. An item of PPE is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. In case of port specific assets, the depreciation is charged at the rate as determined in accordance with the life of those assets as per the practice prevailing in Major ports in India. Depreciation on addition in value of assets due to arbitral award is claimed over the remaining useful life of the assets from the start of the financial year in which such award is passed and accepted.

3.7. Borrowing Costs

The Company capitalises borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying asset as a part of the cost of the asset. The Company recognises other borrowing costs as an expense in the period in which it incurs them. A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale.

To the extent the Company borrows generally and uses them for the purpose of obtaining a qualifying asset, amount of borrowing cost eligible for capitalization is computed by applying a capitalization rate to the expenditure incurred. The capitalization rate is determined based on the weighted average of borrowing costs, other than borrowings made specifically towards purchase of a qualifying asset. Borrowing costs also includes exchange differences to the extent as an adjustment to the borrowing costs.

3.8. Foreign Currency Transactions:

Transactions in currencies other than the functional currency are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions.

At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are translated at the rates prevailing at the reporting date.

Foreign currency monetary items (except where realisability of overdue receivable is uncertain) are converted using the closing rate as defined in the Ind AS-21. Non-monetary items are reported using the exchange rate at the date of the transaction. The exchange difference gain/loss is recognized in the Statement of Profit and Loss.

3.9. Government Grant

Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant will be received and all related conditions are complied with. These grants are classified as grants relating to assets or revenue based on the nature of the grants.

Grants relating to depreciable assets are initially recognised as deferred revenue and subsequently recognised in the Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the useful life of the asset generally in the same proportion in which depreciation is charged on the depreciable assets acquired out of such contribution. Changes in estimates are recognised prospectively over the remaining life of the assets.

Grants in the form of revenue grant are recognised as income on a systematic basis over the periods that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed.

Grants in the form of non-monetary assets such as land and other resources are recognised at fair value and presented as deferred income which income is recognized in the Statement of Profit and Loss over the expected useful life in a pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.

3.10. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. A provision is reversed when it is no longer

probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

3.11. Contingent Liabilities / Assets:

Contingent Liabilities

Contingent liabilities are not recognized but disclosed in Notes to the Accounts when the Company has possible obligation due to past events and existence of the obligation depends upon occurrence or non-occurrence of future events not wholly within the control of the Company.

Contingent liabilities are assessed continuously to determine whether outflow of economic resources have become probable. If the outflow becomes probable then relative provision is recognized in the financial statements.

Where an entity is jointly and severally liable for an obligation, the part of the obligation that is expected to be met by other parties is also treated as a contingent liability. The entity recognises a provision for the part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets:

Contingent Assets are not recognised in the financial statement or disclosed in Notes.

3.12. Employee benefits:

i) Defined Benefit Plan:

Provision for gratuity, leave encashment/availment and other terminal benefits is made on the basis of actuarial valuation using the projected unit credit method. Re-measurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling and the return on plan assets excluding

interest (if applicable), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to Statement of Profit or Loss.

ii) Defined Contribution Plan:

Contribution to Provident Fund is recorded as expenses on accrual basis.

iii) Short Term Employee Benefits:

Short term employee benefits obligations are measured on an undiscounted basis and expensed as the related services are provided. A liability is recognized for the amount expected to be paid under short-term employee benefits if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

3.13. Taxation

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Current tax

The current tax is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from 'profit before tax' as reported in the Statement of Profit and Loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible. The Company's current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the balance sheet approach on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be utilised. Unrecognised deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current income tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

The break-up of the major components of the deferred tax assets and liabilities as at balance sheet date is arrived at after setting off deferred tax assets and liabilities.

Current and deferred tax for the year

Current and deferred tax are recognized in profit or loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in other comprehensive income or directly in equity respectively. Where current tax or deferred tax arises from the initial accounting for a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

3.14. Impairment:

If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit/Fixed Assets) is estimated to be less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is recognized immediately in Statement of Profit and Loss.

Recoverable amount is the higher of fair value less costs of disposal and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in Statement of Profit and Loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amounts of its tangible, intangible assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.

Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for impairment at least annually or whenever there is an indication that the asset may be impaired.

3.15. Earnings per share:

Basic earnings per equity are computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share is computed by dividing

the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per equity share and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares.

3.16. Financial instruments:

i) Non-derivative financial instruments:

Non-derivative financial instruments consist of:

- Financial assets include cash and cash equivalents, trade receivables, employee advances, other advances, security deposits, investments in equity securities and other eligible current/non-current assets;
- Financial liabilities include long/short-term loan, borrowings, trade payables, security deposits, retention monies and other eligible current/non-current liabilities.

Non derivative financial instruments are recognized initially at fair value including any directly attributable transaction costs except financial instrument measured at fair value through Statement of Profit and Loss which are initially measured at fair value. Financial assets are derecognized when substantial risks and rewards of ownership of the financial asset have been transferred. In cases where substantial risks and rewards of ownership of the financial assets are neither transferred nor retained, financial assets are derecognized only when the Company has not retained control over the financial asset.

Subsequent to initial recognition, non-derivative financial instruments are measured as described below:

- a) Investments in, equity securities (other than Subsidiaries, Joint Venture and Associates) are valued at their fair value. These investments are measured at fair value and changes therein, other than impairment losses, are recognized

in Statement of Other Comprehensive Income. The impairment losses, if any, are reclassified from Other Equity to Statement of Profit and Loss. When an available for sale financial asset is derecognized, the related cumulative gain or loss recognised in Other Equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

b) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are presented as current assets, except for those maturing later than 12 months after the reporting date which are presented as non-current assets. Loans and receivables are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment losses. Loans and receivables comprise trade receivables, unbilled revenues, staff advances, security deposits paid and other assets.

The Company estimates the un-collectability of accounts receivable by analysing historical payment patterns, customer concentrations, customer credit-worthiness and current economic trends. If the financial condition of a customer deteriorates, evaluation is made for additional allowances required, if any.

c) Trade and other payables:

Trade and other payables are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest method. For these financial instruments, the carrying amounts are approximate fair value due to the short term maturity of these instruments.

d) Security Deposits

Security Deposits are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment losses.

e) Tax Free Bonds:

Tax free bonds are recognized initially at fair value net of transaction costs. In subsequent periods, Tax free bonds are presented at amortised cost using effective interest method. Interest expenses are recognised in the statement of profit or loss as financial expenses over the life of the tax free bonds using effective interest rate.

ii) Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at Fair Value through Profit and Loss (FVTPL), are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting period. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the financial asset have been affected. For Available for Sale (AFS) equity investments, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- Significant financial difficulty of the issuer or counterparty;
- Breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- Probability that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.

Certain categories of financial assets such as trade receivables are assessed for impairment on individual basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include companies past experience of collecting payments, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets that are carried at cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of trade receivables; such impairment loss is reduced through the use of an allowance account for respective financial asset. When a trade receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in Statement of Profit and Loss.

For financial assets measured at amortised cost, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through Statement of Profit and Loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortised cost would have been had the impairment not been recognized.

iii) **De-recognition of financial assets**

The Company de-recognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another party. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay.

If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

On de-recognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

3.17. Segment Information

The Chairman cum Managing Director (CMD) of the Company is identified as the Chief Operating Decision Maker (CODM) as defined by Ind AS-108, "Operating Segments." The CMD of the Company evaluates the segments based on standalone financial statements. The Management considers "Port Services" rendered in India as a single reportable Business/Geographical segment.

3.18. Prior Period

Errors of material amount relating to prior period(s) are disclosed by a note with nature of prior period errors, amount of correction of each such prior period presented retrospectively, to the extent practicable along with change in basic and diluted earnings per share. However where retrospective restatement is not practicable for a particular period then the circumstances that lead to the existence of that condition and the description of how and from where the error is corrected are disclosed in Notes on Accounts.

3.19. Leases

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

As a lessee

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognises lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

i) Right-of-Use Assets

The Company recognises right-of-use assets ("RoU Assets") at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any re measurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognised, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also subject to impairment. Refer to the accounting policies in Section (I) Impairment of non-financial assets.

ii) Lease Liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognises lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company

and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognised as expenses (unless they are incurred to produce inventories) in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs. In calculating the present value of lease payments, the Company uses its incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is re measured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset. Lease liabilities has been presented under the head "Other Financial Liabilities". Lease liabilities has been presented under the head "Other Financial Liabilities".

iii) Short-term leases and leases of low-value assets

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognised as expense on a straight-line basis over the lease term.

As a lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income from operating lease is recognised on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating

and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognised over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognised as revenue in the period in which they are earned.

Leases are classified as finance leases when substantially all of the risks and rewards of ownership transfer from the Company to the lessee. Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the lease.

3.20. Current/Non-Current Classification:

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/non-current classification. An asset is classified as current if:

- (a) it is expected to be realized or sold or consumed in the Company's normal operating cycle;
- (b) it is held primarily for the purpose of trading;
- (c) it is expected to be realized within twelve months after the reporting period; or
- (d) it is cash or a cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is classified as current if:

- (a) it is expected to be settled in normal operating cycle;
- (b) it is held primarily for the purpose of trading;
- (c) it is expected to be settled within twelve months after the reporting period;

- (d) it has no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

The operating cycle is the time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents. The Company's normal operating cycle is twelve months.

3.21. Dividend distribution to shareholders:

Dividends proposed by the board of directors are recognized in the financial statements when approved by the shareholders at the Annual General Meeting.

3.22. Prepaid expenses

Revenue expenditure under each head are segregated into current year and prepaid wherever the amount exceeds Rs.20,000/-

3.23. Premia for foreclosure

Premia for foreclosure of loans or any part thereof is recognised as finance cost in the year in which the foreclosure is effected.

3.24. Liquidated damages

Liquidated damages is accounted on certainty basis. In respect of Capital Projects, the same will be reduced from the cost of asset and in all other cases, the same is recognized as Other Income.

3.25. Statement of Cash Flows

Cash Flows are reported using the Indirect Method. For the purposes of the cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in hand, at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand and are considered part of the Company's cash management system.

4. Property, Plant and Equipment

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2020	Additions	Disposal/ adjustments	Gross carrying value as at Mar 31, 2021	Accumulated depreciation as at April 1, 2020	Depreciation for the year	Disposal/ adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31, 2021	Carrying Value as at Mar 31, 2021
Land	63,956.08	-	-3.44	63,952.64	-	-	-	-	63,952.64
Building, Sheds & Other Structures	12,324.60	374.99	-	12,699.59	1,187.39	320.77	-	1,508.16	11,191.42
Wharves & Boundaries	64,485.91	-	-	64,485.91	6,577.31	1,536.35	-	8,113.66	56,372.25
Roads	8,919.99	3,502.35	-	12,422.34	1,988.01	605.21	-	2,593.22	9,829.12
Railway Track & Signalling System	7,660.95	944.33	-	8,605.28	2,259.06	555.19	-	2,814.24	5,791.04
Docks, Seawalls, Piers & Break Water	57,637.86	-	-	57,637.86	11,897.20	754.74	-	12,651.94	44,985.92
Navigational Aids	381.67	-	-	381.67	290.39	6.61	-	297.00	84.67
Vehicles	184.47	23.78	-	208.25	42.10	21.85	-	63.95	144.30
Electrical Installations	1,862.03	50.58	-	1,912.61	1,060.40	137.49	-	1,197.89	714.72
Installation For Water, Communication & Fire Syst	306.19	-	-	306.19	149.76	8.69	-	158.45	147.74
Electrical Appliance	198.60	32.33	-	230.93	108.60	19.92	-	128.52	102.41
Office Equipment	189.03	2.83	-	191.86	144.79	15.14	-	159.93	31.93
Furniture & Fittings	930.80	15.63	-	946.43	419.57	74.57	-	494.14	452.29
Computers	856.65	10.99	-	867.64	426.84	120.90	-	547.74	319.91
Port Basin & Entrance Channel	84,920.76	5,907.98	-	90,828.74	5,469.99	3,916.52	-	9,386.51	81,442.23
Plant & Machinery	1,099.46	14.24	-	1,113.69	728.15	160.48	-	888.63	225.06
Security Asset	65.09	-	-	65.09	52.21	2.29	-	54.51	10.59
Total	3,05,980.15	10,880.03	-3.44	3,16,856.73	32,801.77	8,256.71	0.00	41,058.48	2,75,798.26

- a. The Company owns land measuring 2802.49 acres acquired from GoTN, TNEB, TIDCO and Salt Department, Ministry of Commerce, out of which 2787.27 acres is under possession of the Company and the balance 15.22 acres of land is yet to take possession as these lands were under litigation. Out of 15.22 acres of land under litigation, two writ petitions W.P. No. 26041/2001 & 26042/2001 were filed by Tmt. Pappa & Thiru P. Selvaraj against the land acquisition. The Hon'ble High Court of Madras vide its Judgement dated 19.11.2019 quashed the Notification u/s 4(1) and the Declaration u/s. 6 of the Land Acquisition Act, in so far as the lands of the petitioners. The court advised to initiate land acquisition proceedings afresh by issuing a fresh Notification u/s.4(1) of the Land Acquisitions Act.
- The Company has decided not to appeal against the Judgement of the Hon'ble High Court of Madras dated 19.11.2019 in W.P. No.26041/2001 and 26042/2001. The port had remitted an amount of Rs.2.86 lakhs for 6.82 acres of land belonging to Shri P. Selvaraj and Rs.0.58 lakhs for 1.38 acres of land belonging to Smt. S. Pappa as compensation amount and the same was ordered to be kept in revenue deposit and cumulative of Rs.3.44 lakhs shown under Disposal / adjustments.
- b. The Company procured 950 acres of land from TIDCO, out of which 297.98 acres got registered in the name of the Company and the balance registration is in progress.
- The Company procured 1092.20 acres of land from TANGEDCO, out of which 995.05 acres got registered in the name of the Company and the balance registration is in progress.
- The Company procured 712.42 acres of land from Salt Department, out of which 682.66 acres got registered in the name of the Company and the balance registration is in progress.
- The Company acquired 32.65 acres of land from GoTN and the Patta obtained in the name of Company."
- c. Land measuring in Sq.m. 134600, 542524, 472460, 384780 (Phase I & II), 171611, 520000 (total measuring 550.05 acres) allotted to BOT operators viz. M/s.Ennore Tank Terminals Private Limited, M/s.Chettinad International Coal Terminal Private Limited and M/s. SICAL Iron Ore Terminals Limited, M/s.Adani Container Terminal Private Limited, M/s.Chettinad Bulk Terminal Private Limited and IOC LNG Private Ltd respectively.

Property, Plant and Equipment

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2019	Additions	Disposal/ adjustments	Gross carrying value as at Mar 31, 2020	Accumulated depreciation as at April 1, 2019	Depreciation for the year	Disposal/ adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31, 2020	Carrying Value as at Mar 31, 2020
Land	58994.47	4961.61	0.00	63,956.08	0	0.00	0.00	0.00	63,956.08
Building, Sheds & Other Structures	11225.41	1159.99	(60.80)	12,324.60	889.29	300.64	(2.53)	1187.40	11,137.20
Wharves & Boundaries	64369.47	537.50	(421.07)	64,485.90	5057.52	1532.79	(12.99)	6577.32	57,908.58
Roads	8558.95	361.04	0.00	8,919.99	1437.06	550.95	0.00	1988.01	6,931.98
Railway Track & Signalling System	7660.95	0.00	0.00	7,660.95	1765.42	493.64	0.00	2259.06	5,401.89
Docks, Seawalls, Piers & Break Water	57581.56	56.30	0.00	57,637.86	11143.33	753.87	0.00	11897.20	45,740.66
Navigational Aids	381.67	0.00	0.00	381.67	283.77	6.61	0.00	290.38	91.29
Vehicles	111.63	72.84	0.00	184.47	28.19	13.91	0.00	42.10	142.37
Electrical Installations	1716.76	145.26	0.00	1,862.02	925.07	135.33	0.00	1060.40	801.62
Installation For Water, Communication & Fire Syst	306.19	0.00	0.00	306.19	141.08	8.69	0.00	149.77	156.42
Electrical Appliance	192.48	6.12	0.00	198.60	91.67	16.93	0.00	108.60	90.00
Office Equipment	177.98	11.05	0.00	189.03	129.99	14.80	0.00	144.79	44.24
Furniture & Fittings	921.56	9.23	0.00	930.79	345.45	74.11	0.00	419.56	511.23
Computers	849.36	7.30	0.00	856.66	305.09	121.79	0.00	426.88	429.78
Port Basin & Entrance Channel	79743.49	5177.27	0.00	84,920.76	4669.10	800.89	0.00	5469.99	79,450.77
Plant & Machinery	1099.46	0.00	0.00	1,099.46	567.80	160.35	0.00	728.15	371.31
Security Asset	53.71	11.38	0.00	65.09	46.07	6.14	0.00	52.21	12.88
Total	293945.10	12516.89	(481.87)	305980.12	27825.91	4991.44	(15.52)	32801.82	273178.30

4 (a) Right of Use Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2020	Additions	Disposal/ adjustments	Gross carrying value as at Mar 31, 2021	Accumulated depreciation as at April 1, 2020	Depreciation for the year	Disposal/ adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31, 2021	Carrying Value as at Mar 31, 2021
Leased assets of Registered office	2,002.42	23.16	-	2,025.58	427.20	88.53	-	515.73	1,509.85
Total	2002.42	23.16	0.00	2025.58	427.20	88.53	0.00	515.73	1509.85

Notes to accounts for the year ended 31st March 2020

4 (a) Right of Use Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2019	Additions	Disposal/ adjustments	Gross carrying value as at Mar 31, 2020	Accumulated depreciation as at April 1, 2019	Depreciation for the year	Disposal/ adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31, 2020	Carrying Value as at Mar 31, 2020
Leased assets of Registered office	2,002.42	-	-	2,002.42	341.18	86.02	-	427.20	1,575.22
Total	2002.42	0.00	0.00	2002.42	341.18	86.02	0.00	427.20	1,575.22

5. Capital Work- In- Progress

(Rupees in lakhs)

Particulars	Balance as at April 1, 2020	Additions/ Adjustments during the year	Capitalized / Adjustments during the year	Balance as at Mar, 31 2021
CWIP - Building, Sheds & Other Structures	1788.67	1410.04	-374.99	2823.73
CWIP - Wharves & Boundaries	6.90	24.15	0.00	31.05
CWIP - Roads	3689.01	1825.03	-3502.35	2011.70
CWIP - Railway Track & Signalling System	3906.05	6427.87	-944.33	9389.59
CWIP - Docks, Seawalls, Piers & Break Water	24.15	102.45	-24.15	102.45
CWIP - Navigational Aids	0.00	0.00	0.00	0.00
CWIP - Vehicles	0.00	0.00	0.00	0.00
CWIP - Electrical Installations	62.97	0.00	-62.97	0.00
CWIP - Installation For Water, Communication & Fire sys	0.00	0.00	0.00	0.00
CWIP - Electrical Appliance	0.00	0.00	0.00	0.00
CWIP - Office Equipment	0.00	0.00	0.00	0.00
CWIP - Computers	0.00	0.00	0.00	0.00
CWIP - Port Basin & Entrance Channel	144.58	6029.96	-5907.98	266.56
CWIP - Plant & Machinery	1139.53	116.47	0.00	1256.00
CWIP - Computer software	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	10761.86	15935.98	(10816.77)	15881.07
Previous Year	9894.56	7952.32	(7085.03)	10761.88

6. Intangible Assets - Software

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021
Gross carrying value as at April 1	1,077.73
Additions	15.23
Disposal/adjustments	
Gross carrying value as at March 31	1,092.96
Accumulated depreciation as at April 1	468.86
For the Year	154.21
On Disposal/adjustments	
Accumulated depreciation as at March, 31	623.06
Carrying Value as at March 31	469.90

7. Investments

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
Non-Current		
Investment in Shares-Quoted		
10000 shares in Dredging corporation of India (Market value as at 31 st March 2021 - Rs.37,07,500/-, Previous Year - Rs.14,54,200/-)	37.07	25.04
Investment in Shares - Unquoted		
Equity Shares of Sethusamudram Corporation Ltd	3000.00	3000.00
Less: Provision for Diminution in value of Investments	-3000.00	-3000.00
Equity Shares of Chennai Ennore Port Road Company Ltd	3400.00	3400.00
Equity Shares of Indian Port Rail Corporation Limited	720.00	720.00
Equity Shares of Kanniyakumari Port Limited	2.00	2.00
Investments in Renewable Energy Certificate	1.00	1.00
Total	4160.07	4148.04
Current		
Investments in Liquid Funds	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

#. As the dredging work is suspended from 14.09.2007 upon the direction of the Hon'ble Supreme Court of India and as there is no further progress in the project since then, the Management has provided for diminution towards the Investments in Equity shares of Sethusamudram Corporation Limited.

8. Loans & Advances

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
Long Term		
<i>Secured (considered good)</i>		
Advances to Employees (House Building Advance)	367.42	394.59
Advances to Employees (Vehicle Advance)	10.74	14.15
Total	378.16	408.74
Short Term		
<i>Secured (considered good)</i>		
Advances to Employees (House Building Advance)	42.43	44.98
Advances to Employees (Vehicle Advance)	4.48	5.56
Advances to Employees (Others)	7.05	2.40
Total	53.95	52.94

Advances to Employees (House Building Advance) include Rs.202.45 lakhs being advances extended to 16 employees for which Memo of Deposit is pending due to pandemic.

9. Other Financial Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
Long Term		
Deposits	392.87	360.59
Interest accrued on:		
-Advances to Related Parties	0.00	0.00
Total	392.87	360.59
Short Term		
Interest accrued on:		
-Short Term Deposits	0.00	9.94
-Advances to Related Parties	0.00	0.00
Income Receivable	135.11	0.00
Total	135.11	9.94

Income receivable represents unbilled port services which was subsequently billed in April 2021.

10. Tax Expense

Tax recognised in Statement of profit and loss

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
Current income tax		
In respect of current year	5200.38	7827.23
In respect of prior years	0.00	0.00
Sub Total (A)	5200.38	7827.23
Deferred tax expense		
In respect of current year	1720.98	6300.85
Minimum Alternate Tax (MAT) [Net of MAT Credit]	2418.61	5767.82
In respect of Earlier Years - MAT Credit no longer available	4973.36	0.00
Sub Total (B)	9112.95	12068.67
Total (A+B)	14313.33	19895.90

Tax recognised in other comprehensive income

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
Defined benefit plan actuarial gains (losses)	9.02	12.19
Change in fairvalue of Equity instruments	1.28	0.00
Total	10.30	12.19

The income tax expense for the year can be reconciled to the accounting profit as follows:

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
Profit before tax for the Year	29558.19	44763.82
Income Tax expense calculated @34.944%	10328.81	15641.98
Add/(Less) - Adjustments for		
Effect of income that is exempt from taxation	(5,200.73)	(6,715.53)
Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	793.46	810.54
Effect of previously unrecognised deductible temporary differences now recognised as deferred tax assets(Net)	(211.48)	-
Effect of MAT Credit Adjustment in the Current Year relating to MAT Credit recognised in earlier years	8,537.67	7,513.30
Others adjustments	65.61	2,645.60
Income Tax Expense recognised in Statement of P&L	14,313.34	19,895.90

Recognised deferred tax assets and liabilities

Movement in deferred tax balances during the year along with category wise break up

(Rupees in lakhs)

Particulars	Balance as at April 1, 2020	Recognised in profit & loss	Recognised in OCI	As at Mar 31, 2021
Property, plant and equipment	(28,831.69)	(1,879.14)		(30,710.83)
Employee benefits	6.79	122.29	(9.02)	120.06
TDS Disallowance	-			-
Provision for Doubtful Debts	454.18			454.18
MAT Credit Entitlement *	50,930.42	(7,391.97)		43,538.45
Others	237.12	(237.12)		(0.00)
Dimunition in Investments	1,048.32			1,048.32
Upfront Development Charges	-	272.98		272.98
Change in fair value of Equity instruments	-	-	(1.28)	(1.28)
Total	23,845.14	(9,112.96)	(10.30)	14,721.90

The Company is availing tax benefits under Sec.80 IA of the IT Act for ETTPL, CIBTPL & GCB and the same is expiring in FY 2021-22. Hence the Company is liable to pay under MAT for these three enterprises. Considering the Business Plan, the Company has drawn for next five years, the Revenue and Profits is liable for payment of Tax at normal rates from FY 2022-23 and the Company is confident in availing the accumulated MAT Credit Entitlements.

(Rupees in lakhs)

Particulars	Balance as at April 1, 2019	Recognised in profit & loss	Recognised in OCI	As at Mar 31, 2020
Property, plant and equipment	(22,520.84)	(6,310.85)		(28,831.69)
Employee benefits	(0.95)	(4.45)	12.19	6.79
TDS Disallowance	-	-		-
Provision for Doubtful Debts	449.81	4.37		454.18
MAT Credit Entitlement *	56,698.24	(5,767.82)		50,930.42
Others	237.12	-		237.12
Dimunition in Investments	1,038.24	10.08		1,048.32
Total	35,901.62	(12,068.66)	12.19	23,845.14

11. Other Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
Non-Current		
Advance to Contractors	0.00	0.00
Advance for Capital Expenditure	7328.63	13134.55
Prepaid Lease Rental	0.00	0.00
Deferred Employee Cost	149.59	137.78
Deferred Fair Valuation Gain - Security Deposits	0.00	0.00
Advance against Arbitration Award	0.00	0.00
Balance with Government Authorities	0.00	453.49
Total	7478.22	13725.83
Current		
Advance to Contractors	1058.22	971.86
Prepaid Lease Rental	0.00	0.00
Prepaid Expenses	29.73	96.30
GST Input Credit	725.82	761.92
Deferred Employee Cost	0.00	0.00
Other Assets	62.11	188.69
Total	1875.88	2018.77

Advance for Capital expenditure under Non-current includes Rs.4509.50 lakhs being excess payment to Project contractors referred to High Court of Madras at the time of taken over the Assets and liabilities from Chennai Port Trust on 22.06.2001.

12. Trade Receivables

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
Trade receivables		
Debtors outstanding for a period exceeding six months from the date they become due for payment		
- Unsecured - Considered good	3528.07	854.82
- Doubtful	1299.74	1299.74
Other debtors (Less than six months)		
- Unsecured - Considered good	4242.37	3961.76
Less: Allowances for doubtful debts	-1299.74	-1299.74
Total	7770.45	4816.59

13. Cash & Cash Equivalents

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
Cash on hand	0.00	0.00
Cheques, Drafts on hand	0.00	0.00
Balances with Banks	3201.44	2920.80
Sub-total (A)	3201.44	2920.80
Other Bank Balances		
- Term Deposit		
- Less than 3 months	0.00	0.00
- More than 3 months but less than 12 months	0.00	7000.00
Sub-total (B)	0.00	7000.00
Total	3201.44	9920.80

14. Current Tax Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
Advance Tax and Tax Deducted at Source	71106.47	66006.00
Provision for Income Tax	-70817.61	-65617.23
Total	288.86	388.77

15. Equity Share Capital

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
Authorized		
Equity shares of Rs.10/- each		
500,000,000 equity shares	50,000.00	50,000.00
Issued, subscribed and fully paid		
Equity shares of Rs.10/- each		
300,000,000 equity shares	30,000.00	30,000.00
	30,000.00	30,000.00

Reconciliation of Share Capital:

Particulars	As at Mar 31, 2021	
	No of Shares	Amount
Opening Equity Shares	300000000	3000000000
Add: -No. of Shares, Share Capital issued/ subscribed during the year	0	0
Closing balance	300000000	3000000000

Particulars	As at Mar 31, 2020	
	No of Shares	Amount
Opening Equity Shares	300000000	3000000000
Add: -No. of Shares, Share Capital issued/ subscribed during the year	0	0
Closing balance	300000000	3000000000

Shares in the Company held by shareholder holding more than 5 percent

Name of the Shareholder	%	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
Chennai Port Trust	100%	30,000	30,000

Government of India disinvested its entire Equity shares held in the Company to Chennai Port Trust through Share Purchase Agreement entered on 25.03.2020.

16. Borrowings

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
SECURED - LONG TERM		
Term Loan		
Chennai Port Trust	20506.25	22807.50
Foreign Currency Loan from Axis Bank	0.00	8868.90
Tax Free Bonds		
(i) Series 2012-13	9429.68	9416.85
(ii) Series 2013-14	36441.08	36428.84
Total	66377.01	77522.09

Secured Redeemable Non-Convertible Bonds

(i) Redeemable at par, 829334 Nos of 10 Year Bonds of Face value - Rs.1000/- each amounting to Rs.82,93,34,000/- are due on 25.03.2023 and 117156 Nos of 15 Year bonds of Face Value - Rs.1000/- each amounting to Rs.11,71,56,000/- are due on 25.03.2028 with interest rates @ 7.51% and 7.67% to Retail Investors and 7.01% and 7.17% to others respectively, payable annually. The bonds are secured against the assets of the Company viz. Small Craft Jetty - 1, 2 and 3 and General Cargo Berth pursuant to the terms of the Bond Trust Deed registered on 25.03.2013.

(ii) Redeemable at par, 794951 Nos of 10 Year Bonds of Face value - Rs.1000/- each amounting to Rs.79,49,51,000/- are due on 25.03.2024 and 1916630 Nos of 15 Year bonds of Face Value - Rs.1000/- each amounting to Rs.191,66,30,000/- are due on 25.03.2029 and 943142 Nos of 20 Year Bonds of Face Value - Rs.1000/-

each amount to Rs.94,31,42,000/- are due on 25.03.2034 with interest rates @ 8.61%, 9% and 9% respectively to Retail Investors and 8.36%, 8.75% and 8.75% respectively to others, payable annually. The bonds are secured against the assets of the Company viz. North Break Water pursuant to the terms of the Bond Trust Deed registered on 19.03.2014.

Term loan from Chennai Port Trust

Term Loan due to Chennai Port Trust converted at the time of taken over of assets & liabilities in the year 2001-02 and is repayable in 60 Equated Quarterly instalments commencing from 30.06.2012. The instalments are paid up to date during this period. The above loan is secured by hypothecation of specifically earmarked immovable fixed assets of the Company. The Company has borrowed an additional amount of Rs.70 crs and Rs 20 crs on 18.06.2018 and 29.09.2018 respectively on the same terms and conditions of the original loan.

Foreign Currency Loan from Axis Bank

Axis Bank has sanctioned Foreign Currency Loan (FCL) 100 USD Million on 30.03.2017 against Trade receivables @ interest rate of 6M Libor Plus 195 BPS repayable within Five Year including one year moratorium. The Company has availed 47 USD Million and the Company during the year 2017-18. The Company also hedged the 6M Libor Rate in excess of 250 basis points (bps) has been hedged in order to protect Interest Rate Risk.

Overdraft Facility from State Bank of India

State Bank of India sanctioned clean Overdraft facilities of Rs.50 Crores towards Fund Based and Rs.10 Crores towards Non-fund based limits @ One year MCLR Plus 0.15%. The Company has entered loan agreement on 31st January, 2020. However, no facilities were availed as on 31st March 2021.

17. Other Financial Liabilities

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
Long Term		
Security Deposits	385.57	275.97
Retention Money Payable	11.43	290.18
Total	397.00	566.15
Short term		
Current maturities of long term debt		
- Chennai Port Trust	2301.25	2301.25
- Foreign Currency Loan from Axis Bank	8656.41	8935.25
Security Deposits	139.58	260.63
Retention Money Payable	382.09	350.98
Amount Payable to Employees	0.48	0.48
Other Liabilities	129.18	198.86
Total	11608.99	12047.45

18. Provisions

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
Non- Current FOR EMPLOYEE BENEFITS		
Leave Encashment	0.00	0.00
Gratuity	0.00	0.00
Total	0.00	0.00
Current FOR EMPLOYEE BENEFITS		
Leave Encashment	51.80	7.65
Gratuity	15.24	11.79
Performance Related Pay	100.00	200.00
Sub Total (A)	167.04	219.44
OTHER		
Expenses		
- Revenue	1061.00	748.79
- Capital	329.86	65.27
Sub Total (B)	1390.86	814.06
Total(A+B)	1557.90	1033.50

19. Other Liabilities

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
Non-Current		
Income Received in Advance	6449.43	6956.78
Advance Lease Charges	1710.27	781.21
Other Liabilities	0.00	0.00
Deferred Fair Valuation Gain - Security Deposits	570.40	588.85
Government Grant	0.00	8.14
Total	8730.10	8334.98
Current		
Income Received in Advance	866.75	814.61
Other Statutory Payables	1865.91	1224.36
Advance Received from Customers	2714.79	1981.23
Advance Lease Charges	79.79	45.00
Other Liabilities	112.26	89.33
Total	5639.50	4154.53

Income received in advance of Rs.6449.43 lakhs under Non-Current includes an amount from Indian Oil LNG Private Limited towards upfront licence fees for 30 years for 5,20,000 sq.m. Land allotted for the construction of LNG Terminal as per the Licence Agreement dated 31st July 2015.

20. Trade Payables

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2021	As at Mar 31, 2020
Total outstanding dues of micro and small scale Industrial Undertaking(s). (Due over 30 days Rs.28.12 lakhs) *	28.12	0.00
Total outstanding dues of Medium scale Industrial Undertaking(s). (Due over 30 days ` Nil/-)	0.00	0.00
Others	4572.53	4255.05
Total	4600.65	4255.05

* Rs.13.82 lakhs disputed interest due thereon

21. Revenue From Operations

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2021	For the year ended Mar 31, 2020
Lease Income		
Composite Tariff on Coal	16306.12	21361.49
Estate Income	3806.72	4473.35
Revenue Share	18440.33	19182.64
Marine Services		
Vessel Related Income	14316.75	17616.88
Cargo Related Service		
Wharfage	4236.70	6922.01
Royalty	909.87	622.36
Other Operating Revenues		
Other Services	92.76	138.76
Total	58109.25	70317.50

22. Other Income

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2021	For the year ended Mar 31, 2020
Interest from Banks	320.24	415.85
Interest on Staff Advances	34.75	42.61
Interest - Others	107.42	164.68
Short Term Gain from Mutual Fund	9.37	148.83
Dividend received	0.00	51.01
Other non operating income		
Sale of Tender Documents	0.00	0.08
Personnel & Vehicle Entry Pass	70.99	65.76
Liquidated Damages	0.00	1892.30
Other Income	89.70	269.37
Total	632.47	3050.49

23. Operating Cost

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2021	For the year ended Mar 31, 2020
Time Charter Crafts	3125.54	3293.86
Consultancy Services - Operations	175.54	364.85
Power & Water charges	214.60	215.90
Environment	295.91	473.75
Fuel Expense	664.88	769.46
Manning Services	609.32	646.55
Survey & Maintenance Dredging	118.02	102.70
Repairs and Maintenance	938.92	977.25
Incentive	685.16	1231.23
Insurance	280.37	244.96
Total	7108.26	8320.51

24. Employee Benefits

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2021	For the year ended Mar 31, 2020
Salaries and Wages	1406.66	1400.68
Contribution to Provident Fund	128.82	117.17
Staff Welfare expenses	38.81	21.98
Performance Related Pay	0.00	152.99
Employee Medical expenses	52.84	75.30
Terminal Benefits	266.02	290.71
Total	1893.15	2058.83

25. Finance Cost

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2021	For the year ended Mar 31, 2020
Interest Expense :		
- From Banks	437.70	1038.42
- Tax Free Bonds - 2012-13	686.91	686.11
- Tax Free Bonds - 2013-14	3234.23	3225.18
- Others	2560.78	2780.64
Other Borrowing Costs :		
- Tax Free Bond Expenses	8.77	9.32
Net loss / -Gain on Foreign currency transaction and translation to the extent treated as Borrowing costs.	-429.34	725.17
Total	6499.05	8464.84

26. Depreciation And Amortization Expenses

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2021	For the year ended Mar 31, 2020
Depreciation / Amortisation for the year		
Tangible Assets	8256.71	4975.92
Right- of- Use Assets	88.53	86.02
Intangible Assets	154.21	151.10
Impairment Expenses	0.00	0.00
Total	8499.44	5213.04

27. Other Expenses

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2021	For the year ended Mar 31, 2020
AMC - Software Expenses	71.57	65.52
Auditors' remuneration		
- Statutory audit	6.00	3.00
- Tax Audit Fees	1.00	0.50
- Payment for other Services	0.45	0.50
- Reimbursement of expenses	0.60	0.30
Books and periodicals	2.43	2.75
Electricity & Water Charges	128.75	122.86
Legal & Professional Charges	190.24	165.46
Miscellaneous Expense	78.92	124.42
Printing and stationery	14.69	17.19
Rent, Rates & Taxes	73.94	55.38
Safety & security expenses	1372.33	1277.89
Seminars & conference expenses	2.20	15.64
Corporate Social Responsibility Expenses*	2140.66	810.54
Subscription & Membership fees	152.01	119.58
Communication Expenses	55.47	62.22
Travelling and conveyance	8.29	44.71
Vehicle running expenses	275.15	294.73
Advertising and promotional expenses	26.92	47.59
Foreign Exchange Fluctuation Loss	0.00	688.16
R & M Office	426.21	331.44
Donations & Contributions	130.00	0.00
Total	5157.83	4250.38

*CSR Expenses includes carried forward unspent amount of Rs.12.93 Crore of previous years.

Corporate Social Responsibility Expenses

- (a) Gross amount required to be spent by the Company during the year : Rs.810.00 lakhs
 (b) Amount spent during the year on :

(Rupees in lakhs)

S. No	Particulars	In Cash	Yet to be paid in cash	Total
(i)	Construction / acquisition of any asset	0.00	0.00	0.00
(ii)	on purposes other than (i) above	1857.29	283.38	2140.66
	Total	1857.29	283.38	2140.66

28. Exceptional Items

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2021	For the year ended Mar 31, 2020
Interest paid on Arbitration/ Service tax	0.00	144.27
Service Tax Deposit - Dispute settlement	0.00	117.42
Total	0.00	261.69

29. Earnings per Share

Particulars	For the year ended Mar 31, 2021	For the year ended Mar 31, 2020
Total Comprehensive Income for the Year	1529819643	2492549819
Weighted average number of shares - Basic	300000000	300000000
Weighted average number of shares - Diluted	300000000	300000000
Earnings per Share - Basic	5.10	8.31
Earnings per Share - Diluted	5.10	8.31

Note 30 : Disclosure Notes

1. Commitments:

Capital Commitments:

Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Expenditure (net of advances) and not provided for Rs.30879.80 lakhs (Previous Year. Rs.23175.21 lakhs)

2. Payment to the Statutory Auditors

(Rupees in Lakhs)

Particulars	2020-21	2019-20
Audit Fees	6.00	3.00
Tax Audit Fees	1.00	0.50
Certification fees	0.45	0.50
Reimbursements:		
- Out of Pocket Expenses	0.60	0.30

3. Additional information pursuant to Schedule III of the Companies Act, 2013

(Rupees in Lakhs)

Sl.	Particulars	2020-21	2019-20
A	Expenditure in Foreign currency on:		
	i. Professional and consultancy fee	-	-
	ii. Tours and Travels	-	-
	iii. Interest on FCL including Hedging	437.70	1038.42
	iv. Others	-	-
B	Earnings in Foreign Exchange	-	15.15

4. Information in respect of Micro, Small and Medium Enterprises as at 31st March 2021:

(Rupees in Lakhs)

Sl.	Particulars	2020-21	2019-20
1	Amount remaining unpaid to any supplier: a) Principal Amount b) Interest due thereon	28.12 13.82	- -
2	Amount of interest paid in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount paid to the supplier beyond the appointed day;	Nil	Nil
3	Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;	Nil	Nil
4	Amount of interest accrued and remaining unpaid	Nil	Nil
5	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	Nil	Nil

Classification of Vendors into Micro, Small and Medium Enterprises have been made to the extent information is available with the Company

Disclosure requirements of Indian Accounting Standards

5. Disclosures in respect of Ind AS 107 - Financial Instruments

5.1 Financial Instruments by Categories

The carrying value and fair value of financial instruments by categories were as follows:

(Rupees in Lakhs as of March 31, 2021)

Particulars	Amortized cost	Financial assets / liabilities at fair value through profit or loss	Financial assets/ liabilities at fair value through OCI	Total carrying value	Total fair value
Assets:					
Non-current Investment (Ref Note No.7)	-	12.03	4148.04	4160.07	4160.07
Cash & Cash Equivalents (Ref Note No.13)	3201.44	-	-	3201.44	3201.44
Trade Receivable (Ref Note No. 12)	7770.45	-	-	7770.45	7770.45
Loans and Advances (Ref Note No. 8)	432.12	-	-	432.12	432.12
Other Financial Assets (Ref Note No. 9)	527.99	-	-	527.99	527.99
Liabilities:					
Term loan from Chennai Port Trust (Ref Note No. 16 & 17)	22807.50	-	-	22807.50	22807.50
Tax Free bonds (Ref Note No. 16)	45870.76	-	-	45870.76	45870.76
Loan from Axis Bank (Ref Note No.16 & 17)	8656.41	-	-	8656.41	8656.41
Trade Payables (Ref Note No. 20)	4600.65	-	-	4600.65	4600.65
Other Financial Liabilities (Ref Note No.17)	1048.32	-	-	1048.32	1048.32

(Rupees in Lakhs as of March 31, 2020)

Particulars	Amortized cost	Financial assets / liabilities at fair value through profit or loss	Financial assets/ liabilities at fair value through OCI	Total carrying value	Total fair value
Assets:					
Non-current Investment (Ref Note No.7)	-	-	4148.04	4148.04	4148.04
Cash & Cash Equivalents (Ref Note No.13)	9920.80	-	-	9920.80	9920.80
Trade Receivable (Ref Note No. 12)	4816.59	-	-	4816.59	4816.59
Loans and Advances (Ref Note No. 8)	461.68	-	-	461.68	461.68
Other Financial Assets (Ref Note No. 9)	370.54	-	-	370.54	370.54
Liabilities:					
Term loan from Chennai Port Trust (Ref Note No. 16 & 17)	25108.75	-	-	25108.75	25108.75
Tax Free bonds (Ref Note No. 16)	45845.69	-	-	45845.69	45845.69
Loan from Axis Bank (Ref Note No.16 & 17)	17804.15	-	-	17804.15	17804.15
Trade Payables (Ref Note No. 20)	1229.15	-	-	1229.15	1229.15
Other Financial Liabilities (Ref Note No.17)	1377.10	-	-	1377.10	1377.10

5.2. Fair Value Hierarchy

- **Level 1** - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- **Level 2** - Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- **Level 3** - Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The following tables presents fair value hierarchy of assets and liabilities measured at fair value:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year 31.03.2021				For the year 31.03.2020			
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets								
Investments in unquoted equity instruments	-	-	4,123	4,123	-	-	4,123	4,123

5.3 Financial risk management

Financial risk factors

The Company's activities are exposed to limited financial risks: market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's primary focus is to foresee the unpredictability of financial markets and seek to minimize potential adverse effects on its financial performance.

a) Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flow of financial instruments will fluctuate because of changes in market price.

The Company has interest rate risk as the Market risk. The Company does not have price risk on its financial instruments since Company does not have any derivative financial asset.

Interest Rate Risk:

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the long-term debt obligations with floating interest rates.

The Company has availed Foreign Currency Loan of USD 47 Million out of sanctioned loan of USD 100 Million from Axis Bank in four tranches @ LIBOR plus 195 BPS during the year 2017-18. However, LIBOR rate in excess of 250 basis points (bps) has been hedged in order to protect Interest Rate Risk.

Further, the Company has interest rate risk on the loans obtained from Chennai Port Trust as the annual interest rate reset is pegged to the movement in MCLR rate of State Bank of India.

As at the reporting date, the interest rate profile of the Company's interest-bearing financial instruments are as follows

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 st Mar 2021	31 st Mar 2020
Fixed Rate Instruments	-	-
Financial Asset		
- Fixed Deposit with Bank	-	7000.00
- Employee Advance	425.06	459.27
Financial Liabilities		
- Tax Free Bonds	45870.76	45845.69
Variable Rate Instruments		
- Loan from Chennai Port Trust	22807.50	25108.75
- Foreign Currency Loan	8656.41	17804.15

b) Credit Risk

Credit risk refers to the risk of default on its obligation by the counterparty resulting in a financial loss. Since the Company generally stipulates pre-payment with respect to its income for major port services, there is normally no credit offered to anyone. In such cases there is no credit default risk. However, where the Company is rendering certain ancillary / support services the invoices are raised, as and when the services are rendered and in cases of disagreement on user charges, licence fee etc. on settlement of disputes and in these cases, there could be an element of credit default risk.

Trade Receivables

The Company has outstanding trade receivables amounting to Rs.7770.45 Lakhs and Rs.4816.59 lakhs as of March 31, 2021 and March 31, 2020, respectively. Trade receivables are typically unsecured and are derived from revenue accrual from customers. Since most of the port services are rendered on pre recovery basis by collecting in advance, Trade receivable constitutes the unpaid Revenue dues mostly towards Estate rentals and allied services. Provision for disputed debts are reviewed at each balance sheet date and provided for on a case to case basis.

Credit risk exposure

An age-wise analysis of trade receivables at each reporting date is summarized below:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	March 31, 2021		March 31, 2020	
	Gross	Impairment	Gross	Impairment
Not past due	3595.45	-	2791.23	-
Past due less than three months	2.97	-	-	-
Past due more than three months but not more than six months	643.95	-	1166.47	-
Past due more than six months but not more than one year	1283.49	-	4.40	-
More than one year	3544.33	1299.74	2154.57	1299.74
Total	9070.19	1299.74	6116.67	1299.74

Provision for impairment of trade receivables on a case to case basis is made in the year when recoverability is assessed as doubtful based on the recovery analysis performed by the Company or is based on likely outcome of disputes over the interpretation of certain clauses in the

concessionaire agreements. The Company considers all other financial assets which are not impaired and past due for each reporting dates under review are of good credit quality.

Other financial assets

Credit risk relating to cash and cash equivalents is considered negligible because our counterparties are banks. We consider the credit quality of term deposits with banks which are subjected to the regulatory oversight of the Reserve Bank of India to be good, and we review these banking relationships on an ongoing basis. Credit risk related to employee loans are considered negligible since loan is secured either as mortgage of the title deed of the property or by way of hypothecation of the vehicle for which these loans have been granted to the employees. Besides, the Company has appropriation right over the terminal benefits due to the employees. Therefore, there is no requirement for impairment provision for these financial assets. We consider all the above financial assets as at the reporting dates to be of good credit quality.

c) Liquidity Risk

Our liquidity needs are monitored on the basis of monthly and yearly projections. The Company's principal sources of liquidity are cash and cash equivalents, cash generated from operations,

We manage our liquidity needs by continuously monitoring cash inflows and by maintaining adequate cash and cash equivalents. Net cash requirements are compared to available cash in order to determine any shortfalls.

Short term liquidity requirement consists mainly of resources required to settle trade payables, expenses payable, employee dues, repayment of current maturities of loans, etc., arising during the normal course of business as of each reporting date. We maintain sufficient balance in cash and cash equivalents to meet our short term liquidity requirements.

We assess long term liquidity requirements on a periodical basis and manage them through internal accruals. Our non-current liabilities include borrowings from Chennai Port trust, Tax Free Bonds, and Foreign Currency Loan from Axis Banks, Retention money payable and Security deposits.

The table below provides details regarding the contractual maturities of non-derivative financial liabilities. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Company can be required to pay. The table includes both principal & interest cash flows.

(Rupees in Lakhs as of March 31, 2021)

Particulars	Less than 6 months	6 months to 1 year	1-3 years	3-5 years	More than 5 years	Total
Chennai Port Trust Loan	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	11301.31	22807.51
Loan from Axis bank	4328.25	4328.26	-	-	-	8656.41
Tax Free Bonds	-	-	8293.34	-	37577.42	45870.76
Retention money	-	382.09	11.43	-	-	393.52
Security Deposits	-	137.87	387.28	-	-	525.15
Trade Payables	-	4600.65	-	-	-	4600.65
Other Liabilities	-	129.66	-	-	-	129.66
Total	5478.67	10728.95	13294.53	4602.48	48878.73	82983.36

(Rupees in Lakhs as of March 31, 2020)

Particulars	Less than 6 months	6 months to 1 year	1-3 years	3-5 years	More than 5 years	Total
Chennai Port Trust Loan	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	13602.56	25108.76
Loan from Axis bank	4467.63	4467.63	8868.90	-	-	17804.16
Tax Free Bonds	-	-	-	8293.34	37552.35	45845.69
Retention money	-	350.98	290.18	-	-	641.16
Security Deposits	-	260.63	275.97	-	-	536.60
Trade Payables	-	1229.15	-	-	-	1229.15
Other Liabilities	-	199.34	-	-	-	199.34
Total	5618.25	7658.35	14037.53	12895.82	51154.91	91364.86

6. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-21 "The Effects of changes in Foreign Exchange Rates"

The amount of exchange differences (net) debited to the Statement of Profit & Loss Rs. Nil (P.Y. Rs.688.16 Lakhs) under Other Expenses.

7. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-36 "Impairment of assets"

During the year, the Company has reviewed its Fixed Assets for impairment of assets as per Ind AS-36 and has observed no impairment of assets in the current Financial year (Previous year – NIL).

8. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-20 "Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance"

(Rupees in Lakhs)

Grant received for	2020-21	2019-20
Government Grants	Nil	Nil
Total Grants Received	Nil	Nil

9. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-19 "Employee Benefits"

A. General description of various employee's benefit schemes are as under:

a) Provident Fund:

The Company's Provident Fund is deposited with Regional Provident Fund Commissioner. The Company pays fixed contribution to provident fund at pre-determined rate.

b) Gratuity:

The Company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has rendered continuous service of five years or more is entitled to get gratuity @ 15 days salary (15/26 x last drawn basic pay plus dearness allowance) for each completed year of service on superannuation, resignation, termination, and disablement or on death. A trust has been formed for this purpose. This scheme is being managed by the Life Insurance Corporation of India (LIC) for which the Company has taken a Master Policy.

The scheme is funded by the Company and the contributions are paid to the insurer, i.e., the Life

Insurance Corporation of India as per the demand made by them. The recognition of net obligation for the defined benefit plan and the disclosure of information as required under Ind AS-19 is made in accordance with the actuarial valuation report.

c) Superannuation Scheme:

The Company has implemented a non-contributory Employee's Group Superannuation Pension Scheme which is also managed by LIC of India. Contributions @ 12% of Basic Pay plus dearness allowance of the enrolled employee is made to the Corporation.

The contribution to the scheme for the period is grouped under Employee Cost on accrual basis. In respect of employees on deputation, pension contribution is calculated as per lending organization/Govt. of India Rules and is accounted for on accrual basis.

d) Leave:

The Company provides for Earned Leave benefits and Half-Pay Leave to the employees of the Company, which accrue annually at 30 days & 20 days respectively. The Earned Leave is encashable once in a calendar year while in service for a period of maximum 30 days as per eligibility and on Superannuation, the maximum limited to 300 days.

The liability on Earned leave is recognized on the basis of actuarial valuation.

B. The summarized position of various defined benefits recognized in the Statement of Profit & Loss, Other Comprehensive Income (OCI) and Balance Sheet & other disclosures are as under:

(Rupees in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Defined Benefit Obligation	C.Y.	386.25	377.00
	P.Y.	354.38	315.72
Fair Value of Plan Assets	C.Y.	371.01	325.20
	P.Y.	346.74	303.93
Funded Status [Surplus/ (Deficit)]	C.Y.	15.24	51.80
	P.Y.	7.64	11.79
Effect of asset ceiling	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0
Net Defined Benefit Assets/(Liabilities)	C.Y.	15.24	51.80
	P.Y.	7.64	11.79

Movement in defined benefit obligation

(Rupees in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Defined benefit obligation - Beginning of the year	C.Y.	354.38	315.72
	P.Y.	272.70	226.48
Current service cost	C.Y.	32.88	44.20
	P.Y.	33.53	16.07
Interest Cost	C.Y.	23.92	21.31
	P.Y.	20.88	17.55
Benefits Paid	C.Y.	0	0
	P.Y.	(6.61)	0
Re-measurements - actuarial loss/(gain)	C.Y.	(24.94)	(4.23)
	P.Y.	33.89	55.61
Defined benefit obligation – End of the year	C.Y.	386.24	377.00
	P.Y.	354.38	315.72

Movement in plan asset

(Rupees in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Fair value of plan assets at beginning of year	C.Y.	346.74	303.93
	P.Y.	252.60	221.27
Interest income	C.Y.	23.40	20.52
	P.Y.	22.39	19.63
Employer contributions	C.Y.	0	0
	P.Y.	79.34	64.04
Benefits paid	C.Y.	0	0
	P.Y.	(6.61)	0
Re-measurements – Return on plan assets	C.Y.	0.87	0.76
	P.Y.	(0.99)	(1.01)
Fair value of plan assets at end of year	C.Y.	371.01	325.20
	P.Y.	346.74	303.93

Amount Recognized in Statement of Profit and Loss

(Rupees in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Current service cost	C.Y.	32.88	44.20
	P.Y.	33.53	16.08
Past Service Cost – Plan Amendment	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0
Curtailment cost/(credit)	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Settlement cost/(credit)	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0
Service Cost (A)	C.Y.	32.88	44.20
	P.Y.	33.53	16.08
Net Interest on Net Defined Benefit Liability/ (assets) (B)	C.Y.	0.52	0.80
	P.Y.	(1.52)	(2.08)
Cost Recognized in P&L (A+B)	C.Y.	33.40	45.00
	P.Y.	32.01	14.00

Sensitivity Analysis

(Rupees in Lakhs as of March 31, 2021)

Assumption	Change in Assumption	Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Discount rate	+1.00%	354.28	361.43
	-1.00%	423.30	394.06
Salary growth rate	+1.00%	421.83	396.31
	-1.00%	352.96	359.05
Withdrawal rate	+1.00%	391.00	378.35
	-1.00%	380.88	375.54

(Rupees in Lakhs as of March 31, 2020)

Assumption	Change in Assumption	Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Discount rate	+1.00%	325.58	303.25
	-1.00%	387.92	329.40
Salary growth rate	+1.00%	386.10	329.33
	-1.00%	325.68	303.06
Withdrawal rate	+1.00%	358.57	316.75
	-1.00%	349.70	314.59

Actuarial Assumption

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Method used	C.Y.	PUC	PUC
	P.Y.	PUC	PUC
Discount rate	C.Y.	6.82%	6.82%
	P.Y.	6.75%	6.75%
Rate of salary increase	C.Y.	5%	5%
	P.Y.	5%	5%
Rate of return of plan Asset	C.Y.	6.82%	6.82%
	P.Y.	6.75%	6.75%
Withdrawal Rate	C.Y.	1% to 3%	1% to 3%
	P.Y.	1% to 3%	1% to 3%
Retirement Age	C.Y.	60 Years	60 Years
	P.Y.	60 Years	60 Years

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Average Future Service	C.Y.	15.52	15.52
	P.Y.	16.05	16.05
Mortality rate	C.Y.	IALM (2012-14)	IALM (2012-14)
	P.Y.	Table IALM (2006-08) Table	Table IALM (2006-08) Table
Disability Rate	C.Y.	No explicit loading	No explicit loading
	P.Y.		

Category of investment in Plan assets

Category of Investment	% of fair value of plan assets
Insurance Policies	100%

10. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-108: "Operating Segments"

The Company primarily operates in one segment – Port Services and there is no reportable Geographical segment either.

The Company derives revenues from the following customers which accounts for 10 per cent or more of Company's revenues. In respect of the other customers, their individual share is less than 10% of the Company's revenues

(Rupees in Lakhs)

Customer	For the year ended 31 March 2021	For the year ended 31 March 2020
TANGEDCO	10880.62	14990.94
NTECL (JV of Tangedco & NTPCL)	7264.55	8338.10
Ennore Coal Terminal Private Limited (Erstwhile Chettinad International Coal Terminal Pvt Ltd)	9348.27	12023.54

11. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard 23 "Borrowing Costs"

Borrowing costs capitalised during the year is **Rs. Nil (Previous Year Rs. Nil)** in the respective carrying amount of Property, Plant and Equipment / Capital works in Progress (CWIP).

12. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard 24 "Related Parties Disclosures"

a. List of Related parties:

Key Managerial Persons:

Name	Designation
Shri Sunil Paliwal, IAS.,	Chairman-cum-Managing Director
Shri P. Raveendran, IRTS.,	Nominee Director
Shri S. Balaji Arunkumar, IRTS.,	Nominee Director (w.e.f 04.09.2020)
Shri V.M.V. Subba Rao, FCA, DISA (ICA)	Independent Director
Capt. Anoop Kumar Sharma	Independent Director (w.e.f. 10.11.2020)
Smt. Sarla Balagopal, IRTS (Retd.)	Independent Director (w.e.f. 10.11.2020)
Shri M. Gunasekaran,	General Manager (Finance) cum CFO
Smt. Jayalakshmi Srinivasan	Company Secretary

Other Entities:

- M/s.Kanniyakumari Port Limited

b. Transaction with Related Parties:

Compensation of key management personnel

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2021	For the year ended March 31, 2020
Remuneration and Short-term benefits	110.95	94.61
Post-employment benefits	18.01	8.61
Other long-term benefits	-	-
Share-based payments	-	-
Termination benefits	-	-
Sitting fee	2.20	-
Total	128.96	103.22
Recovery of Loans & Advances during the year	-	-
Advances released during the year	-	-
Closing Balance of Loans & Advances	-	-

Chennai Port trust

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2021	For the year ended March 31, 2020
Interest Paid	2394.50	2758.93
Loan Repaid	2301.25	2301.25
Lease Rent Expenses	36.04	40.31
Project Management Services	192.21	47.75
Security Deposit - Lease Rent	1.97	193.76
Upfront Lease Premium	0.27	-
Dividend paid	18000.00	2500.00
CSR Expenses	100.00	-
Manpower	28.90	-
Others	9.13	49.11
Closing Balance of Term Loan	22807.50	25108.75

13. Disclosure in respect of Indian Accounting standard (Ind AS) 116 "Leases"

a. Operating lease

i) As a Lessee

- Future minimum lease payments under non-cancellable operating leases excluding upfront fee payments

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2021	For the year ended March 31, 2020
Not later than 1 year	4.84	15.48
Later than 1 year and not later than 5 years	-	11.47
Later than 5 years	-	-

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2021	For the year ended March 31, 2020
Minimum lease payments	15.48	40.55

Leasing arrangement:

The Company has leased Motor Vehicles for the use of officials. The lease has been taken for four years. The Company has leased office premises for 30 years from Chennai Port Trust on upfront premium lease payments.

ii. As a lessor

- Future minimum lease receivables under non-cancellable operating lease

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2021	For the year ended March 31, 2020
Not later than 1 year	3085.49	2421.13
Later than 1 year and not later than 5 years	17899.18	14047.20
Later than 5 years	88239.65	56508.51

Leasing arrangement:

As per the business model adopted by the Company, the development, operation, marketing and maintenance of cargo terminals are left with the Captive / PPP BOT operators on 30 years Licence / Concession Agreement. The Company leased out water front and land area for development of Berths through BOT operators / Captive users as per the Licence / Concession Agreement.

14. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-33 "Earnings Per Share (EPS)"

a) Basic EPS

The earnings and weighted average number of ordinary shares used in the calculation of basic EPS is as follows:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2021	For the year ended March 31, 2020
Profit (loss) for the year, attributable to the owners of the Company	15298.20	24925.50
Earnings used in calculation of basic earnings per share(A)	15298.20	24925.50
Weighted average number of ordinary shares for the purpose of basic earnings per share(B)	300000000	300000000
Basic EPS(A/B) – Rs.	5.10	8.31

b) Diluted EPS

The earnings and weighted average number of ordinary shares used in the calculation of Diluted EPS is as follows:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2021	For the year ended March 31, 2020
Profit (loss) for the year, attributable to the owners of the Company	15298.20	24925.50
Earnings used in calculation of basic earnings per share(A)	15298.20	24925.50
Weighted average number of ordinary shares for the purpose of basic earnings per share(B)	300000000	300000000
Basic EPS(A/B)	5.10	8.31

15. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-37 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"

Contingent Liabilities

(i) Disputed Tax demand:

Disputed tax matters amounting to Rs.98.15 lakhs (Previous year Rs.910.74 lakhs) are being contested before Appellate authorities.

(ii) Contract / supply works:

Some of the contractors for construction / supply and execution of works at our projects have made claims on the Company aggregating to Rs.10705.37 lakhs (Previous Year:Rs.11308.00 lakhs) seeking enhancement of the contract price, revision of work schedule with price escalation, compensation for extended period of work, idle charges etc. These claims are being contested by the Company as being not admissible in terms of the provision of the respective contracts. The Company is pursuing various options under the dispute resolution mechanism available in the contract for settlement of these claims.

(iii) (a) Revenue Contracts with PPP Concessionaires – M/s.AECTPL:

KPL entered into a Concession Agreement with M/s.Adani Ennore Container Terminal Private Limited under PPP DFBOT mode on 15.03.2014 for the Development of Container Terminal for 30 years.

The commercial operation commenced during October 2017 for Phase I and Phase II of the project is under construction. Due to delay in commissioning of Phase II, the Company levied liquidated damages as per the terms of the Concession Agreement amounting to Rs.29.60 Crores. The levy of damages was disputed by the Concessionaire and consequent to their appealing against the arbitration award in favour of the Company, the High Court finally ordered to pay damages to the tune of Rs.10 crores and the same was deposited by the concessionaire. Subsequently, the concessionaire had raised certain disputes and invoked Arbitration clause and issued the Arbitration notice to the Company. Post constitution of Arbitration Tribunal on 1st August 2020, claims and counter claims were filed before the Arbitration Tribunal by both the concessionaire and the Company.

The nature of disputes and claims by the concessionaire relate to "Delay in completion of Phase I and II, alleged to have been attributable to KPL", questioning the Levy of Liquidated damages, calling for Refund of 10 cr deposited with KPL, Non achievement of Minimum Guaranteed Cargo due to issuance of consultation by KPL, Change in Law and consequences of Covid- 19, Rejection of Financing document by KPL, and non-approval of Revised project cost, and consequent Interest etc., amounting to Rs.1180.12 Crores.

The Company has denied the claims by the concessionaire in its entirety and has preferred a counter claims amounting to Rs.167.81 Cores.

The arbitration is in progress as at the year end.

(b) Revenue Contracts with PPP Concessionaires – M/s.SIOTL:

Kamarajar Port Limited entered into a License Agreement with M/s.SICAL Iron Ore terminal Agreement (SIOTL) on 11.7.2016 for "Modification of existing Iron Ore Terminal to also handle Coal" under PPP - DBFOT basis. The 27 year concession period commenced from 20.7.2018. However due to various problems and difficulties faced by the SIOTL, the Project could not be completed and commissioned on the scheduled date. In the meantime, the Lenders have issued 'Notice of Financial Default' by the SIOTL and requested KPL to issue Termination Notice by exercising their rights available under the License Agreement. KPL

has commenced the Termination process by issuing a Termination Notice on 22.3.2021 under relevant provisions of the License Agreement. Since the Termination of the Agreement is initiated due to the default of the Licensee (SIOTL), KPL will take over the project assets on payment of compensation to the Licensee as specified in Sections 25.3, 4.5V(c), 18.2.3 and 25.6.

Summary of Contingent Liabilities:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	2020-21	2019-20
Disputed Tax Demand but not acknowledged as debt	6021.35	910.74
Claims against the Company not acknowledged as debt		
- NGT	400.00	834.60
- Contract / supply works	10705.37	11308.00
Total	11105.37	12142.60
Claims against Revenue contract with PPP Concessionaires	118012.00	-

16. Confirmation of balances:

Trade Receivables/Payables, Term Loans and Advances, GST input credit/GST and Deposits are subject to confirmation and Reconciliation.

17. Capital Management:

The Company's capital comprises equity share capital, retained earnings and other equity attributable to equity holders. The primary objective of Company's capital management is to maximize shareholders value. The Company manages its capital and makes adjustment to it in the light of the changes in economic and market conditions.

The Company monitors capital using gearing ratio, which is net debt divided by total capital plus net debt. Net debt comprises of long term and short term borrowings less cash and bank balances. Equity includes equity share capital and reserves that are managed as capital. The gearing at the end of the reporting period was as follows:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March, 2021	As at 31 st March, 2020
Total Debt	77334.68	88758.58
Less : Cash and cash equivalent	3201.44	9920.80
Net Debt	74133.24	78837.78
Total Equity	235204.86	237906.66
Net debt to equity ratio	31.52%	33.14%

18. Note on COVID 19

The World Health Organisation (WHO) has declared the outbreak of COVID 19 a pandemic, which has led to invoke the provisions and powers conferred under the Disaster Management Act, 2005 by the National Disaster Management Authority (NDMA) who has issued series of guidelines including complete lockdown, partial lockdown, etc., to take effective measures to prevent the spread of COVID 19 in the country.

However since the Ministry of Ports, Shipping & Waterways (MoPS&W), Govt. of India, has declared Port related activities, as essential service for maintaining supply chain link, the following reliefs were extended to trade during the period 22nd March, 2020 to 3rd May, 2020 (lockdown period) as there was an inevitable impact in the form of delays in evacuation of cargo, inability to fulfil obligations by various parties /stakeholders due to the effect on the downstream services and in order to support the Port Operators, Port Users and end users:

- i) Shipping lines were advised not to impose any container detention charges (including any new or additional charge) on import and export shipments for the period from 22nd March 2020 to 14th April, 2020 by DG (Shipping).
- ii) **Force Majeure:** The COVID 19 pandemic was considered as a natural calamity which entitled the invocation of Force Majeure provisions in meeting the obligations under various contracts. The period of completion of any Project under implementation in PPP mode or otherwise, was extended including waiver of all penal consequences with deferment of performance obligations as per the relevant provisions of Concession Agreement.
- iii) **Remission of charges to Port Users:**
 - a) Ports allowed free storage time during the lockdown period.
 - b) Ports allowed deferment of April, May & June 2020 months lease rentals/license fees.
 - c) No penal charges, demurrage, detention charges, dwell time charges, anchorage charges, penal berth hire charges, performance related penalties, etc were levied during the lockdown period plus 30 days recovery period.
 - d) No charges/rentals for allotment of additional land for temporary storage.

iv) **Remission of charges to PPP Concessionaires:**

- a) Deferment of April, May & June 2020 months revenue share/royalty without any interest for three months or six monthly EMIs at interest rate equal to RBI 91 days T-Bill.
- b) Waiver of lease rentals/license fees for three months (April, May & June 2020), to the extent the volume of cargo dropped compared to monthly average cargo volume of last calendar year, i.e 1st January 2019 to 31st December, 2019.
- c) No MGT (Minimum Guaranteed Throughput) obligations during the lockdown period.
- d) No penalty for any shortfall in performance standards during the lockdown period.
- e) Allotment of additional storage on temporary basis without any charge/rental/fees.

- v) **Vessel Related charges (VRC)** from Shipping Lines: Interest free 60 days deferment of VRC against submission of Bank Guarantee to Indian coastal vessels.

Since the pandemic and consequent lockdown have disturbed the economic activities and the Company has handled cargo 18% lower than the previous year and corresponding Operating income has reduced during the year.

19. Previous year's figures have been regrouped wherever necessary.

20. Approval of financial statements

The financial statements were approved by the board of directors and authorised for issue on 25th June, 2021.

For KAMARAJAR PORT LIMITED**Sd/-****SUNIL PALIWAL, I.A.S.,**

Chairman cum Managing Director
DIN : 01310101

Sd/-**M. GUNASEKARAN**

Chief Financial Officer & Compliance Officer

Sd/-**P. RAVEENDRAN, I.R.T.S.,**

Director
DIN : 07640613

Sd/-**JAYALAKSHMI SRINIVASAN**

Company Secretary

For B. THIAGARAJAN & CO.,

Chartered Accountants,
FRN . 004371S

Sd/-**RAM SRINIVASAN**

Partner, M.No. 220112
UDIN: 21220112AAAABO8554

Place : Chennai**Date :** 25th June 2021



कामराजर पोर्ट लिमिटेड
(चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कंपनी)
(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय- भारत सरकार)
(CIN : U45203TN1999GOI043322)

इक्कीसवीं वार्षिक प्रतिवेदन
2020-21



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कंपनी)

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - भारत सरकार)

निदेशक मंडल

श्री सुनील पालीवाल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	01310101
श्री पी. रवींद्रन, नामांकित निदेशक - सीएचपीटी	07640613
श्री एस. बालाजी अरुणकुमार, नामांकित निदेशक - सीएचपीटी	07526368
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, स्वतंत्र निदेशक	02435597
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा, नामांकित निदेशक	03531392
श्रीमती सरला बालगोपाल, नामांकित निदेशक	01572718

डिन

प्रमुख अधिकारी

श्री संजय कुमार, महाप्रबंधक (सीएस और बीडी)
श्री एम. गुणसेकरन, महाप्रबंधक (वित्त) सह सीएफओ
श्री वी. कृष्णस्वामी, महाप्रबंधक (संचालन)
श्री पी. राधाकृष्णन, उप महाप्रबंधक (सिविल)
श्री जी.एम. बालन, उप महाप्रबंधक (एम एस)
श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय

द्वितीय तल (उत्तर विंग) व तृतीय तल
जवाहर भवन, 17, राजाजी सलाई, चेन्नै-600 001.
फोन : 044 - 25251666-70 / फैक्स: 044 - 25251665

निबंधक व शेयर अंतरण अभिकर्ता

लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी - 101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग
विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400 083
फोन: 022 - 49186000 / फैक्स: 022 - 49186060

सांविधिक संपरीक्षक

मैसर्स बी. त्यागराजन एंड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

आंतरिक लेखाकार

मैसर्स जी.सी. डागा & कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स एस. धनपाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

बैंकर्स

एक्सिस बैंक
आंध्रा बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन बैंक

ऋणपत्र न्यासी

- (i) एसबीएसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
मिस्ट्री भवन 4 वि तल,
122, दिनशॉ वाचा रोड,
चर्चगेट, मुंबई - 400 020
फोन: 022 - 43025555 / फैक्स: 022 - 43025500
- (ii) कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड
जीडीए हाउस, प्लॉट नंबर 85,
भुसारी कॉलोनी (दाएं),
पौड रोड, पुणे - 411 038
फोन: 020 - 25280081 / फैक्स: 020 - 25280275

निक्षेपागार

राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड
केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लिमिटेड

उद्देश्य व लक्ष्य

उद्देश्य

“भारतीय पूर्वीय मार्ग पोर्ट बनाने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ कामराजर पोर्ट को एक मेगा पोर्ट के रूप में विकसित करना”

लक्ष्य

“अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पोर्ट सेवाएं प्रदान करना”





कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कंपनी)

(पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय- भारत सरकार)

निदेशक मंडल



श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक



श्री पी. रवीन्द्रन, आईआरटीएस
नामांकित निदेशक



श्री एस. बालाजी अरुणकुमार,
आईआरटीएस
नामांकित निदेशक




श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, एफसीए,
डिआईएसए (आईसीएआई)
स्वतंत्र निदेशक




कैप्टन अनूप कुमार शर्मा,
स्वतंत्र निदेशक



श्रीमती सरला बालगोपाल,
आईआरटीएस, (रिटायर्ड)
स्वतंत्र निदेशक



विगत पांच वर्षों के दौरान परिचालन आय और पीबीटी



गत पांच वर्षों के दौरान संचालित कार्गो



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

इक्कीसवीं वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21

विषय-सूची

क्रमांक	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	अध्यक्ष का भाषण	8
2.	सूचना	10
3.	मंडल का प्रतिवेदन	12
4.	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन	25
5.	साचिविक संपरीक्षण प्रतिवेदन	30
6.	कंपनी प्रशासन पर प्रतिवेदन	36
7.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	41
8.	स्वतंत्र संपरीक्षकों का प्रतिवेदन	47
9.	संपत्तियों व देयताओं का विवरण	56
10.	लाभ और हानि का विवरण	57
11.	नकदी प्रवाह विवरण	58
12.	वित्तीय विवरण के लिये नोट्स	60

अध्यक्ष का भाषण



प्रिय अंशधारकों,

कंपनी के 21 वें वार्षिक साधारण सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वित्तीय वर्ष 2020-21 कंपनी व इसके अंशधारकों के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा है। कोविड महामारी ने जिस प्रकार प्रत्येक देश, व्यापार और व्यक्ति को प्रभावित किया है, वैसे ही इससे आपकी कंपनी का प्रदर्शन भी प्रभावित हुआ है।

भौतिक प्रदर्शन व मुख्य अंश

वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि में कंपनी ने 25.89 मिलियन टन की प्रवाह क्षमता का प्रबंधन किया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 की 31.75 मिलियन टन की तुलना में 18.46 प्रतिशत कम है। यद्यपि कुल कार्गो प्रवाह क्षमता कम हुई है, पर अनेक उपलब्धियां भी अर्जित की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं:

- पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 53.32 प्रतिशत अधिक कंटेनरों का प्रबंधन किया गया।
- मंत्रालय द्वारा निर्धारित 43 घंटे के लक्ष्य की तुलना में औसत 42.97 घंटे के प्रतिवर्तन समय (पॉयलट के सवार होने एवं उतरने तक परिकलित) की उपलब्धि प्राप्त की गई।
- इस पत्तन ने अब तक के सबसे बड़े कंटेनर पोतांतरण जलपोत एवं सबसे बड़े एलएनजी जलपोत का प्रबंधन किया, जो भारत के पूर्वी तट की गोदी पर आकर लगा/प्रबंधित किया गया।

- नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिये इस पत्तन पर उपलब्ध सुविधाओं के विषय में जागरूकता प्रसार के अंतर्गत मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर 7 वां व्यापार सम्मेलन कराया गया।
- ऑटोमोबाइल्स के निर्यात के लिये मेसर्स डैमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स इसुजु मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ दीर्घावधि समझौता किया गया।
- एमआईएस 2021 की अवधि में कंपनी ने मुख्य रूप से निकर्षण, रेल संबद्धता का विस्तार, तकनीक हस्तांतरण, तरल/पीओएल कार्गो निकास आदि के लिये संभावित निवेशकों/विकासकों (डेवलपर्स) के साथ 14 समझौता पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। इन समझौतों से लगभग 2,695 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धता हुई। उपरोक्त समझौतों से कंपनी की समग्र संवृद्धि को और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे सभी अंशधारकों को वर्धित विकास का अवसर उपलब्ध होगा।

वित्तीय प्रदर्शन

समीक्षाधीन वर्ष की अवधि में कंपनी ने मुख्यतः कम कार्गो प्रवाह के प्रबंधन के कारण पिछले वर्ष के 703.18 करोड़ रुपये की परिचालन आय की तुलना में 581.09 करोड़ रुपये आय प्राप्त की है। परिणामस्वरूप समीक्षाधीन वर्ष में पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर पश्चात लाभ (पीएटी) क्रमशः 295.84 करोड़ रुपये एवं 152.71 करोड़ रुपये प्रतिवेदित की गई।

लाभांश

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये 5 रुपये प्रति शेयर युक्तप्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजीपर 50 प्रतिशत की दर से लाभांश की अनुशंसा की है जिसका भुगतान किया जाएगा, वार्षिक साधारण सभा में अनुमोदन के अधीन।

कंपनी संचालन

कंपनी मानती है कि कंपनी संचालन केवल अनुपालन नियंत्रण बिंदु तक सीमित नहीं होता है, अपितु इसमें कंपनी के व्यापार के संबंध में मंडल एवं बाह्य अंशधारकों में विश्वास के संचार के लिये तैयार तंत्र भी आता है। इस प्रकार मंडल के प्रतिवेदन में कंपनी संचालन पर प्रतिवेदन स्वैच्छिक रूप से संलग्न है।

कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

एक उत्तरदायी कंपनी नागरिक के रूप में आपकी कंपनी ने अंगीकृत सीएसआर नीति एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की मांग के अनुसार परियोजनाओं का बीड़ा उठाया है और इसका विवरण इस वार्षिक प्रतिवेदन में उपलब्ध है।

स्वीकृति

कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से मैं अधिकृत रूप से विभिन्न अंशधारकों से प्राप्त सतत् समर्थन व मार्गदर्शन के लिये आभार प्रकट करता हूँ और इस अवसर पर अपने उन कर्मचारियों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इस महामारी की अवधि में बड़ा लचीलापन दिखाया है। मंडल के हमारे समस्त सहयोगियों ने मंडल के उत्तरदायित्व को पूरा करने एवं कंपनी को सुदृढ़ करने में जो योगदान दिया है, उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अंत में, मैं कंपनी को और ऊँचाइयों पर ले जाने के लिये आपका सहयोग व समर्थन मांगता हूँ।

सादर,

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सिएन: U45203TN1999GOI043322

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल (उत्तरी विंग) एवं तृतीय तल, जवाहर भवन,
17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001

फोन: 044 - 25251666 -70 फैक्स नंबर: 044 - 25251665

वेबसाइट: www.kamarajarport.in, ईमेल: info@kplmail.in

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य निष्पादन हेतु कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों की 21 वीं वार्षिक साधारण सभा 24 सितम्बर 2021, शुक्रवार को अपराह्न 12:30 बजे द्विमागी वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य श्रवण-दृश्यीय माध्यम (ओएवीएम) द्वारा आयोजित होगी:

साधारण कार्य

1. 31 मार्च, 2021 तक संपरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लाभ व हानि लेखा विवरण तथा निदेशक मंडल के प्रतिवेदन एवं कंपनी अधिनियम की धारा 143(6), 2013 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को ग्रहण करने, विचार करने एवं स्वीकार करने हेतु।
2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करने हेतु।

3. श्री सदगोपन कुमार बालाजीअरुण (डिन : 07526368) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति हेतु। वह नियमित आवर्तन में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्रताधारी होते हुए उन्होंने स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किया है।
4. संविधिक संपरीक्षकों के पारिश्रमिक के भुगतान के लिये संशोधन सहित अथवा संशोधन के साथ साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करने हेतु:

“प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2103 की धारा 142(1) के अनुसार अनुमोदन हो और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कंपनी के सांविधिक संपरीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारण हेतु एतद्वारा निदेशक मंडल को सौंपा जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 07.09.2021

ह/-

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन
कंपनी सचिव

टिप्पणियां:

ए) कोविड महामारी को देखते हुए कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक जनवरी 13, 2021 के अपने परिपत्र, दिनांक मई 5, 2020, अप्रैल 13, 2020 एवं अप्रैल 8, 2020 (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित) के साथ पठित, में 31.12.2021 तक किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य साधन (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक साधारण सभा आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है। जो वीसी अथवा ओएवीएम के माध्यम से सभा में भाग लेना चाहते हैं, वो स्वयं इसमें भाग ले सकते हैं। वीसी अथवा ओएवीएम के माध्यम से स्थानापन्न व्यक्ति नहीं भाग ले सकते हैं। अतः स्थानापन्न फॉर्म, उपस्थिति पण, मार्ग मानचित्र इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है। यदि प्रस्ताव पर मतदान होने की स्थिति बनती है, तो वीसी अथवा ओएवीएम के माध्यम से इस सभा (बैठक) में भाग लेने वाले सदस्यगण

केवल हाथ दिखाकर अथवा इस कंपनी में पंजीकृत अपने ईमेल पत्तों से मेल भेजकर ही अपने मत डाल सकते हैं। उक्त ईमेल केवल इस कंपनी द्वारा निर्दिष्ट ईमेल पते पर भेजा जा सकता है।

बी) इस बैठक में भाग लेने एवं मतदान के लिये अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करने की मंशा रखने वाले कंपनी सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में अपनी ओर से उपस्थित होने एवं मतदान के लिये प्रतिनिधि को अधिकृत करने वाले मंडल के प्रस्ताव/ऐसे अन्य किसी पत्रक की प्रमाणित प्रति भेजें।

सी) सदस्यगण सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व वीसी/ओएवीएम विधि में आकर इस एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यगण को उक्त अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति (कोरम) गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

- डी) कंपनी अधिनियम, 2013 में नियत विधिक पंजिकाएं एजीएम की अवधि में निरीक्षण के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से/खुली हुई रहेंगी। ऐसे किसी पत्रक के निरीक्षण के इच्छुक सदस्यगण agm-shareholders@kplmail.in पर मेल भेज सकते हैं।
- ई) सदस्यगण से अनुरोध है कि पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना तत्काल अपने संबंधित निक्षेपगार सहभागी को दें।
- एफ) इस वार्षिक साधारण बैठक में नियुक्ति समयादेश चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न है तथा इस सूचना का अंग है।

वीसी के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिये निर्देश:

- 1) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सम्मिलित होने के लिये वेबलिंग एवं लॉग-इन प्रत्यायक (क्रेडेंशियल्स) यह सूचना और वार्षिक प्रतिवेदन अग्रसारित करने वाले मेल में उपलब्ध करा दी जाएगी।
- 2) सदस्यगण मोबाइल/लैपटॉप/डेस्कटॉप के माध्यम से वीडियो कान्फ्रेंस में सम्मिलित हो सकते हैं।

श्री एस बालाजी अरुणकुमार का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है:-

विवरण	वृत्त										
जन्म तिथि व आयु	05.06.1971; 50 वर्ष										
शैक्षणिक व व्यवसायिक योग्यता	विधि स्नातक बी.लॉ										
कार्य दायित्व	उपाध्यक्ष, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट										
अनुभव	1997 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी (आई.आर.टी.एस.)। उन्होंने परिचालन, वाणिज्यिक व सुरक्षा खण्ड में 17 वर्षों तक दक्षिण व दक्षिण पूर्व रेलवे, बिलासपुर में कार्य किया। उनके पास परिचालन, यातायात योजना एवं यात्री समय सारणीयन में व्यापक अनुभव है। उन्होंने 2 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर चेन्नै कौनकार में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है। चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व वह 4 वर्ष से अधिक समय तक कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के रूप में जाना जाता है) के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं और वह हल्दिया डॉक परिसर, कोलकाता के उपाध्यक्ष एवं कोलकाता डॉक श्रमिक मंडल के उपाध्यक्ष का प्रभार भी धारण कर चुके हैं। वह केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड (सीआईडब्ल्यूटीसी) के प्रबंध निदेशक एवं हुगली डॉक एवं पत्तन अभियंत्रण लिमिटेड के निदेशक भी रह चुके हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक उपाधि प्राप्त की है।										
केपीएल में प्रतिभूतिअंश	चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के नामांकित के रूप में 10 रुपये मूल्य का एक इक्विटी शेयर।										
केपीएल के अन्य निदेशकों/केएमपी से संबंध	लागू नहीं										
अन्य कंपनियों में निदेशकत्व/सदस्यता	<table> <tr> <th>कंपनी का नाम</th><th>हित/संबंध की प्रकृति</th></tr> <tr> <td>केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड</td><td>प्रबंध निदेशक</td></tr> <tr> <td>हुगली डॉक एवं पत्तन अभियंत्रण लिमिटेड</td><td>निदेशक</td></tr> <tr> <td>भोर सागर पोर्ट लिमिटेड</td><td>नामित निदेशक</td></tr> <tr> <td>कोलकाता पोर्ट एक्शन लिमिटेड</td><td>नामित निदेशक</td></tr> </table>	कंपनी का नाम	हित/संबंध की प्रकृति	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	प्रबंध निदेशक	हुगली डॉक एवं पत्तन अभियंत्रण लिमिटेड	निदेशक	भोर सागर पोर्ट लिमिटेड	नामित निदेशक	कोलकाता पोर्ट एक्शन लिमिटेड	नामित निदेशक
कंपनी का नाम	हित/संबंध की प्रकृति										
केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	प्रबंध निदेशक										
हुगली डॉक एवं पत्तन अभियंत्रण लिमिटेड	निदेशक										
भोर सागर पोर्ट लिमिटेड	नामित निदेशक										
कोलकाता पोर्ट एक्शन लिमिटेड	नामित निदेशक										
नियुक्ति के नियम व अनुबंध	नामांकित निदेशक, आवर्ती आधार पर सेवानिवृत्त होने के अधीन										
अंतिम आहरित वेतन	लागू नहीं										
इस वर्ष की अवधि में भाग लिये हुए मंडल की बैठकों की संख्या	कंपनी नियंत्रण प्रतिवेदन (मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक VI) देखा जाए										

मंडल का प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यगण,

वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि में कंपनी द्वारा की गई प्रगति व विकास को साझा करने एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के संपरीक्षित वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करने में आपके निदेशक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।

1.0 प्रदर्शन

(i)(ए) वित्तीय मुख्य बिंदु

(रु. करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
परिचालनों से आय	581.09	703.18
अन्य आय	6.32	30.50
कुल आय	587.41	733.68
परिचालन व्यय	141.59	146.30
वित्त लागत	64.99	84.65
मूल्यहास एवं परिशोधन	84.99	52.13
कुल व्यय	291.57	283.08
असाधारण व आपवादिक मदों से पूर्व लाभ	295.84	450.60
आपवादिक मद (-)	-	2.61
कर पूर्व लाभ	295.84	447.99
कर	143.13	198.96
कर पश्चात लाभ	152.71	249.03

(i)(बी) वित्तीय प्रदर्शन

समीक्षाधीन वर्ष की अवधि में कंपनी ने पिछले वर्ष के 703.18 करोड़ रुपये की परिचालन आय की तुलना में 581.09 करोड़ रुपये आय प्राप्त की है। 122.09 करोड़ रुपये की कमी मुख्यतः कोविड महामारी को कारण कम कार्गो प्रवाह प्रबंधन के चलते हुई। परिणामस्वरूप समीक्षाधीन वर्ष में पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर पश्चात लाभ (पीएटी) क्रमशः 295.84 करोड़ रुपये एवं 152.71 करोड़ रुपये प्रतिवेदित की गई, जो कि पिछले वर्ष में प्रतिवेदित 447.99 करोड़ रुपये व 249.03 करोड़ रुपये थी।

(ii) परिचालन प्रदर्शन एवं मुख्य बिंदु

कंपनी ने 2019-20 के 31.75 एमटीपीए की तुलना में वर्ष 2020-21 की अवधि में 25.89 एमटीपीए कार्गो प्रबंधन अंकित किया है। कंपनी के कार्गो प्रवाह में गिरावट के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

ए) कोविड के कारण लॉकडाउन उपाय प्रभावी होने से ऊर्जा की मांग कम हुई और परिणामस्वरूप टीएनईबी ताप विद्युत संयंत्र में ताप

कोयला के प्रबंधन में कमी हुई, साथ ही सौर व पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत लिया गया;

बी) कोविड-19 महामारी और इसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन के कारण पीओएल उपभोग, कंटेनरों के माध्यम से एग्जिम कार्गो, बड़े परिमाण में उपभोग में कमी एवं ऑटोमोबाइल इकाइयों के बंद होने से भारतीय समुद्री क्षेत्र प्रभावित हुआ।

कंपनी ने अब तक के सबसे बड़े कंटेनर जलपोत एम.वी. एमएससी फेथ का प्रबंधन किया, जो कि 366 मीटर लंबा एवं 14336 टीईयू क्षमता का था। एक अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रबंधित कुल कार्गो कंटेनर लगभग 53 प्रतिशत अधिक रहे।



(सबसे बड़ा पोतांतरण जलयान पूर्वी तट पर, एमवी एमएससी फेथ कंटेनर टर्मिनल पर आकर लगा)

कंपनी ने सबसे बड़े पोतांतरण जलपोतों में से एक एलएनजी जलपोत एम.टी. अल नुआमैन ('क्यू-फ्लेक्स एलएनजी कैरियर') का भी प्रबंधन किया। यह जलपोत भारत के पूर्वी तट की गोदी कर आकर लगा। इसकी लंबाई 315 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है और कार्गो प्रबंधन क्षमता 207,032 घन मीटर है।



(एलएनजी टर्मिनल पर क्यू-फ्लेक्स एलएनजी कैरियर का आना)

कंपनी ने पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित 43 घंटे के लक्ष्य की तुलना में औसत 42.97 घंटे का औसत प्रतिवर्तन समय (पॉयलट के सवार होने अर्थात बोर्डिंग एवं उतरने अर्थात डीबोर्डिंग तक परिकलित) की उपलब्धि प्राप्त की।

कंपनी ने नए ग्राहकों को आकर्षित करने एवं विशेष रूप से कोविड पश्चात काल में पत्तन सेवाओं में और सुधार के लिये सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से केपीएल पर उपलब्ध परियोजना सुविधाओं को रेखांकित करने के लिये अंशधारकों/व्यापार के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श हेतु एमसीसीआई के समन्वय से 05.02.2021 को 7वां व्यापार सम्मेलन किया।



(एमसीसीआई के समन्वय से 7वां व्यापार सम्मेलन)

कंपनी ने केपीएल के माध्यम से अनन्य रूप से ऑटोमोबाइल के निर्यात के लिये 25.02.2021 को मेसर्स डैमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड के साथ और 20.05.2021 को मेसर्स इसुजु मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते किये, जो कि क्रमशः 1 मार्च 2021 से 28 फरवरी 2031 तक दस वर्ष की अवधि तथा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

8 परिचालन गोदी में प्रबंधित कार्गो का विवरण निम्न है:

क्रमांक	टर्मिनल	क्षमता	कार्गो प्रबंधित वित्तीय वर्ष 2020-21
		(मिलियन टन में)	
1.	टैनजेडको - सीबी 1	8	6.2
2.	टैनजेडको - सीबी 2	8	3.49
3.	सीआईसीटीपीएल (अब ईसीटीपीएल)*	10	5.55
4.	ईटीटीपीएल	3	4.12
5.	ईईसीटीपीएल (8,00,000 टीईयू)	15.44	3.87
6.	सीआईबीटीपीएल (अब ईबीटीपीएल)**	2	0.85
7.	जीसीबी	2	1.17
8.	एलएनजी	5	0.64

* प्रतिवेदित वर्ष की अवधि में, मेसर्स जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने मेसर्स चेटीनाड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के समस्त शेयर क्रय कर लिये हैं, जो कि मेसर्स सीआईसीटीपीएल की नियंत्रक कंपनी थी और तदंतर एसपीवी कंपनी का नाम परिवर्तित कर एनोर कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है।

** प्रतिवेदित वर्ष की अवधि में, मेसर्स जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने मेसर्स चेटीनाड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के समस्त शेयर क्रय कर लिये हैं जो कि एसपीवी कंपनी नामतः सीआईबीटीपीएल में 90 प्रतिशत हितधारक स्वामी थी तथा तदंतर एसपीवी कंपनी का नाम परिवर्तित कर एनोर बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है।

2.0 लाभांश

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये निदेशक मंडल ने 26.8.2021 को आयोजित बैठक में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी, पर 50 प्रति शत की दर से लाभांश की अनुशंसा की है। जो कि 5 रुपये प्रति शेयर है, इस लाभांश का भुगतान किया जाएगा, जो कि वार्षिक साधारण सभा के अनुमोदन के अधीन है।

3.0 आरक्षित निधि में अंतरण

3.1 सामान्य आरक्षित निधि:

कंपनी ने इस वर्ष की अवधि में सामान्य आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की है, क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाभांश की घोषणा से पूर्व किसी राशि के अंतरण की आवश्यकता नहीं होती है। 31 मार्च 2021 को शेष 79.02 करोड़ रुपये रहा।

3.2 ऋणपत्र/बंधपत्र उन्मोचन आरक्षित निधि:

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 के अनुसार 8.63 करोड़ रुपये को ऋणपत्र/बंधपत्र उन्मोचन आरक्षित निधि में अंतरित किया है और 31 मार्च 2021 को इसका शेष 71.30 करोड़ रुपये रहा।

4.0 वित्त

प्रतिवेदित वर्ष में कंपनी ने किसी ऋण/उधार राशियों को नहीं प्राप्त किया/ जुटाया है।

कंपनी ने एक्सिस बैंक से प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) की 91.48 करोड़ की नियत किश्त का भुगतान किया। यह किश्त वर्ष में लंबित हो गई थी। कंपनी ने तत्परता से इसका मासिक ब्याज भुगतान भी किया।

कंपनी ने चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त सावधि ऋण की नियत किश्त का भुगतान किया, जिसकी राशि 23.01 करोड़ रुपये थी और जो वर्तमान वर्ष में लंबित हो गई थी तथा तिमाही ब्याज भुगतान भी तत्परता से किया गया।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 व 2013-14 की अवधि में निर्गत कर मुक्त बंधपत्र पर क्रमशः 6.74 करोड़ रुपये एवं 32.22 करोड़ रुपये तक की वार्षिक ब्याज देयता का उन्मोचन तत्परता से नियत तिथियों में किया।

4.1 कोटि निर्धारण

कंपनी द्वारा निर्गत कर मुक्त बंधपत्र के प्रस्ताव पत्र के अनुसार कंपनी को साख कोटि निर्धारण का वार्षिक आवेक्षण कराना है।

साख कोटि निर्धारण एजेंसियों ने वार्षिक निगरानी की अवधि में जो निम्नलिखित कोटि निर्धारण किया है, उसका विवरण नीचे दिया गया है:

साख कोटि निर्धारण एजेंसी	कोटि निर्धारण/दृष्टिकोण
क्रिसिल	एए/स्थिर
केयर	एए/ऋणात्मक
इक्रा	एए-/स्थिर
ब्रिक वर्क	एए+/स्थिर

4.2 संबंधित पक्षों से संव्यवहार(लेन-देन) के विवरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि में कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ जो संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार किये गये, वो कार्य के सामान्य क्रम एवंस्वतंत्र व निष्पक्ष आधार (आर्म्स लेंथआधार) पर किये गये थे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)एच के अंतर्गत आवश्यक संबंधित पक्षों का फॉर्म एओसी-2 मेंप्रकटीकरण **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

4.3 वित्तीय वर्ष के अंत और प्रतिवेदन की तिथि के मध्य वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला सामग्री परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष के अंत और प्रतिवेदन की तिथि के मध्य वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई सामग्री परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

4.4 कार्य की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो

इस वित्तीय वर्ष की अवधि में कंपनी के कार्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

4.5 ऋण, प्रत्याभूति के विवरण

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत न तो कोई ऋण और प्रत्याभूति दी है और न ही कोई प्रतिभूति प्रदान की है।

4.6 निवेश

समीक्षाधीन अवधि में कंपनी ने न तो निवेश किया है और न ही निवेश के लिये कोई अग्रिम भुगतान किया है।

4.7 पूंजी व्यय

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि में पिछले वर्ष के 200 करोड़ रुपये की तुलना में पूंजी व्यय पर 94.57 करोड़ रुपये व्यय किये हैं।

4.8 सावधि जमा

समीक्षाधीन अवधि में कंपनी ने न तो कोई सावधि जमा स्वीकार की है और न ही 31.03.2021 को कोई अदावी अथवा अप्रदत्त जमा शेष है।

4.9 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी ने अपने कार्य-व्यापार के सुचारु व प्रभावशाली संचालन सुनिश्चित करने के लिये नीतियां व प्रक्रियाएं अपनाई हैं और अपनी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने एवं पकड़ने, लेखांकन अभिलेखों को त्रुटिहीन व पूर्ण बनाने तथा विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण को समय से तैयार करने के लिये कंपनी की नीतियों का पालन करती है। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं भी वित्तीय विवरणों की सत्यता व विश्वसनीयता को लेकर उचित आश्वासन प्रदान करने के लिये पर्याप्त मानी जाती हैं। आंतरिक संपरीक्षक द्वारा पर्याप्तता व प्रभावशीलता के लिये आंतरिक नियंत्रण व संचालन प्रक्रियाओं की उचित समीक्षा की जाती है।

5.0 एमओयू 2020-21

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्गत एमओयू मार्गदर्शिका के अनुसार कंपनी ने 02.12.2019 को पोत परिवहन मंत्रालय (अब पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग-एमओपीएस&डब्ल्यू) के माध्यम से प्रारूप एमओयू 2020-21 प्रस्तुत कर दिया है। यद्यपि मार्च 2020 में इस कंपनी के सरकारी कंपनी नहीं रह जाने और चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट की अनुषंगी कंपनी हो जाने के परिणामस्वरूप एमओपीएस एंड डब्ल्यू के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित नहीं रह गया था। अतः आपकी कंपनी ने 25.03.2021 को वर्ष 2020-21 के लिये चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं।

6.0 समुद्री भारत सम्मेलन 2021

पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएस&डब्ल्यू) ने समुद्री क्षेत्र में विकास व निवेश अवसरों को प्रदर्शित करने के लिये 2 मार्च 2021 से 4 मार्च 2021 तक आभासी मंच (virtual platform) पर समुद्री भारत सम्मेलन (एमआईएस) का आयोजन किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।



(समुद्री भारत सम्मेलन-2021में केपीएल के सीएमडी एवं अधिकारीगण)

इस सम्मेलन में प्रमुख साझीदार होते हुए आपकी कंपनी केपीएल के सीएमडी ने तरल कार्गो पर आधारित विस्तृत कार्गो परिवहन पर विचारमंथन के लिये एक प्रमुख सत्र के समन्वयक की भूमिका निभायी।

एमआईएस 2021 में कंपनी ने मुख्यतः निकास से संबंधित परियोजनाओं, रेल संबंधिता के विस्तार, तकनीक हस्तांतरण, तरल/पीओएल कार्गो निकासी हेतु नयी रेल संबंधिता निर्माण, ऊर्जा सुगामीकरण केंद्र, बड़े प्रारूप के खुदरा आउटलेट, बंकरिंग सुविधाओं आदि के लिये संभावित निवेशकों/विकासकों के साथ लगभग 2695 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किये।



(सम्पूर्ण अहता प्रबंधन एवं नौभरक कार्य हेतु एमओएल तोयोफूजी ऑटोमोटिव लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर)

उपरोक्त एमओयू से कंपनी की समग्र संवृद्धि एवं कार्यकुशलता सुधार को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे सभी अंशधारकों को उन्नत विकास अवसर प्राप्त होंगे।

7.0 क्रियान्वयन हो रही परियोजनाएं

प्रभावी व अत्याधुनिक बाजार संवेदनशीलता के साथ अपने ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने की क्षमता बढ़ाने के लिये कंपनी ने छह अतिरिक्त गोदी/टर्मिनल के विकास हेतु कार्य प्रारंभ किया है:- तीन गोदी कोयला प्रबंधन हेतु, दो गोदी तरल कार्गो प्रबंधन हेतु तथा एक अन्य गोदी कंटेनरों के प्रबंधन हेतु। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर वर्तमान की 53.44 मिलियन टन क्षमता में 50.58 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता जुड़ जाएगी, जिससे कुल क्षमता 104.02 मिलियन टन की हो जाएगी। नीचे विस्तृत स्थिति दी गई है:

(ए) कोयला गोदी 3 व 4 (18 एमपीटीए)

विद्यमान ताप विद्युत संयंत्र के विस्तार एवं केपीएल के सामीप्य में स्थित नए ऊर्जा संयंत्र के लिये टैनजेडको ने अतिरिक्त कोयला गोदी की स्थापना का आग्रह किया है। केपीएल ने 500 करोड़ रुपये के निवेश से दो अतिरिक्त कोयला गोदियां (सीबी3 व सीबी4) बनायी हैं। नयी कोयला गोदियां 18 मीटर तलछट के कैपसाइज जलपोत को स्थान दे सकती हैं और प्रत्येक

की क्षमता 9 एमटीपीए है। केपीएल ने भार उतारने वाली मशीन, वाहक प्रणाली आदि लगाने के लिये अगस्त 2018 और जून 2019 के मध्य क्रमशः कोयला गोदी-4 व कोयला गोदी-3 टीएसजीआईडीसीओ को सौंप दिया है। टैनजेडको द्वारा गोदियों के यंत्रीकरण का कार्य प्रगति पर है।

(बी) सामान्य ग्राहक उपयोगकर्ता कोयला (12 एमटीपीए) प्रबंधन के लिये भी, जहां है जैसा है आधार पर, लौह अयस्क टर्मिनल का सुधार

केपीएल ने 30 वर्षीय बीओटी आधार पर परियोजना कंपनी एसएसीएल ऑयनर ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) के साथ 2006 में समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस बीओटी संचालक ने 2010-11 की अवधि में 6 एमपीटीए के प्रथम चरण का विकास किया था। यद्यपि लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगने से यह टर्मिनल कभी प्रयोग में नहीं रहा। परिणाम स्वरूप विद्यमान लौह अयस्क टर्मिनल का “जहां है, जैसा है” आधार पर सामान्य ग्राहक उपयोगकर्ता के प्रबंधन के लिये भी सुधार करने पर विचार किया था तथा तदनुसार 11.07.2016 को केपीएल व एसआईओटीएल के मध्य अनुज्ञप्ति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे।

किंतु कंसेसियनर का वित्तीय व्यतिक्रम होने के कारण आपकी कंपनी द्वारा मेसर्स एसआईओटीएल को 22.03.2021 को ‘समाप्ति सूचना’ निर्गत की गई और 19.06.2021 को अनुज्ञप्ति समझौता समाप्त हो गया। यद्यपि वह समाप्ति प्रक्रिया (लेखा में टीप संख्या 30 का उपवाक्य 15 (iii)(बी) देखें) अभी प्रक्रियाधीन है।

(सी) आईओसीएल आबद्ध घाट (3 एमटीपीए)

आपकी कंपनी ने पीओएल व एलपीजी उत्पादों के प्रबंधन हेतु आबद्ध घाट के निर्माण के लिये आईओसीएल के साथ 9.6.2016 को समझौता किया था। इस टर्मिनल की वार्षिक क्षमता 3 मिलियन टन है। स्वतंत्र अभियंता नियुक्त किये गये हैं। आईओसीएल ने सीटीई प्राप्त कर लिया है और पीईएसओ अनापत्ति शीघ्र मिल जाने की संभावना है।

(डी) समुद्री तरल टर्मिनल- 2 (3 एमटीपीए)

पीओएल की बढ़ती मांग को देखते हुए केपीएल ने डीबीएफओटी पद्धति से 393 करोड़ रुपये की लागत से गोदी व टैंक क्षमता युक्त सुविधाओं वाले द्वितीय समुद्री तरल टर्मिनल के विकास के लिये कार्य आरंभ कर दिया गया है। इस टर्मिनल की क्षमता 3 एमटीपीए है। केपीएल ने प्रतिस्पर्धात्मक बोली के पश्चात 14.02.2018 को बीपीसीएल-एचपीसीएल के सह-संघ को कार्य प्रदाय पत्र निर्गत किया। विद्यमान एमएसटी-1 के बीओटी संचालक द्वारा न्यायालय में वाद डालने के कारण अनुमोचन समझौता अभी तक नहीं हो सका है।

(ई) कंटेनर टर्मिनल- चरण - 1 (स्तर 2) (6,00,000 टीईयू/11.58 एमटीपीए)

कंशेनेयर ने स्तर II निर्माण कार्यक्रम सहित अनेक विषयों पर विवाचन उठाये थे।

(एफ) ऑटोमोबाइल निर्यात/आयात टर्मिनल-2 (3 एमटीपीए)

आपकी कंपनी 3 एमटीपीए की अनुमानित क्षमता युक्त द्वितीय ऑटोमोबाइल निर्यात/आयात टर्मिनल के विकास की योजना पर विचार कर रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 188.13 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) है। 02.06.2021 को एनआईटी प्रकाशित की गई है। कंपनी 2021-22 की तृतीय तिमाही तक इस कार्य को प्रदान करने की योजना पर चल रही है।

8.0 अधोसंरचना विकास

निगम पोर्ट के रूप में “भूस्वामी” पद्धति पर कार्य करते हुए आपके पोर्ट को पथ-मार्ग व रेल संबंधता, निकर्षित सरणि, समुद्री सेवाएं व अन्य उपयोगी व्यवस्थाएं आदि मूल अधोसंरचना उपलब्ध कराना है।

तीव्रता से कार्गो ग्रहण व निकासी को सुनिश्चित करने के लिये पथ-मार्गों व रेल का प्रभावशाली अंतर्संजाल के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों व ट्रंक रेलवे मार्गों से वाह्य संबंधता आवश्यक होती है। इस दिशा में आपकी कंपनी ने जो कार्य आरंभ किये हैं, उनके विवरण निम्नलिखित हैं:

I. पथ-मार्ग संबंधता

(i) भीतरी पथ-मार्ग संबंधता

पोर्ट क्षेत्र के भीतर ट्रक चालकों को यातायात व वाहन खड़ा करने की समस्या को दूर करने के लिये कंपनी से 46.86 करोड़ रुपये की लागत से आंतरिक पथ, ट्रक पार्किंग स्थल, विश्राम आश्रय भवन आदि का विकास पूरा कर लिया है।



(पश्चिम द्वार के समीप सामान्य ट्रक पार्किंग स्थल)



(सामान्य ट्रक पार्किंग स्थल पर ट्रक चालकों के लिये विश्राम आश्रय स्थल)

(ii) वाह्य पथ संबंधता

(ए) दक्षिणी पोर्ट पहुंच मार्ग

तीन राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच5, एनएच4 व एनएच45) तक कामराजर पोर्ट की वर्तमान पथ संबंधता पोर्ट पहुंच मार्ग, एनसीटीपीएस पहुंच मार्ग, तिरुवोटियूर-पोन्नेरी-पनचेट्टी (टीपीपी) मार्ग, आंतरिक रिंग रोड (आईआरआर) व चेन्नै बाईपास मार्ग के माध्यम से है। कार्गो के आयात/निर्यात की बढ़ती पथ यातायात गतिविधियों के दृष्टिगत केपीएल ने वल्लूर जंक्शन (टीपीपी मार्ग) के कामराजर पोर्ट मुख्य प्रवेश द्वार तक के 2 लेन पथ को चौड़ा कर 4 लेन करने के कार्य का बीड़ा उठाया है तथा 195 करोड़ रुपये की लागत का यह कार्य टीएनआरडीसी को “पूर्ण एवं शीघ्र प्रयोग के लिये तैयार” आधार पर करने के लिये सौंपा है। इस प्रस्ताव में तमिलनाडु उत्पादन व वितरण निगम लिमिटेड (टैनजेडको) का 4.8 किलोमीटर लंबी उत्तरी चेन्नै ताप विद्युत केंद्र (एनसीटीपीएस) मार्ग एवं कामराजर पोर्ट का 2.3 किलोमीटर पोर्ट पहुंच मार्ग सम्मिलित है।

एनसीटीपीएस जंक्शन से केपीएल मुख्य द्वार तक (2.3 किमी) पथ सुधार का कार्य सितम्बर 2021 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है तथा वल्लूर जंक्शन से एनसीटीपीएस जंक्शन तक (4.8 किमी) का कार्य जून 2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(बी) उत्तरी पोर्ट पहुंच मार्ग

कामराजर पोर्ट को एनएच5 से जोड़ने वाला उत्तरी पोर्ट पहुंच मार्ग वर्तमान चेन्नै ओआरआर तक 4.35 किलोमीटर लंबे एसपीयूआर पथ के साथ 21.148 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तरी पोर्ट पहुंच मार्ग चेन्नै पेरिफेरल रिंग रोड (सीपीआरआर) के भाग-1 का अंग है। राज्य सरकार ने राजमार्ग व लघु पोर्ट (एचडब्ल्यू2) के जी.ओ.(एमएस) संख्या 37 दिनांक 8.3.2019 के संदर्भ में इस मार्ग के निर्माण के लिये 2673.42 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। जेआईसीए इस परियोजना के लिये वित्त उपलब्ध कराने वाली एजेंसी

है। यह परियोजना टीएनआरडीसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स इस कार्य के लिये एल। बोली लगाने वाले के रूप में चिन्हित किये गये हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा शीघ्र ही कार्य प्रदाय किया जाना अपेक्षित है।

II. रेल संबद्धता

वर्तमान में कंपनी चेन्नै-दिल्ली/कोलकाता मार्ग पर दक्षिणी रेलवे के चेन्नई-गुडूर खण्ड में स्थित अटीपट्टू एवं अटीपट्टू पुडुनगर स्टेशनों पर मुख्य रेलमार्ग से रेल द्वारा जुड़ी हुई है। कंपनी ने कोयला व लौह अयस्क टर्मिनल के स्टैकयार्ड को विद्यमान एनसीटीपीएस रेलवे पथ से संबद्ध करने के लिये रेलवे सुविधा विकसित की है। इसके अतिरिक्त कंपनी के दायित्व के रूप में कंटेनर व बहु कार्गो टर्मिनलों तक रेल संबद्धता प्रदान की गई है और यह सुविधा अक्टूबर 2018 से संचालित है।

रेल से जुड़े यातायात में सुगमता लाने के लिये कंपनी ने निम्नलिखित रेल संबद्धता परियोजनाएं के लिये कार्य आरंभ किया है:

(ए) दक्षिणी रेल संबद्धता

कंपनी ने 86.00 करोड़ परियोजना लागत से होल्डिंग यार्ड संख्या 1 से कंटेनर यार्ड तक विद्यमान एकल पटरी रेल संबद्धता के दोहरीकरण के लिये भारतीय पत्तन रेल एवं रोपवे निगम लिमिटेड (आईपीआरसीएल) के साथ समझौता किया है। रेल संबद्धता के दोहरीकरण की कुल लंबाई 2.62 किलोमीटर है।

आईपीआरसीएल ने दीर्घ व लघु सेतु निर्माण व रेलपथ गठन कार्य हेतु क्रमशः दिसम्बर 2018 व नवंबर 2020 (पुनः निविदा) संविदा दे दी है। जनवरी 2020 में इस परियोजना के लिये सीआरजेड अनापत्ति प्राप्त हो गई है। दोनों संकुलों के कार्य आरंभ हो चुके हैं। अगस्त 2022 तक कार्य पूर्ण हो जाना अपेक्षित है।

(बी) उत्तरी रेल संबद्धता

उत्तरी रेल संयोजन कामराजर पोर्ट को मिंगूर स्टेशन अर्थात् चेन्नै-गुडूररेलवे मुख्य मार्ग के उत्तरी भाग से जोड़ता है। इस उत्तरी रेल संयोजन संबद्धता की कुल लंबाई 11.211 किलोमीटर है। आपकी कंपनी एवं कट्टुपल्ली पोर्ट्स एनपीएआर के लिये तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिग्रहीत किये जा रहे 100 मीटर की कड़ी में से 30 मीटर (15 मीटर प्रत्येक) के लिये सहमत हुए हैं। आपकी कंपनी ने केपीएल एवं कट्टुपल्ली पोर्ट को रेल संबद्धता प्रदान करने के लिये एनपीएआर के अभिकल्पन में परिवर्तन के कारण बढ़ी हुई लागत को साझा करने के लिये अपनी सहमति भेज दी है।

कंपनी ने एनआरएल के लिये आवश्यक कुल भूमि के रूप में 55.73 एकड़ चिन्हित किया है और तमिलनाडु सरकार के उद्योग विभाग से उस भूमि को निजी स्वामियों से अधिग्रहीत करने का आग्रह किया है तथा एनआरएल के लिये अग्रिम आधार पर 99 वर्ष के पट्टे के लिये सरकारी भूमि हेतु आरओडब्ल्यू अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है।

9.0 औद्योगिक संबंध

कंपनी ने वर्ष 2020-21 की अवधि में मधुर व सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाकर रखा। इस वर्ष किसी हड़ताल अथवा कार्य अवरोध के कारण एक भी मानव दिवस की हानि नहीं हुई। पोर्ट पर श्रम स्थिति सामान्य रही।

10.0 मानव संसाधन विकास

10.1 श्रमशक्ति

31.03.2021 को समस्त कर्मचारियों के संबंध में विवरण निम्नलिखित है:

	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल
अधिकारी	12	3	28	20	63
कर्मचारी	9	1	20	6	36
कुल	21	4	48	26	99

10.2 एससी/ एसटी/ ओबीसी व अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

कंपनी समय-समय पर प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों आदि के संबंध में राष्ट्रपति के दिशानिर्देश एवं केंद्र सरकार के आदेश का ध्यानपूर्वक पालन करती है। कुल श्रमशक्ति में अनुसूचित जाति की संख्या 21 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या 4 प्रतिशत है।

संगठन में आरक्षण का क्रियान्वयन व अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

10.3 प्रशिक्षण

कंपनी सदैव अपने कर्मचारियों को संबंधित क्षेत्र में अद्यतन ज्ञान से परिचित रखने के लिये प्रशिक्षण दिलाने के लिये रुचि प्रदर्शित करती रही है। इस वर्ष की अवधि में कोविड-19 महामारी के कारण कुछ कर्मचारियों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

10.4 परिवाद निस्तारण तंत्र

कंपनी में कार्यकारी व अ-कार्यकारी कर्मचारियों के लिये परिवाद निस्तारण प्रक्रिया है। समीक्षाधीन वर्ष की अवधि में कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ।

11.0 स्वास्थ्य, सुरक्षा व पर्यावरण

यह पत्तन(पोर्ट) अपने उपयोगकर्ताओं, संविदाकारों एवं कर्मचारियों के लिये सुरक्षित व स्वास्थ्यकर वातावरण उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है।

कंपनी अपने कर्मचारियों, अन्य बीओटी संचालकों व पोर्ट उपयोगकर्ताओं को आपात स्थिति में 24X7 घंटे प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षित अर्द्ध-चिकित्सीय कर्मियों से युक्त ओएचसी एवं रोगी वाहन (एंबुलेंस) सेवा चला रही है।

कल्याणकारी उपायों के रूप में समय-समय पर कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। पोर्ट ने 04.03.2021 को व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें केपीएल के कर्मचारी, बीओटी संचालक व एसएचजी महिलाएं लाभान्वित हुईं।



(केपीएल के व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा शिविर का आयोजन)

पोर्ट परिसर में कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु अनेक उपाय किये गये थे। आपका पोर्ट कार्यस्थल पर सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व देता है। इस पोर्ट में अपने कर्मचारियों, अंशधारकों व पोर्ट उपयोगकर्ताओं में स्वास्थ्य व सुरक्षा को लेकर जागरूकता का प्रसार करने के लिये कंपनी में मार्च 2021 के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया।

पोर्ट उपयोगकर्ताओं के लिये अग्निशमन प्रशिक्षण कार्यक्रम (11 नग), पोर्ट उपयोगकर्ताओं के लिये गोदियों में पूर्वाभ्यास (10 नग), आसपास के उद्योगों यथा आईपीसीएल व बीपीसीएल के साथ पारस्परिक सहायता अभ्यास (02 नग) किये गये।



(केपीएल में अग्निशमन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित)

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने 23 से 27 नवम्बर 2020 तक पोर्ट के भीतर अ-ज्वलनशील उत्पादों का प्रबंधन करने वाली गोदियों/टर्मिनल/भंडारण सुविधाओं के लिये सुरक्षा संपरीक्षा की।

कंपनी समुद्री उद्योग की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हुए पारिस्थितिकी-हितैषी रहने का प्रयत्न करती है। पोर्ट नियमित रूप से पर्यावरण का अनुवीक्षण करता है। पोर्ट ने एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला मेसर्स ह्यूबर्ट एनवायरो केयर सिस्टम्स (पी) लिमिटेड को आसपास के वायु, समुद्री जल गुणवत्ता, तलछट व ध्वनि आदि अनेक पर्यावरणीय मापदण्ड के नमूना एकत्रीकरण एवं परीक्षण के लिये नियोजित किया है। पोर्ट के भीतर बीओटी संचालक भी पर्यावरण का अनुवीक्षण कर रहे हैं। पर्यावरणीय गुणवत्ता प्रतिवेदन नियमित रूप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को अग्रसारित किये जाते हैं।

पोर्ट ने जलपोतों से निकले तैलीय कचरे के संग्रह व निस्तारण के लिये तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त कचरा तेल पुनर्चक्रण को सूचीबद्ध किया है। पोर्ट ने जलपोतों एवं पोर्ट के भीतर से निकलने वाले ठोस कचरे के संग्रह, पृथक्कीकरण व निस्तारण के लिये संविदाकार नियुक्त किया है। पृथक् किया गया कचरा आगे लाभकारी उपयोग हेतु प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रत्यायित पुनर्चक्रण के पास भेज दिया जाता है।

12.0 कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन प्रताड़ना (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 एवं नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रकटन

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने एवं रोकथाम व परिवादों के निस्तारण के लिये इस कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन प्रताड़ना (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके अधीन नियमावली व आंतरिक परिवाद समिति का संविधान क्रियान्वित किया गया है। वर्ष 2020-21 की अवधि में कोई परिवाद नहीं प्राप्त हुआ।

31 मार्च 2021 को कंपनी की पंजिका पर कुल 17 महिला कर्मचारी हैं। कर्मचारी संवर्ग में महिला कर्मी कुल कर्मचारियों की 5 प्रतिशत एवं अधिकारी संवर्ग में 12 प्रतिशत महिलाएं हैं। 6 मार्च 2021 को विभिन्न कार्यक्रमों में महिला कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।

13.0 कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व व संवहनीयता

आपकी कंपनी ने एक उत्तरदायी कंपनी नागरिक के रूप में अंगीकृत सीएसआर नीति व कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप अनेक परियोजनाओं का बीड़ा उठाया है। कंपनी अधिनियम के नयी संशोधित नियमावली/नये संशोधित प्रावधानों के अनुरूप सीएसआर नीति में परिवर्तन किया गया है। विभिन्न सीएसआर उपक्रम का विवरणयुक्त प्रतिवेदन अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है और यह मंडल के प्रतिवेदन का अंग है। सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति व इस वर्ष सीएसआर पर की गई पहल से संबंधित आवश्यक प्रकटीकरण उपरोक्त प्रतिवेदन में समाहित है।

14.0 सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति अधिसूचित की है, जो कि सीपीएसई के लिये अनुप्रयोज्य होगी। आपकी कंपनी सीपीएसई नहीं रह गई है। यद्यपि आपकी कंपनी ने नीति में अधिदेशित 20 प्रतिशत की तुलना में वस्तुओं व सेवाओं के वार्षिक मूल्य का 65.05% सूक्ष्म व लघु उद्यमों से अधिप्राप्त किया है।

15.0 जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी द्वारा अंगीकृत जोखिम प्रबंधन नीति संभावित जोखिम व अवसरों को पहचानने, आंकलन करने और प्रबंधन के लिये तंत्र उपलब्ध कराता है। यह प्रबंधकों को प्रामाणिक प्रबंधन निर्णय करने हेतु उपाय उपलब्ध कराता है।

जोखिम प्रबंधन तंत्र के कुछ उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- संगठन को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सहायता के लिये बाधाओं की पहचान व उनके प्रबंधन में लक्षित दृष्टिकोण।
- संगठन के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका वाले संभावित जोखिम की पहचान एवं एवं सौंपे गये निर्दिष्ट उत्तरदायित्व के साथ उनके शमन के लिये योजना हेतु पूरे संगठन में संरचित जोखिम प्रबंधन पहल करना।
- रणनीतिक निर्णयन में सुधार करना।
- व्यापार प्रदर्शन में सुधार करना।
- प्रचालन आकस्मिकता व हानि कम करना।
- पूंजी के अभिनियोजन में सुधार करना।
- श्रेष्ठ कंपनी सुशासन के घटक के रूप में एकीकृत जोखिम प्रबंधन व आंतरिक नियंत्रण के लिये ठोस आधार प्रदान करना।

समय-समय पर जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन व शमन योजना की समीक्षा व अनुवीक्षण किया जाता है।

16.0 अपचार सूचक नीति

कंपनी ने व्यवसायिकता, शुचिता, सत्यनिष्ठा व नैतिक आचरण के उच्च मानदंड अंगीकार करते हुए कर्मचारियों के लिये अनैतिक आचरण, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा कंपनी की आचरण नीति अथवा आचारनीति संहिता के उल्लंघन की घटनाओं की सूचना देने के लिये “अपचार सूचक नीति” स्थापित की है। इस वर्ष इस नीति के अंतर्गत कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है।

17.0 नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति

चूंकि यह कंपनी 27.3.2020 तक एक सरकारी कंपनी थी, अतः पारिश्रमिक के नियम व अनुबंध भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये

जाते थे। भारत सरकार द्वारा अपना समस्त अंशधारण चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट में विनिवेश कर दिये जाने के उपरांत यह कंपनी सरकारी नहीं रही और यह भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट की अनुषंगी कंपनी बन गई है। भारत के राष्ट्रपति (विक्रेता) एवं चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट (अर्जक) के मध्य हुए समझौते के अनुसार अर्जक द्वारा (कंपनी के कार्य के साधारण क्रम के अतिरिक्त) ऐसी कोई भी कार्यवाई नहीं की जाएगी, जो इस कंपनी के कर्मचारियों की वरिष्ठता, क्षतिपूर्ति एवं लाभ संपुटों (सेवानिवृत्ति लाभों सहित) एवं संवृद्धि व प्रगति योजनाओं/संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो, उस स्थिति को छोड़कर जबकि उस समाप्ति तिथि के पश्चात 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिये विक्रेता की सहमति ली गई हो। उपरोक्त पक्षों को समाहित करने वाली नामांकन व पारिश्रमिक नीति वेबलिंग <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/manuals.php> में उपलब्ध है।

18.0 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन कर रही है तथा आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुपालन को देखने के लिये लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय प्राधिकरण बनाया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारक 4(1)(बी) के अंतर्गत दी जाने वाली अपेक्षित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर डाली जाती है।

समीक्षाधीन वर्ष की अवधि में इस अधिनियम के अंतर्गत 57 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर कार्यवाही की गई। 4 अपील प्राप्त हुईं और नियत समय में इन्हें निस्तारित किया गया।

19.0 सूचना तकनीक

आपकी कंपनी श्रेष्ठतर व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन एवं व्यापार को महत्व प्रदान करने के लिये तकनीक अंगीकरण में अग्रणी रही है। कंपनी ने सभी व्यापार प्रक्रियाओं व सेवाओं का परिदान आईटी प्रणाली व आईटीयुक्त सेवाओं के माध्यम से करने की अनेक पहल की है और भारत सरकार द्वारा स्थापित डिजिटल रूपांतरण संपादित किया है। कंपनी ने इस वर्ष 99 प्रतिशत से अधिक एसएपी संक्रियाओं का उपरिकाल बनाये रखा है।

कंपनी द्वारा क्रियान्वित आईटी प्रणालियां एवं कुछ पहल हैं:

- मेसर्स प्राइसवाटर कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) ने आईटी संपरीक्षा की तथा नीति पत्रक के साथ जोखिम आंकलन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आईएसएमएस रोल-आउट सहित समूची गतिविधि के 2021-22 के तृतीय तिमाही में पूर्ण हो जाने की संभावना है। सफलतापूर्वक पूरा होने पर वाह्य संपरीक्षा कराने की कार्यवाही एवं आईएसो-27001 प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।
- कंपनी के साथ ग्राहकों व विक्रेताओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतःक्रिया के लिये पहले से विद्यमान पीओएमएस व एलएमएस

प्रणाली के स्थान पर नये पोर्टल में परिवर्तित करने हेतु प्रशासनिक, तकनीकी व बजटीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। इसका क्रियान्वयन 2021-22 में किया जाना है और इसमें जलपोतों, कार्गो, पत्तन कौशल सहित समूचा पोर्ट परिचालन का समेकित रूप से एकल आईटी प्रणाली में समाहित कर दिया

- 2021-22 की अवधि में उपयुक्त आपदा प्रतिलाभ (अथवा) व्यापार निरंतरता साइट के निर्माण के लिये कार्य किये जा रहे हैं।

20.0 राजभाषा का क्रियान्वयन

कंपनी ने भारत सरकार की आधिकारिक भाषा नीति के प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन के लिये लक्षित प्रयास किया है। राजभाषा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सीएमडी की अध्यक्षता में आधिकारिक भाषा क्रियान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती हैं। हिंदी का प्रगतिमूलक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिये प्रति तिमाही हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाती है।

कामराजर पोर्ट पर 01.09.2020 से 14.09.2020 तक एक पखवाड़ा लंबा समारोह के साइ 14.09.2020 को हिंदी दिवस मनाया गया। कर्मचारियों के लिये निबंध लेखन, पोस्टर निर्माण आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सभी कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किये गये।



(हिंदी दिवस समारोहों में केपीएल के कर्मचारियों की सहभागिता)

यह समारोह सीएमडी श्री सुनील पालीवाल के विशेष संबोधन के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दक्षिण हिंदी प्रचार सभा, चेन्नै के कुलसचिव श्री प्रदीप शर्मा ने कामराजर पोर्ट पर राजभाषा के बढ़ते प्रयोग पर प्रसन्नता प्रकट की।

मई-नवंबर/दिसम्बर 2020 में आयोजित प्रबोध, प्रवीण व प्रज्ञा परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया। केपीएल को यह महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई कि 27 कर्मचारियों ने हिंदी में कार्य करने का ज्ञान अर्जित किया है और इन कर्मचारियों को अपने संबंधित विभागों में राजभाषा के क्रियान्वयन का कार्य सौंपा गया है।

21.0 निदेशक मंडल

ए) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों में परिवर्तन

समीक्षाधीन अवधि में,

- चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट (चेन्नै पत्तन न्यास) के पत्रांक संख्या सीएचपीटी/केपीएल सीईएलएल/2020/एफ दिनांक 28.08.2020 के अनुक्रम में, श्री एस बालाजी अरुणकुमार, उपाध्यक्ष, सीएचपीटी को श्री सिरिल सी जॉर्ज सी जार्ज के स्थान पर मंडल में चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि 04.09.2020 से प्रभावी हुआ।
- चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के पत्रांक सीएचपीटी/केपीएल सीईएलएल/2020/एफ दिनांक 13.10.2020 के अनुक्रम में कैप्टन अनूप कुमार शर्मा को कंपनी के मंडल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया, जो कि 10.11.2020 से प्रभावी हुआ।
- चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के पत्रांक सीएचपीटी/केपीएल सीईएलएल/2020/एफ दिनांक 13.10.2020 के अनुक्रम में श्रीमती सरला बालगोपाल को कामराजर पोर्ट लिमिटेड के मंडल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया, जो कि 10.11.2020 से प्रभावी हुआ।

बी) मंडल/समितियों की बैठकें व गठन का विवरण

कंपनी संचालन प्रतिवेदन, जो कि इस वार्षिक प्रतिवेदन का अंग है, में मंडल/समितियों की बैठकों व गठन के विवरण दिये गये हैं। इन समितियों की सभी अनुशंसाएं मंडल द्वारा स्वीकार की गई हैं।

सी) वार्षिक मूल्यांकन

यह कंपनी 27 मार्च 2020 तक सरकारी कंपनी थी और इसलिये मंडल द्वारा अपने प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन एवं अपनी समितियों का वार्षिक मूल्यांकन जिस ढंग से किया गया है, उसको दर्शाने वाला विवरण अपेक्षित नहीं था। मंडल द्वारा 50 प्रतिशत निदेशकों की नियुक्ति वर्ष के उत्तरार्ध यथा नवम्बर 2020 (तथा शेयरधारकों द्वारा दिसम्बर में) की गई और तत्पश्चात मार्च 2021 में केवल दो बैठकें हुईं। तदुसार निदेशकों का वार्षिक मूल्यांकन आगामी वित्तीय वर्ष में ही किया जा सकती है।

22.0 स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

आपकी कंपनी ने वर्ष 2020-21 में कंपनी के प्रत्येक निदेशक से

इसकी पुष्टि करने वाली घोषणा प्राप्त कर ली है कि वे, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) एवं एसईबीआई (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अंतर्गत निर्धारित है, स्वतंत्रता के मापदंड को पूरा करते हैं।

मंडल के मत में उक्त वर्ष में नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों के पास स्वतंत्र निदेशक के रूप में दायित्व निर्वहन के लिये आवश्यक सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता व अनुभव है।

जिस स्वतंत्र निदेशक ने न तो संचालित ऑनलाइन दक्षता स्व-आंकलन परीक्षा दी है और न ही उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित संस्था द्वारा परीक्षण लिये जाने से छूट दिया गया है, यह वचनबंध दिया है कि नियत समय में इसका अनुपालन कर लिया जाएगा।

23.0 सतर्कता

सतर्कता प्रभाग विभिन्न विभागों द्वारा कराये गये संविदा कार्यों से संबंधित पत्रकों की संवीक्षा करता है। प्रक्रियात्मक व्यतिक्रम, निविदा मानकों से विचलन और संविदा कार्यों में कमियों को संबंधित विभाग को अवगत कराया जाता है, जिससे कि सुधारात्मक कार्रवाई व व्यवस्था सुधार हो सके। जहां आवश्यक पाया जाता है, धन की पुनर्प्राप्ति का परामर्श भी दिया जाता है।

सभी विभागों को सीवीसी मार्गदर्शिका/अधिसूचनाएं भेजी जाती हैं। सतर्कता प्रभाग द्वारा केपीएल के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक अचल संपत्ति विवरणियों की संवीक्षा की जाती है। अनियमितता, यदि कोई है, के लिये संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। सतर्कता प्रभाग में संपरीक्षा प्रतिवेदनों का अध्ययन किया जाता है और जहां कहीं भी आवश्यकता होती है, विभागों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई का परामर्श दिया जाता है।

23.1 सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश के अनुसार कामराजर पोर्ट लिमिटेड ने “सतर्क भारत, समृद्ध भारत” विषय पर 27.10.2020 से 02.11.2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

केपीएल के कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता से निबंध व नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। सतर्कता पर और अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिये सतर्कता संबंधी विषयों पर व्याख्यान हुए। कंपनी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने पर पोर्ट के समीप स्थित विद्यालयों व महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने का प्रयास भी किया। सप्ताह भर के इस कार्यक्रम में “सतर्क भारत, समृद्ध भारत” विषय पर आयोजित निबंध, पोस्टर निर्माण व संभाषण प्रतियोगिता में लगभग 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया।



(विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण)

कोविड-19 महामारी के कारण, सीवीसी के परामर्श के अनुसार, विभिन्न आंतरिक लेखाकार्य सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के भाग के रूप में अभियान चलाकर किये गये।

23.2 सत्यनिष्ठा संधि का अंगीकरण

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अनुशंसा की है

- सत्यनिष्ठा संधि का अंगीकरण एवं सरकारी संगठनों में बड़े क्रय के संबंध में इसके क्रियान्वयन के लिये आधारभूत मार्गदर्शिका दी।
- सत्यनिष्ठा संधि के क्रियान्वयन के लिये स्वतंत्र वाह्य अनुवीक्षकों (आईईएम) की नियुक्ति तथा संगठनों को संविदा/क्रय की वह मूल्य सीमा निश्चित करने का परामर्श दिया है, जो इस सत्यनिष्ठा समझौते में लाया जाना है।

यह संधि दोनों पक्षों के संभावित विक्रेता/बोलीकर्ता और नियोजक/प्रमुख के मध्य एक ऐसे समझौते पर विचार करती है, जिसमें दोनों पक्षों के व्यक्ति/अधिकारी, संविदा किसी पक्ष पर कोई भ्रष्ट प्रभाव न डालने, के वचनबद्ध होते हैं।

केपीएस मंडल ने 21.02.2015 को हुई मंडल की बैठक में सतर्कता विभाग के सत्यनिष्ठा संधि प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। सत्यनिष्ठा संधि से आच्छादित होने वाले संविदा/क्रय की मूल्य सीमा 1 करोड़ रुपये व इससे ऊपर निश्चित कर दी गई है। सीवीसी ने केपीएल में इस सत्यनिष्ठा संधि के क्रियान्वयन के लिये स्वतंत्र वाह्य अनुवीक्षकों (आईईएम) के रूप में निम्नलिखित दो सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त किया था।

- 1) श्री. वी. कन्नन, पूर्व सीएमडी, विजया बैंक
- 2) श्री. आर. कुप्पन, आईआरएसएमई (1980 बैच), पूर्व प्रमुख यांत्रिकी अभियंता

सत्यनिष्ठा संधि में संविदा के निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) से लेकर संविदा होने तक के सभी चरण आच्छादित होते हैं। सभी विभागों को पर 1 करोड़ रुपये की मूल्य सीमा से अधिक मूल्य के कार्यों/क्रयों के लिये निविदा पत्रक में सत्यनिष्ठा संधि के परिच्छेद जोड़ने का परामर्श दिये गये।

24.0 उन कंपनियों के नाम, जो इस वर्ष इसकी अनुषंगी, संयुक्त उपक्रम अथवा सहायक बनी हों या नहीं रह गई हों

इस वर्ष न तो कोई कंपनी इसकी अनुषंगी, संयुक्त उपक्रम अथवा सहायक कंपनी हुई, न ही ऐसा हुआ कि कोई कंपनी इसकी अनुषंगी, संयुक्त उपक्रम अथवा सहायक कंपनी नहीं रह गई हो।

25.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

आपके निदेशकों का कथन है कि:-

- (ए) वार्षिक लेखा तैयार करने में, तात्त्विक विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ अनुप्रयोज्य लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;
- (बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीति चुनी थी, तद्विरुद्ध लागू किया था एवं परखा था, जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति व दशा एवं उक्त अवधि के लिये कंपनी के लाभ की दशा की सही व निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करने लिये उचित व उपयुक्त हैं;
- (सी) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की रक्षा एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं के पकड़ने के लिये इस अधिनियम के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेख के अनुरक्षण के लिये उचित व पर्याप्त ध्यान रखा है;
- (डी) निदेशकों ने लाभप्रद प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है;
- (ई) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किये जाने के लिये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किया है तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावशाली ढंग से कार्यरत हैं;
- (एफ) निदेशकों ने सभी अनुप्रयोज्य विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उचित तंत्र बनाये हैं और यह कि ये तंत्र आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावशाली ढंग से कार्यरत हैं।

26.0 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 एवं कंपनियों की आवश्यकताएं (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति व पारिश्रमिक) विनियमन, 2014 के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 एवं कंपनियों की आवश्यकताएं (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति व पारिश्रमिक) विनियमन, 2014 के अनुसार अपेक्षित विवरण निदेशकों के प्रतिवेदन का अंग हैं और इस प्रतिवेदन में अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न है।

27.0 संपरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नयी दिल्ली ने मेसर्स बी. त्यागराजन एंड को., सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) को 31 मार्च 2021 को समाप्त हुई अवधि के लिये कंपनी की लेखा बहियों की संपरीक्षा हेतु सांविधिक संपरीक्षक नियुक्त किया है।

27.1 सांविधिक संपरीक्षक का प्रतिवेदन

कंपनी के सांविधिक संपरीक्षक मेसर्स बी. त्यागराजन एंड को., चार्टर्ड एकाउंटेंट्सने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये कंपनी के लेखा का अप्रतिबंधित प्रतिवेदन दिया है। संपरीक्षक के प्रतिवेदन में संदर्भित विषयों के अवधारण व टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं तथा इसमें किसी और टीप की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

27.2 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये कंपनी की लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत सीएजी की टिप्पणियां तथा उन पर प्रबंधन के उत्तर मंडल के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं और इस प्रतिवेदन का अंग है।

28.0 साचिविक संपरीक्षा

व्यावसायिक कंपनी सचिव मेसर्स एस. धनपाल एंड एसोसिएट्स को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये आपकी कंपनी की साचिविक संपरीक्षा हेतु नियुक्त किया गया। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि समीक्षाधीन अवधि में, आपकी कंपनी ने वर्ष के लिये अधिनियम के अनुप्रयोज्य प्रावधानों, विनियमों, मार्गदर्शिकाओं, मानकों आदि को पूरा किये जाने की आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित सीमा तक अनुपालन किया है, स्वतंत्र व महिला निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति एवं 09 नवम्बर 2020 तक सभी संबंधित अनुपालन तथा मंडल मूल्यांकन व स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये साचिविक संपरीक्षक प्रतिवेदन अनुलग्नक-IV के रूप में इस मंडल के प्रतिवेदन का अंग है।

28.1 साचिविक संपरीक्षक की टिप्पणियों के उत्तर

जैसा कि साचिविक संपरीक्षक द्वारा इंगित किया गया, महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशक वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध में नियुक्त किये गये हैं। परिणामस्वरूप, चूंकि मंडल के 50% निदेशक वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध में सम्मिलित किये गये, अतः इस वर्ष मंडल मूल्यांकन व स्वतंत्र निदेशकों की बैठक नहीं हो सकी। मंडल मूल्यांकन के लिये कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

29.0 नियामकों अथवा न्यायालयों द्वारा पारित उल्लेखनीय व महत्वपूर्ण आदेश

नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई उल्लेखनीय व महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है, जो भविष्य में सुनाम-प्रतिष्ठान स्थिति और कंपनी के संचालन पर प्रभाव डाले।

30.0 वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) व धारा 134(3) (ए) के अनुसार वार्षिक विवरणी लिंक <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/annual-return.php> पर उपलब्ध हैं।

31.0 ऋणपत्र न्यासी

आपकी कंपनी ने मेसर्स एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड व मेसर्स कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिक लिमिटेड (पूर्व में जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड के नाम के ज्ञात) को क्रमशः वित्तीय वर्ष 2012-13 व 2013-14 के लिये करमुक्त बंधपत्र के लिये ऋणपत्र न्यासी नियुक्त किया था।

32.0 ऊर्जा संरक्षण, तकनीक अंगीकरण, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम पर प्रतिवेदन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, तकनीक अंगीकरण, विदेशी मुद्रा अर्जन व निर्गम इस प्रतिवेदन के साथ **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

33.0 कंपनी संचालन पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी संचालन पर स्वैच्छिक प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन के साथ **अनुलग्नक- VI** के रूप में दिया गया है।

33.1 साचिविकमानक

कंपनी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) पर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत साचिविक मानकों एवं साधारण बैठकों (एसएस-2) पर साचिविक मानकों का पालन कर रही है।

33.2 लागत अभिलेख

केंद्र सरकार ने कंपनी के लिये कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण विहित नहीं किया है।

34.0 स्वीकृति

आपके निदेशक भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय व चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के प्राप्त समर्थन व मार्गदर्शन के लिये कृतज्ञता प्रकट करते हैं तथा टैनजेडको/टीएनईबी, टीएनपीसीबी, तमिलनाडु सरकार, भारत सरकार, विशेष रूप से पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय पत्तन संघ, वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रेलवे/दक्षिण रेलवे से प्राप्त सहयोग की सराहना करते हैं।

निदेशक कृतज्ञतापूर्वक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, विधिक संपरीक्षकों, आंतरिक संपरीक्षकों व साचिविक संपरीक्षकों के सतत् समर्थन व सहयोग के लिये आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशक पोर्ट उपयोगकर्ताओं, बीओटी कंशंसनायकों, संविदाकारों व बैंकों को उनके निरंतर समर्थन व सहायता के लिये धन्यवाद करते हैं। आपके निदेशक पूरे वर्ष सभी कर्मचारियों द्वारा निरंतर किये गये उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा करते हैं।

**कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड**

ह/-

**सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(डिन: 01310101)**

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 26.08.2021

फॉर्म संख्या एओसी-2

(उक्त अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के परिच्छेद (एच) एवं कंपनियों की (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थापन, उसमें तृतीय परंतुक के अंतर्गत कतिपय आर्म्स लेंथ संव्यवहार सहित, के विवरणों के प्रकटीकरण के लिये फॉर्म

1. संविदाएं अथवा व्यवस्थाएं अथवा संव्यवहार, जो आर्म्स लेंथ आधार पर न हो - लागू नहीं

- (ए) संबंधित पक्षों के नाम (नामों) एवं संबंध की प्रकृति
- (बी) संविदाओं/व्यवस्थापन/संव्यवहारों की प्रकृति
- (सी) संविदाओं/व्यवस्थापन/संव्यवहारों की अवधि
- (डी) संविदाओं अथवा व्यवस्थापन अथवा संव्यवहारों के विशिष्ट निबंधन, मूल्य सहित, यदि कोई हो-
- (ई) ऐसी संविदाएं/व्यवस्थापन/संव्यवहार करने के लिये औचित्य
- (एफ) मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां)-
- (जी) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई: नहीं
- (एच) तिथि, जब धारा 188 के परंतुक के अंतर्गत यथा अपेक्षित विशेष प्रस्ताव साधारण सभा में पारित किया गया

2. आर्म्स लेंथ आधार पर प्रमुख संविदाओं/व्यवस्थापन/संव्यवहारों का विवरण

- (ए) संबंधित पक्षों के नाम (नामों) एवं संबंध की प्रकृति- चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट
- (बी) संविदाओं/व्यवस्थापन/संव्यवहारों की प्रकृति
निकर्षण योजना चरण IV(ए) के कार्य के लिये नामांकित आधार पर परियोजना प्रबंधन परामर्शदात्री सेवाओं हेतु चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट की नियुक्ति - कामराजर पोर्ट पर पूंजी व अनुरक्षण निकर्षण
- (सी) संविदाओं/व्यवस्थापन/संव्यवहारों की अवधि
8 (आठ) मास एवं 2(दो) मास
- (डी) संविदाओं अथवा व्यवस्थापन अथवा संव्यवहारों के विशिष्ट निबंधन, मूल्य सहित, यदि कोई हो:
 - i. 8 मास संविदा अवधि के लिये जीएसटी को छोड़कर पीएमसी सेवा शुल्क 3.07 करोड़ रुपये। यदि संविदा 8 मास के अधिक बढ़ती है, तो सीएचपीटी द्वारा 10 मास तक कोई अतिरिक्त सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि संविदा अवधि 10 मास से अधिक विस्तारित होती है, तो सीएचपीटी द्वारा परियोजना लागत का 0.25 प्रतिशत प्रति मास अथवा उसका अंश लिया जाएगा।
 - समझौते पर हस्ताक्षर होने के पश्चात 80 लाख रुपये अवमुक्त किये जाएंगे।
 - प्रारंभ होने की तिथि, जो कि 11.07.2020 है, से चौथे मास की समाप्ति पर 80 लाख रुपये अवमुक्त किये जाएंगे।
 - प्रारंभ होने की तिथि, जो कि 11.07.2020 है, से आठवें मास की समाप्ति पर 80 लाख रुपये अवमुक्त किये जाएंगे।
 - शेष 67 लाख रुपये की राशि संविदाकार को अंतिम बिल बनाने के पश्चात अवमुक्त की जाएगी।
- (ई) मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां): परिपत्र प्रस्ताव संख्या 03/2020-21 दिनांक 24.07.2020 तथा मंडल द्वारा 09.09.2020 को आयोजित बैठक में इसी का संज्ञान लिया गया।
- (एफ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई: नहीं
- (जी) ऐसी संविदाओं के लिये औचित्य: विनिवेश एवं तत्पश्चात चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट और केपीएल के मध्य एमओयू के अनुक्रम में मंत्रालय द्वारा सापेक्ष रोडमैप के अनुसार।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(डिन: 01310101)

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 26.08.2021

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 ('अधिनियम') एवं तदुत्तर्गत निर्मित नियमावली के अनुसार]

1. कंपनी की सीएसआर नीति की रूपरेखा

आपकी कंपनी समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये निरंतर कंपनी अधिनियम, 2013; कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के प्रावधानों के अनुरूप सतत आधार पर पारिस्थिकीय विषयों पर समझौता किये बिना समाज/समुदाय के जीवन की मूलभूत सुविधाओं/गुणवत्ता में सुधार के लिये सहयोगकारी पहल करती है।

सामाजिक रूप से उत्तरदायी निगम पत्तन के रूप में कंपनी प्रयास करती है

- वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिये ऐसी हरित तकनीक को प्रोत्साहन देने एवं इससे लाभ उठाने का, जो सामाजिक एवं पर्यावरणीय सातत्य में योगदान दें।
- वंचित व निर्बल वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने को ध्यान में रखकर प्राथमिकता के आधार पर ऐसी सीएसआर परियोजनाओं का बीड़ा उठाती है, जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम जैसे स्वच्छ पेयजल, शौचालयों की व्यवस्था विशेष रूप से बालिकाओं हेतु, स्वास्थ्य व स्वच्छता एवं शिक्षा आदि में आते हों तथा जो सीएसआर नियमावली और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत नीति दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।

2. सीएसआर समिति की संरचना

क्रमांक	निदेशक का नाम	पद/निदेशकत्व की प्रकृति	इस वर्ष सीएसआर समिति द्वारा आयोजित बैठक	इस वर्ष सीएसआर समिति की बैठक में उपस्थिति की संख्या
1	श्री सुनील पालीवाल	केपीएल के सीएमडी एवं सीएसआर समिति के अध्यक्ष	4	4
2	श्री पी रवींद्रन	नामांकित निदेशक व सदस्य	4	4
3	श्री एस बालाजी अरुणकुमार	नामांकित निदेशक व सदस्य	4	2*
4	श्री वी.एम.वी सुब्बा राव	अ-शासकीय केपीएल के स्वतंत्र निदेशक एवं सीएसआर समिति के सदस्य	4	4

* श्री बालाजी अरुणकुमार को नामांकित निदेशक व सीएसआर समिति का सदस्य नियुक्त किये जाने के पश्चात सीएसआर समिति की केवल दो बैठकें हुईं

3. सीएसआर समिति की संरचना एवं मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के विषय में जानकारी देने वाली वेबसाइट उपलब्ध कराएं

सीएसआर समिति की संरचना का लिंक : <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/board-level-committee.php>

सीएसआर परियोजनाएं लिंक : <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/corporate-social-responsibility-csr.php>

4. कंपनियों (कंपनियों की कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) की नियमावली 2014 के नियम 8 के उपनियम (3) के अनुसार चलायी गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आंकलन का विवरण उपलब्ध कराएं; यदि लागू हो तो (प्रतिवेदन संलग्न करें)

लागू नहीं

5. कंपनियों (कंपनियों की कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) की नियमावली 2014 के नियम 7 के उपनियम (3) के अनुसार समजन के लिये उपलब्ध राशि एवं वित्तीय वर्ष हेतु समजन के लिये आवश्यक राशि का विवरण उपलब्ध कराएं, यदि कोई हो-लागू नहीं

लागू नहीं

6. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी की औसत कुल लाभ : 40,514.00 लाख रुपये

7. (ए) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी की औसत कुल लाभ का दो प्रतिशत: 810.00 लाख रुपये

(बी) गत वित्तीय वर्ष के सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों का अधिशेष – शून्य

(सी) वित्तीय वर्ष में समजन के लिये आवश्यक राशि, यदि कोई हो - लागू नहीं
(डी) वित्तीय वर्ष के लिये कुल सीएसआर दायित्व (7ए+7बी -7सी) : 810.00 लाख रुपये

8. (ए) वित्तीय वर्ष के लिये व्यय अथवा अव्यय सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष में व्यय कुल राशि (रूपये लाख में)	अव्यय राशि (रूपये लाख में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्यय सीएसआर लेखा में अंतरित की गई कुल राशि		धारा 135 (5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि (रूपये लाख में)	अंतरण तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण तिथि
828.25*	283**	30.04.2021	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये वास्तविक व्यय 1856.00 लाख रुपये है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि में परियोजनाओं पर 828.25 लाख रुपये व्यय किये गये तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1029.00 लाख रुपये उन परियोजनाओं पर व्यय किये गये, जो गत वर्ष प्रारंभ हुई थीं।

** 31.03.2021 को गत वर्षों के अव्यय राशि से संबंधिता

(बी) वित्तीय वर्ष के लिये चल रही परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि:

(1) क्रमांक	(2) परियोजना का नाम	(3) अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	(4) स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	(5) परियोजना की अवस्थिति		(6) परियोजना अवधि	(7) परियोजना के लिये आवंटित राशि (रूपये में)	(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय राशि	(9) धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिये अव्यय सीएसआर लेखा में अंतरित राशि	(10) क्रियान्वयन पद्धति प्रत्यक्ष	(11) क्रियान्वयन पद्धति क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जनपद						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(सी) वित्तीय वर्ष के लिये चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि:

(1) क्रमांक	(2) परियोजना का नाम	(3) अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	(4) स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	(5) परियोजना की अवस्थिति		(6) परियोजना के लिये व्यय राशि (रूपये में)	(7) क्रियान्वयन पद्धति प्रत्यक्ष	(8) क्रियान्वयन पद्धति क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जनपद			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	कोविड-19 महामारी के लिये पीएम केयर्स फंड	अनुसूची VII (vii)	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	400	नहीं	पीएम केयर्स फंड	-
2	स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहन में योगदान-उच्च पराश्रिता इकाई विकास	अनुसूची VII (i)	हां	तमिलनाडु	चेंगलपेट	22.05	नहीं	चेंगलपेट चिकित्सा महाविद्यालय व चिकित्सालय	-
3	शिक्षा को प्रोत्साहन में योगदान	अनुसूची VII (ii)	हां	तमिलनाडु	चेन्नै	100	नहीं	चेन्नै पतन एवं डॉक शैक्षणिक न्यास	-
4	सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में योगदान	अनुसूची VII (vi)	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	05	नहीं	डीआरओ, तिरुवल्लूर	-
5	22 सीएसआर पहल ग्रामीण विकास परियोजनाओं में योगदान	अनुसूची VII (x)	हां	तमिलनाडु	तिरुवल्लूर	300	नहीं	डीआरडीए, तिरुवल्लूर	-
योग						827.05			

(डी) प्रशासनिक मद में व्यय राशि

1.20 लाख रुपये

(ई) प्रभाव आंकलन में व्यय राशि, यदि लागू हो

शून्य

(एफ) वित्तीय वर्ष में कुल व्यय राशि (8बी+8सी+8डी+8ई)

828.25 लाख रुपये

(जी) समजन के लिये आधिक्य राशि, यदि कोई

क्रमांक	विवरण	राशि (लाख रुपये में)
(i)	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी की औसत कुल लाभ का दो प्रतिशत	810.00
(ii)	वित्तीय वर्ष में व्यय राशि	828.25
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिये व्यय आधिक्य राशि [(ii)-(i)]	18.25
(iv)	गत वित्तीय वर्ष के सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों का अधिशेष	0.00
(v)	आगामी वित्तीय वर्ष में समजन के लिये उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	18.25

9. (ए) विगत वित्तीय वर्ष के लिये अव्यय सीएसआर राशि का विवरण

लागू नहीं*

* एमसीए द्वारा अव्यय सीएसआर निधि के अव्यय सीएसआर लेखा में अंतरण प्रस्तुत किया गया, जो कि 01.04.2021 से प्रवृत्त है।

(बी) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में विगत वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिये व्यय सीएसआर राशि का विवरण:

लागू नहीं

10. यदि पूंजी आस्ति (आस्तियों) का निर्माण अथवा उपार्जन हुआ हो, तो वित्तीय वर्ष में सीएसआर के माध्यम से उस प्रकार निर्मित अथवा उपार्जित आस्ति के संबंध में विवरण प्रस्तुत करें (संपत्तिवार विवरण)

(ए) पूंजी आस्ति (आस्तियों) के निर्माण अथवा उपार्जन की तिथि

शून्य

(बी) पूंजी आस्ति के निर्माण अथवा उपार्जन के लिये व्यय सीएसआर की राशि

शून्य

(सी) उस कंपनी अथवा लोक प्राधिकारी अथवा लाभार्थी का विवरण, जिनके नाम से ऐसी आस्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि

शून्य

(डी) निर्मित अथवा उपार्जित पूंजी आस्ति (आस्तियों) के विवरण (पूंजी आस्ति का पूर्ण पता व अवस्थिति सहित) उपलब्ध कराएं

शून्य

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही हो, तो कारण (कारणों) का उल्लेख करें)

लागू नहीं

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 26.08.2021

कृते निदेशक मंडल
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और
अध्यक्ष सीएसआर समिति
(डिन: 01310101)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के तहत सूचना

1. वित्तीय वर्ष के लिये कंपनी के प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक एवं कर्मचारियों के माध्य पारिश्रमिक का अनुपात;

वर्ष 2020-21 के लिये कंपनी के प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक एवं कंपनी के कर्मचारियों के माध्य पारिश्रमिक का अनुपात नीचे सारणी में दिया गया है। सीएमडी कंपनी के एकमात्र निदेशक हैं।

क्रमांक	नाम	अनुपात
1.	श्री सुनील पालीवाल - सीएमडी	4.59

2. वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनी सचिव अथवा प्रबंधक के पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रतिशत, यदि कोई;

क्रमांक	नाम	प्रतिशत
1.	श्री सुनील पालीवाल, सीएमडी	*
2.	श्री एम गुणसेकरन, सीएफओ	(12%)
3.	श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, सीएस	(4%)

* श्री सुनील पालीवाल पालीवाल ने सितम्बर 2019 के मध्य में केपीएल में सेवा प्रारंभ की और गत वर्ष के सितम्बर 2019 से मार्च 2020 तक के लगभग 6 माह का वेतन प्राप्त किया। इसकी तुलना अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के पूर्ण वर्तमान वर्ष के वेतन से नहीं की जा सकती है। तदनुसार तुलना नहीं की गई है।

कंपनी की नीति के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों के मूल वेतन में वार्षिक वृद्धि 3 प्रतिशत है। महंगाई भत्ता सरकारी नियमों के अंतर्गत बढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदर्शन आधारित भुगतान संबंधित वर्ष में कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर अनुप्रयोज्य नियमों के अनुसार किये जाते हैं।

3. वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के माध्य पारिश्रमिक में वृद्धि प्रतिशत

	सीवाई	पीवाई	प्रतिशत
माध्य पारिश्रमिक	1078549.63	1137495.48	(5%)

4. कंपनी पंजिका पर स्थाई कर्मचारियों की संख्या:

जैसा कि 31 मार्च 2021 को कंपनी की पंजिका पर स्थाई कर्मचारियों की कुल संख्या 99 थी।

5. पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय कार्मिकों के अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन में पहले ही की गई औसत शततमक वृद्धि एवं प्रबंधकीय पारिश्रमिक में शततमक वृद्धि से इसकी तुलना तथा उनका औचित्य और यदि प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि की कोई आपवादिक परिस्थितियां रही हों, तो उसे इंगित करें।

वित्तीय वर्ष की अवधि में सीएमडी के अतिरिक्त प्रबंधकीय कार्मिकों सहित सभी के पारिश्रमिक में औसत प्रतिशत वृद्धि (5)-(10)% की सीमा में हुई।

6. अभिपुष्टि कि पारिश्रमिक कंपनी की पारिश्रमिक नीति के सुसंस्त हैं।

कंपनी के सभी कर्मचारियों के पारिश्रमिक कंपनी की पारिश्रमिक नीति के सुसंस्त हैं।

7. कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत प्रकट किये जाने के यथा अपेक्षित, वर्ष 2020-21 का विवरण।

शून्य। उसमें निर्धारित सीमाओं से अधिक किसी कर्मचारी ने अर्जित नहीं किया है।

वेतन आहरण के संबंध में शीर्ष दस कर्मचारी

क्र. मां. क.	नाम व पद	पारिश्रमिक* प्राप्त	योग्यता व अनुभव	नियोजन के प्रारंभ की तिथि	आयु	अंतिम पदस्थापन
1.	श्री संजय कुमार महाप्रबंधक (सीएस व बीडी)	50,17,361	बीएससी भौतिकी, विभिन्न पदों पर 34 वर्षों का अनुभव	03.05.2005	58.1	सीआईएसएफ
2.	श्री सुनील पालीवाल, आईएएस अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	49,77,911	बीटेक (कम्प्यूटर विज्ञान), एमएस (कम्प्यूटर विज्ञान) व एमबीए, विभिन्न पदों पर 28 वर्षों का अनुभव	16.09.2019	52.8	श्रम व नियोजन विभाग, राज्य सरकार
3.	वी कृष्णसामी महाप्रबंधक (परिचालन)	38,87,129	सीई में डिप्लोमा, बीई यांत्रिकी, एमबीए (एचआरएम) भौतिकी, विभिन्न पदों पर 36 वर्षों का अनुभव	13.09.2007	59.10	चियोदा एंड सायनाप्रोगेटी कंपनी लिमिटेड
4.	पी राधाकृष्णन डीजीएम (सिविल)	38,80,539	बीई (सिविल) एवं एमई प्रबंधन, विभिन्न पदों पर 35 वर्षों का अनुभव	12.12.2007	58.0	मेकन लिमिटेड
5.	एम गुणसेकरन महाप्रबंधक (वित्त)	37,88,546	एम कॉम, एआईसीडब्ल्यूआई, एसीएस, विभिन्न पदों पर 35 वर्षों का अनुभव	28.11.2001	58.5	बीएसईएस केरल पॉवर लिमिटेड
6.	श्री सी. एस. वेमण्णा मुख्य प्रबंधक (वित्त)	26,75,186	बी कॉम, मत्स्य उद्योग तकनीक में डिप्लोमा एवं एमबीए, विभिन्न पदों पर 30 वर्षों का अनुभव	05.03.2012	53.4	आईओसीएल
7.	श्री जी. एम. बालन उप महाप्रबंधक (समुद्री सेवाएं)	26,60,538	बीएससी भौतिकी, स्नातकोत्तर-एफजी, विभिन्न पदों पर 25 वर्षों का अनुभव	16.08.2013	48.1	एलपी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड
8.	श्री पी. ओम प्रगेश वरिष्ठ कार्यकारण सचिव	25,52,675	बी.कॉम, एमबीए, पीजीडीएम (पीएम), विभिन्न पदों पर 27 वर्षों का अनुभव	25.02.2002	48.5	पोत परिवहन मंत्रालय, केंद्र सरकार
9.	डॉ. श्रवण कुमार वरिष्ठ प्रबंधक	25,39,509	बी.एससी रसायन, एम.एससी समुद्रीय विज्ञान, पीएच.डी समुद्रीय विज्ञान, विभिन्न पदों पर 26 वर्षों का अनुभव	11.05.2005	55.4	सागर विकास विभास, आईसीएएम परियोजना निदेशालय
10.	एस. पी. देसिकमनी पायलट	25,36,820	बी.एससी/स्नातकोत्तर एफजी, विभिन्न पदों पर 29 वर्षों का अनुभव	27.04.2018	50.4	वेस्ट एशिया मैरीटाइम लिमिटेड

* पारिश्रमिक में मार्गदर्शन भत्ते, अवकाश नकदीकरण, पीआरपी आदि सम्मिलित हैं।

टीपः

- सभी स्थाई कर्मचारी हैं।
- श्री सुनील पालीवाल, सीएमडी एवं श्री एम. गुणसेकरन, महाप्रबंधक (वित्त) में से प्रत्येक चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के नामांकित के रूप में 1 इक्विटी अंश शेयर (अंश) के धारक हैं और इन दोनों के अतिरिक्त कंपनी में कोई भी कर्मचारी इक्विटी अंश का धारक नहीं है।
- कोई कर्मचारी कंपनी के किसी निदेशक अथवा प्रबंधक का संबंधी नहीं है।

एस धनपाल & एसोसिएट्स कार्यरत कंपनी सचिव

साझेदार

एस. धनपाल, बी.कॉम., बी.ए.बी.एल., आरसी.एस

एन. रामनाथन, बी. कॉम., एफसीएस

स्मिता चिड़ीमार, एम. कॉम., एफ.सी.एस, डीसीजी (आईसीएसआई)

आर. प्रदीपा, बी.सी.एस., ए.सी.एस.

फार्म सं. एमआर 3

31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये साचिविक संपरीक्षण प्रतिवेदन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,

सदस्यगण,

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(पूर्ववर्ती एण्णूर पोर्ट लिमिटेड)

हमने मेसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड (पूर्ववर्ती एण्णूर पोर्ट लिमिटेड) (इसके बाद यथोल्लिखित कंपनी) द्वारा अनुप्रयोज्य वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और श्रेष्ठ कंपनी रीतियों के साथ साचिविक संपरीक्षा की है। हमारे समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर साचिविक संपरीक्षा इस प्रकार की गई कि हमें कंपनी के आचरणों/विधिक अनुपालनों के मूल्यांकन एवं तदोपरांत अभिमत/संज्ञान प्रकट करने का तार्किक आधार मिला।

कंपनी की लेखा बहियों, प्रलेखों, विवरण अंकन पुस्तिकाओं, फार्मों व फाइल की गई विवरणियों एवं कंपनी द्वारा अनुरक्षित व हमारे समक्ष प्रस्तुत किये गये अन्य अभिलेखों तथा साचिविक संपरीक्षण किये जाने के समय कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं व अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर, हम, उन अभिलेखों एवं यथाप्रदत्त सूचना के आधार पर इसमें प्रतिवेदन देते हैं कि हमारे विचार और संज्ञान से यह प्रतीत होता है कि कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की संपरीक्षा अवधि में इसमें नीचे सूचीबद्ध विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा हमारी सीमित समीक्षा में भी, कंपनी में आवश्यक बोर्ड प्रक्रियायें व अनुपालन तंत्र कार्यरत है; उस सीमा तक; उस ढंग से, जो इसमें दिये गये प्रतिवेदन के अधीन हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये, अनुप्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार हमने लेखाबहियों, पत्रावलियों, विवरण अंकन पुस्तिका एवं

फाइल की गई विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित व हमारे समक्ष प्रस्तुत अन्य अभिलेखों का अन्वेषण किया है:

- i) यथाप्रयोज्य कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं तदंतर्गत निर्मित नियमावली तथा कंपनी अधिनियम, 1956 एवं तदंतर्गत निर्मित नियमावली;
- ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और तदंतर्गत निर्मित नियमावली;
- iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 एवं विनियम और तदंतर्गत निर्मित उपविधियां;
- iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं तदंतर्गत निर्मित नियम व विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तक, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण अनुप्रयोज्य सीमा तक।
- v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम मंडल अधिनियम 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित नियमावली एवं दिशानिर्देश:-
- ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन व अधिग्रहण) विनियम, 2011;
- बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;
- सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गमन व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2018 द्वारा यथाप्रतिस्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गमन व प्रकटन आवश्यकताएं), विनियम, 2009;

डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड(शेयर आधारित कर्मचारी परिलाभ) विनियम, 2014 द्वारा यथाप्रतिस्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम मंडल (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999;

ई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गमन व सूचीकरण) विनियम, 2008;

एफ) कंपनी अधिनियम एवं ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निर्गमन के लिये निबंधक व शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम;

जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियम, 2009; और प्रतिभूति एवं विनियम मंडल

vi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का प्रतिक्रय) विनियम, 2018 द्वारा यथाप्रतिस्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का प्रतिक्रय) विनियम, 1998

vii) प्रबंधन द्वारा यथा चिह्नित एवं हमें संप्रेषित पत्तन प्रबंधन एवं संबंधित गतिविधियों से संबंधित अधिनियम, विनियम एवं नियमावली।

हमने निम्नलिखित के अनुप्रयोज्य परिच्छेदों के अनुपालन का भी परीक्षण किया है:

- i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) व साधारण बैठकों (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत साचिविक मानकों, तथा
- ii) कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड एवं भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (सूचीयन बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ किये गये सूचीयन समझौते।

समीक्षाधीन अवधि में, कंपनी ने आवश्यकताओं के अनुरूप उपरोक्त उल्लिखित अधिनियमों के अनुप्रयोज्य प्रावधानों, नियमावली, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का यथा अपेक्षित सीमा तक अनुपालन किया है, 9 नवंबर, 2020 तक स्वतंत्र व महिला निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति व इससे संबंधित सभी अनुपालन एवं इस वर्ष हेतु स्वतंत्र निदेशकों के मंडल मूल्यांकन व बैठक के अतिरिक्त।

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधियों जैसे सभी यथा अनुप्रयोज्य वित्तीय विधियों के संबंध में, कंपनी के प्रबंधन व अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सूचना व स्पष्टीकरण तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत प्रमाणपत्रों के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि अनुवीक्षण एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त तंत्र है।

हमारे समक्ष यह दर्शाया गया है कि कंपनी ने यथा अनुप्रयोज्य अनेक अधिनियमन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा उठाये

गये विषयों तथा कंपनी द्वारा प्राप्त पत्रों/नोटिसों कार्यवाही करते हुए, जहां भी अपेक्षित था, समाधान की दिशा में उपाय किये हैं।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि, उपरोक्त के अधीन, जो संबंधित प्रलेख हमने देखे हैं, वो वर्णन करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन यथा अनुप्रयोज्य कार्यकारी निदेशकों, अ-कार्यकारी निदेशकों व स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है तथा निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि में जो परिवर्तन हुआ, वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया।

मंडल की बैठकों के समय निर्धारण के लिये सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गयी एवं न्यूनतम सात दिन पूर्व एजेंडा व एजेंडा पर विस्तृत नोट उन्हें अग्रिम भेज दिया गया तथा बैठक से पूर्व एजेंडा के मदों पर और सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिये तंत्र क्रियाशील है।

निर्णय बहुमत के माध्यम से किया जाता है, जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के भाग के रूप में ग्रहण और अंकित किया जाता है, यदि कोई है।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की हमारी सीमित समीक्षा के आधार पर प्रतीत होता है कि अनुप्रयोज्य विधियों, नियमावली, विनियमों व दिशानिर्देशों का अनुरीक्षण व अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के आकार व परिचालन के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्था व प्रक्रिया क्रियाशील है।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि संपरीक्षण अवधि में कंपनी ने वार्षिक साधारण बैठक में सामान्य कामकाज के अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों पर सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया:

- कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में श्री सुनील पालीवाल, आईएएस, (डिन: 01310101) की नियुक्ति
- कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री वी.एम.वी. सुब्बाराव, (डिन: 02435597) की नियुक्ति
- कंपनी के नामांकित निदेशक के रूप में श्री एस. बालाजी अरुणकुमार, (डिन: 07526368) की नियुक्ति
- कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कैप्टन अनूप कुमार शर्मा, (डिन: 03531392) की नियुक्ति
- कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती सरला बालगोपाल, आईआरटीएस (सेवानिवृत्त), (डिन: 01572718) की नियुक्ति

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने 27/03/2020 को कंपनी में अपने सम्पूर्ण हित का विनिवेश कर दिया है, जो चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट द्वारा अर्जित किया गया और चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट पूर्ण हितधारक बन गई,

तत्पश्चात कंपनी चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बन गई। 31/08/2020 को, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट ने छह व्यक्तियों को पंजीकृत धारक यू/एस 89 (मेसर्स चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्रतिधारित लाभप्रद हित) के रूप में प्रत्येक को 1 शेयर धारण करने के लिये नामांकित किया तथा तद्विषय 31/08/2020 से, कंपनी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सात अंशधारक रखने के अनुपालन कर रही है।

हम पुनः प्रतिवेदित करते हैं कि हमारी संपरीक्षा केवल उन प्रणालियों

और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के सत्यापन के अधीन थी, जो कंपनी द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये क्रियाशील है तथा हम कंपनी की ओर से उन अनुपालन में किसी भी चूक के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

हम पुनः प्रतिवेदित करते हैं कि व्याप्त कोविड स्थिति के कारण जैसा कि कंपनी द्वारा अनुरोध किया गया एवं सुविधा उपलब्ध करायी गई, हमने समूची सचिवीय संपरीक्षा केवल ऑनलाइन सत्यापन एवं अभिलेखों के परीक्षण के माध्यम से किया है।

कृते एस धनपाल एंड एसोसिएट्स

(कार्यरत कंपनी सचिवों की फर्म)

ह/-

एन. रामनाथन (साझेदार)

एफसीएस 6665 सीपी संख्या 11084

यूडीआईएन: एफ00665सी000834514

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 26.08.2021

इस प्रतिवेदन को सम तिथि के हमारे उन साक्ष्यों के साथ पढ़ा जाए, जो अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न हैं और इस प्रतिवेदन का अभिन्न भाग हैं।

सेवा में
सदस्यगण,
कामराजर पोर्ट लिमिटेड
(पूर्ववर्ती एण्णूर पोर्ट लिमिटेड) चेन्नै

सम तिथि का हमारा प्रतिवेदन इस पत्र के पढ़ा जाए।

1. साचिविक अभिलेखों का अनुरीक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व संपरीक्षा के आधार पर इन साचिविक अभिलेखों पर अभिमत प्रकट करना है।
2. हमने उन संपरीक्षा चलन व प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है, जो साचिविक अभिलेखों की विषयवस्तु की शुद्धता के विषय में तार्किक आश्वस्ति प्राप्त करने के लिये उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिये कि साचिविक अभिलेखों में सही तथ्य दिखें, नमूना परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं व कार्यप्रणाली का पालन किया, वो हमारे अभिमत के लिये तार्किक आधार प्रदान करते हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की शुद्धता व सत्यता को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहां भी अपेक्षित था, हमने विधियों, नियमावली, विनियमों एवं घटनाओं के संयोग के विषय में प्रबंधन अभिवेदन प्राप्त किया है।
5. कंपनी व अन्य अनुप्रयोज्य विधियों के प्रावधानों, नियमावली, विनियम, मानकों का अनुपालन कंपनी का उत्तरदायित्व है। हमारा परीक्षण नमूना परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित था।
6. यह साचिविक संपरीक्षा प्रतिवेदन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के विषय में आश्वस्ति है और न ही उस गुण अथवा प्रभावशीलता के विषय में है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के प्रकरणों को संचालित किया है।

कृते एस धनपाल एंड एसोसिएट्स

(कार्यरत कंपनी सचिवों की फर्म)

ह/-

एन. रामनाथन (साझेदार)

एफसीएस 6665 सीपी संख्या 11084

यूडीआईएन: एफ00665सी000834514

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 26.08.2021

इस प्रतिवेदन को सम तिथि के हमारे उन साक्ष्यों के साथ पढ़ा जाए, जो अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न हैं और इस प्रतिवेदन का अभिन्न भाग हैं।

कंपनी (लेखा) विनियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के अंतर्गत सूचना

ए) ऊर्जा संरक्षण:

(i) ऊर्जा संरक्षण पर की गई पहल अथवा प्रभाव

- (ए) (ए) विद्युत ऊर्जा का प्रभावशाली उपयोग सुनिश्चित करने के लिये मेसर्स ग्रीनसर्व एनर्जी को ऊर्जा संपरीक्षा करने के लिये नियुक्त किया गया था। संपरीक्षा प्रतिवेदन की अनुसारी जून 2020 की अवधि में मध्य प्राप्त की गई। संपरीक्षक द्वारा ऊर्जा संरक्षण उपायों की निम्नलिखित अनुशंसा की गई।

सितम्बर 2020 में पंजीकृत कार्यालय में जवाहर भवन के द्वितीय व तृतीय तल पर फाल्स सीलिंग के भीतर वायु प्रशीतक डक्टरिसाव

अन्य अनुशंसाएं निम्नलिखित वर्ष में क्रियान्वित की जाएंगी।

1. शौचालय व बोर्ड कक्षों में ऑकुपैंसी संवेदक की स्थापना एवं प्रकाश के परिचालन प्रभावशीलता में सुधार के लिये अध्यक्ष गलियारा एवं अन्य पैदल पथ पर गति संवेदक की स्थापना।
2. सिग्नल केंद्र में अतिरिक्त 40 किलोवाट नये सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना एवं विद्यमान भंडारण प्रणाली का जीर्णोद्धार।
3. सिग्नल केंद्र के निकट नये उपकेंद्र की स्थापना, जिससे वितरण हानि में कमी करने में सहायता मिलेगी।

(बी) प्रभाव

- ऊर्जा दक्ष
- पर्यावरण हितैषी
- ऊर्जा संरक्षण के लिये वितरण हानि में कमी

(ii) कंपनी द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिये किये गये उपाय:

वर्ष 2020-21 में लगभग 39,600 किलोवाट (इकाई) ऊर्जा डीजल जनित्र से उत्पन्न की गई और लगभग 32,400 किलोवाट (इकाई) ऊर्जा सौर से उत्पन्न की गई तथा इतना ही उपयोग किया गया।

पोर्ट के भीतर सौर संयंत्र की स्थापना के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।

सौर ऊर्जा:

मेसर्स टीओआरपी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, चनेनै को “कामराजर

पोर्ट पर पार्किंग अहाते को आच्छादित करने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये संभाव्यता प्रतिवेदन (एफआर) की तैयारी” के कार्य के लिये परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। परामर्शदाता ने एफआर प्रस्तुत कर दिया है और केपीएल की विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आरईएससीओ प्रतिदर्श पर आच्छादित कार पार्किंग शेड पर 300 किलोवाट रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की अनुशंसा की है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश:

शून्य

बी) तकनीक अंगीकरण:

i) एसएपी ईआरपी प्रणाली

केपीएल ने बजट, लेखा व वित्त, एचआर व पेट्रोल, सामग्री प्रबंधन, परियोजना प्रणाली आदि जैसे विभिन्न क्रियात्मक क्षेत्रों को आच्छादित करने वाली एसएपी एस/4 एचएएनए 1610 ईआरपी प्रणाली को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में एसएपी प्रणाली को इसके अद्यतन संस्करण यथा एसएपी एस/4 एचएएनए 2020 में ले जाने/उन्नत करने की योजना है।

इससे सम्पूर्ण आईटी उपयोगिता का वर्धन होगा तथा समग्र उत्पाकता की वृद्धि, ग्राहक सेवाओं के विस्तार, सेवा स्तर पर प्रतिबद्धता, इष्टतम स्तर पर संसाधनों का उपयोग आदि के संबंध में यह केपीएल को आगे ले जाएगा।

ii) लाभ

व्यापार प्रक्रिया एवं एचआर/पेट्रोल प्रकार्यात्मकता, वित्त व लेखांकन, क्रय व संविदा एवं परियोजना प्रणाली (डब्ल्यूबीए), कर्मचारी अनुरोध/दावा और ऋण प्रक्रियाएं कर्मचारी स्व सेवा (ईएसएस) पोर्टल के माध्यम के ऑनलाइन किया जाएगा। इसका परिणाम संव्यवहार दक्षता व उत्पादकता में वृद्धि के रूप में सामने आया है तथा इससे लागत में कमी आयी है।

iii) आयातित तकनीक के प्रकरण में (समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से जोड़े गये विगत तीन वर्ष की अवधि में आयातित)

क) आयातित तकनीक का विवरण :

लागू नहीं

ख) आयात का वर्ष:

लागू नहीं

ग) क्या वह तकनीक पूर्णतः अंगीकृत हो गई:

लागू नहीं

घ) यदि पूर्णतः अंगीकृत नहीं हुई, तो वो क्षेत्र जहां अंगीकरण नहीं हुआ और उसका कारण: लागू नहीं

iv) अनुसंधान व विकास पर किया गया व्यय:

शून्य

सी) विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय:

विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य है और विदेशी मुद्रा ऋण की ऋण सेवा एवं सचल एक्स-रे मशीन के क्रय में 97.07 करोड़ रुपये व विदेशी मुद्रा व्यय हुई।

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 26.08.2021

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(डिन: 01310101)

कंपनी प्रशासन पर प्रतिवेदन

1.0 संचालन संहिता पर कंपनी के दर्शन पर संक्षिप्त विवरण

कंपनी मानती है कि कंपनी संचालन केवल अनुपालन नियंत्रण बिंदु तक सीमित नहीं होता है, अपितु इसमें कंपनी के व्यापार के संबंध में मंडल एवं वाह्य अंशधारकों में विश्वास के संचार के लिये तैयार तंत्र भी होता है। इस विश्वास को बनाये रखने के लिये हम स्वैच्छिक रूप से कंपनी संचालन पर प्रतिवेदन संलग्न कर रहे हैं। हमारी संपरीक्षा समिति के सदस्यगण वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया, संपरीक्षा प्रक्रिया, कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं विधियों व विनियमों के अनुपालन पर पैनी दृष्टि बनाये रखते हैं।

2.0 निदेशक मंडल की संरचना एवं श्रेणी 31.03.2021 को

क्र.मां.क	नाम	श्रेणी
1	श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2	श्री पी. रवींद्रन, आई.आर.टी.एस.	नामांकित निदेशक
3	श्री एस.बालाजी अरुणकुमार, आई.आर.टी.एस.	नामांकित निदेशक
4	श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	अ-शासकीय अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक
5	कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	अ-शासकीय अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक
6	श्रीमती सरला बालगोपाल, आई.आर.टी.एस.(से.नि.)	अ-शासकीय अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक

2.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि में निदेशक मंडल में परिवर्तन:

क्र.मां.क	नाम	परिवर्तन की प्रकृति
1	श्री सिरिल सी जार्ज	समापन प्रवृत्त 04.09.2020
2	श्री एस.बालाजी अरुण कुमार, आई.आर.टी.एस.	नियुक्ति* प्रवृत्त 04.09.2020
3	कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	नियुक्ति* प्रवृत्त 10.11.2020
4	श्रीमती सरला बालगोपाल, आई.आर.टी.एस.(से.नि.)	नियुक्ति* प्रवृत्त 10.11.2020

* तदोपरान्त 16.12.2020 को वार्षिक साधारण सभा की बैठक में नियमित किया गया

2.2 बैठक तिथियों सहित मंडल की बैठकों की संख्या:

वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि में 11.05.2020, 29.06.2020, 09.09.2020, 10.11.2020, 05.03.2021 व 30.03.2021 को मंडल की 6 (छह) बैठकें हुई।

2.3 वर्ष में बैठक एवं उपस्थिति

सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (केपीएल सहित) की संपरीक्षा समिति (एसी) एवं अंशधारक संबंध समिति (एसआरसी) की अध्यक्षता/सदस्यता के साथ-साथ प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति, कंपनी/ समिति में उनके कार्यकाल की अवधि में उपलब्ध कराये गए आंकड़े/ विवरण के अनुसार, नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	निदेशक का पद	वित्तीय वर्ष 2020-21 में संबंधित निदेशक के कार्यकाल में आयोजित बैठक की संख्या	मंडल की बैठक में भाग लेने की संख्या	अंतिम एजीएम, जिसमें भाग लिया हो	31 मार्च 2021 को अन्य निदेशकत्व	सभी कंपनियों में समितियों की संख्या	
						31 मार्च 2021 को सदस्य के रूप में	31 मार्च 2021 को अध्यक्ष के रूप में
श्री सुनील पालीवाल	अध्यक्ष-सह-प्रबंधनिदेशक	6	6	हां	3	एसी-केपीएल एसआरसी-केपीएल	एसी-एससीएल
श्री पी रवींद्रन	नामित निदेशक	6	6	हां	1	एसी-केपीएल एसी-एससीएल	एसआरसी-केपीएल
श्री एस. बालाजी अरुणकुमार	नामित निदेशक प्रवृत्त 04.09.2020)	4	4	हां	3	शून्य	शून्य
श्री सिरिल सी जार्ज	नामित निदेशक (04.09.2020 तक)	2	2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	स्वतंत्र निदेशक	6	6	हां	1	शून्य	एसी- केपीएल
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक (प्रवृत्त 10.11.2020)	3	3	हां	1	एसी-केपीएल एसी- डीसीआई	शून्य
श्रीमती सरला बालगोपाल	स्वतंत्र निदेशक (प्रवृत्त 10.11.2020)	2	2	हां	शून्य	एसी-केपीएल	शून्य

टीप: केपीएल-कामराजर पोर्ट लिमिटेड, एससीएल- सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड, डीसीआई- भारतीय निकर्षण निगम लिमिटेड

3.0 संपरीक्षा समिति

संपरीक्षा समिति की भूमिका, विचारार्थ विषय व संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 व अन्य अनुप्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार हैं। कंपनी सचिव संपरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। श्री एम. गुणसेकरन, महाप्रबंधक (वित्त) सह सीएफओ संपरीक्षा समिति के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। संपरीक्षा समिति के सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के लिये संपरीक्षा बैठकों में वित्त के मुखिया, आंतरिक संपरीक्षक, सांविधिक संपरीक्षक एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ कार्यकारी आमंत्रित किये जाते हैं।

ए. संपरीक्षा समिति की संरचना

31.03.2021 की तिथि में कंपनी की संपरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	-	अध्यक्ष
श्री सुनील पालीवाल	-	सदस्य
श्री पी रवींद्रन	-	सदस्य
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	-	सदस्य
श्रीमती सरला बालगोपाल	-	सदस्य

बी) वर्ष में बैठक व उपस्थिति:

वर्ष 2020-21 में संपरीक्षा समिति की तीन बैठकें 29.06.2020, 10.11.2020 व 05.03.2021 को हुईं।

सी) सदस्यों के कार्यकाल में परिवर्तन, यदि कोई है, सहित सदस्यों के विवरण, वर्ष में आयोजित बैठक एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नलिखित है:

सदस्यगण	कार्यकाल में आयोजित बैठक	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	3	3	100
श्री सुनील पालीवाल	3	3	100
श्री पी रवींद्रन	3	3	100
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा (10.11.2020 से)	1	1	100
श्रीमती सरला बालगोपाल (10.11.2020 से)	1	1	100

4.0 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की भूमिका, विचारार्थ विषय व संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 व अन्य अनुप्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार हैं। कंपनी सचिव नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

ए) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में 31.03.2021 को निम्नलिखित सदस्य थे:

कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	-	अध्यक्ष
श्री पी रवींद्रन	-	सदस्य
श्री सुनील पालीवाल	-	सदस्य
श्रीमती सरला बालगोपाल	-	सदस्य

वर्ष में बैठक व उपस्थिति:

वर्ष 2020-21 में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें 29.06.2020 and 10.11.2020 को हुईं।

सी) सदस्यों के कार्यकाल में परिवर्तन, यदि कोई है, सहित सदस्यों के विवरण, वर्ष में आयोजित बैठक एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नलिखित है:

सदस्यगण	कार्यकाल में आयोजित बैठक	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव (10.11.2020 तक)	2	2	100
श्री सिरिल सी जार्ज (11.05.2020 से 04.09.2020 तक)	1	1	100
श्री पी रवींद्रन	2	2	100
श्री सुनील पालीवाल	2	2	100
श्री एस बालाजी अरुणकुमार (09.09.2020 से 10.11.2020 तक)	1	1	100

कैप्टन अनूप कुमार शर्मा व श्रीमती सरला बालगोपालको इस समिति में मंडल द्वारा अपनी 10.11.20 की बैठक में सम्मिलित किया गया, जो कि नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक के पश्चात हुई थी।

प्रकार्यात्मक निदेशकों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण:

निदेशक का नाम	वेतन व अन्य भत्ते (रूपये)	बोनस/कमीशन/ पीआरपी (रूपये)	योग (रूपये)
श्री सुनील पालीवाल	49,77,911/-	-	49,77,911/-*

* उपरोक्त उल्लिखित पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत पूर्वापेक्षा का मूल्य एवं आवधिक परिलाभ सम्मिलित नहीं हैं।

5.0 अंशधारक संबंध समिति

अंशधारक संबंध समिति बंधपत्र धारकों के बंधपत्रों के ब्याज की अप्राप्ति/ अंतरण/पारेषण एवं अन्य विविध परिवादों से संबंधित परिवादों/समस्याओं

के निवारण को देखती है। कंपनी सचिव नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

ए) अंशधारक संबंध समितिकी संरचना

31.03.2021 को अंशधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

श्री पी रवींद्रन	-	अध्यक्ष
श्री सुनील पालीवाल	-	सदस्य

बी) वर्ष में बैठकें व उपस्थिति

वर्ष 2020-21 में चार अंशधारक संबंध बैठकें 29.06.2020, 09.09.2020, 10.11.2020 व 05.03.2021 को हुईं।

सी) सदस्यों के कार्यकाल में परिवर्तन, यदि कोई है, सहित सदस्यों के विवरण, वर्ष में आयोजित बैठक एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नलिखित है:

सदस्यगण	उपस्थित होने के लिये अधिकृत	सदस्यगण की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री पी रवींद्रन	4	4	100
श्री सुनील पालीवाल	4	4	100

6.0 सीएसआर एवं संवहनीयता विकास पर मंडल की स्तर समिति

सीएसआर एवं संवहनीयता विकास पर मंडल की स्तर समिति भूमिका, विचारार्थ विषय व संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 व अन्य अनुप्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार हैं। श्री पी. राधाकृष्णन, डीजीएम (सी) नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। कंपनी सचिव नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

ए. सीएसआर एवं संवहनीयता विकास पर मंडल स्तरीय समिति की संरचना

सीएसआर एवं संवहनीयता विकास पर मंडल स्तरीय समिति में 31.03.2021 को निम्नलिखित सदस्य थे:

श्री सुनील पालीवाल	-	अध्यक्ष
श्री पी रवींद्रन	-	सदस्य
श्री एस बालाजी अरुणकुमार	-	सदस्य
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	-	सदस्य

बी. वर्ष में बैठकें व उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष में सीएसआर एवं संवहनीयता विकास पर मंडल स्तर समिति की चार बैठकें 11.05.2020, 09.09.2020, 10.11.2020 व 05.03.2021 को हुईं।

सी. सदस्यों के कार्यकाल में परिवर्तन, यदि कोई है, सहित सदस्यों के विवरण, वर्ष में आयोजित बैठक एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नलिखित है:

सदस्यगण	उपस्थित होने के लिये अधिकृत	सदस्यगण की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री सुनील पालीवाल	4	4	100
श्री पी रवींद्रन	4	4	100
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	4	4	100
श्री एस बालाजी अरुणकुमार (09.09.2020 से)	2	2	100

श्री सिरिल सी जार्जको इस समिति में मंडल द्वारा अपनी 11.05.20 की बैठक में सम्मिलित किया गया, जो कि नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक के पश्चात हुई थी।

7.0 साधारण सभा की बैठक

विगत तीन वर्षों में वार्षिक साधारण सभा की बैठकों की तिथि, समय व स्थान एवं उनमें पारित विशेष प्रस्ताव:

वर्ष	तिथि	समय	स्थान	पारित विशेष प्रस्ताव
2019-20	16.12.2020	11.00 ए.एम.	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय-600001 स्थित मंडल कक्ष में द्वि-मार्गी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा श्रव्य-दृश्य साधन (ओएवीएम) के माध्यम से।	शून्य
2018-19	06.09.2019	12.15 पी.एम.	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय-600001 स्थित मंडल कक्ष में	शून्य
2017-18	24.09.2018	11.00 ए.एम.	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय-600001 स्थित मंडल कक्ष में	शून्य

8.0 प्रकटीकरण

- संबंधित पक्ष संव्यवहार उन टीपों में टीप संख्या 30(12) में वर्णित हैं, जो वार्षिक प्रतिवेदन में 31 मार्च 2021 के समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण का भाग है।

- (ii) सांविधिक प्राधिकारी ने विगत तीन वर्षों में किसी अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत कंपनी पर कोई भी अवक्षेप पारित नहीं किया है और न ही कोई अर्थदंड लगाया है।
- (iii) कंपनी में अपचारसूचक नीति है और कंपनी का कोई भी कर्मचारी संपरीक्षा प्रतिवेदन के अवलोकन से रोका नहीं गया है।
- (iv) ऐसा कोई भी व्यय का मद लेखा बही में से काटा नहीं गया है, जो व्यापार के उद्देश्य से नहीं था। इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन पर ऐसा कोई भी व्यय नहीं किया गया, जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो।
- (v) कंपनी के किसी भी अंशकालिक निदेशक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं है।
- (vi) समीक्षाधीन वर्ष एवं गत वर्ष में प्रशासनिक व कार्यालयी व्यय एवं वित्तीय व्यय का विवरण वार्षिक लेखा में उपलब्ध है।
- (vii) केंद्र सरकार ने कंपनी के लिये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों का अनुरीक्षण करना विहित नहीं किया है।

9.0 आचार संहिता

अपने कर्मचारियों के लिये आचार के उच्च मानक स्थापित करने हेतु कामराजर पोर्ट के निरंतर प्रयास के अंतर्गत मंडल के सभी सदस्यों व वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिये “व्यापार आचार संहिता व नीति” बनायी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मंडल के सभी सदस्यों व वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने कामराजर पोर्ट के “व्यापार आचार संहिता व नीति” की अभिपुष्टि की है।

घोषणा

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में मंडल के सभी सदस्यों व वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने कामराजर पोर्ट के “व्यापार आचार संहिता व नीति” की अभिपुष्टि की है।

कृते कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह./-

चेनै

25-06-2021

(सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(डिन: 01310101)

स्थान: चेनै

दिनांक: 26.08.2021

10.0 मंडल सदस्यों का प्रशिक्षण

आपकी कंपनी में व्यावसायिक अपेक्षाओं की श्रेष्ठ समझ को प्रोत्साहित करने के साथ ही कार्य के व्यावसायिक, सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये निदेशकों के प्रशिक्षण की नीति है।

कैप्टन अनूप शर्मा, स्वतंत्र निदेशक ने भारतीय कारपोरेट अफेयर्स संस्थान द्वारा 18 व 19 फरवरी 2021 को गोवा में स्वतंत्र निदेशकों के लिये संचालित दो दिवसीय अभिज्ञता कार्यक्रम में भाग लिया।

11.0 अनुप्रयोज्य विधियों के अनुपालन की समीक्षा

मंडल ने समय-समय पर कंपनी पर अनुप्रयोज्य सभी विधियों के अनुपालन प्रतिवेदनों की समीक्षा की है तथा सभी अनुप्रयोज्य विधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

12.0 संचार के साधन

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कर मुक्त बंधपत्रों के सूचीयन के अनुसार, कंपनी ने 2020—21 में अर्द्धवार्षिक वित्तीय परिणाम/लेखा संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम अभिलेख पर आने तथा मंडल द्वारा अनुमोदित होने के तत्काल बाद स्टॉक एक्सचेंज को सूचना दी। ये वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी संस्करणों में प्रकाशित करवाये गये थे। ये परिणाम ऋणपत्र न्यासियों व बंधपत्र धारकों को भी भेजे गए तथा कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर प्रदर्शित किए गये।

अन्य विषयों के साथ-साथ संपरीक्षित लेखाओं, निदेशकों का प्रतिवेदन, संपरीक्षकों का प्रतिवेदन, नकदी प्रवाह विवरण व अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं सदस्यों एवं उसके लिये अधिकृत अन्य व्यक्तियों में वितरित किये जाते हैं। निदेशकों के प्रतिवेदन व संपरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित वार्षिक प्रतिवेदन व लेखा संपरीक्षित वित्तीय विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सभी आधिकारिक समाचार प्रदर्शित किये जाते हैं।

कंपनी की वेबसाइट में अनुपालन अधिकारी, निबंधक व अंतरण अभिकर्ता के संपर्क विवरण हैं। कंपनी ने श्री एम. गुणसेकरन, महाप्रबंधक (वित्त) व मुख्य वित्त अधिकारी को करमुक्त बंधपत्र धारकों को सेवा प्रदान करने के लिये अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। बंधपत्र धारकों के प्रश्नों के समाधान हेतु ईमेल आईडी mguna@kplmail.in बनायी गई है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह./-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

(डिन: 01310101)

एस धनपाल एंड एसोसिएट्स कार्यरत कंपनी सचिव

साझेदार

एस. धनपाल, बी.कॉम., बी.ए.बी.एल., आरसी.एस

एन. रामनाथन, बी. कॉम, आरसी. स्मिथ, एम. कॉम, आरसी., डीसीजी (आईसीएसआई)

स्मिता चिड़ीमार, एम. कॉम., एफ.सी.एस, डीसीजी (आईसीएसआई)

आर. प्रदीपा, बी.सी.एस., ए.सी.एस.

कंपनी संचालन पर अनुपालन प्रतिवेदन

सेवा में,

निदेशक मंडल

कामराजर पोर्ट लिमिटेड,

चेन्नै

हमें मेसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा सूचित किया गया है कि कंपनी में भारत सरकार द्वारा धारित समूचे अंशधारण के रणनीतिक विनिवेश के अनुसरण में, कंपनी सीपीएसई नहीं रह गई है और तदुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका, देखें संदर्भ संख्या 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010, के अनुसार कंपनी संचालन के अनुबंधों का अनुपालन बाध्यकारी नहीं है; यद्यपि कंपनी, वित्तीय वर्ष 20-21 की अवधि में, स्वैच्छिक आधार पर उपरोक्त मार्गदर्शिका के अनुपालन के लिये अग्रसर हुई है, जो कि डीपीई मार्गदर्शिकाओं के केवल उन प्रावधानों तक सीमित है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013/सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के साथ सहआवर्ती हैं।

हम कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका, देखें संदर्भ संख्या 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010, के अनुसार कामराजर पोर्ट लिमिटेड द्वारा, स्वैच्छिक आधार पर, कंपनी संचालन के उन अनुबंधों के अनुपालनका परीक्षण करने के लिये प्रवृत्त किये गये हैं, जो कि डीपीई मार्गदर्शिकाओं के केवल उन प्रावधानों तक ही सीमित है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013/सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के साथ सहआवर्ती हैं।

हमारा परीक्षण उन प्रक्रियाओं व उनके क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये है, जो कि कंपनी द्वारा, स्वैच्छिक आधार पर, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका, देखें संदर्भ संख्या 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010, के अनुसार कंपनी संचालन के उन अनुबंधों के अनुपालन के लिये अपनायी गई हैं, जो डीपीई मार्गदर्शिकाओं के केवल उन प्रावधानों तक ही सीमित है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013/सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के साथ सहआवर्ती हैं। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरण की संपरीक्षा है, न ही उसके विषय में अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारे अभिमत एवं जहां तक हमारे पास सूचना है और हमको प्रदान किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं कि कंपनी ने 9 नवंबर, 2020 तक, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं सभी संबंधित अनुपालनों के अतिरिक्त, स्वैच्छिक आधार पर, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका, देखें संदर्भ संख्या 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010, के अनुसार कंपनी संचालन के उन अनुबंधों का अनुपालन किया है, जो डीपीई मार्गदर्शिकाओं के केवल उन प्रावधानों तक सीमित हैं, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013/सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के साथ सहआवर्ती हैं।

हमारा अभिकथन है कि ये अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के विषय में कोई आश्वस्ति है और न ही उस दक्षता अथवा प्रभावशीलता की आश्वस्ति है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के प्रकरणों को संचालित किया है।

कृते एस. धनपाल एंड एसोसिएट्स
कार्यरत कंपनी सचिवों की फर्म

ह/-

स्मिता चिड़ीमार साझीदार

सदस्यता संख्या: एफ8137

सीपी संख्या: 9357

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 26.08.2021



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, चेन्नै

दिनांक. 26.08.2021

संख्या डीजीसीए/चेन्नै/सीए-2/केपीएल लेखा/2-209/2021-22/683

सेवा में,

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,

कामराजर पोर्ट लिमिटेड,

द्वितीय तल (उत्तरी विंग) व तृतीय तल,

जवाहर भवन, 17, राजाजी सलाई,

चेन्नै- 600001

विषय:

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

श्रीमान्,

मैं एतद्वारा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नै के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को अग्रसारित कर रही हूं। वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की तिथि संसूचित की जाए।

मुद्रित वार्षिक प्रतिवेदन की पांच प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित की जाएं।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती दी जाए।

भवदीय,

ह/-

देविका नायर

महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, चेन्नै

संलग्नक: संपरीक्षा टिप्पणी

इंडियन आईल भवन, स्तर - 2, 139 महात्मा गाँधी मार्ग, चेन्नै - 600 034.
फोन: 044-28330147 फैक्स: 044-28330142/145 ईमेल: pdcachennai@cag.gov.in

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2021 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिये कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय प्रतिवेदन तंत्र के अनुसार, 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक संपरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत में निर्धारित अंकेक्षण के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों पर विचार अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह अभिकथन दिया जाता है कि उनके द्वारा लेखा परीक्षण कर लिया गया है; देखें उनका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 25 जून 2021।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक संपरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्य रूप से सांविधिक संपरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की परिपृच्छा एवं लेखांकन अभिलेखों में से कुछ की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक संपरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रकरणों को रेखांकित करना चाहता हूं, जो मेरे संज्ञान में आये हैं तथा जो मेरे अभिमत में वित्तीय विवरण एवं संबंधित संपरीक्षित प्रतिवेदन की उत्तम समझ के लिये आवश्यक हैं।

(ए) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

1. अप्रचलित आस्तियां

आस्ति, संयंत्र व उपकरण: 2,75,798.26 लाख रुपये

पत्तन द्रोणी व प्रवेश सरणि: 81,442.23 लाख रुपये

समीक्षाधीन वर्ष में आस्ति, संयंत्र व उपकरण (पीपीआई) के अंतर्गत 5,907.98 लाख रुपये की राशि अनुरीक्षण निकर्षण के लिये पूंजीकृत हुई तथा इस पूंजीकृत राशि में से 3,110.51 लाख रुपये का मूल्य हास हुआ। बड़े पत्तनों के लिये पोत परिवहन मंत्रालय की निकर्षण मार्गदर्शिका के अनुसार परिचालन गहराई बनाये रखने के लिये जमा तलछट को हटाने की प्रक्रिया को अनुरीक्षण निकर्षण कहा जाता है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार अनुरीक्षण निकर्षण के लिये 5,907.98 लाख रुपये की पूरी राशि राजस्व प्रकृति की होने के कारण लाभ व हानि लेखा

में प्रभारित की जानी अपेक्षित थी। निकर्षण व्यय के त्रुटिपूर्ण पूंजीकरण का परिणाम, यथा 31 मार्च 2021 को, पत्तन द्रोणी व प्रवेश सरणि संपत्ति एवं 2,797.47 लाख रुपये (5,907.98 लाख रुपये- 3,110.51 लाख रुपये) की सीमा तक के लाभ के अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण के रूप में आया।

2. प्रचलित आस्तियां

व्यापार प्राप्य: 7,770.45 लाख रुपये

उपरोक्त में मेसर्स एसआईसीएल आयरन ओर टर्मिनल्स लिमिटेड (एसआईओटीएल) से अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में प्राप्य 2,821.86 लाख रुपये सम्मिलित है। कंपनी ने एसआईओटीएल द्वारा ऋणदाताओं के प्रति व्यतिक्रम किये जाने के कारण उसके साथ हुआ कोयला टर्मिनल में लौह अयस्क टर्मिनल' के उपांतरण का अनुज्ञप्तिकरण समझौता (डीबीएफओटी आधार पर) समाप्त कर दिया था। एसआईओटीएल नया निवेशक नहीं ढूंढ/ पा सकी और न ही मूल कंपनी ने एसआईओटीएल को और कोई वित्तीय समर्थन देने को इच्छुक/समर्थ है। एसआईओटीएलके स्वतंत्र संपरीक्षकों ने इसकी नकदी की अत्यधिक कमी को प्रतिवेदित किया था और लाभप्रद-प्रतिष्ठान के रूप में इसके चलते रहने के सामर्थ्य पर संदेह प्रकट किया था। यह इसकी मूल कंपनी के संपरीक्षित प्रतिवेदन (अगस्त 2020) में भी उद्धृत किया गया था। यद्यपि कंपनी द्वारा एसआईटीएल के व्यापार प्राप्यों के लिये संदेहास्पद ऋणों के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया। इसका परिणाम 2,821.86 लाख रुपये के व्यापार प्राप्यों व लाभ के अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण के रूप में आया।

3. अन्य अप्रचलित आस्तियां

पूंजीगत व्यय के लिये अग्रिम : 7,328.63 लाख रुपये

उपरोक्त में मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एचसीसी) को पूंजीगत व्यय के लिये अग्रिम 2,821.86 लाख रुपये सम्मिलित हैं। कंपनी एचसीसी से 4509.50 लाख रुपये वापस पाने के लिये मध्यस्थता प्रक्रिया (2003 व 2004) में हार गई थी तथा इस मध्यस्थता निर्णय को निरस्त करने के लिये प्रविष्ट याचिका भी उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दी गयी थी। वैसे विधिक प्रकरण वृत्त एवं महत्वपूर्ण समय बीत जाने पर विचार करते हुए यह प्रतीत होता है कि एचसीसी से अग्रिम राशि वापस पाने की संभावना अत्यंत क्षीण है। इसलिये कंपनी द्वारा 4509.50 लाख रुपये के संदेहास्पद ऋण के लिये प्रावधान बनाया जाना अपेक्षित था। यद्यपि ऐसा प्रावधान नहीं होने का परिणाम 4509.50 लाख रुपये पूंजीगत व्यय व लाभ के अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण के रूप में आया।

(बी) स्वतंत्र संपरीक्षक प्रतिवेदन

केपीएल ने सभी कार्य संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिये बजट, लेखा व वित्त, एचआर व वेतन-पंजिका (पे-रोल), सामग्री प्रबंधन, परियोजना प्रणाली आदि को आच्छादित करने वाले प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में एसएपी ईआरपी प्रणाली क्रियान्वित (मई 2018) किया। संपरीक्षा में पाया गया कि एसएपी ईआरपी प्रणाली के क्रियान्वयन के बाद भी प्रबंधन ने कुछ लेखा प्रविष्टियां

एसएपी ईआरपी प्रणाली के बाहर कीं और ऐसा ही वित्तीय विवरण में देखा गया। बजट लेखा से निर्माणाधीन अचल आस्ति पर भारित लागत में अंतरित 477.43 लाख रुपये की लेखा प्रविष्टियां एसएपी प्रणाली से बाहर की गईं। यह सांविधिक संपरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रकट नहीं किया गया था और इसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सीएजी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह/-

**देविका नायर,
महा निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा**

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 26.08.2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 146 (6) (बी) के अंतर्गत सीएजी की टिप्पणियों का प्रबंधन की ओर से उत्तर

सी & एजी टिप्पणियां	प्रबंधन उत्तर
<p>1. अप्रचलित आस्तियां</p> <p>संपत्ति, संयंत्र व उपकरण: 2,75,798.26 लाख रुपये- पत्तन खाड़ी व प्रवेश सरणि: 81,442.23 लाख रुपये।</p> <p>निकर्षण के अनुरक्षण के लिये 5,907.98 लाख रुपये की राशि संपत्ति, संयंत्र व उपकरण (पीपीई) के लिये पूंजीकृत की गई तथा वर्ष की अवधि में पूंजीकृत राशि में से 3,110.51 लाख रुपये का मुद्रा हास हुआ। बड़े पत्तनों के लिये जहाजरानी मंत्रालय के निकर्षण मार्गदर्शिका के अनुसार परिचालात्मक गहराई बनाये रखने के लिये जमा तलछट को आवधिक रूप से हटाने की प्रक्रिया को अनुरक्षण निकर्षण कहा जाता है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार राजस्व प्रकृति की होते हुए अनुरक्षण निकर्षण की समूची राशि 5,907.98 लाख रुपये को लाभ व हानि लेखा में प्रभारित किये जाने की आवश्यकता थी। निकर्षण व्यय के त्रुटिपूर्ण पूंजीकरण के कारण 31 मार्च 2021 को यह पत्तन खाड़ी व प्रवेश सरणि आस्ति एवं 2,797.47 लाख रुपये (5,907.98 लाख- 3,110.51 लाख) की सीमा तक लाभ के अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण रूप में सामने आया।</p>	<p>वर्ष 2020-21 की अवधि में, केपीएल ने केपीएल के आग्रह पर आईआईटी, मद्रास द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर भारतीय निकर्षण निगम के माध्यम से 5907.88 लाख रुपये की राशि के अनुरक्षण निकर्षण का कार्य कराया।</p> <p>मंत्रालय की निकर्षण मार्गदर्शिका के अनुसार, “एक अवधि के पश्चात तलछट गाद परिमाण या उपलब्ध गहराई में अनुमानित कमी का आंकलन किया जा सकता है। परिचालनात्मक गहराई बनाये रखने के लिये तलछट गाद को समय-समय पर हटाये जाने की आवश्यकता होती है। जमा तलछट गाद को हटाने की प्रक्रिया को अनुरक्षण निकर्षण कहा जाता है, जो कि जल निकाय की विशिष्टताओं पर निर्भर सतत प्रक्रिया होती है।” तथा यह कहीं नहीं कहा गया है कि “यह प्रतिवर्ष उपगत है एवं प्रकृति में राजस्व है।”</p> <p>उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि अनुरक्षण निकर्षणसमय-समय पर किया जा सकता है, किंतु इसे प्रत्येक वर्ष किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह कार्य गाद संचय/जल निकाय विशिष्टताओं पर भी निर्भर करता है।</p> <p>कामराजर पोर्ट (कोलकाता, हल्दिया व कोजीन पत्तनों के जैसे नहीं है कि जिन्हें अपनी जल निकाय विशिष्टताओं के अनुसार प्रतिवर्ष अनुरक्षण निकर्षण की आवश्यकता पड़ती हो) तभी अनुरक्षण निकर्षणकराता है, जब गाद संचय का परिमाण सहन सीमा पार कर जाती है और प्रचालन गहराई बनाये रखने के लिये अनुरक्षण निकर्षण आवश्यक हो जाता है। केपीएल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुरक्षण निकर्षणकिया था और आईएनडी एएस अर्थात आस्ति के जीवन काल पर आधारित पूंजीकृत व मूल्यहासित के अनुसार इसका लेखांकन किया था।</p> <p>पैरा सं. 6 के अनुसार। इंड एएस के अंतर्गत परिभाषा</p> <p>संपत्ति, संयंत्र व उपकरण मूर्त मद होते हैं जो कि :</p> <p>(ए) उत्पादन या सामग्री आपूर्ति में प्रयोग के लिये, अन्य को भाड़े पर देने, अथवा प्रशासनिक उद्देश्य से, रखे जाते हैं; और</p> <p>(बी) इनका एक से अधिक अवधि के लिये उपयोग किये जाने की अपेक्षा होती है</p> <p>आस्ति की पहचान के पैरा सं. 7 के अनुसार:</p> <p>7. संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के किसी मद की लागत को आस्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि, और केवल यदि:</p> <p>ए) यह संभावित हो कि उस मद से जुड़े भावी लाभ संगठन के पास आएंगे; और</p> <p>बी) उस मद की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।</p>

सी & एजी टिप्पणियां	प्रबंधन उत्तर
	<p>मूल्य हास:</p> <p>43. संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के किसी मद के प्रत्येक भाग की लागत जो कि उस मद के कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण होती है, का पृथक रूप से मूल्य हास किया जाएगा।</p> <p>संपर्क सरणि, प्रवेश सरणि जैसे विभिन्न स्थानों एवं विभिन्न गोदियों पर अनुरीक्षण निकर्षण कराया गया। कंपनी के अपने संगठन द्वारा किये गये तकनीकी अध्ययन के अनुसार, संपर्क सरणि, प्रवेश सरणि, पत्तन खाड़ी जैसेकुछ अवस्थानों में गाद जमा हो जाती है और इसके वार्षिक निकर्षण की आवश्यकता होती है तथा पत्तन के भीतर के क्षेत्रों यथा सीबी1, सीबी2, जीसीबी, कंटेनर टर्मिनल, बहु-कार्गो टर्मिनल, एसआईओटीएल आदिजो दो वर्ष का आर्थिक लाभ ले रहेहैं उनमें भी निकर्षण की आवश्यकता थी। तदनुसार, दोनों अवस्थानों के लिये 3110.51 लाख रुपये के परिमाण के बराबर मूल्य हास की गणना के लिये आया भार 2.955 मिलियन घन मीटर में से 1.544 घन मीटर (एक वर्ष व दो वर्ष के दोनों अवस्थानों की स्थिति के लिये) था।</p> <p>इसलिये, तकनीकी अध्ययन व इंड एस 16 के आधार पर उसमें अनुरीक्षण निकर्षण के पूंजीकरण एवं मूल्यहास दावा किया गया।</p>
<p>2. वर्तमान आस्तियां</p> <p>व्यापार प्राप्य: 7,770.45 लाख रुपये</p> <p>उपरोक्त में मेसर्स एसआईसीएल आयरन ओर टर्मिनल्स लिमिटेड (एसआईओटीएल) से प्राप्य 2,821.86 लाख रुपये अनुज्ञप्ति शुल्क सम्मिलित है, जिसके साथ कंपनी ने एसआईओटीएल द्वारा ऋणदाता के व्यतिक्रम करने के कारण 'लौह अयस्क टर्मिनल को कोयला टर्मिनल में रूपांतरित करने' के लिये (डीबीएफओटी आधार पर) किया गया समझौता समाप्त (मार्च 2021) कर दिया था। एसआईओटीएल कोई नया निवेशक नहीं आकर्षित कर सकी/पा सकी, और न ही मूल कंपनी एसआईओटीएल को कोई और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने को इच्छुक थी। एसआईओटीएल के स्वतंत्र संपरीक्षकों ने इसके घोर तरलता संकट को प्रतिवेदित किया था और इसके लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में चलते रहने की क्षमता पर संदेह प्रकट किया था। यह उसकी मूल कंपनी के संपरीक्षा प्रतिवेदन (अगस्त 2020) में भी पुनः दिखाया गया था। यद्यपि, कंपनी द्वारा एसआईओटीएल से मिलने वाले व्यापार प्राप्य के लिये संदेहास्पद ऋण के प्रावधान नहीं बनाये गये। इसका परिणाम व्यापार प्राप्य व लाभ में 2,821.86 लाख रुपये के अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण के रूप में आया।</p>	<p>मेसर्स यस बैंक, एसआईओटीएल परियोजना के प्रमुख ऋणदाता, ने प्रतिस्थापन समझौते के प्रावधान 5.1 का उपयोग किया है। इस प्रावधान में वित्तीय व्यतिक्रम होने पर समापन की व्यवस्था है। परिणामस्वरूप केपीएल ने एलए के खंड 22.3.3 के अनुसार 90 दिवस की उपचार अवधि देते हुए 21.12.2020 को "समापन करने के आशय का नोटिस" दिया है। उपचार अवधि में एसआईओटीएल न तो व्यतिक्रम को ठीक कर पायी और न ही ऋणदाता ने अपना नोटिस वापस लिया। उपचार अवधि बीत जाने के पश्चात, केपीएल ने एलए के खंड 22.3.5 के अनुसार समापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी तथा स्थिति सर्वेक्षक के रूप में आईआईटी मद्रास को नियुक्त किया।</p> <p>एलए में निर्दिष्ट समापन प्रक्रिया के अनुसार, देय क्षतिपूर्ति प्रतिष्ठित मूल्यांकनकर्ता के रूप में विशेषज्ञ द्वारा यथा निर्धारित कुल उचित मूल्य होगी। यदि एलए के खंड 25.3 के अनुसार समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति धारक की ओर से अनुज्ञप्ति प्रदाता को कोई देय है, तो अंतरण आस्ति घटाकर राशि क्षतिपूर्ति देय होगी।</p> <p>इसलिये, समझौते के अनुसार, केपीएल "अंतिम क्षतिपूर्ति" निर्धारण के पश्चात प्राप्य राशि की उगाही को लेकर आश्वस्त है।</p> <p>चूंकि समापन प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम मास में प्रारंभ हुई है, इसलिये वर्णित व्यापार प्राप्यों को अनुज्ञप्तिधारक/ऋणदाता के देय अंतिम क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के पश्चात उगाहा जाएगा।</p> <p>चूंकि समूचे प्राप्य राशि की उगाही अनुज्ञप्ति समझौते के प्रावधानों से आच्छादित है, इसलिये यह प्राप्य राशि अच्छी मानी गई है और संदेहास्पद ऋण के लिये प्रावधान नहीं किये गये हैं।</p>

सी & एजी टिप्पणियां	प्रबंधन उत्तर
<p>3. अन्य अप्रचलित आस्तियां</p> <p>पूंजी व्यय के लिये अग्रिम: 7,328.63 लाख रुपये</p> <p>उपरोक्त में मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एचसीसी) को पूंजीगत व्यय के लिये दिये गये अग्रिम 4509.50 लाख रुपये सम्मिलित हैं। कंपनी एचसीसी से 4509.50 लाख रुपये वापस पाने के लिये मध्यस्थता प्रक्रिया (2003 व 2004) में हार गई थी तथा इस मध्यस्थता निर्णय को निरस्त करने के लिये प्रविष्ट याचिका भी मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा (2017 व 2019) अस्वीकार कर दी गई थी। चूंकि इस प्रकरण के विधिक वृत्त को देखते हुए और महत्वपूर्ण समय बीत जाने पर विचार करते हुए यह प्रतीत होता है कि एचसीसी से इस अग्रिम को वापस पाए जाने की संभावना अत्यंत क्षीण है। इसलिये कंपनी द्वारा इस 4509.50 लाख के संदेहास्पद ऋण के लिये प्रावधान बनाया जाना अपेक्षित था। परंतु ऐसा प्रावधान न होने के कारण परिणाम 4509.50 लाख पूंजीगत व्यय व लाभ के अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण के रूप में आया।</p>	<p>संपरीक्षा में यह ध्यान दिया जाए कि उक्त राशि का दावा मूलतः वित्तीय वर्ष 1998-2001 की अवधि में तत्कालीन परियोजना क्रियान्वयन अभिकर्ता अर्थात् चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्रविष्ट एक विवाचन में प्रतिदावे के रूप में और अथवा संविदाकार को कथित अधिक भुगतान (रनिंग लेखा बीजक में) के प्रतिदावे के रूप में किया गया था और यह प्रकरण अभी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा है। यह बताया गया है कि पूर्व के वित्तीय वर्षों से लिये गये 45.06 करोड़ रुपये “पूंजीगत व्यय के लिये अग्रिम” के रूप में भी दिखाये गये और वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि में कोई संचलन नहीं था। इसके आगे यह बताया गया है कि इन प्रकरणों की स्थिति माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष लंबित है।</p> <p>जैसे और जब न्यायालय के निर्देश पर इस प्रकरण में अंतिम निर्णय होता है, आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां अंतिम निर्णय के वर्ष में की जाएंगी। यदि, प्रावधान किया जाता है, तो इसे पूंजीकृत किया जाएगा और पी व एल लेखा में प्रभारित नहीं किया जाएगा तथा इस प्रकार 4509.50 लाख रुपये के लाभ का अतिशयोक्तिपूर्ण कथन का आरोप नहीं बनता है।</p>
<p>(बी) स्वतंत्र संपरीक्षक प्रतिवेदन</p> <p>केपीएल ने सभी कार्य संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिये बजट, लेखा व वित्त, एचआर व वेतन-पंजिका (पेरोल), सामग्री प्रबंधन, परियोजना प्रणाली आदिविभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों को आच्छादित करने वाली एसएपी ईआरपी प्रणाली क्रियान्वित (मई 2018) की है। संपरीक्षा में पाया गया कि एसएपी ईआरपी प्रणाली के क्रियान्वयन के बाद भी प्रबंधन ने कुछ लेखा प्रविष्टियां एसएपी ईआरपी प्रणाली के बाहर कीं और उसे ही वित्तीय विवरण में सम्मिलित किया। एसएपी प्रणाली के बाहर 477.43 लाख रुपये के परिमाण की लेखांकन प्रविष्टियां बजट लेखा से निर्माणाधीन अचल आस्ति पर भारित लागत (सीडब्ल्यूआईपी) में अंतरित की गईं। यह सांविधिक संपरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रट नहीं किया गया और इसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सीएजी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ।</p>	<p>यह टिप्पणी सांविधिक संपरीक्षकों के पास उनकी टिप्पणी के लिये संदर्भित की गई है।</p>

स्वतंत्र संपरीक्षकों का प्रतिवेदन सेवा में, सदस्यगण, कामराजर पोर्ट लिमिटेड

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा पर प्रतिवेदन

अभिमत

- हमने तद् तिथि पर समाप्त वर्ष के लिये **कामराजर पोर्ट लिमिटेड** ("कंपनी") के इंड एस वित्तीय विवरणों का संपरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2021 को यथामहत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य स्पष्ट सूचना सहित तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह का विवरण सम्मिलित है। (आगे "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)
- हमारे अभिमत एवं हमारी श्रेष्ठ सूचना तथा हमारे समक्ष प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचनायथा अभीष्ट ढंग से प्रदान करता है तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) विनियम, 2015, यथा संशोधित, ("इंड एस") के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विहित भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यतया स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, यथा 31 मार्च 2020 को कंपनी की स्थिति एवं तद् तिथि पर समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लाभ व कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन एवं इसके नकदी प्रवाह की आवश्यक जानकारी सत्य एवं निष्पक्ष रूप से देती है।

अभिमत का आधार

- हमने वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारे प्रतिवेदन के *वित्तीय की संपरीक्षा के लिये संपरीक्षकों के उत्तरदायित्वखण्ड* के अंतर्गत आगे वर्णित है। हम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की अपनी संपरीक्षा के लिए सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्गत *आचार संहिता* एवं तद्विषयक निर्मित विनियमों के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, तथा हमने इन आवश्यकताओं एवं आईसीएआई की आचारसंहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक अपेक्षाओं को भी पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमने जो संपरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी संपरीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

विषयों का अवधारण

- समग्र रूप में लोक स्वास्थ्य एवं समाज पर प्रभाव डाल रहे और साथ ही संगठनों के परिचालनात्मक व वित्तीय प्रदर्शन पर प्रभाव डाल रहे कोविड-19 के कारण उपजी व व्याप्त स्थितियों एवं परिस्थितियों के प्रभाव पर प्रबंधन के मूल्यांकन से संबंधित टीप 30(18) देखिए,
- कंपनी द्वारा सरकार/सरकार के स्वामित्व वाली इकाइयों से प्राप्त अनेक अचल संपत्तियों के लंबित हस्तांतरण विलेख/पंजीकरण विलेख के संबंध में टीप 4(ए) देखिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न एजेंसियों को भुगतान देय प्रतिफल/क्षतिपूर्ति को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है तथा इसकी व्यवस्था नहीं की गयी है,
- परियोजना संविदाकारों को 4509.49 लाख रुपये के अधिक भुगतान को अन्य आस्तियां- अप्रचलित में जोड़ लिये जाने एवं मद्रास उच्च न्यायालय को संदर्भित लंबित यह विवाद आज तक पूंजीकृत न किये जाने के संबंध में टीप 11 देखिए।
- व्यापार प्राप्यों, सावधि ऋणों व अग्रिमों, जीएसटी निविष्टि साख, अग्रिम कर व स्रोत पर काटा गया कर एवं व्यापार देय यथा 31 मार्च 2021 को उस सीमा तक जो कि अनुवर्ती रूप से समायोजित/भुगतान नहीं किये गये और अभिपुष्टि व समन्वय के अधीन हैं, के संबंध में टीप 30(16) को देखिए।
- बीओटी संचालकों में से एक के द्वारा वर्ष की अवधि में 1180.12 करोड़ रुपये की राशि के बराबर अनेक दावे बताते हुए कंपनी के विरुद्ध प्रारंभ की गयी मध्यस्थता प्रक्रियाओं, जिसके संबंध में कंपनी द्वारा प्रतिदावा फाइल किया गया है और दोनों पक्षों द्वारा मध्यस्थ नियुक्त कर दिये गये हैं तथा वर्षांत पर मध्यस्थता प्रक्रियाओं की यथा स्थिति के संबंध में टीप 30(15)(iii) (ए) देखिए। तद्विषय, उक्त टीप में उल्लिखित कारणों हेतु, बीओटी संचालक द्वारा किये गये दावे के लिये कोई प्रावधान यथा वर्षांत आवश्यक नहीं समझा गया।
- बीओटी संचालकों में से एक के ऋणदाताओं द्वारा उस बीओटी संचालक के विरुद्ध वित्तीय व्यतिक्रम की कार्रवाई प्रारंभ करने की प्रतिक्रिया में ऋण समझौते के अनुसार वर्ष की अवधि में उस बीओटी संचालक को समाप्ति का नोटिस निर्गत किये जाने के संबंध में टीप 30(15)(iii)(बी) देखिए। तद्विषय, उक्त टिप्पणी में उल्लिखित

कारणों के लिये, यथा वर्षात इसके लिये कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया।

10. यथा वर्षात 43,538.45 लाख रुपये की राशि की एमएटी साख पात्रता, जो कि प्रबंधन के प्राक्कलन में, भविष्य के वर्षों में ऐसे शेषों की उपयोगिता के माध्यम से उगाही जाएगी, के संबंध में टीप 10 देखिए।
11. सुरक्षित कहे जाने वाले ऋणों व अग्रिमों- कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम (भवन निर्माण अग्रिम), जिसके संबंध में यथा वर्षात 202.45 लाख रुपये के परिमाण की राशि के लिये आवश्यक सुरक्षा प्रभार का सृजन प्रक्रियाधीन है, के संबंध में टिप्पणी 8 देखें।

उपरोक्त अनुच्छेद 7 से 11 में संदर्भित प्रकरणों के संबंध में हमारा अभिमत संशोधित नहीं हुआ है।

मुख्य संपरीक्षित विषय

12. मुख्य संपरीक्षा विषयवो हैं, जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के समय, हमारे व्यावसायिक निर्धारण में, सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। वित्तीय विवरणों की हमारी संपरीक्षा के प्रसंग में, तथा तत्पश्चात उसमें अपने अभिमत निर्धारण में ये विषय समग्रता में देखे गये, तथा हम इन विषयों पर पृथक अभिमत प्रदान नहीं किया है। हमने नीचे वर्णित विषयों को ऐसे प्रमुख संपरीक्षा विषयों के रूप में निर्धारित किया है, जो अपने प्रतिवेदन में संप्रेषित किए जाने हैं।

क्र. मां. क.	मुख्य संपरीक्षा विषय	संपरीक्षक की प्रतिक्रिया
1	इंड एस 115 “ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व” (नया राजस्व लेखांकन मानक) को अपनाये जाने को ध्यान में रखते हुए राजस्व व अन्य संबंधित शेष की मान्यता, परिमाण, प्रस्तुति तथा प्रकटीकरण की शुद्धता। नये राजस्व लेखांकन मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट निष्पादन बाध्यताओं की पहचान, चिह्नित निष्पादन बाध्यताओं के संव्यवहारमूल्य के निर्धारण से संबंधित कुछ मुख्य निर्णय आते हैं। नये राजस्व लेखांकन मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट निष्पादन बाध्यताओं की पहचान, चिह्नित निष्पादन बाध्यताओं के संव्यवहार मूल्य के निर्धारण से संबंधित कुछ मुख्य निर्णय आते हैं।	हमने नए मानक को अपनाए जाने के प्रभावों की पहचान करने की प्रबंधन की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया तथा प्रचलित व नयी संविदाओं के एक नमूने का चयन कर प्रमुख नियंत्रणों का परीक्षण किया एवं आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता की जांच की, जो विशिष्ट निष्पादन बाध्यताओं की पहचान तथा संव्यवहार के मूल्य निर्धारण से संबंधित है। हमने परिपृच्छा व प्रेक्षण, पुनर्निष्पादन एवं इन नियंत्रणों के परिचालन के संबंध में साक्ष्य के निरीक्षण वाली प्रक्रियाओं के संयोजन भी किया है। हमने चयनित नमूनों पर निम्नलिखित प्रक्रियाओं को किया है: <ul style="list-style-type: none"> ■ इन संविदाओं में विशिष्ट निष्पादन बाध्यताओं का अध्ययन, विश्लेषण एवं पहचान की। ■ इन निष्पादन बाध्यताओं की तुलना कंपनी चिह्नित बाध्यताओं के साथ की। ■ राजस्व की गणना के लिये प्रयुक्त संव्यवहार मूल्य का सत्यापन करने एवं परिवर्तनशील प्रतिफल के अनुमान के आधार के परीक्षण के लिये संविदाओं के अनुबंधों (शर्तों) पर विचार किया।
2	यथा 31 मार्च, 2021 को अनिश्चित प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर की स्थिति व पुनर्प्राप्ति की संभावना, एमएटी साख पात्रता, पूर्वदत्त करों व भविष्य के समजनों/अधिनिर्णयों के लिये लंबित सीईएनवीएटी पुनर्प्राप्ति योग्य सहित प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों से संबंधित आस्तियां।	हमारे संस्थानिक विशेषज्ञों ने पुनर्प्राप्ति योग्य राशि की प्रकृति, संवहनीयता एवं अंतिम समाधान पर पुनर्प्राप्ति की संभावना की समीक्षा की।

वित्तीय विवरणों तथा उस पर संपरीक्षक के प्रतिवेदन के अतिरिक्त सूचना

13. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना की तैयारी के लिये उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधकीय विचार-विमर्श व विश्लेषण में सम्मिलित सूचना, मंडल प्रतिवेदन के अनुलग्नकों सहित मंडल प्रतिवेदन व सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन सम्मिलित है, किंतु इसमें वित्तीय विवरण एवं उस पर हमारे संपरीक्षक का प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं है।

14. वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को आवृत्त नहीं करता है तथा हम उसपर किसी प्रकार का आश्वासनपूर्ण निष्कर्ष नहीं दे रहे हैं। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखासंपरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना को पढ़ने और, ऐसा करने में, यह विचार करने की है कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणों अथवा हमारी संपरीक्षा के क्रम में प्राप्त जानकारी अथवा अन्य किसी प्रकार से तात्विक रूप से दुर्विवरण वर्णित प्रतीत होती है।

15. यदि, उस कार्य के आधार पर, जो कि हमने उस अन्य सूचना पर निष्पादित किया है, जो इस संपरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि से पूर्व हमें प्राप्त हुई थी, हम निष्कर्ष देते हैं कि इस अन्य सूचना में तात्त्विक त्रुटि है, तो हमें उस तथ्य को प्रतिवेदित करने की आवश्यकता होती है।
16. तद् दिनांक के पश्चात प्रबंधकीय विचार-विमर्श व विश्लेषण, मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित मंडल प्रतिवेदन एवं सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन तथा अंशधारकों को दी गयी सूचना हमें उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है। जब हम उस प्रतिवेदन का पाठन करते हैं, जो इस संपरीक्षक के प्रतिवेदन के दिनांक के पश्चात हमें उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें तात्त्विक दुर्विवरण है, तो हमारे द्वारा संचालन के प्रभार वाले व्यक्तियों को इस प्रकरण से अवगत कराना आवश्यक होता है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

17. अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक सहित, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन, नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने वाले इन इंड एसएस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिये कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की आस्तियों की रक्षा एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं उनकी पहचान के लिये; उचित लेखांकन नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग; तर्कसंगत व विवेकशील आंकलन एवं निर्णय; तथा लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से संचालित हुए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्पन, क्रियान्वयन व अनुरक्षण, कपट अथवा त्रुटि के कारण होने वाली दुर्विवरणसे मुक्त एवं सत्य व निष्पक्ष अभिमत देने वाले वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुति में प्रासंगिक पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण भी सम्मिलित है।
 18. वित्तीय विवरण तैयार करने में, जब तक कि प्रबंधन की मंशा कंपनी का तरलीकरण करने अथवा परिचालन बंद करने की नहीं हो अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त अन्य ठोस विकल्प नहीं हो, प्रबंधन लाभप्रद-प्रतिष्ठान के रूप में निरंतर रहने की कंपनी की क्षमता, प्रकटीकरण, यथा प्रयोज्य, लाभप्रद-प्रतिष्ठान से संबंधित विषयों एवं लेखांकन के सुनाम-प्रतिष्ठान आधार के प्रयोग के आंकलन के लिये उत्तरदायी है।
 19. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रगति पर दृष्टि बनाये रखने के लिये भी उत्तरदायी है।
- ### वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिये संपरीक्षक का उत्तरदायित्व
20. हमारा उद्देश्य इस विषय में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण कपटपूर्ण अथवा त्रुटिवश तात्त्विक दुर्विवरण से मुक्त है, तथा यह है कि संपरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करना है जिसमें हमारा अभिमत सम्मिलित हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, किंतु यह ऐसी कोई सुनिश्चितता नहीं होती है कि एसए के अनुरूप की गई संपरीक्षा सदैव तात्त्विक दुर्विवरण, जब भी हो, को पकड़ लेगी। दुर्विवरण कपट अथवा त्रुटि के कारण हो सकते हैं तथा उन्हें तात्त्विक तभी माना जाता है, यदि यह यथोचित आशंका हो कि, एक-एक करके अथवा कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।
 21. तात्त्विकता वित्तीय विवरणों में दुर्विवरण का वह परिमाण होती है, जो, एक-एक करके अथवा कुल मिलाकर, यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के यथोचित सुविज्ञ उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने संपरीक्षा कार्य की परिधि की योजना बनाने एवं अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) वित्तीय विवरणों में चिह्नित दुर्विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक तात्त्विकता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।
 22. एसएस के अनुरूप किसी संपरीक्षा (लेखा परीक्षा) के अंश के रूप में हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं तथा संपरीक्षा के समय व्यावसायिक संदेहवाद बनाये रखते हैं। हम ये भी करते हैं:
 - वित्तीय विवरणों के तात्त्विक दुर्विवरण, चाहे कपट के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों की पहचान व मूल्यांकन करना, उन जोखिमों पर प्रतिक्रियात्मक संपरीक्षा प्रक्रिया को अभिकल्पित व निष्पादित करना, तथा संपरीक्षा का ऐसा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारे अभिमत के लिये आधार प्रदान करने में पर्याप्त व उपयुक्त हो। कपट के परिणामस्वरूप होने वाले तात्त्विक दुर्विवरण को न पकड़ पाने का जोखिम त्रुटिवश होने वाले दुर्विवरण विवरण से अधिक होता है, क्योंकि कपट में सांठ-गांठ, घपला, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति, अथवा आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन भी हो सकता है।
 - आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो संपरीक्षा के प्रासंगिक हो, जिससे कि ऐसी संपरीक्षा प्रक्रिया अभिकल्पित की जा सके जो परिस्थितियों के लिए उचित हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर भी अभिमत प्रकट करने के लिये उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं लेखांकन अनुमानों की विश्वसनीयता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणका मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लाभप्रद-प्रतिष्ठान आधार के उपयोग किये जाने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा, प्राप्त संपरीक्षा साक्ष्य पर आधारित, यह निर्धारित करना कि क्या तात्विक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा परिस्थितियों से संबंधित है, जो लाभप्रद-प्रतिष्ठान के रूप में निरंतर रहने की कंपनी की क्षमता पर पर्याप्त संदेह उत्पन्न कर सकती हैं। यदि हम यह निष्कर्ष दें कि कोई तात्विक अनिश्चितता है, तो हमसेअपनेसंपरीक्षा प्रतिवेदन में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यानाकर्षण अपेक्षित होता है अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपनेअभिमत में संशोधन की आवश्यकता होती है।हमारानिष्कर्ष संपरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त संपरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। यद्यपि, भविष्य की घटनाएं अथवा स्थितियां कंपनी के सुनाम-प्रतिष्ठान के रूप में निरंतर रहने में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।
- संपूर्ण प्रस्तुतिकरण, संरचना एवं वित्तीय विवरण की विषयवस्तु, प्रकटीकरणों सहित, का मूल्यांकन करना, तथा यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण आधारभूत संव्यवहारों व घटनाओं को उसी ढंग में प्रस्तुत करते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति का लक्ष्य पूरा होता है।

23. हम, अन्य विषयों के साथ ही, अपनी संपरीक्षा के समय चिह्नित आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों सहित संपरीक्षा की नियोजित परिधि व समय एवं महत्वपूर्ण संपरीक्षा निष्कर्षों को संचालन प्रभार धारण करने वाले लोगों को संप्रेषित करते हैं।
24. हम संचालन प्रभार धारण करने व्यक्तियों को एक ऐसा विवरण भी उपलब्ध करवाते हैं, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ संकलित किया है, तथा उन्हें हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकने वालेसभी संबंधों व अन्य विषयों, तथा जहां अनुप्रयोज्य हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को संप्रेषित करते हैं। संचालन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित विषयों के साथ हम उनविषयों का निर्धारणकरते हैं, जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा में सबसे महत्व के थे और इस कारणवे प्रमुख संपरीक्षा विषय हैं। हम अपने संपरीक्षा प्रतिवेदन में इन विषयों का वर्णन करते हैं, जब तक कि विधि अथवा विनियमन द्वारा उन मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न हो, अथवा जब अत्यंत अभूतपूर्व परिस्थितियों में हम निश्चित करें कि किसी विषय को अपने प्रतिवेदन में संप्रेषित नहीं

किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के जोप्रतिकूल परिणाम होंगे वोऐसे संप्रेषणके जनहित लाभों की तुलना में तार्किक रूप से कहीं अधिक हो सकते हैं।

अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

25. अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत यथा अभीष्ट, हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्गत निर्देशों/अनुदेशों पर अनुलग्नक ए में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।
26. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 11 की उपधारा के संबंध में भारत की केंद्र सरकार द्वारा निर्गत कंपनी (संपरीक्षक प्रतिवेदन) आदेश 2016 (“आदेश”) के अंतर्गत यथा अभीष्ट, हम अनुलग्नक बी में यथा प्रयोज्य सीमा तक, अनुच्छेद 3 व 4 में निर्दिष्ट विषयों पर कथन प्रस्तुत करते हैं।
27. अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत यथा अभीष्ट, हम यह प्रतिवेदित करते हैं:
 - ए) हमने वो सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं, जो हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार हमारी संपरीक्षा के उद्देश्य के लिये आवश्यक थे;
 - बी) हमारे अभिमत में, विधि द्वारा यथा अभीष्ट लेखा की उचित बहियों को कंपनी द्वारा अब तक अनुरक्षित किया गया है, जैसा कि उन बहियों के हमारे परीक्षण के अब तक प्रतीत होता है;
 - सी) तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय के साथ लाभ व हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं नकदी प्रवाह का विवरण, जिन पर इस प्रतिवेदन में विचार किया गया है, लेखा बहियों के सुसंगत हैं;
 - डी) हमारे अभिमत में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट इंड एएस, कंपनी (लेखा) विनियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित, के अनुपालन में हैं;
 - ई) निदेशकों से प्राप्त अभ्यावेदन, जैसा कि 31 मार्च, 2021 को, निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत, के आधार पर अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के संबंध में कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2021 को निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने से अयोग्य नहीं हुआ है।
 - एफ) कंपनी के वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में “अनुलग्नक सी” में हमारे पृथक प्रतिवेदन को देखें। हमारा प्रतिवेदन वित्तीय सूचना पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

पर पर्याप्तता एवं परिचालन प्रभावशीलता पर असंशोधित अभिमत प्रकट करता है।

जी) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) विनियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप संपरीक्षा में सम्मिलित अन्य विषयों के संबंध में हमारे अभिमत के अनुसार एवं हमारी श्रेष्ठ सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित वादों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।

ii. कंपनी ने, अनुप्रयोज्य विधि अथवा लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथा अभीष्ट, व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घ अवधि की संविदाओं पर तात्त्विक पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हो, के लिये प्रावधान किया है।

iii. निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में, अंतरित किये जाने के लिये अपेक्षित, राशि के अंतरण में कोई विलंब नहीं किया गया है।

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 25.06.2021

कृते बी. त्यागराजन एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

एफआरएन 004371एस

ह/-

राम श्रीनिवासन

साझेदार

एम नं. 220112

यूडिएएन : 21220112एएएबीओ8554

बी.तियागराजन एंड को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

संपरीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - ए

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये मेसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर सम दिनांकित स्वतंत्र संपरीक्षकों की हमारी रिपोर्ट के शीर्षक “अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन” के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में संदर्भित अनुलग्नक।

1	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को संसाधित करने के लिए कोई व्यवस्था है? यदि नहीं, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ लेखा की शुद्धता पर आईटी प्रणाली के बाहरलेखांकन संव्यवहारों के संसाधन के आशय का उल्लेख किया जाए।	सभी लेखांकन संव्यवहारों का संसाधन आईटी प्रणाली के माध्यम से करने की व्यवस्था कंपनी में है।
2	क्या ऋण का भुगतान कर पाने में कंपनी की अक्षमता के कारण किसीविद्यमान ऋण की भुगतान अनुसूची पुनर्संरचनाअथवा कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा उधारी/ऋण/ब्याज आदिके अधित्याग/बट्टा खाते में डाले जानेके प्रकरण हुए हैं? यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	ऋण का भुगतान कर पाने में कंपनी की अक्षमता के कारण किसी विद्यमान ऋण की भुगतान अनुसूची पुनर्संरचना अथवा कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा उधारी/ऋण/ब्याज के अधित्याग/बट्टा खाते में डालने आदि का कोई प्रकरण नहीं है।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसी से किसी विशिष्ट योजना के लिये प्राप्त/प्राप्य निधियों का लेखा-जोखा/उपयोग उनके नियम व शर्तों के अनुसार उचित ढंग से हुआ है? विचलन के प्रकरणों को अंकित करें।	समीक्षाधीन वर्ष की अवधि में कंपनी ने केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये कोई निधि प्राप्त नहीं की है।

संपरीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - बी

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये मेसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर सम दिनांकित हमारे स्वतंत्र संपरीक्षकों के प्रतिवेदन के शीर्षक “अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन” के अंतर्गत अनुच्छेद 2 में संदर्भित अनुलग्नक।

- (ए) कंपनी अचल आस्तियों के गुणवत्तापरक विवरण सहित उचित अभिलेख का अनुरक्षण कर रही है। हमारे अभिमत में अचल आस्तियों की स्थिति के अद्यतनीकरण के संबंध में अभिलेख में और सुधार की आवश्यकता है।
(बी) कंपनी में अचल आस्तियों के सभी मदों को आच्छादित करने के लिए चरणबद्ध ढंगका सत्यापन कार्यक्रम है, जो हमारे अभिमत में, कंपनी के आकार एवं उसकी आस्तियों की प्रकृति को देखते हुए उपयुक्त है। इस कार्यक्रम के अनुवर्तन में वर्ष में प्रबंधन द्वारा अचल आस्तियों का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया। हमें प्राप्त सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार इस सत्यापन में कोई तात्त्विक विसंगतियां नहीं दिखीं।
(सी) कंपनी के स्वामित्व में टिडको (950.00 एकड़), टीएनईबी (1092.20 एकड़), नमक विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार (712.42 एकड़), तमिलनाडु सरकार (47.87 एकड़) के उपार्जित 2787.27 एकड़ भूमि है और ये भूमि उसके अधिकार में है। इसके अतिरिक्त, स्वामित्व वाली कुल 2,008.34 एकड़ भूमि में से टिडको 297.98 एकड़, टैनजेडको 995.05 एकड़ व नमक विभाग 682.66 एकड़ से प्राप्त भूमि कंपनी के नाम से पंजीकृत है तथा तमिलनाडु सरकार से प्राप्त 32.65 एकड़ भूमि का पट्टा प्राप्त कर लिया गया है एवं जहां तक शेषभूमि का प्रश्न है, पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।
- कंपनी पोर्ट के विकास एवं परिचालन में संलिप्त है तथा प्राथमिक रूप से पोर्ट सेवाएं प्रदान कर रही है। यह वस्तुओं की कोई सूची धारित नहीं करती है। इसलिए आदेश का अनुच्छेद 3(ii) अनुप्रयोज्य नहीं है।
- यथा संसूचित, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षण पंजीका में आच्छादित कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षों को कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण नहीं प्रदान किये हैं।
- हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा की गई संपरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 व 186 के उल्लंघन में कोई ऋण, गारंटी, निवेश अथवा प्रतिभूति नहीं दी है।

5. कंपनी ने अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 एवं कंपनी (जमाओं की स्वीकार्यता) विनियम, 2014 (यथा संशोधित) के अर्थों में कोई जमाएं स्वीकार नहीं की हैं। तदुसार आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान अनुप्रयोज्य नहीं हैं।
6. हमें प्राप्त सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही किसी भी सेवा के लिये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के अंतर्गत लागत अभिलेख का अनुरक्षण विहित नहीं किया है।
7. (ए) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के

अभिलेखों के हमारे सत्यापन के अनुसार, कंपनी सामान्यतः भविष्य निधि कर्मचारी, राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकरण एवं कोई अन्य सांविधिक देय राशि सहित अविवादित सांविधिक देय राशि को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है तथा वर्षांत में कोई भी भौतिक सांविधिक देय नियत तिथि से 6 मास से अधिक समय तक लंबित नहीं रहा है।

- (बी) हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण एवं कंपनी के अभिलेखों के हमारे सत्यापन के अनुसार, यथा 31 मार्च 2021 को निम्नलिखित विवादित कर/शुल्क की राशियां उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं की गई है:

संविधि	देय की प्रकृति	राशि (लाख में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां राशि लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	रु.1,264.84	ए.वाई. 2005-06 से एवाई 2012-13, 2016-17	निर्धारण अधिकारी
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	रु.4,631.43	ए.वाई. 2012-13, 2014-15, 2017-18	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	रु.125.08	ए.वाई. 2002-03 से एवाई 2004-05, एवाई 2012-13	मद्रास उच्च न्यायालय

8. हमें प्रदत्त सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कंपनी के अभिलेखों के हमारे सत्यापन के अनुसार, कंपनी ने वर्ष की अवधि में बैंक/ वित्तीय संस्थान/बंधपत्र धारकों को अपनी देय राशि के भुगतान में कोई व्यतिक्रम नहीं किया है।
9. कंपनी ने आईपीओ अथवा एफपीओ के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। जुटाये गये सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिये किया गया जिनके लिये उन्हें जुटाया गया था।
10. हमें प्रदत्त सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कंपनी के अभिलेखों के हमारे सत्यापन के अनुसार, वर्ष की अवधि में कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी का नोटिस अथवा सूचना नहीं मिली है।
11. हमारे अभिमत में एवं प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधकीय पारितोषिक का भुगतान किया गया है अथवा प्रदान किया गया है, जो कंपनी अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 द्वारा अधिदृष्ट अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार हैं।
12. कंपनी निधि कंपनी नहीं है तथा तदुसार आदेश का अनुच्छेद 3(xii) अनु प्रयोज्य नहीं है।

13. हमें प्रदत्त सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम की धारा 177 व 188 के यथा प्रयोज्य अनुपालन में है तथा इस प्रकार के संव्यवहारों का विवरण प्रयोज्य लेखांकन मानकों की आवश्यकतानुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
14. हमें प्रदत्त सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष में शेयरों अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय बंधपत्रों का अधिमानी आवंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया है। तदुसार आदेश का अनुच्छेद 3(xiv) अनुप्रयोज्य नहीं है।
15. हमें प्रदत्त सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई अ-नकद संव्यवहार नहीं किया है। तदुसार आदेश का अनुच्छेद 3(xv) अनुप्रयोज्य नहीं है।
16. कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।

कृते बी. त्यागराजन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरए 004371S
ह/-
राम श्रीनिवासन
साझेदार

एफ नं. 220112

यूडिएएन : 21220112एएएबीओ8554

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 25.06.2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - सी

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप धारा 3 के परिच्छेद (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन

हमने तद् दिनांक पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संयोजन में 31 मार्च 2021 तक मेसर्स **कामराजर पोर्ट लिमिटेड** (“कंपनी”) की वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की संपरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (‘आईसीएआई’) द्वारा वित्तीय सूचनांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संपरीक्षा की मार्गदर्शिका टीप में नियत आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना अंकन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अनुरक्षण एवं परिस्थापन के लिये उत्तरदायी होता है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी की नीतियों के अनुपालन, अपनी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी व त्रुटियों की पहचान व रोकथाम, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता व पूर्णता, एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार यथा अभीष्ट विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी सहित कंपनी के कारोबार के व्यवस्थित एवं प्रभावी परिचालन को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावशील रूप से परिचालित हो रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्पन, क्रियान्वयन व अनुरक्षण भी सम्मिलित है।

संपरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व वित्तीय सूचनांकन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी संपरीक्षा के आधारपर अभिमत प्रकट करना है। हमने आईसीएआई द्वारा निर्गत एवं कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित मानी जाने वाली वित्तीय सूचनांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संपरीक्षा पर मार्गदर्शिका टीप (‘मार्गदर्शिका टीप’) एवं लेखांकन मानकों, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संपरीक्षा पर अनुप्रयोज्य तथा, दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत, के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संपरीक्षा पर इनकी अनुप्रयोज्य सीमा तक, अपना संपरीक्षण किया है। उन मानकों एवं मार्गदर्शिका में अभीष्ट है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा संपरीक्षा की योजना इस प्रकार बनायें एवं संपरीक्षा का निष्पादन इस प्रकार करें कि इस बात का उचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय सूचना अंकन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थापित व अनुरक्षित किये गये थे और क्या इस प्रकार के नियंत्रण सभी तात्त्विक संबंधों में प्रभावी रूप से प्रचालित हुए।

हमारी संपरीक्षा में वित्तीय वित्तीय सूचनांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उसकी प्रचालन प्रभावशीलता के विषय में संपरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रक्रियाओं का निष्पादन करना सम्मिलित है। वित्तीय सूचना अंकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी संपरीक्षा में सूचनांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना और किसी तात्त्विक कमी की स्थिति में संबंधित जोखिम का मूल्यांकन करना तथा मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण का अभिकल्पन एवं प्रचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं संपरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें कपटपूर्ण अथवा त्रुटिवश वित्तीय विवरणों का तात्त्विक दुर्विवरणविवरण के जोखिमों का मूल्यांकन सम्मिलित है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय सूचनांकन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी संपरीक्षा हमारे अभिमत का आधार उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त व उचित है।

वित्तीय सूचनांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय सूचनांकन पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय सूचनांकन की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने एवं वाह्य उद्देश्यों के लिये वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिये अभिकल्पित एक प्रक्रिया होती है। किसी कंपनी के वित्तीय सूचनांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां व प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जो (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जो उचित विवरणों के साथ शुद्धता एवं निष्पक्षता से संव्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं तथा कंपनी की आस्तियों की स्थिति बताते हैं; (2) इसका उचित आश्वासन उपलब्ध करवाते हैं कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति देने के लिये संव्यवहार यथा आवश्यक अंकित किये गये हैं, और कंपनी की प्राप्त व व्यय कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किये जा रहे हैं; तथा (3) कंपनी की उन आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं निस्तारण की रोकथाम अथवा समय पर उनकी पहचान के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर तात्त्विक प्रभाव हो सकता था।

वित्तीय सूचनांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

नियंत्रण के अनुप्रबंधित प्रबंधन प्रत्यादिष्ट अथवा घर्षण की संभावना सहित वित्तीय सूचनांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं

के कारण त्रुटि अथवा छल के कारण तात्विक दुर्विवरणविवरण हो सकता है तथा उसकी पहचान भी नहीं की जा सकती। साथ ही आगे की अवधि में वित्तीय सूचना अंकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी इस जोखिम के अधीन होते हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय सूचना अंकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, अथवा यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का अंश क्षीण हो सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में, कंपनी के पास, सभी तात्विक अर्थों में, वित्तीय सूचनांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय सूचनांकन पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण यथा 31 मार्च 2021 को प्रभावी रूप से चल रहे थे तथा ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान) द्वारा वित्तीय सूचनांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संपरीक्षा पर निर्गत मार्गदर्शी टीप में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचनांकन पर आंतरिक नियंत्रण मापदंडों पर आधारित थे।

कृते बी. त्यागराजन एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

एफआरएन 004371S

ह/-

राम श्रीनिवासन

साझेदार

एम नं. 220112

यूडिएएन : 21220112एएएबीओ8554

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 25.06.2021

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सि.एन.ः U45203TN1999GOI043322

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) और तीसरी मंजिल, जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001

31 मार्च 2021 तक संपत्तियों व देयताओं का विवरण

(रुपए लाखों में)

विवरण	टीप संख्या	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
आस्तियां			
अप्रचलित आस्तियां (अर्थात अ-वर्तमान आस्तियां)			
(ए) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	4	275798.26	273178.30
(बी) परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार		1509.85	1575.22
(सी) निर्माणाधीन अचल आस्ति पर भारित लागत	5	15881.07	10761.88
(डी) अन्य अमूर्त आस्तियां	6	469.90	608.86
(ई) वित्तीय आस्तियां			
(i) निवेश	7	4160.07	4148.04
(ii) ऋण व अग्रिम	8	378.16	408.74
(iii) अन्य	9	392.87	360.59
(एफ) आस्थगित कर आस्तियां	10	14721.91	23845.14
(जी) अन्य अप्रचलित आस्तियां	11	7478.22	13725.83
प्रचलित आस्तियां (अर्थात चालू अर्थात वर्तमान आस्तियां)			
(ए) वित्तीय आस्तियां			
(i) व्यापार प्राप्य	12	7770.45	4816.59
(ii) नकदी व नकदी समतुल्य	13	3201.44	9920.80
(iii) ऋण व अग्रिम	8	53.95	52.94
(iv) अन्य	9	135.11	9.94
(बी) वर्तमान कर की संपत्ति	14	288.86	388.77
(सी) अन्य वर्तमान आस्तियां	11	1875.88	2018.77
कुल आस्तियां		334116.00	345820.41
इक्विटी (समता) एवं देयताएं			
इक्विटी			
(ए) इक्विटी शेयर पूंजी (समता अंश पूंजी)	15	30000.00	30000.00
(बी) अन्य इक्विटी		205204.86	207906.66
देयताएं			
गैर मौजूदा देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार लेना	16	66377.01	77522.09
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	397.00	566.15
(बी) प्रावधानित	18	-	-
(सी) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)			
(डी) अन्य अप्रचलित देयताएं	19	8730.10	8334.98
प्रचलित देयताएं (चालू देयताएं)			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यापार देयताएं	20	4600.65	4255.05
(ii) अन्य व्यापार देयताएं	17	11608.99	12047.45
(बी) प्रचलित कर देयताएं	14	-	-
(सी) अन्य प्रचलित देयताएं	19	5639.50	4154.53
(डी) प्रावधानित	18	1557.90	1033.50
कुल इक्विटी व देयताएं		334116.00	345820.41
लेखाओं पर टीप	30		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 से 3		

उपरोक्त फॉर्म में संदर्भित टीप वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

डिन : 01310101

ह/-

एम. गुणसेकरन

मुख्य वित्तीय अधिकारी और अनुपालन अधिकारी

ह/-

पी. रवींद्रन

निदेशक

डिन : 07640613

ह/-

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन

कंपनी सचिव

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फ.आर.एन. 004371एस

ह/-

राम श्रीनिवासन

पार्टनर, एम.नं.220112

यूडिएन : 21220112एएएबीओ8554

स्थान: चेन्नै

दिनांक : 25 जून, 2021

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सिएन: U45203TN1999GOI043322

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) और तीसरी मंजिल, जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रुपए लाखों में)

विवरण	टीप सं	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
आय			
i) परिचालन से आय	21	58109.25	70317.50
ii) अन्य आय	22	632.47	3050.49
कुल आय		58741.72	73367.99
व्यय			
i) परिचालन लागत	23	7108.26	8320.51
ii) कर्मचारी परिलाभ	24	1893.15	2058.83
iii) वित्तीय लागत	25	6499.05	8464.84
iv) मूल्य ह्रास & परिशोधन व्यय	26	8499.44	5213.04
v) अन्य व्यय	27	5157.83	4250.38
कुल व्यय		29157.73	28307.60
आपवादिक मदों एवं कर से पूर्व लाभ		29583.99	45060.39
आपवादिक मद	28	-	261.69
कर पूर्व लाभ		29583.99	44798.70
घटाकर: कर व्यय			
- प्रचलित कर (चालू कर)	10	5200.38	7827.23
- आस्थगित कर	10	9112.95	12068.67
सतत् से अवधि के लिये परिचालन से लाभ		15270.66	24902.81
बंद परिचालन से लाभ/(हानि)		-	-
बंद परिचालनों का कर व्यय		-	-
बंद परिचालनों से लाभ पश्चात			
I वर्ष के लिये लाभ		15270.66	24902.81
II अन्य व्यापक आय			
i) मद जो लाभ व हानि में वर्गीकृत नहीं किये जाएंगे	10		
- परिभाषित परिलाभ योजनाओं का पुनर्मापन		25.80	34.88
घटाकर: उपरोक्त पर आय		(9.02)	(12.19)
- इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन		12.03	-
घटाकर: उपरोक्त पर आयकर		(1.28)	-
अन्य व्यापक आय		27.54	22.69
अवधि के लिये कुल व्यापक आय		15298.20	24925.50
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:			
(1) आधार	29	5.10	8.31
(2) अवमिश्रित		5.10	8.31
लेखाओं पर टीप	30		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 से 3		
ऊपर संदर्भित टीप इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।			

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

दिन : 01310101

ह/-

एम. गुणसेकरन

मुख्य वित्तीय अधिकारी और अनुपालन अधिकारी

ह/-

पी. रवींद्रन

निदेशक

दिन : 07640613

ह/-

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन

कंपनी सचिव

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फआरएन. 004371एस

ह/-

राम श्रीनिवासन

पार्टनर, एम.नं.220112

यूडिएएन : 21220112एएएबीओ8554

स्थान: चेन्नै

दिनांक : 25 जून, 2021

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सिद्देन: U45203TN1999GOI043322

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) और तीसरी मंजिल, जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रु. लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शुद्ध लाभ/कर पूर्व हानि	29583.99	44798.68
समायोजन हेतु:-		
अचल संपत्ति की बिक्री पर हानि/ (लाभ)	-	-
मूल्य हास	8499.44	5213.04
ब्याज व वित्त प्रभार	6919.63	7730.35
म्यूचुअल फंडों पर लघु अवधि लाभ	(9.37)	(148.83)
ब्याज आय	(462.41)	(623.14)
लाभांश प्राप्त	-	(51.01)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालन लाभ	44531.28	56919.10
समायोजन हेतु:-		
ऋण व अग्रिम (अ-प्रचलित)	30.57	(72.79)
अन्य आस्तियां (अ-प्रचलित)	(32.28)	(20.37)
अन्य अ-प्रचलित आस्तियां	6247.61	2991.95
व्यापार प्राप्य	(2953.86)	(1778.43)
ऋण व अग्रिम	(1.01)	29.19
अन्य आस्तियां	(125.17)	10.25
अन्य प्रचलित आस्तियां	142.90	628.93
अन्य वित्तीय देयताएं (अ-प्रचलित)	(169.15)	266.83
अन्य अप्रचलित देयताएं	395.12	(2445.24)
व्यापार प्राप्य	345.60	(4294.05)
अन्य वित्तीय देयताएं	(438.47)	579.22
अन्य प्रचलित देयताएं	1484.97	124.40
प्रावधानित	550.19	(309.99)
अप्रचलित कर भुगतान	(5100.47)	(7341.63)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध परिचालन गतिविधियां	44907.83	45287.37
बी. निवेशगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
पीपीई का क्रय	(16034.26)	(12902.49)
वर्ष की अवधि में किया गया निवेश	-	(25.04)
म्यूचुअल फंडों से लघु अवधि लाभ	9.37	148.83
ब्याज आय	462.41	623.14
लाभांश प्राप्त	-	51.01
निवेशगत गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(15562.48)	(12104.55)
सी. वित्तपोषक गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
वर्ष की अवधि में लाभांश प्रदत्त	(18000.00)	(9041.65)
वर्ष की अवधि में लिये गये ऋण	-	-
वर्ष की अवधि में भुगतान किये गये ऋण	(11145.08)	(9673.96)
ब्याज व वित्त प्रभार	(6919.63)	(7730.35)
वित्तपोषक गतिविधियों से शुद्ध लाभ	(36064.71)	(26445.96)
डी. नकदी व नकदी समतुल्य में शुद्ध परिवर्तन	(6719.36)	6736.86
ई. प्रारंभिक नकदी व नकदी समतुल्य (टीप सं. 13)	9920.80	3183.94
एफ. प्रारंभिक नकदी व नकदी समतुल्य (टीप सं. 13)	3201.44	9920.80

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

दिन : 01310101

ह/-

एम. गुणसेकरन

मुख्य वित्तीय अधिकारी और अनुपालन अधिकारी

ह/-

पी. रवींद्रन

निदेशक

दिन : 07640613

ह/-

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन

कंपनी सचिव

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फआरएन. 004371एस

ह/-

राम श्रीनिवासन

पार्टनर, एम.नं.220112

यूडिएएन : 21220112एएएबीओ8554

स्थान: चेन्नै

दिनांक : 25 जून, 2021

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण -31 मार्च, 2021 को शेष

इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाखों में)

शेष यथा 1 अप्रैल, 2021 को	वर्ष की अवधि में शेयर पूंजी में परिवर्तन	शेष यथा 31 मार्च, 2021 को
30,000	0.00	30,000

शेष यथा 1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष की अवधि में शेयर पूंजी में परिवर्तन	शेष यथा 31 मार्च, 2020 को
30,000	0.00	30,000

अन्य इक्विटी

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को लिये

विवरण	ऋणपत्र अनुमोचन व आरक्षित निधि	आरक्षित निधियां व अधिशेष		इक्विटी के अन्य घटक		योग
		सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित अर्जन	शुद्ध परिभाषित परिलाभ देयता/आस्ति का पुनर्मापन	एफवीटीओसीआई - निवेश	
		(रूपये लाख में)				
सूचनांकन अवधि के प्रारंभ पर शेष	6267.37	7902.00	195741.56	(42.51)	(1961.76)	207906.66
लेखांकन नीति पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिये कुल व्यापक आय	0.00	0.00	15270.66	0.00	0.00	15270.66
वर्ष के लिये अन्य व्यापक आय	0.00	0.00		16.79	10.75	27.54
ऋणपत्र अनुमोचन आरक्षित निधि में अंतरण	862.93	0.00	(862.93)	0.00	0.00	0.00
लाभांश - वित्त वर्ष 2019-20	0.00	0.00	(18000.00)	0.00	0.00	(18000.00)
सूचनांकन अवधि के अंत में शेष	7130.30	7902.00	192149.29	(25.73)	(1951.01)	205204.86

एसईबीआई ऋण विनियम 16 एवं कंपनी अधिनियम की धारा 71 सी के अनुसार, कंपनी सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से निर्गत बंधपत्रों/ऋणपत्रों के मूल्य के 25 प्रतिशत तक ऋणपत्र/बंधपत्र अनुमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर), उनकी परिपक्वता अवधि में, निर्मित करती है। तदुसार, वर्ष की अवधि में, कंपनी ने 8,62,92,983/- रुपये (गत वर्ष 8,62,92,983/- रुपये) राशि का डीआरआर बनाया।

अन्य इक्विटी

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये

31 मार्च, 2020 को समाप्त की गई जानकारी

विवरण	ऋणपत्र अनुमोचन व आरक्षित निधि	आरक्षित निधियां व अधिशेष		इक्विटी के अन्य घटक		योग
		सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित अर्जन	शुद्ध परिभाषित परिलाभ देयता/आस्ति का पुनर्मापन	एफवीटीओसीआई - निवेश	
		(रूपये लाख में)				
सूचनांकन अवधि के प्रारंभ पर शेष	5404.44	7902.00	180776.87	(19.82)	(1961.76)	192101.73
लेखांकन नीति पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	0.00	0.00	(33.50)	0.00	0.00	(33.50)
वर्ष के लिये कुल व्यापक आय	0.00	0.00	24902.81	0.00	0.00	24902.81
वर्ष के लिये अन्य व्यापक आय	0.00	0.00		(22.69)	0.00	(22.69)
ऋणपत्र अनुमोचन आरक्षित निधि में अंतरण	862.93	0.00	(862.93)	0.00	0.00	0.00
अंतिम लाभांश (डीडीटी सहित) -वित्त वर्ष 2018-19	0.00	0.00	(9041.68)	0.00	0.00	(9041.68)
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचनांकन अवधि की समाप्ति पर शेष	6267.37	7902.00	195741.57	(42.51)	(1961.76)	207906.66

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सिएन: U45203TN1999GOI043322

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) और तीसरी मंजिल, जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001

वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

1. कंपनी सूचना:

कामराजर पोर्ट लिमिटेड भारत में अधिवासित सार्वजनिक सीमित दायित्व कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित हुई। कंपनी पत्तन के विकास व सामान्य ढांचागत सुविधाओं के लिये समग्र योजना, विकास, निवेशों जुटाने तक अपने प्रचार्यों को सीमित करते हुए अधिकांशतः भूस्वामी पत्तन प्रतिमान पर संचालित हो रही है। टर्मिनलों (अंतस्थों) का विकास व परिचालन अधिकांशतः निजी/आबद्ध उपयोगकर्ताओं को सौंप दिया गया है।

2. तैयारी का आधार :

कंपनी ने भारत सरकार के कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2015 को निर्गत अधिसूचना, 1 अप्रैल, 2015 की पारगमन तिथि के साथ 1 अप्रैल, 2016 को प्रवृत्त, के अनुसार इंड-एएस को ग्रहण किया है।

इक्विटी शेयर जो कि संख्या में व्यक्त किये जाते हैं, के अतिरिक्त वित्तीय विवरणों में सम्मिलित सभी राशियां भारतीय रुपये (रुपये लाख) में सूचनांकित हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

3.1. प्राक्कलन व अनुमान का प्रयोग:

कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिये प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि प्रबंधन उनका निर्णय ले, प्राक्कलन करे व पूर्वानुमान लगाये जिससे राजस्व, व्यय, आस्तियों व देयताओं की सूचनांकित राशि, और अनुषंगी प्रकटीकरण, तथा आकस्मिक देयताएं प्रभावित होती हों।

3.2. प्रकार्यात्मक व प्रस्तुतिकरण मुद्रा:

ये वित्तीय विवरण भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपये में प्रस्तुत किये जाते हैं, जो कि कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा है।

3.3. राजस्व गणना:

1) सेवाओं से राजस्व को बढ़ा घटाकर एवं करों व शुल्कों को हटाकर प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रदत्त सेवाओं से प्राप्त राजस्व की गणनासेवा पूर्ण होने पर होगी। जब निम्न स्थितियां पूरी कर ली जाती हैं, तब राजस्व की गणना होती है।

i) राजस्व की राशि विश्वस्त ढंग से मापी जा सकती है;

ii) यह संभावित है कि इस संव्यवहार से संबंधित आर्थिक लाभ संस्था में जाएंगे;

iii) इस संव्यवहार पर आयी लागत एवं इस संव्यवहार को पूर्ण करने में आयी लागत विश्वस्त ढंग से मापी जा सकती है।

iv) इसके संग्रहण में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं है।

राजस्व धारा में शामिल हैं :

i) जलपोत संबंधित आय।

ii) कार्गो संबंधित आय।

iii) बीओटी पर भूमि व तटीय क्षेत्र के पट्टे एवं अन्य उपयोगकर्ताओं/आबद्ध उपयोगकर्ताओं से मिलने वाला राजस्व योगदान व अनुज्ञप्ति शुल्क।

iv) सम्मिश्र प्रशुल्क

राजस्व के प्रत्येक स्रोत के संबंध में राजस्व गणना नीचे वर्णित है:

i) जलपोत संबंधी आय

जलपोत संबंधी आय में जलपोतों के प्रबंधन से होने वाली आय आती है। जलपोत संबंधी परिचालन से स्रोतजन्य राजस्वकी गणना नियत सेवाओं के पूर्ण होने पर होती है।

ii) कार्गो संबंधित आय

कार्गो संबंधित आय में कार्गो के जुड़ी सेवाएं प्रदान करने के प्राप्त आय आता है तथा यह संबंधित सेवाओं की पूर्णता पर गिना जाता है।

iii) बीओटी/आबद्ध उपयोग आधार पर भूमि व तटीय क्षेत्र का पट्टा

ए) बीओटी परिचालनों से प्राप्त राजस्व योगदान की गणना वित्तीय वर्ष के अंत तक उपचय आधार पर अनुमोचन/अनुज्ञप्ति समझौते के अनुसार सकल राजस्व पर उद्धृत प्रतिशत पर की जाती है।

बी) सामान्य स्फीति प्रवृत्तियों के समान वृद्धि खंड समाहित परिचालन पट्टा से प्राप्त आय की गणना संविदा के अनुबंधों के अनुसार होती है।

सी) अन्य पट्टों से प्राप्त आय की गणना पट्टे के अनुबंधों पर सीधी रेखा आधारित होती है।

डी) जिस अवधि में आकस्मिक भाड़े का उपचय होता है, उसी में उनकी गणना आय के रूप में होती है।

iv) सम्मिश्र प्रशुल्क

सम्मिश्र प्रशुल्क उस आय को दर्शाता है, जो आबद्ध उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रबंधित कार्यों के सम्मिश्र प्रशुल्क पर अर्जित होती है।

- 2) निवेशों से लाभांश आय की मान्यता तब दी जाती है, जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार सुस्थापित हो जाए और यह संभावित हो कि इस संव्यवहार से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को जाएंगे तथा आय की यह राशि विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।
- 3) ए) वित्तीय लिखतों से आय को मान्यता तब दी जाती है, जब यह संभावित हो कि यह आय कंपनी की ओर प्रवाहित होगी और इस आय की राशि विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकेगी। ब्याज आय आवधिक आधार पर, मुख्य अदत्त शेष एवं अनुप्रयोज्य प्रभावी ब्याज पर, उपचित होती हैं। अनुप्रयोज्य प्रभावी दर वह होती है, जो कि वास्तव में वित्तीय लिखतों की अपेक्षित अवधि के माध्यम से अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों को प्रारंभिक मान्यता पर उस साधन के शुद्ध अग्रणीतराशि में छूट देती है।

बी) विलंबित/विवादित राजस्व पर ब्याज आय की गणना पुनर्प्राप्ति आधार पर होती है।

3.4. संपत्ति, संयंत्र व उपकरण:

संपत्ति, संयंत्र व उपकरण लागत, कम संचित मूल्यहास व हानि, यदि कोई हो, पर स्वीकृत होता है। अधिग्रहण पर सीधे आरोप्य लागत को तब तक पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि संपत्ति, संयंत्र व उपकरण, प्रबंधन के यथा अभीष्ट, उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। कंपनी सीधी-रेखा विधि का प्रयोग करते हुए संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के अनुमानित उपयोगी जीवन काल पर उनके मूल्य हास की गणना करती है।

संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के किसी मद की लागत की गणना संपत्ति के रूप में तभी की जाती है, जब यह संभव हो कि उस मद के जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ का प्रवाह कंपनी की ओर होगा और उस मद की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकेगी। पीपीई के किसी मद की लागत मान्यता तिथि पर नकदी मूल्य समतुल्य होती है।

पीपीई के किसी मद की लागत में आते हैं:

- i) क्रय मूल्य, आयात शुल्क व ना-वापसी क्रय करों सहित, एवं व्यापार बट्टे, छूट, करों/शुल्कों एवं उपकरण जिस पर पूंजीगत सामग्री के लिये निविष्टि साख मिलती है, को घटाने के पश्चात।
- ii) पीपीई को नियत स्थान पर लाने एवं प्रबंधन के अभीष्ट ढंग से परिचालन योग्य बनाने के लिये आवश्यक स्थिति बनाने में सीधे आरोप्य लागत।

- iii) उस मद को विघटित करने व हटाने तथा वहां से हटाकर उस स्थान को पूर्वस्थिति में लाने की लागतों का प्रारंभिक प्राक्कलन

निर्विरोध विवाचन अधिनिर्णयों के कारण कंपनी द्वारा देय होने वाले परियोजना दावों एवं ऐसे अधिनिर्णयों पर देय राशि पर आस्ति के चालू होने की तिथि के पश्चात ब्याज को अधिनिर्णय के वर्ष संबंधित आस्ति श्रेणी में वर्ष की अवधि में योग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। ऐसे अधिनिर्णयों के आधार पर संविदाकार को देय राशि पर आस्ति के चालू होने की तिथि के पश्चात देय ब्याज को अधिनिर्णय के वर्ष में राजस्व व्यय के रूप में लिया जाता है।

जब संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के किसी मद के भागों के भिन्न-भिन्न उपयोगी जीवन काल होते हैं, तो वे संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के पृथक मद (बड़े घटक) के रूप में जोड़े जाते हैं।

संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के निपटान पर लाभ व हानि का निर्धारण निपटान से प्राप्त आगमों एवं संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की अग्रणीत राशि की पारस्परिक तुलना करके की जाती है और यह लाभ व हानि विवरण में “अन्य आय/अन्य व्यय” के अंतर्गत शुद्ध मूल्य पर अंकित किये जाते हैं।

कंपनी ने मान्यता के लिये लागत प्रतिरूप को चुना है और यह प्रतिरूप सभी वर्गों की आस्तियों पर अनुप्रयोज्य होता है। आस्ति के रूप में पहचान के पश्चात, पीपीई के किसी मद को किसी भी प्रकार के संचित मूल्यहास व संचित क्षतिग्रस्तता-हानि को घटाकर इसकी लागत पर लिया जाता है।

बड़े सुधार व जीर्णोद्धार लागत:

कंपनी संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की अग्रणीत राशि में ऐसे किसी मद के स्थानापन्न भाग की लागत को तब मान्यता देती है, जब वह लागत उपगत होती है, बड़े सुधार/जीर्णोद्धार की लागत को इसमें तब सम्मिलित करती है, जब यह मान्यता की कसौटी पर खरा उतरता है। परिवर्तित किये गये भाग की अग्रणीत राशि को अमान्य किया जाता है और सुधार (मरम्मत) की लागत सुधार/जीर्णोद्धार के शेष बचे उपयोगी जीवन काल के ऊपर परिशोधित कर दिया जाता है।

3.5. अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्तियां, लागत पर संचित मूल्य हास व हानि, यदि कोई है, को घटाकर, दिखायी जाती हैं।

पहचान योग्य अमूर्त आस्तियों को तब मान्यता दिया जाता है, जब कंपनी का इस पर नियंत्रण हो; यह संभावित हो कि संबंधित आस्तियों से भावी आर्थिक लाभ का प्रवाह एक आर्थिक वर्ष के अधिक समय के लिये कंपनी में होगा; तथा आस्ति की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है। परिशोधन का निर्धारण सीधी रेखा पद्धति से किया जाता है, जो अमूर्त आस्तियों के उपयोगी जीवनकाल को लेकर प्रबंधन के आंकलन

को दर्शाती है। सीमित जीवनकाल वाली अमूर्त आस्तियों का परिशोधन उपयोगी आर्थिक जीवन काल में किया जाता है तथा जब कभी संकेत मिलता है कि उस अमूर्त आस्ति के क्षतिग्रस्त होने की आशंका है, तो क्षतिग्रस्तता के लिये उसका आंकलन किया जाता है। सीमित जीवन काल वाली अमूर्त आस्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ-हानि विवरण में मान्यता तब दी जाती है जब ऐसे व्यय किसी अन्य संपत्ति के अग्रणीत मूल्यका कोई भाग न हों।

अमूर्त सम्पत्तियों के सीमित जीवनकाल में इनका परिशोधन उपयोगी आर्थिक अवधि में किया जाता है तथा संपत्तियों से हुई हानि, जब कभी भी होती है, तो दर्शायी जाती है। अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन के व्यय, जिनका उपयोगी जीवनकाल निर्धारित किया जा चुका है, लाभ-हानि विवरण में तब दिखाये जाते हैं, जब ऐसे व्यय अन्य संपत्ति की वहन लागत के भाग में न आते हों।

3.6. मूल्य हास

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट ढंग से पीपीई मद के मूल्य हास योग्य राशि का निर्धारण इसके उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा पद्धति से आवंटन किया जाता है।

पीपीई के लागत वाले किसी मद का प्रत्येक भाग, जो आस्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है एवं आस्ति के शेष भाग से उसका उपयोगी जीवन काल भिन्न है, को पृथक् रूप से मूल्य हास प्रदान किया जाता है। ऐसे सभी मदों के लिए मूल्य हास को ऐसे मद के 'उपयोग के लिए उपलब्ध तिथि' से लेकर बिक्री/निपटान तिथि तक प्रदान किया जाता है और अमूर्त सम्पत्तियों का परिशोधन भी इसमें सम्मिलित है। उन्मुक्त भूम्याधिकार वाली भूमि का हास नहीं होता है। पीपीई के किसी मद को निपटान अथवा सम्पत्ति के निरंतर उपयोग से कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की आशा समाप्त होने पर अमान्य किया जाता है। पतन विशिष्ट सम्पत्तियों के प्रकरण में भारत में मुख्य पत्तनों में प्रचलित प्रथा के अनुसार संपत्तियों के जीवन काल के अनुसार निर्धारित दर पर ही मूल्य हास प्रभारित किया जाता है। मध्यस्थता अधिनिर्णय के कारण से सम्पत्तियों के मूल्य में जोड़ पर मूल्य हास का दावा अधिनिर्णय वाले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन काल पर किया जाता है।

3.7. उधारी लागत

कंपनी उन उधारी लागत को पूंजीकृत करती है, जो उस संपत्ति लागत के भाग के रूप में अधिग्रहण, निर्माण अथवा विशेषक संपत्ति पर सीधे आरोप्य होती है। कंपनी अन्य उधारी लागत को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता देती है, जिस अवधि में यह उपगत होता है। विशेषक संपत्ति वह संपत्ति होती है, जो अपने आशयित उपयोग या बिक्री के लिये तैयार होने के लिये आवश्यक रूप से पर्याप्त समयावधि लेती है।

कंपनी सामान्यतः जिस सीमा तक उधार लेती है और विशेषक संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उसका उपयोग करती है, उसके लिये पूंजीकरण हेतु अर्हता प्राप्त उधार लागत की राशि की गणना उपगत व्यय पर पूंजीकरण दर का प्रयोग करते हुए की जाती है। पूंजीकरण दर को निर्दिष्ट रूप से विशेषक संपत्ति के क्रय के लिये ली गई उधारी के अतिरिक्त उधारी लागत के भारित औसत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उधारी लागतों में उन उधारी लागतों पर समायोजन के रूप में विनिमय अंतर भी उस सीमा तक सम्मिलित रहता है।

3.8. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

प्रकार्यात्मक मुद्रा के अतिरिक्त अन्य किसी भी मुद्रा में संव्यवहार की मान्यतागणना संव्यवहार की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दी जाती है। प्रत्येक सूचनांकन अवधि की समाप्ति पर, विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदें उक्त तिथि के प्रचलित विनिमय दर के अनुसार रूपांतरित की जाती हैं।

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (जहां अतिदेय प्राप्य की पुनर्प्राप्ति अनिश्चित हो, उसे छोड़कर) को इंड-एएस 21 में यथा परिभाषित अंतिम दरों का उपयोग करते हुए परिवर्तित की जाती है। अमौद्रिक मदें संव्यवहार की तिथि के विनिमय दर का प्रयोग करते हुए सूचनांकित की जाती हैं। लाभ और हानि विवरण में विनिमय भिन्नता लाभ/हानि को चिन्हित किया जाता है।

3.9. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को मान्यता तब दी जाती है, जब पर्याप्त आश्वस्त हो कि अनुदान प्राप्त हो जाएगा और इस संबंध में सभी अनुबंधों का अनुपालन किया गया है। इन अनुदानों को अनुदान की प्रकृति पर आधारित संपत्तियों और राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मूल्य हास प्रदान करने योग्य संपत्ति से संबंधित अनुदान को प्रारंभ में आस्थगित राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है और तदंतर लाभ व हानि के विवरण में संपत्ति के उपयोगिता काल के व्यवस्थित आधार पर इसको सामान्यतः उसी अनुपात में मान्यता दी जाती है, जिसमें इस प्रकार के योगदान से उपार्जित मूल्य हास योग्य संपत्तियों पर मूल्यहास प्रभारित किया जाता है। प्राक्कलनों में परिवर्तन को संपत्ति के शेष जीवन काल पर संभाव्यतः मान्यता दी जाती है।

राजस्व अनुदान के रूप में अनुदान को उन अवधियों पर सुव्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिनमें वह संबंधित लागत, जिसे प्रतिकरित किये जाने के लिये यह अभिप्रेत था, व्यय की जाती है।

भूमि और अन्य संसाधनों जैसी अमौद्रिक संपत्तियों के रूप में अनुदान को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा इस आस्थगित आय को मूलाधार संपत्ति के लाभ के

उपभोग के प्रारूप में अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.10. प्रावधान

जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कंपनी के पास वर्तमान दायित्व (विधिक या रचनात्मक) होता है, तो प्रावधानों को मान्यता प्रदान की जाती है, यह संभावित हो कि दायित्वों को पूर्ण करने के लिये आर्थिक लाभों का बहिर्प्रवाह आवश्यक होगा और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रत्येक सूचनांकन अवधि की समाप्ति पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और उन्हें प्रचलित श्रेष्ठ प्राक्कलनों को प्रतिबिम्ब करने के लिये समायोजित किया जाता है। कोई प्रावधान तब उलट दिया जाता है, जब यह संभावित न हो कि दायित्वों को पूरा करने के लिये आर्थिक लाभों को साकार करने वाले संसाधनों की बहिर्प्रवाह आवश्यक होगा।

यदि धन के समय मान का प्रभाव भौतिक हो, तो, जब उचित हो, दायित्वों से जुड़े विशिष्ट जोखिमों को प्रतिबिम्बित करने वाले प्रचलित पूर्व-कर दर का प्रयोग करते हुए प्रावधानों में छूट दी जाती है। जब छूटकरण का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधानों में वृद्धि को वित्तीय लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.11. आकस्मिक देयताएं/आस्तियां:

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है, किंतु जब अतीत की घटनाओं के कारण कंपनी के पास संभावित दायित्व होते हैं, तो इसे लेखा में टीप के रूप में प्रकट किया जाता है तथा दायित्वों का अस्तित्व भविष्य की घटनाओं के होने या न होने पर निर्भर करता है और ये घटनाएं कंपनी के नियंत्रण में पूर्णतः नहीं होती हैं।

आर्थिक संसाधनों का बहिर्प्रभाव संभाव्य हो चुका है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिये आकस्मिक दायित्व का निरंतर आंकलन किया जाता है। यदि बहिर्प्रवाह संभाव्य होता है, तो वित्तीय विवरण में संबंधित प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

जहां कोई संगठन संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से किसी दायित्व के लिये उत्तरदायी होता है, तो दूसरे पक्ष द्वारा पूरा किये जाने की अपेक्षाओं वाले दायित्व का भाग भी आकस्मिक देयताओं के रूप में लिया जाता है। वह संगठन दायित्व के उस भाग के लिये प्रावधान को मान्यता देता है, जिसके लिये आर्थिक लाभों को साकार करने वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभाव्य होता है, केवल उन अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर, जिसमें कोई विश्वसनीय प्राक्कलन न हो सके।

आकस्मिक आस्तियां:

आकस्मिक आस्तियों को न तो वित्तीय विवरण में मान्यता दी जाती है और न ही टीप में प्रकट किया जाता है।

3.12. कर्मचारी परिलाभ:

i) परिभाषित परिलाभ योजना:

उपदान, अवकाश नकदीकरण/प्राप्ति एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिये परियोजित साख पद्धति का उपयोग कर बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित प्रावधान किया जाता है। बीमांकिक लाभ व हानि सहित पुनः मापन, संपत्ति सीमा में परिवर्तनों का प्रभाव एवं ब्याज छोड़कर योजना संपत्ति पर प्रतिलाभ (यदि अनुप्रयोज्य हो) को उसी अवधि में अन्य व्यापक आय में परिवर्तन या मान्यता प्राप्त प्रभार अथवा साख के साथ वित्तीय विवरण में तत्काल प्रतिबिम्बित किया जाता है, जिस अवधि में वे घटते हैं। अन्य व्यापक आय में चिह्नित पुनर्मापन को प्रतिधारित अर्जन में तुरंत प्रतिबिम्बित किया जाता है तथा इसे लाभ या हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

ii) परिभाषित योगदान योजना:

भविष्य निधि में योगदान को बीमांकित आधार पर व्यय के रूप में अंकित किया जाता है।

iii) लघु अवधि कर्मचारी परिलाभ:

लघु अवधि कर्मचारी परिलाभ दायित्वों का मापन छूट न प्रदान किये गए आधार पर होता है और जब संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो इसे व्यय किया जाता है। लघु अवधि कर्मचारी परिलाभ के अधीन अपेक्षित देय राशि के लिये देयता को मान्यता तभी दी जाती है, जब कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदत्त अतीत की सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने का वर्तमान विधिक या रचनात्मक दायित्व हो और इस दायित्व का विश्वसनीय रूप से प्राक्कलन किया जा सकता है।

3.13. कराधान

आयकर व्यय चालू कर व आस्थगित कर के योग को प्रस्तुत करता है।

प्रचलितकर

प्रचलितकर (चालू कर) वर्ष के लिये कर योग्य लाभ पर आधारित होता है। कराधान योग्य लाभ अन्य वर्षों में कराधान योग्य अथवा कटौती किये जाने योग्य आय या व्यय के मदों के कारण लाभ व हानि विवरण में यथा सूचनांकित 'कर पूर्व लाभ' व अन्य व्यापक आय से भिन्न होते हैं। कंपनी के प्रचलित कर की गणना प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति तक अधिनियमित अथवा यथेष्ट रूप से अधिनियमित दरों का प्रयोग करके की जाती है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर सूचनांकन तिथि पर आस्तियों व देयताओं के कराधारों एवं सूचनांकन तिथि पर वित्तीय सूचनांकन उद्देश्यों के लिये उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई अंतरों पर तुलन पत्र दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए प्रदान किये जाते हैं।

आस्थगित करआस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक सूचनांकन तिथि पर की जाती है और उस सीमा तक घटा दी जाती है कि अबसंभाव्य नहीं है कि उस सम्पूर्ण आस्ति या उसके भाग को प्रयोग किये जाने की अनुमति के लिये पर्याप्त कराधान योग्य लाभ उपलब्ध होंगे। अ-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों का प्रत्येक सूचनांकन तिथि पर पुनर्आंकलन किया जाता है और उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभाव्य हो गया है कि भविष्य के कराधान योग्य लाभआस्थगित कर आस्तियों को उगाही किये जाने की अनुमति देंगे।

आस्थगित करदेयताओं व आस्तियों को उस कर दर पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने के लिये अपेक्षित हैं, जिसमें दायित्व का समाधान का किया जाता है अथवा आस्ति की पुनर्प्राप्ति की जाती है, उन कर दरों (और कर विधियों) पर आधारित, जो सूचनांकन तिथि के अंत तक अधिनियमित अथवा यथेष्ट रूप से अधिनियमित की गई हैं।

आस्थगित करआस्तियां व आस्थगित करदेयताएं प्रतिकारी होती हैं, यदि प्रचलित आय कर दायित्व पर प्रचलित कर आस्तियों के समजन के लिये विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हैं तथा आस्थगित कर उसी कर संगठन व उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित होती हैं।

आस्थगित करआस्तियों व देयताओं के मुख्य घटकों के आंकड़े यथा तुलन पत्र तिथि पर आस्थगित कर आस्तियों व दायित्वों के समजन के पश्चात निकाले जाते हैं।

वर्ष के लिये प्रचलितकर व आस्थगित कर

प्रचलित कर व आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, केवल तब छोड़कर कि वे उन मदों के संबंधित हों, जो अन्य व्यापक आय अथवा प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता दी गई हों, ऐसी स्थिति में, वेप्रचलित व आस्थगित कर भी क्रमशः अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता दिये जाते हैं। जहां किसी व्यापार समुच्चय के लिये प्रारंभिक लेखा से प्रचलित कर व आस्थगित करनिकलते हैं, उस व्यापार समुच्चय के लिये लेखा में कर प्रभाव सम्मिलित किया जाता है।

3.14. क्षतिग्रस्तता:

यदि किसी आस्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि (अथवा नकदी-उत्पादक इकाई/अचल आस्तियां) का अनुमान इसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो उस आस्ति की अग्रणीत राशि इसकी

पुनर्प्राप्ति योग्य राशि तक घटा दी जाती है। लाभ व हानि विवरण में तुरंत क्षतिग्रस्तता-हानि को मान्यता दी जाती है।

पुनर्प्राप्ति योग्य राशि वह राशि होती है, जो निपटान लागतों को घटाकर उचित मूल्य एवं इसके उपयोग मूल्य दोनों में अधिक हो। उपयोग मूल्य का आंकलन करने में, प्राक्कलित भावी नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है। यह पूर्व-कर छूट दर वह होती है, जो धन के समय मान के वर्तमान बाजार आंकलन को प्रतिबिंबित करती है और उस आस्ति के उन विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है, जिसके लिये भावी नकदी प्रवाह के प्राक्कलनों को समायोजित नहीं किया गया है।

जब कोई क्षति-हानि बाद में प्रतिवर्ती हो जाती है, तो उस आस्ति की (या एक नकदी-उत्पादक इकाई) की अग्रणीत राशि को उसकी पुनर्प्राप्ति योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि बढ़ी हुई अग्रणीत राशि उस अग्रणीत राशि से अधिक न होजोउस दशा में निर्धारित हुई होती, जब यदि पहले के वर्षों में उस आस्ति (या एक नकद-उत्पादक इकाई) के लिये कोई क्षतिग्रस्तता-हानि की मान्यता न दी गयी होती। जबतक कि वह संबंधित आस्ति एक ऐसी पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं अग्रणीत होती है, जिसमें क्षतिग्रस्तता-हानि को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के रूप में माना जाता हो, किसी क्षतिग्रस्तता-हानि के प्रतिवर्तन कोतत्काल लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

प्रत्येक सूचनांकन अवधि के अंत में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी मूर्त, अमूर्तआस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत है कि उनआस्तियों को क्षति-हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है, तो क्षतिग्रस्तता (यदि कोई हो) की सीमा निर्धारित करने के लियेआस्तियोंकी पुनर्प्राप्ति योग्य राशि का प्राक्कलन किया जाता है। जब किसी व्यक्तिगत आस्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि का प्राक्कलन करना संभव नहीं होता है, तो कंपनी नकदी उत्पन्न करने वाली उस इकाई की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि का प्राक्कलन करती, जिससे आस्ति संबंधित होती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन कालोंवाली अमूर्त आस्तियों और उपयोग के लिये अभी तक उपलब्ध नहीं होने वाली अमूर्त आस्तियोंकी क्षति पकड़ने के लिये कम से कम वर्ष में एक बारपरीक्षण किया जाता है अथवा जब भी कोई संकेत मिलता है कि आस्ति क्षत हो सकती है तब परीक्षण किया जाता है।

3.15. प्रति शेयर अर्जन:

प्रति इक्विटी मूल अर्जनका परिकलनकंपनी के इक्विटी धारकों को देय शुद्ध लाभ को उस अवधि में शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है। प्रति इक्विटी शेयर अवमिश्र अर्जन का परिकलन कंपनी के इक्विटी धारकों को देय शुद्ध लाभ को प्रति इक्विटी

शेयर मूल अर्जन निकालने के लिये विचारित इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या तथाउन इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भी विभाजित कर की जाती है, जो सभी अवमिश्र होने वाले संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर निर्गत किये जा सकते थे।

3.16. वित्तीय लिखतें:

i) अ-व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें:

अ-व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों में आते हैं:

- वित्तीय आस्तियों में नकदी व नकदी समतुल्य, व्यापार प्राप्य, कर्मचारी अग्रिम, अन्य अग्रिम, प्रतिभूति निक्षेप, इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश व अन्य अर्ह प्रचलित/अप्रचलित आस्तियां आती हैं;
- वित्तीय देयताओं में दीर्घ/लघु अवधि ऋण, उधारियां, व्यापार देयराशि, प्रतिभूति निक्षेप, प्रतिधारण धन व अन्य अर्ह प्रचलित/अप्रचलित देयताएं आती हैं। अ-व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है,

अ-व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें लाभ व हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय लिखतों को छोड़कर ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष आरोप्य संव्यवहार लागत सम्मिलित होता है, जो आरंभ में उचित मूल्य पर मापित है। वित्तीय आस्तियों की मान्यता तब समाप्त कर दी जाती है, जब उस वित्तीय आस्ति के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम व प्रतिफल हस्तांतरित किये गये हों। ऐसे प्रकरणों में जहां वित्तीय आस्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम व प्रतिफल न तो हस्तांतरित किये जाते हैं और न ही प्रतिधारित किये जाते हैं, वित्तीय आस्तियों की मान्यता तभी समाप्त की जाती है जब कंपनी ने वित्तीय आस्ति पर नियंत्रण नहीं रखा हो।

आरंभिक मान्यता के पश्चात, अ-व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों को नीचे वर्णित ढंग से मापा जाता है:

- ए) इक्विटी प्रतिभूतियों (अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रम व सहायक के अतिरिक्त) में निवेश उनके उचित मूल्य पर मूल्यांकित किये जाते हैं। इन निवेशों का मापन उचित मूल्य पर होता है और क्षतिग्रस्तता-हानियों के अतिरिक्त उनमें परिवर्तन को अन्य व्यापक आय विवरण में मान्यता दी जाती है। क्षतिग्रस्तता-हानियां, यदि कोई हैं, तो उन्हें लाभ व हानि विवरण में अन्य इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। जब कोई बिक्री के लिये उपलब्ध किसी वित्तीय आस्ति को अमान्य किया जाता है, तो अन्य इक्विटी में मान्यता दिये गये संबंधित संचयी लाभ अथवा हानि को लाभ व हानि के विवरण में अंतरित किया जाता है।

बी) ऋण व प्राप्य

ऋण व प्राप्य सक्रिय बाजार में उद्धृत न होने वाले स्थिर अथवा निर्धारणीय भुगतान वाली अ-व्युत्पन्नी वित्तीय आस्तियां होते हैं। वे प्रचलित आस्तियों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, केवल उनको छोड़कर जो सूचनांकन तिथि के 12 मास पश्चात परिपक्व हो रही हैं। सूचनांकन तिथि के 12 मास पश्चात परिपक्व हो रही आस्तियों को अप्रचलित आस्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋणों व प्राप्यों को आरंभ में उचित मूल्य के साथ प्रत्यक्ष आरोप्य संव्यवहार लागत पर मान्यता दी जाती है और बाद में क्षतिग्रस्तता-हानियों को घटाकर उपयुक्त ब्याज पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऋण व प्राप्यों में व्यापार प्राप्य, अहंडीकृत प्राप्य, कर्मचारियों द्वारा लिया गया अग्रिम धन, भुगतान किये जा चुके प्रतिभूति निक्षेप व अन्य आस्तियां आती हैं।

कंपनी ऐतिहासिक भुगतान प्रारूप, ग्राहक संकेंद्रण, ग्राहक ऋण-पात्रता व वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके प्राप्य खातों की अ-संग्रहणीयता का अनुमान लगाती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति का क्षय होता है, तो आवश्यक अतिरिक्त भत्तों, यदि कोई हो, के लिये मूल्यांकन किया जाता है।

सी) व्यापार व अन्य देयराशियां:

व्यापार व अन्य देयराशियों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दिया जाता है, और उत्तरवर्ती रूप से उपयुक्त ब्याज पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर अग्रणीत होता है। इन वित्तीय लिखतों के लिये, अग्रणीत राशि इन लिखतों की लघु अवधि परिपक्वता के कारण लगभग उचित मूल्य होती है।

डी) प्रतिभूति निक्षेप

प्रतिभूति निक्षेपको आरंभ में प्रत्यक्ष आरोप्य संव्यवहार लागतों के साथ उचित मूल्य पर मान्यता दिया जाता है और तदंतर, क्षति-हानियों को घटाकर, उपयुक्त ब्याज पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

ई) करमुक्त बंधपत्र:

करमुक्त बंधपत्रों को आरंभिक रूप से संव्यवहार लागत छोड़कर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। तदंतर अवधि में, करमुक्त बंधपत्रों को उपयुक्त ब्याज पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर प्रस्तुत किया जाता है। ब्याज व्यय को करमुक्त बंधपत्रों के जीवन काल पर वित्तीय व्ययों के रूप में लाभ व हानि के विवरण में उपयुक्त ब्याज दर का प्रयोग करते हुए मान्यता दिया जाता है।

ii) वित्तीय आस्तियों की क्षति

सूचनांकन अवधि के अंत में वित्तीय आस्तियों, लाभ व हानि के माध्यम के उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर जो हैं उनके अतिरिक्त, का आंकलन क्षति की पहचान के लिये किया जाता है। वित्तीय आस्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर तब विचार किया जाता है, जब इस बात के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य मिलें कि, उस वित्तीय आस्ति की प्रारंभिक मान्यता के पश्चात एक या अनेक घटनाएं होने के परिणामस्वरूप, वित्तीय आस्तियों के प्राक्कलित भावी नकदी प्रवाह प्रभावित हुए हैं। बिक्री के उपलब्ध (एएफएस) इक्विटी निवेशों के लिये, लागत के नीचे प्रतिभूति के उचित मूल्य में महत्वपूर्ण व दीर्घ गिरावट को क्षतिग्रस्तता का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य माना जाता है।

अन्य वित्तीय आस्तियों के लिये, क्षतिग्रस्तता के लिये वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में हो सकते हैं:

- निर्गतकर्ता अथवा प्रतिपक्ष की बड़ी वित्तीय कठिनाई;
- संविदा भंग, जैसे कि ब्याज अथवा मूल भुगतान में व्यतिक्रम या अपचार;
- यह संभावना कि उधारकर्ता दिवालिया हो जाएगा अथवा वित्तीय पुनर्गठन करेगा; अथवा वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय आस्ति के लिये सक्रिय बाजार लुप्त हो जाएगा।

व्यापार प्राप्यों के जैसे वित्तीय आस्तियों की कुछ श्रेणियों की क्षतिग्रस्तता का आंकलन एकल आधार पर किया जाता है। प्राप्यों के निवेश-सूची के लिये क्षतिग्रस्तता के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में कंपनियों के भुगतान संग्रहण के अतीत के अनुभव, साथ ही प्राप्यों पर व्यतिक्रम से सहसंबंधित राष्ट्रीय अथवा स्थानीय आर्थिक स्थितियों में संप्रेक्षणीय परिवर्तन आते हैं।

जिन वित्तीय आस्तियों को लागत पर अग्रणीत किया जाता है, उनके क्षति-हानि की राशि को आस्ति की अग्रणीत राशि मात्रा एवंसमान वित्तीय आस्ति के लियेप्रतिफल की वर्तमान बाजार दर पर बट्टागत अनुमानित भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है। ऐसी क्षति-हानि को बाद की अवधियों में प्रतिवर्तित नहीं किया जाएगा।

व्यापार प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय आस्तियों की अग्रणीतराशि कोसीधे सभी वित्तीय आस्तियों के लिये क्षति-हानि से घटा दिया जाता है; ऐसी क्षति-हानिसंबंधित वित्तीय आस्ति के लिये भत्ता लेखा के उपयोग के माध्यम से कम की जाती है। जब कोई व्यापार प्राप्य असंग्रहणीय माना जाता है, तो उसेबट्टा लेखा में डाल दियाजाता है। पूर्व में बट्टा लेखा में डाली गई राशि की अनुवर्ती उगाही को भत्ता लेखा पर आकलित कर दिया जाता है। भत्ता लेखा की अग्रणीत राशि में परिवर्तनोंको लाभ व हानि विवरण में मान्यता दिया जाता है।

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों के लिये, यदि, अनुवर्ती काल में, अपसामान्य हानि घटती है और वह घटाव निष्पक्षता से किसी ऐसी घटना से जोड़ी जा सकती है, जो अपसामान्य चिह्नित होने के पश्चात हुई हो, तो पूर्व में चिह्नित अपसामान्य हानि को लाभ व हानि के विवरण में उस सीमा तक उत्क्रमित कर दिया जाता है कि जिस तिथि पर अपसामान्यीकरण उत्क्रमित हुई, उस तिथि पर निवेश की वहनीय राशि उस परिशोधित लागत से अधिक नहीं होगी, जो तब होती जब अपसामान्यीकरण की न हुई होती।

iii) वित्तीय आस्तियों का अचिह्न

कंपनी किसी वित्तीय आस्ति को तब अमान्य करती है, जब उस आस्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंधात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब उस वित्तीय आस्ति को हस्तांतरित कर देती है तथा वस्तुतः आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम व प्रतिफल किसी और पक्ष के पास स्थानांतरित हो जाते हैं। यदि कंपनी वस्तुतः स्वामित्व के सभी जोखिम व प्रतिफल को न तो हस्तांतरित करती है और न ही प्रतिधारित करती है तथा उस हस्तांतरित आस्ति पर नियंत्रण बनाये रखती है, तो कंपनी उस आस्ति में अपने प्रतिधारित हित और भुगतान योग्यराशि से जुड़ी देयता को मान्यता देती है। यदि कंपनी किसी हस्तांतरित वित्तीय आस्ति के सभी जोखिमों व प्रतिफलों को वस्तुतः प्रतिधारित करती है, तो कंपनी उस वित्तीय आस्ति को मान्यता देना निरंतर रखती है तथा प्राप्त आगम के लियेसंपार्श्वकृत उधारी की मान्यता भी देती है।

किसी वित्तीय आस्ति की समेकन में अमान्यता पर, लाभ अथवा हानि में उस आस्ति की अग्रणीत राशि एवं कुल प्राप्त व प्राप्य प्रतिफल के बीच का अंतर तथा उस संचयी लाभ अथवा हानि जो अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई थी एवं इक्विटी में संचित थी, को मान्यता दी जाती है।

3.17. खंड सूचना

कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) इंड एस-108 द्वारा यथा परिभाषित “परिचालन खंड” मुख्य परिचालन निर्णय कर्ता (सीओडीएम) के रूप में चिह्नित किये गये हैं। कंपनी के सीएमडी एकल वित्तीय विवरणों पर आधारित खंडों का मूल्यांकन करते हैं। प्रबंधन भारत में प्रदत्त “पत्तन सेवाओं” को एकमात्र प्रतिवेदनीय व्यापार/भौगोलिक खंड के रूप में विचार करता है।

3.18. पूर्व अवधि

पूर्व की अवधि (अवधियों) से संबंधित तात्विक परिमाण की त्रुटियों को पूर्व अवधि त्रुटियों की प्रकृति, भूतलक्षी प्रभाव से प्रस्तुत ऐसी प्रत्येक पूर्व अवधि त्रुटियों के सुधार के परिमाण का उल्लेख करते हुए, प्रति शेयर मूल व अवमिश्रित अर्जन में परिवर्तन के साथ-साथ व्यवहारिक सीमा तक, टीप के साथ प्रकट किया जाता है। यद्यपि जहां भूतलक्षी पुनर्कथन किसी विशेष अवधि के लिये व्यवहारिक नहीं होता है, वहां उस स्थिति में पहुंचाने वाली

परिस्थितियों का वर्णन तथा उस त्रुटि में कैसे व कहां से सुधार किया गया, इसका वर्णन लेखा पर टीप में प्रकट किया जाता है।

3.19. पट्टा

कंपनी संविदा के आरंभ पर आंकलन करती है कि कोई संविदा पट्टा है, या उसमें पट्टा समाहित है। अर्थात्, यदि वह संविदा प्रतिफल के लिये बदले में एक समयावधि के लिये किसी चिह्नित आस्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देती है।

पट्टाधारी

कंपनी सभी पट्टों के लिये एकल पहचान व मापन उपागम लागू करता है, लघु-अवधि के पट्टों व निम्न-मूल्य आस्ति के पट्टों को छोड़कर कंपनी पट्टा भुगतान करने के लिये पट्टा देयताओं एवं अंतर्निहित आस्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली राइट-ऑफ-यूज आस्तियों को मान्यता देती है।

i) राइट-ऑफ-यूज आस्तियां

कंपनी पट्टा प्रारंभ तिथि (अर्थात् वह तिथि जिस पर अंतर्निहित आस्ति उपयोग के लिये उपलब्ध है) पर राइट-ऑफ-यूज आस्तियों ("आरओयू आस्तियां") को मान्यता देती है। राइट-ऑफ-यूज आस्तियों का मापन किसी भी प्रकार के संचित मूल्य ह्रास व क्षतिग्रस्तता-हानियों को घटाकर लागत पर किया जाता है, तथा इसे पट्टा देयताओं के किसी भी पुनर्मापन के लिये समायोजित किया जाता है। राइट-ऑफ-यूज आस्तियों की लागत में मान्यता दी गई पट्टा देयताओं की राशि, उपगत प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, तथा किसी भी प्रकार की प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन राशि को घटाकर आरंभ तिथि अथवा तद् तिथि से पूर्व किये गये पट्टा भुगतान आता है। राइट-ऑफ-यूज आस्तियों का मूल्यह्रास पट्टे की अवधि और आस्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवन कालमें से जो का हो उस पर किया जाता है।

यदि पट्टाकृत आस्ति का स्वामित्व पट्टा अवधि की समाप्ति पर कंपनी को हस्तांतरित हो जाता है अथवा लागत क्रय विकल्प के प्रयोग को दर्शाता है, तो मूल्य ह्रास की गणना उस आस्ति के प्राक्कलित उपयोगी जीवन काल का प्रयोग करते हुए की जाती है। राइट-ऑफ-यूज आस्तियां क्षति के भी अधीन होती हैं। देखें भाग (I) में लेखांकन नीतियां-अ-वित्तीय आस्तियों की क्षति।

ii) पट्टा देयताएं

पट्टा आरंभ होने की तिथि पर, कंपनी पट्टा अवधि पर किये जाने वाले पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापित पट्टा देयताओं को चिह्नित करती है। पट्टा भुगतान में प्राप्य किसी भी पट्टा प्रोत्साहन प्राप्यों को घटाकर स्थिर भुगतान (सार स्थिर भुगतान), किसी सूचकांक या किसी दर पर निर्भर चर

पट्टा भुगतान, एवं अवशेष मूल्य प्रत्याभूति के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि आती है।

पट्टा भुगतान में क्रय विकल्प का वह प्रयोग मूल्य भी सम्मिलित होता है, जिसका प्रयोग कंपनी द्वारा तार्किक रूप से किया जाना निश्चित है और इसमें पट्टा समाप्त करने के लिये अर्थदंडों का भुगतान भी सम्मिलित होता है, यदि पट्टा अनुबंध दर्शाता है कि कंपनी समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग कर रही है। जो चर पट्टा भुगतान किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते हैं, उस अवधि के व्यय (जब तक कि वे सूची प्रस्तुत करने के लिये न हों) के रूप में चिह्नित किये जाते हैं जिसमें वह घटना या स्थिति घटती है जो भुगतान का कारण बनती है। पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य की गणना में, कंपनी पट्टा आरंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का प्रयोग करती है, क्योंकि पट्टा में निहित ब्याज दर सहजता से निर्धारित योग्य नहीं होती है। आरंभ तिथि के बाद, पट्टा देयताओं की राशि ब्याज की वृद्धि को दर्शाने के लिए बढ़ा दी जाती है और किये गये पट्टा भुगतान के लिये कम कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई संशोधन, पट्टे की अवधि में परिवर्तन, पट्टा भुगतान में परिवर्तन (उदाहरण के लिये, सूचकांक अथवा निर्धारण के लिये प्रयोग किये जाने वाले दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भविष्य के भुगतान में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित आस्ति क्रय करने के लिये विकल्प के आंकलन में परिवर्तन होता है, तो पट्टा देयताओं की वहन राशि को पुनः मापा जाता है। लीज देनदारियों को "अन्य वित्तीय देनदारियां" शीर्ष के तहत प्रस्तुत किया गया है। लीज देनदारियों को "अन्य वित्तीय देनदारियां" शीर्ष के तहत प्रस्तुत किया गया है। पट्टा देयताएं "अन्य वित्तीय देयताएं" शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये हैं।

iii) लघु-अवधि पट्टे एवं निम्न मूल्य आस्तियों के पट्टे

कंपनी अपने लघु-अवधि पट्टों (अर्थात्, वे पट्टे जिनकी पट्टे की अवधि आरंभ तिथि से 12 मास अथवा इससे कम है और जिसमें क्रय विकल्प सम्मिलित नहीं है) पर लघु-अवधि पट्टा चिह्नीकरण को छूट लागू करती है। कंपनी उन आस्तियों पर भी चिह्नीकरण से छूट लागू करती है, जो निम्न-मूल्य के माने जाते हैं। लघु-अवधि पट्टों और निम्न-मूल्य की आस्तियों के पट्टों पर पट्टा भुगतान पट्टे के अनुबंध पर सीधी-रेखा आधार पर व्यय के रूप में चिह्नित किया जाता है।

पट्टाकर्ता के रूप में

जिन पट्टों में कंपनी किसी आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों व प्रतिफलों को वस्तुतः हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालित पट्टे से भाड़े की आय को संबंधित पट्टे के अनुबंध पर सीधी रेखा आधार पर मान्यता दी जाती है। किसी परिचालित पट्टा के मोलभाव एवं व्यवस्था में उपगत प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को

पट्टाकृत आस्ति की अग्रणीत राशि से जोड़ा जाता है तथा भाड़ा आय की भांति ही उसे भी उसी आधार पर पट्टा अनुबंध पर मान्यता प्रदान की जाती है। आकस्मिक भाड़ों को उस अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वो अर्जित होते हैं।

पट्टों को वित्तीय पट्टों के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब स्वामित्व के सभी जोखिम व प्रतिफल को कंपनी से पट्टाधारी को वस्तुतः हस्तांतरित कर दिया जाता है। वित्त पट्टों के अंतर्गत पट्टाधारक की देय राशि को पट्टों में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्राप्य के रूप में अंकित किया जाता है। वित्त पट्टा आय लेखांकन अवधि में इस प्रकार आवंटित की जाती है कि पट्टे के संबंध में शुद्ध निवेश शेष पर प्रतिफल के सतत आवधिक दर को प्रकट किया जा सके।

3.20. प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण:

कंपनी आस्तियों व देयताओं को प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कोई आस्ति प्रचलित के रूप में वर्गीकृत की जाती है यदि:

- ए) कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में इसका साधित होना अथवा बिक्री किया जाना अथवा उपयोग किया जाना अपेक्षित हो;
- बी) यह प्राथमिक रूप से व्यापार के उद्देश्य के रखी जाए;
- सी) इसका सूचनांकन अवधि के पश्चात बारह मास के भीतर साधित किया जाना अपेक्षित हो; अथवा
- डी) यह नकदी अथवा नकदी समतुल्य है, जब तक कि यह सूचनांकन अवधि के पश्चात कम से कम बारह मास के लिये विनिमय किये जाने अथवा किसी देयता का निपटारा किये जाने के लिये निषिद्ध न हो।

अन्य सभी आस्तियां अप्रचलित के रूप में वर्गीकृत होती हैं।

कोई देयता प्रचलित के रूप में वर्गीकृत होती है यदि:

- (ए) कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में इसका निपटारा किया जाना अपेक्षित हो;
- (बी) यह प्राथमिक रूप से व्यापार के उद्देश्य के रखी जाए;

(सी) इसका सूचनांकन अवधि के पश्चात बारह मास के भीतर निपटारा किया जाना अपेक्षित हो;

(डी) इसमें सूचनांकन अवधि के पश्चात कम से कम बारह मास के लिये देयता का निपटारा टालने का निरुपाधिक अधिकार न हो।

अन्य सभी देयताएं अप्रचलित के रूप में वर्गीकृत होती हैं।

परिचलित चक्र प्रसंस्करण के लिये आस्तियों के उपार्जन एवं नकदी व नकदी समतुल्य में उनकी उगाही के मध्य का समय होता है। कंपनी का सामान्य परिचलित चक्र 12 मास होता है।

3.21. अंशधारकों को लाभांश वितरण:

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश को वित्तीय विवरण में तब मान्य किया जाता है, जब वार्षिक साधारण सभा में अंशधारकों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है।

3.22. पूर्वदत्त व्यय

प्रत्येक मद में राजस्व व्यय वर्तमान वर्ष में पृथक किया जाता है और जहां यह राशि रु.20,000 से अधिक होती है, पूर्वदत्त किया जाता है।

3.23. पुरोबंध के लिये अधिशुल्क

ऋणों अथवा उनके किसी भाग के पुरोबंध के लिये अधिशुल्क उस वर्ष में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें पुरोबंध प्रवृत्त होता है।

3.24. परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति

परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति असंशय आधार पर गिना जाता है। पूंजी परियोजनाओं के संबंध में, इसे आस्ति की लागत से घटा दिया जाएगा और अन्य प्रकरणों में इसे अन्य आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.25. नकदी प्रवाह

नकदी प्रवाह का सूचनांकन अप्रत्यक्ष विधि के प्रयोग से किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से, नकदी व नकदी समतुल्यों में हाथ में नकदी, बैंकों में रखी राशि तथा मांग पर पुनर्देय बैंक अधिविकर्ष को छोड़कर बैंकों के साथ मांग निक्षेपसम्मिलित हैं तथा ये कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का अंग माने जाते हैं।

4. संपत्ति, संयंत्र व उपकरण

(रुपये लाखों में)

विवरण	अग्रणीत मूल्य यथा 1 अप्रैल, 2020 को	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	सकल अग्रणीत मूल्य यथा 31 मार्च, 2021 को	संचित मूल्य हास यथा 1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष हेतु मूल्यहास	निपटान/ समायोजन	संचित मूल्य हास यथा 31 मार्च, 2021 को	अग्रणीत मूल्य यथा 31 मार्च, 2021 को
भूमि	63,956.08	-	-3.44	63,952.64	-	-	-	-	63,952.64
भवन, शाला व अन्य संरचना	12,324.60	374.99	-	12,699.59	1,187.39	320.77	-	1,508.16	11,191.42
गोदी व चहारदीवारियां	64,485.91	-	-	64,485.91	6,577.31	1,536.35	-	8,113.66	56,372.25
पथ	8,919.99	3,502.35	-	12,422.34	1,988.01	605.21	-	2,593.22	9,829.12
रेलवे ट्रैक व सिमलिंग प्रणाली	7,660.95	944.33	-	8,605.28	2,259.06	555.19	-	2,814.24	5,791.04
डॉक्स, बांध, तटबंध व तरंगरोध	57,637.86	-	-	57,637.86	11,897.20	754.74	-	12,651.94	44,985.92
नौपरिवहन उपादान	381.67	-	-	381.67	290.39	6.61	-	297.00	84.67
वाहन	184.47	23.78	-	208.25	42.10	21.85	-	63.95	144.30
विद्युत संस्थापन	1,862.03	50.58	-	1,912.61	1,060.40	137.49	-	1,197.89	714.72
जल, संचार व अग्नि प्रणाली संस्थापन	306.19	-	-	306.19	149.76	8.69	-	158.45	147.74
विद्युत उपकरण	198.60	32.33	-	230.93	108.60	19.92	-	128.52	102.41
कार्यालय उपकरण	189.03	2.83	-	191.86	144.79	15.14	-	159.93	31.93
फर्नीचर व फिटिंग	930.80	15.63	-	946.43	419.57	74.57	-	494.14	452.29
कम्प्यूटर	856.65	10.99	-	867.64	426.84	120.90	-	547.74	319.91
पत्तन खाड़ी व प्रवेश सरणि	84,920.76	5,907.98	-	90,828.74	5,469.99	3,916.52	-	9,386.51	81,442.23
संयंत्र व मशीनरी	1,099.46	14.24	-	1,113.69	728.15	160.48	-	888.63	225.06
सुरक्षा आस्ति	65.09	-	-	65.09	52.21	2.29	-	54.51	10.59
योग	3,05,980.15	10,880.03	-3.44	3,16,856.73	32,801.77	8,256.71	0.00	41,058.48	2,75,798.26

- ए) कंपनी के पास तमिलनाडु सरकार, टीएनईबी, टिडको व नमक विभाग, वाणिज्य मंत्रालय से उपार्जित 2802.49 एकड़ माप की भूमि का स्वामित्व है, जिसमें से 2787.27 एकड़ भूमि कंपनी अधिकार में है और शेष 15.22 एकड़ भूमि पर अभी अधिकार प्राप्त किया जाना है, क्योंकि ये भूमि वाद के अधीन है। विवादित 15.22 एकड़ भूमि को लेकर श्रीमती पप्पा व श्री पी. सेल्वराज द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में दो रिट याचिकाएं डब्ल्यू.पी. सं. 26041/2001 व 26042/2001 डाली गई थीं। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने (देखिये दिनांक 19.11.2019 का इसका निर्णय) जहां तक कि याचिकाकर्ताओं की भूमि का प्रश्न था, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की अधिसूचना यू/एस. 4(1) एवं घोषणा यू/एस. 6 को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की अधिसूचना यू/एस. 4(1) नया निर्गत कर नये सिरे से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ करने का परामर्श दिया है। कंपनी ने रिट याचिकाओं डब्ल्यू.पी. सं. 26041/2001 व 26042/2001 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.11.2019 के विरुद्ध अपील नहीं करने का निर्णय किया है। पत्तन ने श्री पी. सेल्वराज की 6.82 एकड़ के लिये 2.86 लाख रुपये की राशि एवं श्रीमती एस. पप्पा की 1.38 एकड़ भूमि के लिये 0.58 लाख रुपये की राशि क्षतिपूर्ति राशि के रूप में छोड़ दी थी तथा इन राशियों को राजस्व निक्षेप में रखे जाने का आदेश दिया गया और 3.44 लाख रुपये की संचयी निपटान/समायोजन के अंतर्गत दर्शाये गये।
- बी) कंपनी ने टीआईडीसी से 950 एकड़ भूमि उपार्जित की, जिसमें से 297.98 एकड़ भूमि कंपनी के नाम के पंजीकृत हो गई है और शेष भूमि को कंपनी के नाम पंजीकृत कराने की प्रक्रिया चल रही है। कंपनी ने टैनजेडको (टीएनजीईडीसीओ) से 1092.20 एकड़ भूमि उपार्जित की, जिसमें से 995.05 एकड़ भूमि कंपनी के नाम के पंजीकृत हो गई और शेष भूमि को कंपनी के नाम पंजीकृत कराने की प्रक्रिया चल रही है। कंपनी ने नमक विभाग से 712.42 एकड़ भूमि उपार्जित की, जिसमें से 682.66 एकड़ भूमि कंपनी के नाम के पंजीकृत हो गई और शेष भूमि को कंपनी के नाम पंजीकृत कराने की प्रक्रिया चल रही है। कंपनी ने तमिलनाडु सरकार से 32.65 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया और इसका पट्टा कंपनी के नाम में लिया गया।
- सी) 134600, 542524, 472460, 384780 (चरण I & II), 171611, 520000 वर्ग मीटर माप (कुल माप 550.05 एकड़) की भूमि क्रमशः बीओटी संचालक मेसर्स एनोर टैंक टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स चेन्नैनाड इंटरनेशनल कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स एसआईसीएल आयसन ओर टर्मिनल लिमिटेड, मेसर्स अडानी कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स चेन्नैनाड बल्क टर्मिनल लिमिटेड व आईओसी एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र व उपकरण

(रुपये लाखों में)

विवरण	अग्रणीत मूल्य यथा 1 अप्रैल, 2019 को	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	सकल अग्रणीत मूल्य यथा 31 मार्च, 2020 को	संचित मूल्य हास यथा 1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के लिये मूल्य हास	निपटान/ समायोजन	संचित मूल्य हास यथा 31 मार्च, 2020 को	अग्रणीत मूल्य यथा 31 मार्च, 2020 को
भूमि	58994.47	4961.61	0.00	63,956.08	0	0.00	0.00	0.00	63,956.08
भवन, शाला व अन्य संरचना	11225.41	1159.99	(60.80)	12,324.60	889.29	300.64	(2.53)	1187.40	11,137.20
गोदी व चहारदीवारियां	64369.47	537.50	(421.07)	64,485.90	5057.52	1532.79	(12.99)	6577.32	57,908.58
पथ	8558.95	361.04	0.00	8,919.99	1437.06	550.95	0.00	1988.01	6,931.98
रेलवे ट्रैक व सिमलिंग प्रणाली	7660.95	0.00	0.00	7,660.95	1765.42	493.64	0.00	2259.06	5,401.89
डॉक्स, बांध, तटबंध व तरंगरोध	57581.56	56.30	0.00	57,637.86	11143.33	753.87	0.00	11897.20	45,740.66
नौपरिवहन उपादान	381.67	0.00	0.00	381.67	283.77	6.61	0.00	290.38	91.29
वाहन	111.63	72.84	0.00	184.47	28.19	13.91	0.00	42.10	142.37
विद्युत संस्थापन	1716.76	145.26	0.00	1,862.02	925.07	135.33	0.00	1060.40	801.62
जल, संचार व अग्नि प्रणाली	306.19	0.00	0.00	306.19	141.08	8.69	0.00	149.77	156.42
संस्थापन									
विद्युत उपकरण	192.48	6.12	0.00	198.60	91.67	16.93	0.00	108.60	90.00
कार्यालय उपकरण	177.98	11.05	0.00	189.03	129.99	14.80	0.00	144.79	44.24
फर्नीचर व फिटिंग	921.56	9.23	0.00	930.79	345.45	74.11	0.00	419.56	511.23
कम्प्यूटर	849.36	7.30	0.00	856.66	305.09	121.79	0.00	426.88	429.78
पत्तन खाड़ी व प्रवेश सरणि	79743.49	5177.27	0.00	84,920.76	4669.10	800.89	0.00	5469.99	79,450.77
संयंत्र व मशीनरी	1099.46	0.00	0.00	1,099.46	567.80	160.35	0.00	728.15	371.31
सुरक्षा आस्ति	53.71	11.38	0.00	65.09	46.07	6.14	0.00	52.21	12.88
योग	293945.10	12516.89	(481.87)	305980.12	27825.91	4991.44	(15.52)	32801.82	273178.30

4 (ए) राइट ऑफ

(रुपये लाखों में)

विवरण	सकल अग्रणीत मूल्य यथा 1 अप्रैल, 2020 को	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	सकल अग्रणीत मूल्य यथा 31 मार्च, 2021 को	संचित मूल्य हास यथा 1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष के लिये मूल्य हास	निपटान/ समायोजन	संचित मूल्य हास यथा 31 मार्च, 2021 को	अग्रणीत मूल्य यथा 31 मार्च, 2021 को
पंजीकृत कार्यालय की पट्टाकृत आस्तियां	2,002.42	23.16	-	2,025.58	427.20	88.53	-	515.73	1,509.85
योग	2002.42	23.16	0.00	2025.58	427.20	88.53	0.00	515.73	1509.85

31 मार्च, 2020 को समाप्ति के लिये लेखाओं पर टीप

4 (ए) राइट ऑफ यूज आस्तियां

(रुपये लाखों में)

विवरण	सकल अग्रणीत मूल्य यथा 1 अप्रैल, 2019 को	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	सकल अग्रणीत मूल्य यथा 31 मार्च, 2020 को	संचित मूल्य हास यथा 1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के लिये मूल्य हास	निपटान/ समायोजन	संचित मूल्य हास यथा 31 मार्च, 2020 को	अग्रणीत मूल्य यथा 31 मार्च, 2020 को
पंजीकृत कार्यालय की पट्टाकृत आस्तियां	2,002.42	-	-	2,002.42	341.18	86.02	-	427.20	1,575.22
योग	2002.42	0.00	0.00	2002.42	341.18	86.02	0.00	427.20	1,575.22

5. निर्माणाधीन अचल आस्ति पर भारित लागत (सीडब्ल्यूआईपी)

(रुपये लाखों में)

विवरण	शेष यथा 1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष की अवधि में परिवर्धन/समायोजन	वर्ष की अवधि में पूंजीकृत/समायोजन	शेष यथा 31 मार्च, 2021 को
सीडब्ल्यूआईपी – भवन शाला	1788.67	1410.04	-374.99	2823.73
सीडब्ल्यूआईपी – गोदियां व चहारदीवारियां	6.90	24.15	0.00	31.05
सीडब्ल्यूआईपी – पथ	3689.01	1825.03	-3502.35	2011.70
सीडब्ल्यूआईपी – रेलवे पथ (ट्रैक) & सिग्नलिंग प्रणाली	3906.05	6427.87	-944.33	9389.59
सीडब्ल्यूआईपी - डॉक्स, बांध, तटबंध व तरंगरोध	24.15	102.45	-24.15	102.45
सीडब्ल्यूआईपी - नौपरिवहन उपादान	0.00	0.00	0.00	0.00
सीडब्ल्यूआईपी – वाहन	0.00	0.00	0.00	0.00
सीडब्ल्यूआईपी – विद्युत संस्थापन	62.97	0.00	-62.97	0.00
सीडब्ल्यूआईपी - जल, संचार व अग्नि प्रणाली संस्थापन	0.00	0.00	0.00	0.00
सीडब्ल्यूआईपी - विद्युत उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00
सीडब्ल्यूआईपी – कार्यालय उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00
सीडब्ल्यूआईपी - कम्प्यूटर	0.00	0.00	0.00	0.00
सीडब्ल्यूआईपी - पत्तन खाड़ी व प्रवेश सरणि	144.58	6029.96	-5907.98	266.56
सीडब्ल्यूआईपी - संयंत्र व यंत्र (मशीनरी)	1139.53	116.47	0.00	1256.00
सीडब्ल्यूआईपी – कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	10761.86	15935.98	(10816.77)	15881.07
गत वर्ष	9894.56	7952.32	(7085.03)	10761.88

6. अमूर्त आस्तियां - सॉफ्टवेयर

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को
सकल अग्रणीत मूल्य यथा 1 अप्रैल को	1,077.73
परिवर्धन	15.23
निपटान/समायोजन	
सकल अग्रणीतमूल्य यथा 31 मार्च को	1,092.96
संचित मूल्य हास यथा 1 अप्रैल को	468.86
वर्ष के लिये	154.21
निपटान/समायोजन पर	
संचित मूल्य हास यथा 31 मार्च को	623.06
अग्रणीत मूल्य यथा 31 मार्च को	469.90

7. निवेश

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
गैर वर्तमान		
शेयरों में निवेश-उद्धृत		
भारतीय निकर्षण निगम में 10000 शेयर	37.07	25.04
यथा 31 मार्च, 2021 को बाजार मूल्य - 37,07,500/- रुपये, गत वर्ष - 14,54,200/- रुपये)		
शेयर में निवेश-अउद्धृत		
सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड में इक्विटी शेयर	3000.00	3000.00
घटाकर: निवेशों के मूल्य में हास के लिये प्रावधान	-3000.00	-3000.00
चेन्नै एन्नोर पोर्ट रोड लिमिटेड में इक्विटी शेयर	3400.00	3400.00
भारतीय पोर्ट रेल निगम लिमिटेड में इक्विटी शेयर	720.00	720.00
कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड में इक्विटी शेयर	2.00	2.00
नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र में निवेश	1.00	1.00
योग	4160.07	4148.04
वर्तमान		
तरल निधि में निवेश	0.00	0.00
योग	0.00	0.00

#. चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 14.09.2007 से निकर्षण कार्य स्थगित है और तबसे इस परियोजना में कोई आगे की प्रगति नहीं है, प्रबंधन ने सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड के इक्विटी शेयर में निवेश पर हास के लिये प्रावधान किया है।

8. ऋण व अग्रिम

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
दीर्घ अवधि		
प्रतिभूत (उत्तम माना गया)		
कर्मचारियों को अग्रिम (भवन निर्माण अग्रिम)	367.42	394.59
कर्मचारियों के अग्रिम (वाहन अग्रिम)	10.74	14.15
योग	378.16	408.74
लघु अवधि		
प्रतिभूत (उत्तम माना गया)		
कर्मचारियों को अग्रिम (भवन निर्माण अग्रिम)	42.43	44.98
कर्मचारियों के अग्रिम (वाहन अग्रिम)	4.48	5.56
कर्मचारियों के अग्रिम (अन्य)	7.05	2.40
योग	53.95	52.94

कर्मचारियों को अग्रिम (गृह निर्माण अग्रिम) में 16 कर्मचारियों को दिया गया 202.45 लाख रुपये का वह अग्रिम सम्मिलित है, जिसका निक्षेप ज्ञापन महामारी के कारण लंबित है।

9. अन्य वित्तीय आस्तियां

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
दीर्घ अवधि		
निक्षेप (अर्थात् जमा)	392.87	360.59
उपचित ब्याज:		
- संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि पर	0.00	0.00
योग	392.87	360.59
लघु अवधि		
उपचित ब्याज:		
- लघु अवधि निक्षेप पर	0.00	9.94
- संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि पर	0.00	0.00
आय प्राप्य	135.11	0.00
योग	135.11	9.94

आय प्राप्य उन अ-हुंडीकृत पोर्ट सेवाओं का निरूपण करते हैं, जिनका तदंतर अप्रैल, 2021 में बीजक बना।

10. कर व्यय

लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कर

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
प्रचलित आय कर		
प्रचलित वर्ष के संबंध में	5200.38	7827.23
पूर्व वर्ष के संबंध में	0.00	0.00
उप योग (ए)	5200.38	7827.23
आस्थगित कर व्यय		
प्रचलित वर्ष के संबंध में	1720.98	6300.85
न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) [नेट ऑफ क्रेडिट]	2418.61	5767.82
पूर्व के वर्षों के संबंध में – एमएटी क्रेडिट अब उपलब्ध नहीं है।	4973.36	0.00
उप योग (बी)	9112.95	12068.67
योग (ए+बी)	14313.33	19895.90

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कर

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
परिभाषित परिलाभ योजना बीमांकित लाभ (हानियां)	9.02	12.19
इक्विटी लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	1.28	0.00
योग	10.30	12.19

वर्ष के लिये आयकर व्यय को लेखांकन लाभ में निम्नवत् समाधानीकृत किया जा सकता है:

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
वर्ष के लिये कर पूर्व लाभ	29558.19	44763.82
आयकर व्यय कलित@34.944%	10328.81	15641.98
जोड़/(घटाव) - समायोजन हेतु		
उस आय का प्रभाव, जो कराधान से मुक्त है	(5,200.73)	(6,715.53)
उस व्यय का प्रभाव, जो करयोग्य लाभ निर्धारण में से कटौती योग्य नहीं है	793.46	810.54
पूर्व में अ-मान्यता प्राप्त उस अस्थाई अंतर का प्रभाव जो अब आस्थगित कर आस्तियों (निवल) के रूप में चिह्नित की गई	(211.48)	-
वर्तमान वर्ष में उस एमएटी साख समायोजन का प्रभाव जो पूर्व के वर्षों में मान्यता दी गई	8,537.67	7,513.30
एमएटी साख से संबंधित हैं		
अन्य समायोजन	65.61	2,645.60
लाभ व हानि के विवरण में मान्यता दिये गये आय कर व्यय	14,313.34	19,895.90

आस्थगित कर आस्तियां व देयताएं

श्रेणीवार आंकड़े के साथ वर्ष की अवधि में आस्थगित कर शेषों में संचलन

(रुपये लाखों में)

विवरण	शेष यथा 1 अप्रैल, 2020 को	लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	यथा 31 मार्च, 2021 को
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	(28,831.69)	(1,879.14)		(30,710.83)
कर्मचारी परिलाभ	6.79	122.29	(9.02)	120.06
टीडीएस अस्वीकृति	-			-
संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	454.18			454.18
एमएटी साख पात्रता *	50,930.42	(7,391.97)		43,538.45
अन्य	237.12	(237.12)		(0.00)
निवेशों में मूल्यहास	1,048.32			1,048.32
अग्रिम विकास प्रभार	-	272.98		272.98
इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन	-	-	(1.28)	(1.28)
योग	23,845.14	(9,112.96)	(10.30)	14,721.90

कंपनी ईटीटीपीएन, सीआईबीटीपीएल व जीसीबी के लिये आईटी अधिनियम की धारा 80 आईए के अंतर्गत कर लाभों को ले रही है और यह लाभ वित्तीय वर्ष 2021-22 में समाप्त हो रहा है। इसलिये कंपनी इन तीन उद्यमों के लिये एमएटी के अंतर्गत भुगतान की उत्तरदायी है। कंपनी ने अगले पांच वर्षों के लिये जो व्यापार योजना बनायी है उस पर विचार करते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 से राजस्व व लाभ सामान्य दरों पर कर के भुगतान के लिये देय होंगे और कंपनी संचित एमएटी साख पात्रताओं का लाभ उठाने में आश्वस्त है।

(रुपये लाखों में)

विवरण	शेष यथा 1 अप्रैल, 2019 को	लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	यथा 31 मार्च, 2020 को
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	(22,520.84)	(6,310.85)		(28,831.69)
कर्मचारी परिलाभ	(0.95)	(4.45)	12.19	6.79
टीडीएस अस्वीकृति	-	-		-
संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	449.81	4.37		454.18
एमएटी साख पात्रता*	56,698.24	(5,767.82)		50,930.42
अन्य	237.12	-		237.12
निवेशों में मूल्यहास	1,038.24	10.08		1,048.32
योग	35,901.62	(12,068.66)	12.19	23,845.14

11. अन्य आस्तियां

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
अप्रचलित		
संविदाकारों को अग्रिम	0.00	0.00
पूंजी व्यय के लिये अग्रिम	7328.63	13134.55
पूर्वदत्त पट्टा भाड़ा	0.00	0.00
आस्थगित कर्मचारी लागत	149.59	137.78
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ -प्रतिभूति निक्षेप	0.00	0.00
मध्यस्थता अधिनिर्णय पर अग्रिम	0.00	0.00
सरकारी प्राधिकरणों के साथ शेष	0.00	453.49
योग	7478.22	13725.83
प्रचलित		
संविदाकारों को अग्रिम	1058.22	971.86
पूर्वदत्त पट्टा भाड़ा	0.00	0.00
पूर्वदत्त व्यय	29.73	96.30
जीएसटी आगत साख	725.82	761.92
आस्थगित कर्मचारी लागत	0.00	0.00
अन्य आस्तियां	62.11	188.69
योग	1875.88	2018.77

अप्रचलित के अंतर्गत पूंजी व्यय के लिये अग्रिम में वह 4509.50 लाख रुपये सम्मिलित है जो परियोजना संविदाकारों को किया गया अधिक भुगतान है और जिसे 22.06.2001 को चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से आस्तियों व देयताओं को ग्रहण करने के समय मद्रास उच्च न्यायालय को संदर्भित किया गया था।

12 व्यापार प्राप्य

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
व्यापार प्राप्य		
भुगतान के लिये नियत तिथि से छह मास अधिक हो रही अवधि के लिये ऋणियों का अदत्त शेष		
- अप्रतिभूत- अच्छा माना गया	3528.07	854.82
- संदेहास्पद	1299.74	1299.74
अन्य ऋणी (छह मास से कम)		
- अप्रतिभूत- अच्छा माना गया	4242.37	3961.76
घटाकर: संदेहास्पद ऋणों के लिये छूट	-1299.74	-1299.74
योग	7770.45	4816.59

13. नकदी व नकदी समतुल्य (तुल्यांश)

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
नकदी हाथ में	0.00	0.00
चेक, ड्राफ्ट हाथ में	0.00	0.00
बैंकों में शेष राशि	3201.44	2920.80
उप-योग (ए)	3201.44	2920.80
अन्य बैंक शेष राशि		
- सावधि जमा		
- 3 मास के कम	0.00	0.00
- 3 मास के अधिक, किंतु 12 मास से कम	0.00	7000.00
उप-योग (बी)	0.00	7000.00
योग	3201.44	9920.80

14. प्रचलित कर आस्तियां

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
अग्रिम कर एवं स्रोत पर काटा गया कर	71106.47	66006.00
आयकर के लिये प्रावधान	-70817.61	-65617.23
योग	288.86	388.77

15. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
प्राधिकृत		
इक्विटी शेयर 10 रुपये- प्रति		
500,000,000 इक्विटी शेयर	50,000.00	50,000.00
निर्गमित, अभिदत्त व पूर्णतः प्रदत्त		
इक्विटी शेयर 10 रुपये- प्रति		
300,000,000 इक्विटी शेयर	30,000.00	30,000.00
	30,000.00	30,000.00

शेयर पूंजी का समाधान:

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	
	शेयरों की संख्या	राशि
प्रारंभिक इक्विटी शेयर	300000000	3000000000
जोड़: - शेयरों की संख्या, वर्ष की अवधि में निर्गमित/अभिदत्त शेयर पूंजी	0	0
समापन शेष	300000000	3000000000

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020 को	
	शेयरों की संख्या	राशि
प्रारंभिक इक्विटी शेयर	300000000	3000000000
जोड़: शेयरों की संख्या, वर्ष की अवधि में निर्गमित/अभिदत्त शेयर पूंजी	0	0
समापन शेष	300000000	3000000000

5 प्रतिशत से अधिक अंशधारण कर रहे अंशधारक द्वारा कंपनी में धारित शेयर

अंशधारक का नाम	%	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट	100%	30,000	30,000

भारत सरकार ने 25.03.2020 को हुए शेयर क्रय समझौते के माध्यम से कंपनी में धारित अपने समूचे इक्विटी शेयरों का विनिवेश चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट में कर दिया।

16. उधारियां

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
प्रतिभूत - दीर्घ अवधि		
सावधि ऋण		
चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट	20506.25	22807.50
एक्सिक बैंक से विदेशी मुद्रा ऋण	0.00	8868.90
करमुक्त बंधपत्र		
(i) श्रृंखला 2012-13	9429.68	9416.85
(ii) श्रृंखला 2013-14	36441.08	36428.84
योग	66377.01	77522.09

प्रतिभूत मोचनीय अ-परिवर्तनीय बंधपत्र

(i) सममूल्य पर मोचनीय, 82,93,34,000/- रुपये की राशि के 1000/- रुपये प्रति अंकित मूल्य वाले 10 वर्षीय 829334 बंधपत्र 25.03.2023 को नियत हैं और 11,71,56,000/- रुपये की राशि के 1000/- रुपये-प्रति अंकित मूल्य वाले 15 वर्षीय 117156 बंधपत्र खुदरा निवेशकों एवं अन्य निवेशकों के लिये क्रमशः @7.51% व 7.67% ब्याज दर के साथ, वार्षिक भुगतान पर, 25.03.2028 को नियत है। ये बंधपत्र 25.03.2013 को पंजीकृत बंधपत्र न्यास विलेख के अनुबंधों के अनुसार कंपनी की आस्तियों अर्थात् लघु पोत घाट- 1, 2 व 3 एवं सामान्य कार्गो गोदी पर प्रतिभूत हैं।

(ii) सममूल्य पर मोचनीय, 79,49,51,000/- रुपये की राशि के 1000/- रुपये प्रति अंकित मूल्य वाले 10 वर्षीय 794951 बंधपत्र 25.03.2024 को नियत हैं और 191,66,30,000/- रुपये की राशि के 1000/- रुपये-प्रति अंकित मूल्य वाले 15 वर्षीय 1916630 बंधपत्र 25.03.2029 को एवं 94,31,42,000/- रुपये की राशि के 1000/- रुपये- प्रति अंकित मूल्य

वाले 20 वर्षीय 943142 बंधपत्र 25.03.2034 को खुदरा निवेशकों के लिये क्रमशः @8.61%, 9% व 9% ब्याज दर पर तथा अन्य के लिये क्रमशः 8.36%, 8.75% व 8.75% ब्याज दर के साथ, वार्षिक भुगतान पर, नियत हैं। ये बंधपत्र 19.03.2014 को पंजीकृत बंधपत्र न्यास विलेख के अनुबंधों के अनुसार कंपनी की आस्तियों अर्थात् उत्तरी तरंगरोध पर प्रतिभूत हैं।

चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से सावधि ऋण

चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट को भुगतान किये जाने को नियत देय सावधि ऋण वर्ष 2001-02 में आस्तियों व देयताओं के ग्रहण करने के समय रूपांतरित हुआ और 30.06.2012 से प्रारंभ होकर 60 बराबर-बराबर तिमाही किश्तों में देय है। इस अवधि में अद्यतन तिथि तक किश्तों का भुगतान किया जा चुका है। उपरोक्त ऋण कंपनी की विशिष्टतः उद्दिष्ट अचल आस्तियों के दृष्टिबंधन द्वारा प्रतिभूत है। कंपनी ने मूल ऋण के ही नियम व शर्तों पर 18.06.2018 व 29.09.2018 को क्रमशः 70 करोड़ रुपये व 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार ली है।

एक्सिस बैंक से विदेशी मुद्रा ऋण

एक्सिस बैंक ने 30.03.2017 को 6एम एलआईबीओआर प्लस 195 बीपीएस की ब्याज दर पर व्यापार प्राप्यों पर एक वर्ष के अधिस्थगन सहित पांच वर्षों के भीतर चुकाने योग्य 100 यूएसडी मिलियन विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) स्वीकृत किया है। कंपनी ने वर्ष 2017-18 की अवधि में 47 यूएसडी मिलियन उठाया है। कंपनी द्वारा ब्याज दर जोखिम से रक्षा के लिये 250 आधार बिंदु (बीपीएस) के आधिक्य में 6 एम एलआईबीओआर दर बचाव भी किया गया।

भारतीय स्टेट बैंक से अधिविकर्ष सुविधा

भारतीय स्टेट बैंक ने एक वर्ष एमसीएलआर प्लस 0.15% दर पर निधि आधारित सीमाओं में 50 करोड़ एवं अ-निधि आधारित सीमाओं में 10 करोड़ रुपये की निर्बंध अधिविकर्ष सुविधा स्वीकृत किया। कंपनी ने 31 जनवरी, 2020 को ऋण समझौता किया है। यद्यपि 31 मार्च 2021 तक किसी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है।

17. अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
दीर्घ अवधि		
प्रतिभूति निक्षेप	385.57	275.97
प्रतिधारण धन देय	11.43	290.18
योग	397.00	566.15
लघु अवधि		
दीर्घ अवधि ऋण की प्रचलित परिपक्वताएं		
- चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट	2301.25	2301.25
- एक्सिस बैंक से विदेशी मुद्रा ऋण	8656.41	8935.25
प्रतिभूति निक्षेप	139.58	260.63
प्रतिधारण धन देय	382.09	350.98
कर्मचारियों को देय राशि	0.48	0.48
अन्य देयताएं	129.18	198.86
योग	11608.99	12047.45

18. प्रावधान

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
अ-प्रचलित		
कर्मचारी परिलाभों के लिये		
अवकाश नकदीकरण	0.00	0.00
अनुतोष	0.00	0.00
योग	0.00	0.00
प्रचलित		
कर्मचारी परिलाभों के लिये		
अवकाश नकदीकरण	51.80	7.65
अनुतोष	15.24	11.79
प्रदर्शन संबंधित भुगतान	100.00	200.00
उप योग (ए)	167.04	219.44
अन्य		
व्यय		
- राजस्व	1061.00	748.79
- पूंजी	329.86	65.27
उप योग (बी)	1390.86	814.06
योग(ए+बी)	1557.90	1033.50

19. अन्य देयताएं

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
अ-प्रचलित		
अग्रिम में प्राप्त आय	6449.43	6956.78
अग्रिम पट्टा प्रभार	1710.27	781.21
अन्य देयताएं	0.00	0.00
आस्थगित उचित मूल्य लाभ - प्रतिभूति निक्षेप	570.40	588.85
सरकारी अनुदान	0.00	8.14
योग	8730.10	8334.98
प्रचलित		
अग्रिम में प्राप्त आय	866.75	814.61
अन्य सांविधिक देय राशियां	1865.91	1224.36
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	2714.79	1981.23
अग्रिम पट्टा प्रभार	79.79	45.00
अन्य देयताएं	112.26	89.33
योग	5639.50	4154.53

अ-प्रचलित के अंतर्गत प्राप्त आय 6449.43 लाख रुपये के अग्रिम में इंडियन ऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड से दिनांक 31 जुलाई 2015 को हुए अनुज्ञप्ति समझौते के अनुसार एलएनजी टर्मिनल के निर्माण के लिये आवंटित 5,20,000 वर्ग मीटर भूमि के लिये 30 वर्ष हेतु अग्रिम अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में प्राप्त राशि सम्मिलित है।

20. व्यापार देय

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
सूक्ष्म व लघु स्तरीय औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) की कुल अवशिष्ट देय राशि (30 दिनों से अधिक समय से लंबित 28.12 लाख रुपये) *	28.12	0.00
मध्यम स्तरीय औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) की कुल अवशिष्ट देय राशि। (30 दिनों से अधिक समय से लंबित कुछ नहीं/-)	0.00	0.00
अन्य	4572.53	4255.05
योग	4600.65	4255.05

* उसमें 13.82 लाख रुपये विवादित ब्याज देयराशि

21. परिचालन से राजस्व

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
पट्टा आय		
कोयला पर सम्मिश्र शुल्क	16306.12	21361.49
संपदा आय	3806.72	4473.35
राजस्व भाग	18440.33	19182.64
समुद्री सेवाएं		
जलपोत संबंधी आय	14316.75	17616.88
कार्गो संबंधी सेवाएं		
गोदी शुल्क	4236.70	6922.01
अधिशुल्क	909.87	622.36
अन्य परिचालन राजस्व		
अन्य सेवाएं	92.76	138.76
योग	58109.25	70317.50

22. अन्य आय

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
बैंकों से ब्याज	320.24	415.85
कर्मचारी अग्रिमों पर ब्याज	34.75	42.61
आय- अन्य	107.42	164.68
म्यूचुअल फंड से लघु अवधि लाभ	9.37	148.83
लाभांश प्राप्त	0.00	51.01
अन्य अ परिचालन आय		
निविदा प्रपत्र की बिक्री	0.00	0.08
कार्मिक व वाहन प्रवेश पास	70.99	65.76
निर्णीत क्षतिपूर्ति	0.00	1892.30
अन्य आय	89.70	269.37
योग	632.47	3050.49

23. परिचालन लागत

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
समय चार्टर नौकाएं	3125.54	3293.86
परामर्शी सेवाएं – परिचालन	175.54	364.85
विद्युत व जल प्रभार	214.60	215.90
पर्यावरण	295.91	473.75
ईंधन व्यय	664.88	769.46
कार्मिक आवश्यकता सेवाएं	609.32	646.55
सर्वे व अनुरक्षण निकर्षण	118.02	102.70
जीर्णोद्धार व अनुरक्षण	938.92	977.25
प्रोत्साहन	685.16	1231.23
बीमा	280.37	244.96
योग	7108.26	8320.51

24. कर्मचारी परिलाभ

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
वेतन व पारिश्रमिक	1406.66	1400.68
भविष्य निधि में योगदान	128.82	117.17
कर्मचारी कल्याण व्यय	38.81	21.98
प्रदर्शन संबंधित व्यय	0.00	152.99
कर्मचारी चिकित्सा व्यय	52.84	75.30
सेवांत परिलाभ	266.02	290.71
योग	1893.15	2058.83

25. वित्त लागत

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
ब्याज व्यय :		
- बैंकों से	437.70	1038.42
- करमुक्त बंधपत्र - 2012-13	686.91	686.11
- करमुक्त बंधपत्र - 2013-14	3234.23	3225.18
- अन्य	2560.78	2780.64
अन्य उधारी लागतें:		
- करमुक्त बंधपत्र व्यय	8.77	9.32
शुद्ध हानि/- लाभ विदेशी मुद्रा संव्यवहार पर और उस सीमा तक संव्यवहार पर जब कि इसे उधारी लागत के रूप में लिया जाए	-429.34	725.17
योग	6499.05	8464.84

26. मूल्य ह्रास व परिशोधन व्यय

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
वर्ष के लिये मूल्य ह्रास/परिशोधन		
मूर्त आस्तियां	8256.71	4975.92
राइट-ऑफ-यूज आस्तियां	88.53	86.02
अमूर्त आस्तियां	154.21	151.10
अपसामान्य व्यय	0.00	0.00
योग	8499.44	5213.04

27. अन्य व्यय

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
एएमसी- सॉफ्टवेयर व्यय	71.57	65.52
संपरीक्षक पारिश्रमिक		
- सांविधिक संपरीक्षा	6.00	3.00
- कर संपरीक्षा शुल्क	1.00	0.50
- अन्य सेवाओं के लिये भुगतान	0.45	0.50
- व्ययों की वापसी	0.60	0.30
पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं	2.43	2.75
विद्युत व जल प्रभार	128.75	122.86
विधिक व व्यावसायिक प्रभार	190.24	165.46
विविध व्यय	78.92	124.42
मुद्रण व लेखन सामग्री	14.69	17.19
भाड़ा, दरें व कर	73.94	55.38
सुरक्षा व संरक्षा व्यय	1372.33	1277.89
सेमिनार व कॉन्फ्रेंस व्यय	2.20	15.64
कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	2140.66	810.54
अभिदान व सदस्यता शुल्क	152.01	119.58
संचार व्यय	55.47	62.22
यात्रा व सवारी	8.29	44.71
वाहन चालन व्यय	275.15	294.73
सूचना व विज्ञापन संबंधी व्यय	26.92	47.59
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव हानि	0.00	688.16
आर एंड ऑफिस	426.21	331.44
दान व योगदान	130.00	0.00
योग	5157.83	4250.38

* सीएसआर व्यय में गत वर्ष की 12.93 करोड़ रुपये की अग्रेनीत अव्ययित राशि सम्मिलित है।

कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(ए) वर्ष की अवधि में कंपनी द्वारा व्यय की जाने के लिये अपेक्षित राशि : 810.00 लाख रुपये

(बी) वर्ष की अवधि में व्यय की गई राशि :

(रुपये लाखों में)

क्र. मांक	विवरण	नकद में	अभी तक नकदी में भुगतान किया जाना शेष	योग
(i)	किसी आस्ति के निर्माण/उपार्जन	0.00	0.00	0.00
(ii)	उपरोक्त (i) के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से	1857.29	283.38	2140.66
	योग	1857.29	283.38	2140.66

28. आपवादिक मद

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
मध्यस्थता/सेवा कर पर प्रदत्त ब्याज	0.00	144.27
सेवा कर निक्षेप- विवाद समाधान	0.00	117.42
योग	0.00	261.69

29. प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
वर्ष के लिये कुल व्यापक आय	1529819643	2492549819
शेयरों की भारित औसत संख्या - मूल	300000000	300000000
शेयरों की भारित औसत संख्या - अवमिश्रित	300000000	300000000
प्रति शेयर अर्जन - मूल	5.10	8.31
प्रति शेयर अर्जन - अवमिश्रित	5.10	8.31

टीप 30: प्रकटीकरण टीप

1. प्रतिबद्धताएं:

पूंजी प्रतिबद्धताएं:

पूंजीगत व्यय (नेट ऑफ एडवांसेज) पर निष्पादित किये जाने को शेष संविदाओं की प्राक्कलित राशिवअप्रदत्त 30879.80 लाख रुपये (पिछले वर्ष 23175.21लाख रुपये)।

2. सांविधिक संपरीक्षकों को भुगतान

(रुपये लाखों में)

विवरण	2020-21	2019-20
संपरीक्षा शुल्क	6.00	3.00
कर संपरीक्षा शुल्क	1.00	0.50
प्रमाणन शुल्क	0.45	0.50
वापसी:		
- अपने पास से किया गया व्यय	0.60	0.30

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त सूचना

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	विवरण	2020-21	2019-20
ए	विदेशी मुद्रा में व्यय:		
	i. व्यावसायिक व परामर्शदात्री शुल्क	-	-
	ii. भ्रमण व यात्रा	-	-
	iii. प्रतिरक्षा सहित एफसीएल पर ब्याज	437.70	1038.42
	iv. अन्य	-	-
बी	विदेशी मुद्रा में आय	-	15.15

4. 31 मार्च 2021 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में जानकारी:

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	विवरण	2020-21	2019-20
1	किसी आपूर्तिकर्ता को शेष अदत्त राशि: ए) प्रधान राशि बी) उस पर ब्याज	28.12 13.82	- -
2	नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि के साथ ही सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में भुगतान की गई ब्याज की राशि;	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	भुगतान करने में आवधिक विलंब के लिए देय व देय राशि (जो भुगतान किया गया है, लेकिन वर्ष के नियत दिन से परे भुगतान किया गया है), किंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	उपार्जित एवं शेष अप्रदत्त राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकरण उद्देश्य के लिये, आगे लगने वाले ब्याज का देय शेष एवं आगामी वर्षों में भी देय राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों में विक्रेताओं (वेंडरों) के वर्गीकरण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना की सीमा तक दिये गये हैं।

भारतीय लेखांकन मानकों की प्रकटीकरण आवश्यकताएं

5. आएनडी एस 107 इंडस्ट्रीज के संबंध में प्रकटीकरण- वित्तीय लिखतें

5.1 श्रेणीवार वित्तीय लिखतें

वित्तीय लिखतों का अग्रणीत मूल्य व उचित मूल्य श्रेणीवार निम्नानुसार था:

(31 मार्च, 2021 को राशि लाख में)

विवरण	ऋण चुकाने की लागत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां/ देयताएं	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां/ देयताएं	कुल अग्रणीत मूल्य	कुल उचित मूल्य
आस्तियां:					
अप्रचलित निवेश (संदर्भ टीप सं. 7)	-	12.03	4148.04	4160.07	4160.07
नकदी व नकदी समतुल्य (संदर्भ टीप सं. 13)	3201.44	-	-	3201.44	3201.44
व्यापार प्राप्य (संदर्भ टीप सं. 12)	7770.45	-	-	7770.45	7770.45
ऋण व अग्रिम (संदर्भ टीप सं. 8)	432.12	-	-	432.12	432.12
अन्य वित्तीय आस्तियां संदर्भ टीप सं. 13 (संदर्भ टीप सं. 9)	527.99	-	-	527.99	527.99
देयताएं:					
चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त ऋण (संदर्भ टीप सं. 16 व 17)	22807.50	-	-	22807.50	22807.50
करमुक्त बंधपत्र (संदर्भ टीप सं. 16)	45870.76	-	-	45870.76	45870.76
एक्सिस बैंक से ऋण (संदर्भ टीप सं. 16 व 17)	8656.41	-	-	8656.41	8656.41
व्यापार देय (संदर्भ टीप सं. 20)	4600.65	-	-	4600.65	4600.65
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ टीप सं. 17)	1048.32	-	-	1048.32	1048.32

(31 मार्च, 2020 को राशि लाख में)

विवरण	ऋण चुकाने की लागत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां/ देयताएं	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां/ देयताएं	कुल अग्रणीत मूल्य	कुल उचित मूल्य
आस्तियां:					
अप्रचलित निवेश (संदर्भ टीप सं. 7)	-	-	4148.04	4148.04	4148.04
नकदी व नकदी समतुल्य (संदर्भ टीप सं. 13)	9920.80	-	-	9920.80	9920.80
व्यापार प्राप्य (संदर्भ टीप सं. 12)	4816.59	-	-	4816.59	4816.59
ऋण व अग्रिम (संदर्भ टीप सं. 8)	461.68	-	-	461.68	461.68
अन्य वित्तीय आस्तियां संदर्भ टीप सं. 13 (संदर्भ टीप सं. 9)	370.54	-	-	370.54	370.54
देयताएं:					
चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त ऋण (संदर्भ टीप सं. 16 व 17)	25108.75	-	-	25108.75	25108.75
करमुक्त बंधपत्र (संदर्भ टीप सं. 16)	45845.69	-	-	45845.69	45845.69
एक्सिस बैंक से ऋण (संदर्भ टीप सं. 16 व 17)	17804.15	-	-	17804.15	17804.15
व्यापार देय (संदर्भ टीप सं. 20)	1229.15	-	-	1229.15	1229.15
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ टीप सं. 17)	1377.10	-	-	1377.10	1377.10

5.2. उचित मूल्य पदानुक्रम

- स्तर 1 - समान आस्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।
- स्तर 2 - स्तर 1 में सम्मिलित उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त अन्य विनिष्टियां जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों के रूप में) (अर्थात मूल्यों से व्युत्पन्न) आस्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।
- स्तर 3 - उन आस्तियों अथवा देयताओं के लिये आगत, जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अलक्ष्य आगत) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित सारणी उचित मूल्य पर मापी गई आस्तियों व देयताओं का उचित मूल्य पदानुक्रम प्रस्तुत करती है:

(रुपये लाखों में)

विवरण	वर्ष 31.03.2021 के लिये				वर्ष 31.03.2020 के लिये			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय आस्तियां								
अउद्धृत इक्विटी लिखतों में निवेश	-	-	4,123	4,123	-	-	4,123	4,123

5.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी की गतिविधियां सीमित वित्तीय जोखिमों: बाजार जोखिम, ऋण जोखिम व तरलता जोखिम के अधीन हैं। कंपनी का प्राथमिक ध्यान वित्तीय बाजारों की अस्थिरता का पूर्वानुमान लगाने एवं अपने वित्तीय प्रदर्शन पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करने पर है।

ए) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है कि बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखतों के भावी नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी के पास बाजार जोखिम के रूप में ब्याज दर जोखिम है। कंपनी के वित्तीय लिखतों पर मूल्य जोखिम नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्नी वित्तीय आस्ति नहीं है।

ब्याज दर जोखिम:

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है कि बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा। बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम का खतरा मुख्य रूप से चल ब्याज दरों के साथ दीर्घकालिक ऋण दायित्वों से जुड़ा होता है।

कंपनी ने वर्ष 2017-18 की अवधि में एक्सिस बैंक से एलआआईबीओआर प्लस 195 बीपीएस की दर पर स्वीकृत 100 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण में से 47 मिलियन अमरीकी डालर का विदेशी मुद्रा ऋण लिया है। यद्यपि ब्याज दर जोखिम से बचाने के लिए 250 आधार अंकों (बीपीएस) के आधिक्य में एलआआईबीओआर दर प्रतिरक्षित की गई है।

इसके अतिरिक्त कंपनी के पास चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त ऋण पर दर जोखिम है, क्योंकि वार्षिक ब्याज दर पुनर्नियोजन भारतीय स्टेट बैंक के एमसीएलआर दर में उतार-चढ़ाव से नियंत्रित है।

यथासूचनांकन तिथि पर, कंपनी के ब्याज-संवहनीय वित्तीय लिखतों का ब्याज दर प्रोफाइल निम्नलिखित है:

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
सावधि दर लिखतें	-	-
वित्तीय आस्तियां		
- बैंकों में सावधि निक्षेप (जमा)	-	7000.00
- कर्मचारियों को प्रदान अग्रिम	425.06	459.27
वित्तीय देयताएं		
- करमुक्त बंधपत्र	45870.76	45845.69
परिवर्तनशील दर साधन		
- चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से ऋण	22807.50	25108.75
- विदेशी मुद्रा ऋण	8656.41	17804.15

बी) साख जोखिम

ऋण जोखिम का तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व में व्यतिक्रम के जोखिम से है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है। चूंकि कंपनी सामान्यतः पत्तन सेवाओं के लिए अपनी आय के संबंध में पूर्व भुगतान को निर्धारित करती है, इसलिए सामान्यतः किसी को भी कोई साख नहीं दिया जाता है। ऐसे प्रकरणों में कोई साख व्यतिक्रम जोखिम नहीं है। यद्यपि, जहां कंपनी कुछ सहायक/सलंब सेवाएं दे रही है वहां जब और जैसे सेवाएं दी जाती हैं बीजक काटे जाते हैं तथा उपयोगकर्ता शुल्क, अनुज्ञप्ति शुल्क आदि पर असहमति के प्रकरणों में विवादों के निपटान पर साख व्यतिक्रम जोखिम का तत्व हो सकता है।

व्यापार प्राप्य

कंपनी के पास 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 तक शेष व्यापार प्राप्य राशि क्रमशः 7770.45 लाख रुपये व 4816.59 लाख रुपये है। व्यापार प्राप्य सामान्यतः असुरक्षित होते हैं और ग्राहकों से प्राप्त राजस्व से मिलते हैं। चूंकि अधिकांश पत्तन सेवाएं पूर्व पुनर्प्राप्ति आधार पर अग्रिम संचय करके दी जाती हैं, अतः व्यापार प्राप्यों में अधिकांशतः संपदा भाड़ों व संबद्ध सेवाओं के लिये भुगतान न की गई राजस्व देय राशि होती है। विवादित ऋणों के लिये प्रावधान की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र शीट तिथि पर की जाती है तथा एक-एक प्रकरण के आधार पर व्यवस्था की जाती है।

ऋण जोखिम अनावरण

प्रत्येक सूचनांकन तिथि पर व्यापार प्राप्यों का अवधि-वार विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
	सकल	हानि	सकल	हानि
पुरानी प्राप्य राशि नहीं	3595.45	-	2791.23	
तीन मास से कम की पुरानी प्राप्य राशि	2.97	-	-	-
तीन मास से अधिक की पुरानी प्राप्य राशि, किंतु छह मास से अधिक नहीं	643.95	-	1166.47	-
छह मास से अधिक की पुरानी प्राप्य राशि, किंतु एक वर्ष से अधिक नहीं	1283.49	-	4.40	-
एक वर्ष से अधिक	3544.33	1299.74	2154.57	1299.74
योग	9070.19	1299.74	6116.67	1299.74

एक-एक प्रकरण आधार पर व्यापार प्राप्ति की हानि का प्रावधान उस वर्ष में तब किया जाता है, जब कंपनी द्वारा किए गए उगाही विश्लेषण के आधार पर संदेहास्पद के रूप में प्रतिलब्धता का आकलन कर लिया जाता है अथवा कंशेसनेयर समझौतों में कुछ परिच्छेदों की व्याख्या पर विवादों के संभावित परिणाम पर आधारित होता है। कंपनी अन्य सभी वित्तीय

आस्तियां, जो अपसामान्य जोखिम नहीं हैं तथा प्रत्येक समीक्षाधीन तिथियों में अतीत की प्राप्य राशि हैं, अच्छी साख गुणवत्ता की होती हैं।

अन्य वित्तीय आस्तियां

नकदी व नकदी समतुल्योंसे संबंधित साख जोखिम को नगण्य माना जाता है, क्योंकि हमारे प्रतिरूप बैंक हैं। हम उन बैंकों के साथ सावधि निक्षेप की साख गुणवत्ता पर विचार करते हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निरीक्षण के अधीन हैं, और हम अविरत आधार पर इन बैंकिंग संबंधों की समीक्षा करते हैं। कर्मचारी ऋण से संबंधित ऋण जोखिम को नगण्य माना जाता है, क्योंकि ये ऋण उस संपत्ति के स्वत्व विलेख के बंधक के रूप में अथवा उस वाहन के उपप्राधिकार के माध्यम से प्रत्याभूत होते हैं, जिसके लिये ऋण कर्मचारियों को दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास कर्मचारियों को देय सावधि लाभ पर विनियोग का अधिकार है। इसलिये, इन वित्तीय आस्तियों के लिए हानि प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। हम उपरोक्त सभी वित्तीय आस्तियों को सूचनांकन तिथियों पर अच्छी साख गुणवत्ता वाले मानते हैं।

सी) तरलता जोखिम

हमारी तरलता की आवश्यकताओं का मासिक व वार्षिक अनुमानों के आधार पर संवीक्षण किया जाता है। कंपनी के तरलता के मुख्य स्रोत नकदी व नकदी समतुल्य, परिचालन से उत्पन्न नकदी हैं।

हम नकदी प्रवाह की निरंतर संवीक्षा करके एवं पर्याप्त नकदी व नकदी

समतुल्य बनाये रखकर अपनी तरलता आवश्यकताओं का प्रबंधन करते हैं। किसी भी कमी को निर्धारित करने के लिये शुद्ध नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है।

लघु अवधि की तरलता की आवश्यकता में मुख्य रूप से वो संसाधन आते हैं, जो प्रत्येक सूचनांकन तिथि के अनुसार कार्य निष्पादन के सामान्य क्रम में उत्पन्न होने वाली व्यापार देयताएं, व्यय देय, कर्मचारी को देय राशि, ऋणों की वर्तमान परिपक्वता के भुगतान आदि को व्यवस्थित करने के लिये आवश्यक होते हैं। हम अपनी छोटी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नकदी व नकदी समतुल्यों में पर्याप्त संतुलन बनाये रखते हैं।

हम आवधिक आधार पर दीर्घकालिक तरलता आवश्यकताओं का आंकलन करते हैं और आंतरिक अभिवृद्धि के माध्यम से उनका प्रबंधन करते हैं। हमारी अप्रचलित देयताओं में चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के लिया गया ऋण, करमुक्त बंधपत्र, एवं एक्सिस बैंक से विदेशी मुद्रा ऋण, प्रतिधारण धन देय और प्रतिभूति निक्षेप आते हैं।

नीचे दी गई तालिका अ-व्युत्पन्नी वित्तीय देयताओं के संविदात्मक परिपक्वताओं के विषय में विवरण प्रदान करती है। तालिका को वित्तीय देयताओं के अ-बट्टागत नकदी प्रवाह के आधार पर उस यथाशीघ्र तिथि पर तैयार किया गया है, जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तालिका में मूल व ब्याज नकदी प्रवाह दोनों सम्मिलित हैं।

(31 मार्च, 2021 को लाख में राशि)

विवरण	6 मास से कम	6 मास से एक वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट ऋण	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	11301.31	22807.51
एक्सिस बैंक से ऋण	4328.25	4328.26	-	-	-	8656.41
करमुक्त बंधपत्र	-	-	8293.34	-	37577.42	45870.76
प्रतिधारण धन	-	382.09	11.43	-	-	393.52
प्रतिभूति निक्षेप	-	137.87	387.28	-	-	525.15
व्यापार प्राप्य	-	4600.65	-	-	-	4600.65
अन्य देयताएं	-	129.66	-	-	-	129.66
योग	5478.67	10728.95	13294.53	4602.48	48878.73	82983.36

(31 मार्च, 2020 को लाख में राशि)

विवरण	6 मास से कम	6 मास से एक वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट ऋण	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	13602.56	25108.76
एक्सिस बैंक से ऋण	4467.63	4467.63	8868.90	-	-	17804.16
करमुक्त बंधपत्र	-	-	-	8293.34	37552.35	45845.69
प्रतिधारण धन	-	350.98	290.18	-	-	641.16
प्रतिभूति निक्षेप	-	260.63	275.97	-	-	536.60
व्यापार प्राप्य	-	1229.15	-	-	-	1229.15
अन्य देयताएं	-	199.34	-	-	-	199.34
योग	5618.25	7658.35	14037.53	12895.82	51154.91	91364.86

6. भारतीय लेखा मानक (इंड एस)- 21 के संबंध में प्रकटीकरण “विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव”

लाभ व हानि के विवरण में डाले गये विनिमय अंतर की राशि (निवल) कुछ नहीं (पी.वाई. 688.16 लाख रुपये) अन्य व्ययों के अंतर्गत।

7. भारतीय लेखा मानक (इंड एस)-36 के संबंध में प्रकटीकरण “आस्तियों की क्षतिग्रस्तता”

वर्ष की अवधि में, कंपनी ने इंड एस-36 के अनुसार अपनी अचल आस्तियों की क्षतिग्रस्तता की समीक्षा की है और वर्तमान वित्त वर्ष (पिछले वर्ष-कुछ नहीं) में आस्तियों की कोई क्षतिग्रस्तता हानि नहीं पायी है।

8. भारतीय लेखा मानक (इंड एस)-20 के संबंध में प्रकटीकरण “सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण”

(रुपये लाखों में)

अनुदान प्राप्त	2020-21	2019-20
सरकारी अनुदान	शून्य	शून्य
कुल प्राप्त अनुदान	शून्य	शून्य

9. भारतीय लेखा मानक (इंड एस)-20 के संबंध में प्रकटीकरण “कर्मचारी परिलाभ”

ए. विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नलिखित है:

क) भविष्य निधि:

कंपनी की भविष्य निधि राशि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा की जाती है। कंपनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि में निश्चित योगदान करती है।

ख) उपदान:

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, निवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, एवं विकलांगता अथवा मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 15 दिवस का वेतन (15/26x अंतिम बार प्राप्त मूल वेतन व महंगाई भत्ता) पाने का अधिकारी होता है। इस उद्देश्य के लिये एक न्यास का गठन किया गया है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रबंधित की जा रही है, जिसके लिये कंपनी ने एक मास्टर पॉलिसी ली है।

इस योजना का वित्त पोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और योगदान बीमाकर्ता, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम है, को उनके द्वारा की गई मांग के अनुसार भुगतान किया जाता है। परिभाषित लाभ योजना के लिये शुद्ध

दायित्व की मान्यता और इंड एस -19 के अंतर्गत यथा अभीष्ट सूचना के प्रकटीकरण को बीमांकित मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार बनाया जाता है।

ग) निवृत्ति योजना:

कंपनी ने एक अ-अंशदायी कर्मचारी समूह निवृत्ति पेंशन योजना लागू की है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भी प्रबंधित किया जाता है। पंजीकृत कर्मचारी के मूल वेतन के 12% की दर से निगम को योगदान किया जाता है।

अवधि के लिए इस योजना में योगदान को कर्मचारी लागत के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में, पेंशन योगदान की गणना मूल संगठन/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार की जाती है और उपचय आधार पर लेखा-जोखा दिया जाता है।

घ) अवकाश:

कंपनी, कंपनी के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ एवं आधा-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो क्रमशः 30 दिन और 20 दिन पर वार्षिक प्राप्त होता है। अर्जित अवकाश को सेवा अवधि में पात्रतानुसार कैलेंडर वर्ष में एक बार अधिकतम 30 दिनों की अवधि एवं निवृत्ति पर अधिकतम 300 दिवस तक के लिये नकदीकरण योग्य होता है।

अर्जित अवकाश पर देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

बी. लाभ व हानि के विवरण, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) एवं तुलनपत्र व अन्य प्रकटीकरण में मान्यता दिये गये विभिन्न परिभाषित परिलाभोंकी सारभूत स्थितिनिम्नलिखित है:

(रुपये लाखों में)

विवरण		उपदान (निधिक)	अवकाश (निधिक)
परिभाषित परिलाभ दायित्व	सी. वाई.	386.25	377.00
	पी. वाई.	354.38	315.72
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	सी. वाई.	371.01	325.20
	पी. वाई.	346.74	303.93
निधिक स्थिति [अधिशेष/ (कमी)]	सी. वाई.	15.24	51.80
	पी. वाई.	7.64	11.79
आस्ति उच्चतम सीमा का प्रभाव	सी. वाई.	0	0
	पी. वाई.	0	0
शुद्ध परिभाषित लाभ आस्तियां/(देयताएं)	सी. वाई.	15.24	51.80
	पी. वाई.	7.64	11.79

परिभाषित परिलाभ दायित्व में संचलन

(रुपये लाखों में)

विवरण		उपदान (निधिक)	अवकाश (निधिक)
परिभाषित परिलाभ दायित्व- वर्ष का आरंभ	सी. वाई.	354.38	315.72
	पी. वाई.	272.70	226.48
वर्तमान सेवा लागत	सी. वाई.	32.88	44.20
	पी. वाई.	33.53	16.07
ब्याज लागत	सी. वाई.	23.92	21.31
	पी. वाई.	20.88	17.55
परिलाभ प्रदत्त	सी. वाई.	0	0
	पी. वाई.	(6.61)	0
पुनः माप - बीमांकिक हानि/ (लाभ)	सी. वाई.	(24.94)	(4.23)
	पी. वाई.	33.89	55.61
परिभाषित परिलाभ दायित्व- वर्ष का समापन	सी. वाई.	386.24	377.00
	पी. वाई.	354.38	315.72

योजना आस्ति में संचलन

(रुपये लाखों में)

विवरण		उपदान (निधिक)	अवकाश (निधिक)
वर्ष के प्रारंभ पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	सी. वाई.	346.74	303.93
	पी. वाई.	252.60	221.27
ब्याज आय	सी. वाई.	23.40	20.52
	पी. वाई.	22.39	19.63
नियोक्ता का योगदान	सी. वाई.	0	0
	पी. वाई.	79.34	64.04
परिलाभ प्रदत्त	सी. वाई.	0	0
	पी. वाई.	(6.61)	0
पुनः माप - योजना आस्ति पर प्रतिलाभ	सी. वाई.	0.87	0.76
	पी. वाई.	(0.99)	(1.01)
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	सी. वाई.	371.01	325.20
	पी. वाई.	346.74	303.93

लाभ व हानि के विवरण में मान्यता दी गई राशि

(रुपये लाखों में)

विवरण		उपदान (निधिक)	अवकाश (निधिक)
वर्तमान सेवा लागत	सी. वाई.	32.88	44.20
	पी. वाई.	33.53	16.08
विगत सेवा लागत- योजना संशोधन	सी. वाई.	0	0
	पी. वाई.	0	0
कटौती लागत/(साख)	सी. वाई.	0	0
	पी. वाई.	0	0
निपटान लागत/(साख)	सी. वाई.	0	0
	पी. वाई.	0	0
सेवा लागत (ए)	सी. वाई.	32.88	44.20
	पी. वाई.	33.53	16.08
शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व/(आस्तियां) (बी)	सी. वाई.	0.52	0.80
	पी. वाई.	(1.52)	(2.08)
पी एंड एल (ए+बी) लागत चिह्नित	सी. वाई.	33.40	45.00
	पी. वाई.	32.01	14.00

सुग्राहिता विश्लेषण

(31 मार्च, 2021 को राशि लाख में)

मान	मान में परिवर्तन	उपदान (निधिक)	अवकाश (निधिक)
बढ़ा दर	+1.00%	354.28	361.43
	-1.00%	423.30	394.06
वेतन वृद्धि दर	+1.00%	421.83	396.31
	-1.00%	352.96	359.05
निकासी दर	+1.00%	391.00	378.35
	-1.00%	380.88	375.54

(31 मार्च, 2020 को राशि लाख में)

मान	मान में परिवर्तन	उपदान (निधिक)	अवकाश (निधिक)
बढ़ा दर	+1.00%	325.58	303.25
	-1.00%	387.92	329.40
वेतन वृद्धि दर	+1.00%	386.10	329.33
	-1.00%	325.68	303.06
निकासी दर	+1.00%	358.57	316.75
	-1.00%	349.70	314.59

बीमांकिक मान

विवरण		उपदान (निधिक)	अवकाश (निधिक)
प्रयुक्त पद्धति	सी. वाई	पीयूसी	पीयूसी
	पी. वाई.	पीयूसी	पीयूसी
बढ़ा दर	सी. वाई	6.82%	6.82%
	पी. वाई.	6.75%	6.75%
वेतन वृद्धि दर	सी. वाई	5%	5%
	पी. वाई.	5%	5%
योजना आस्ति के प्रतिलाभ की दर	सी. वाई	6.82%	6.82%
	पी. वाई.	6.75%	6.75%
निकासी दर	सी. वाई	1% to 3%	1% to 3%
	पी. वाई.	1% to 3%	1% to 3%
सेवानिवृत्ति आयु	सी. वाई	60 Years	60 Years
	पी. वाई.	60 Years	60 Years
औसत भविष्य सेवा	सी. वाई	15.52	15.52
	पी. वाई.	16.05	16.05
मृत्यु दर	सी. वाई	आईएएलएम (2012-14) तालिका	आईएएलएम (2012-14) तालिका
	पी. वाई.	आईएएलएम (2006-08) तालिका	आईएएलएम (2006-08) तालिका
अपंगता दर	सी. वाई	कोई स्पष्ट	कोई स्पष्ट भारण
	पी. वाई.	भारण नहीं	नहीं

योजना आस्तियों में निवेश की श्रेणी

निवेश की श्रेणी	योजना आस्तियों के उचित मूल्य का %
बीमा पॉलिसियां	100%

10. भारतीय लेखा मानक (इंड)-108 के संबंध में प्रकटीकरण: “परिचालन खंड”

कंपनी मुख्य रूप से एक खंड- पत्तन सेवाओं में काम करती है और कोई सूचनांकन योग्य भौगोलिक खंड भी नहीं है।

कंपनी निम्नलिखित ग्राहकों से राजस्व प्राप्त करती है, जो कि कंपनी के राजस्व का 10% या इससे अधिक है। अन्य ग्राहकों के संबंध में, उनका व्यक्तिगत योगदान कंपनी के राजस्व के 10% से कम है।

(रुपये लाखों में)

ग्राहक	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
टैनजेडको	10880.62	14990.94
एनटीईसीएल टैनजेडको व एनटीपीसीएल का संयुक्त उपक्रम)	7264.55	8338.10
एन्नोर कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती चेन्नैनाड इंटरनेशनल कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड)	9348.27	12023.54

11. भारतीय लेखा मानक 23 के संबंध में प्रकटीकरण “उधारी लागत”

वर्ष की अवधि में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/निर्माणाधीन अचल आस्ति पर भारित लागत (सीडब्ल्यूआईपी) की अग्रणीत राशि के संबंध में पूंजीकृत उधारी लागत शून्य रूपया (गत वर्ष शून्य रूपया) है।

12. भारतीय लेखा मानक 24 के संबंध में प्रकटीकरण “संबंधित पक्ष प्रकटीकरण”

ए) संबंधित पक्षों की सूची:

मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति:

नाम	पद
श्री सुनील पालीवाल, आईएएस.,	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री पी. रवींद्रन, आईआरटीएस.,	नामांकित निदेशक
श्री एस. बालाजी अरुणकुमार, आईआरटीएस.,	नामांकित निदेशक (प्रभावी 04.09.2020)
श्री वी.एम. सुब्बा राव, एफसीए, डीआईएसए (आईसीए)	स्वतंत्र निदेशक
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक (प्रभावी 10.11.2020)
श्रीमती सरला बालगोपाल, आईआरटीएस., (से.नि.)	स्वतंत्र निदेशक (प्रभावी 10.11.2020)
श्री एम. गुणसेकरन,	महाप्रबंधक (वित्त) सह सीएफओ
श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन	कंपनी सचिव

अन्य संगठन:

- मेसर्स कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड

बी) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार:
प्रमुख प्रबंधन कार्मियों की प्रतिपूर्ति

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
पारिश्रमिक एवं लघु-अवधि परिलाभ	110.95	94.61
नियोजन-पश्चात परिलाभ	18.01	8.61
अन्य दीर्घ-अवधि परिलाभ	-	-
अंश-आधारित भुगतान	-	-
सेवा समाप्ति परिलाभ	-	-
बैठक शुल्क	2.20	-
योग	128.96	103.22
वर्ष में ऋणों की उगाही व अग्रिम राशि	-	-
वर्ष में अवमुक्त अग्रिम राशि	-	-
ऋणों व अग्रिम राशि का इति शेष	-	-

चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
प्रदत्त ब्याज	2394.50	2758.93
ऋण भुगतान	2301.25	2301.25
पट्टा भाड़ा व्यय	36.04	40.31
परियोजना प्रबंधन सेवाएं	192.21	47.75
प्रतिभूति निक्षेप- पट्टा भाड़ा	1.97	193.76
अपफ्रंट भाड़ा किश्त	0.27	-
प्रदत्त लाभांश	18000.00	2500.00
सीएसआर व्यय	100.00	-
श्रमशक्ति	28.90	-
अन्य	9.13	49.11
सावधि ऋण का इति शेष	22807.50	25108.75

13. भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 116 “पट्टों” के संबंध में प्रकटीकरण
ए. परिचालन पट्टा
i) पट्टाधारी के रूप में

- अग्रिम शुल्क को छोड़कर अ-निरसनीय परिचालन पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
1 वर्ष पश्चात नहीं	4.84	15.48
1 वर्ष पश्चात, किंतु 5 वर्ष पश्चात नहीं	-	11.47
5 वर्ष पश्चात	-	-

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
न्यूनतम पट्टा भुगतान	15.48	40.55

पट्टाकरण समझौता:

कंपनी ने अधिकारियों के उपयोग के लिये मोटर वाहन पट्टे पर लिया है। यह पट्टा चार वर्ष के लिये लिया गया है। कंपनी ने चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से प्रारंभिक किश्त पट्टा भुगतान पर 30 वर्ष के लिये कार्यालय परिसर लिया है।

ii. पट्टाकार के रूप में

- अ-निरसनीय परिचालन पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा प्राप्य

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
1 वर्ष पश्चात नहीं	3085.49	2421.13
1 वर्ष पश्चात, किंतु 5 वर्ष पश्चात नहीं	17899.18	14047.20
5 वर्ष पश्चात	88239.65	56508.51

● **पट्टाकरण व्यवस्थापन:**

कंपनी द्वारा अपनाये गये व्यवसाय आदर्श के अनुसार, कार्गो टर्मिनलों के विकास, संचालन, विपणन एवं रखरखाव का कार्य 30 वर्ष के अनुज्ञप्ति/परिमोक समझौते के साथ आबद्ध/पीपीपी बीओटी संचालकों पर छोड़ दिया जाता है। कंपनी ने आबद्ध/परिमोक समझौते के अनुसार बीओटी संचालकों/आबद्ध उपयोगकर्ताओं के माध्यम से गोदी के विकास के लियेपत्तन क्षेत्र व भूमि क्षेत्र को पट्टे पर दिया।

14. भारतीय लेखा मानक (इंड एस)-33 के संबंध में प्रकटीकरण “प्रति शेयर आय (ईपीएस)”

ए) मूल ईपीएस

आधार ईपीएस की गणना में उपयोग किये जाने वाले साधारण शेयरों से अर्जित आय व भारित औसत संख्या निम्नानुसार है:

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
वर्ष के लिए लाभ (हानि), कंपनी के स्वामियों पर आरोप्य	15298.20	24925.50
मूल आय की गणना में प्रयुक्त अर्जन (ए)	15298.20	24925.50
प्रति शेयर आधार अर्जन के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (बी)	300000000	300000000
आधार ईपीएस (ए/बी)-रुपये	5.10	8.31

बी) अवमिश्रित ईपीएस

अवमिश्रित ईपीएस की गणना में प्रयुक्त साधारण शेयरों की अर्जित आय व भारित औसत संख्या निम्नानुसार है:

(रुपये लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
वर्ष के लिए लाभ (हानि), कंपनी के स्वामियों पर आरोप्य	15298.20	24925.50
मूल आय की गणना में प्रयुक्त अर्जन (ए)	15298.20	24925.50
प्रति शेयर आधार अर्जन के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (बी)	300000000	300000000
आधार ईपीएस (ए/बी)	5.10	8.31

15. भारतीय लेखा मानक (इंड एस) -37 के संबंध में प्रकटीकरण “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां”

आकस्मिक देयताएं

(i) विवादग्रस्त कर मांग:

98.15 लाख रुपये की राशि (गत वर्ष 910.74 लाख रुपये) के विवादग्रस्त कर प्रकरण को अपीलीय प्राधिकरणों लड़ा जा रहा है।

(ii) संविदा/आपूर्ति कार्य:

हमारी परियोजनाओं पर निर्माण/आपूर्ति और कार्य के निष्पादन कुछ संविदाकारों ने कंपनी पर कुल 10705.37 लाख रुपये (गत वर्ष 11308.00 लाख रुपये) का दावा करते हुए संविदा मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य योजना का पुनरीक्षण, कार्य की बढ़ी अवधि के लिये क्षतिपूर्ति, निष्क्रिय प्रभार आदि की मांग कर रहे हैं। कंपनी द्वारा इन दावों पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि संबंधित संविदाओं के प्रावधान के अनुबंधों में ये दावे स्वीकार्य नहीं हैं। कंपनी इन दावों के समाधान के लिये संविदा में उपलब्ध विवाद निपटारा तंत्र के अंतर्गत अनेक विकल्पों पर काम कर रही है।

(iii) (ए) पीपीपी कंशेनेयरों के साथ राजस्व संविदाएं – मेसर्स ईईसीटीपीएल:

केपीएल ने कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिये 15.03.2014 मेसर्स अडानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ पीपीपी डीएफबीओटी विधि के अंतर्गत 30 वर्ष के लिये समझौता किया था।

चरण I के लिये वाणिज्यिक परिचालन अक्टूबर 2017 में प्रारंभ हुआ और चरण II का निर्माण चल रहा है। चरण II के प्रवर्तन में विलंब के कारण, कंपनी ने परिमोक समझौते के अनुबंध के अनुसार 29.60 करोड़ रुपये का परिनिर्धारित क्षतिउगाही आरोपित कर दिया है। कंशेनेयर द्वारा क्षति उगाहीपर विवाद उत्पन्न किया गया और उनकी अपील पर सुनवाई में हमारी कंपनी के पक्ष में विवाचन अधिनिर्णय हो जाने पर, उच्च न्यायालय ने 10 करोड़ रुपये मूल्य की क्षति उगाही राशि भरने का आदेश दिया और कंशेनेयर द्वारा यह राशि जमा कर दी गई।

बाद में, कंशेनेयर ने कुछ विवाद उठाये और विवाचन खंड का आश्रय लिया तथा कंपनी को विवाचन नोटिस दिया। 1 अगस्त, 2020 को विवाचन पंचाट के गठन के पश्चात, कंशेनेयर व कंपनी दोनों द्वारा दावे एवं प्रतिदावे प्रविष्ट किये गये।

कंशेनेयर द्वारा किये गये विवाद दावे की प्रकृति “चरण I व II के पूरा होने में विलंब, जिसका उत्तरदायी केपीएल के होने का आरोप लगाया गया है,” क्षति उगाही आरोपित करने पर प्रश्न उठाते हुए केपीएल के पास जमा की गई 10 करोड़ की वापसी की मांग, केपीएल द्वारा परामर्श निर्गम के कारण न्यूनतम

प्रत्याभूत कार्यों का निष्पादन न हो पाना, विधि में परिवर्तन, कोविड-19 के दुष्परिणाम, केपीएल द्वारा वित्तीय प्रलेखों को अस्वीकार करना, संशोधित परियोजना लागत का अनुमोदन न करना, और अनुवर्ती ब्याज आदि से संबंधित है, जिसका परिमाण 1180.12 करोड़ रुपये तक है।

कंपनी ने कंशेसनेयर के दावों को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया है और 167.81 करोड़ रुपये की राशि का प्रतिदावा किया है।

यथा वर्षांत विवाचन चल रहा है।

बी) पीपीपी कंशेसनेयर के साथ राजस्व संविदाएं- मेसर्स एसआईओटीएल:

कामराजर पोर्ट लिमिटेड ने “विद्यमान लौह अयस्क टर्मिनल के सुधार व प्रबंधन” के लिये 11.7.2016 को मेसर्स एसआईओटीएल के साथ पीपीपी-डीबीएफओटी के अंतर्गत समझौता किया था। 27 वर्ष की परिमोक अवधि 20.7.2018 से प्रारंभ हुई। यद्यपि एसआईओटीएल के सामने आयी विभिन्न समस्याओं व कठिनाइयों के कारण परियोजना निर्धारित तिथि पर पूरी व चालू न की जा सकी। इसी बीच, ऋणदाताओं ने एसआईओटीएल को ‘वित्तीय व्यतिक्रम का नोटिस’ निर्गत किया है और केपीएल से आग्रह किया है कि अनुज्ञप्ति समझौते के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए समाप्ति सूचना निर्गत करे। केपीएल ने 22.3.2021 को अनुज्ञप्ति अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत समाप्ति सूचना निर्गत कर समाप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है। चूंकि समझौते की समाप्ति अनुज्ञप्तिधारक (एसआईओटीएल) के व्यतिक्रम के कारण प्रारंभ की गई है, इसलिये केपीएल धारा 25.3, 4.5V (सी), 18.2.3 व 25.6 में यथा निर्दिष्ट ढंग से अनुज्ञप्तिधारक को क्षतिपूर्ति के भुगतान पर परियोजना आस्तियों का अधिग्रहण करेगा।

आकस्मिकता देयताओं का सारांश:

(रुपये लाखों में)

विवरण	2020-21	2019-20
विवादग्रस्त कर मांग किंतु उधार के रूप में स्वीकृत नहीं	6021.35	910.74
कंपनी के विरुद्ध दावे, उधार के रूप में स्वीकृत नहीं		
- एनजीटी	400.00	834.60
- संविदा/आपूर्ति कार्य	10705.37	11308.00
योग	11105.37	12142.60
पीपीपी कंशेसनेयरों के साथ राजस्व संविदा के विरुद्ध दावे	118012.00	-

16. शेष की अभिपुष्टि:

व्यापार प्राप्य/देय, सावधि ऋण व अग्रिम राशियां, जीएसटी आदान साख/ जीएसटी व निक्षेप अभिपुष्टि व समाधान के अधीन हैं।

17. पूंजी प्रबंधन:

कंपनी की पूंजी में इक्विटी शेयर पूंजी, प्रतिधारित अर्जन व इक्विटी धारकों पर आरोप्य अन्य इक्विटी आते हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य अंशधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है तथा आर्थिक व बाजार स्थितियों में परिवर्तन के प्रकाश में समायोजन करती है।

कंपनी ऋण-भार अनुपात का प्रयोग करते हुए पूंजी की संवीक्षा करती है। ऋण-भार अनुपात शुद्ध ऋण में कुल पूंजी व शुद्ध ऋण के योगका भाग देकर निकाला जाता है। शुद्ध ऋण में नकदी व बैंक शेष घटाकर दीर्घकालिक व अल्पकालिक उधारियां सम्मिलित होती हैं। इक्विटी में इक्विटी शेयर पूंजी व आरक्षित निधियां सम्मिलित होती हैं, जिन्हें पूंजी के रूप में प्रबंधित किया जाता है। सूचनांकन अवधि के अंत में ऋण-भार निम्नलिखित था:

(रुपये लाखों में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
कुल ऋण	77334.68	88758.58
घटाकर: नकदी व नकदी समतुल्य	3201.44	9920.80
शुद्ध ऋण	74133.24	78837.78
कुल इक्विटी	235204.86	237906.66
शुद्ध ऋण व इक्विटी का अनुपात	31.52%	33.14%

18. कोविड 10 पर टीप

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोविड 19 के प्रसार को महामारी घोषित किया है। इस महामारी के कारण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों व शक्तियों को लागू कर दिया और देश में इसके प्रसार को रोकने के लिये प्रभावकारी उपाय उठाते हुए सम्पूर्ण लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन आदि सहित मार्गदर्शिकाओं की कड़ी निर्गत किया है।

यद्यपि, चूंकि भारत सरकार के पत्तन, पोतपरिवहन व जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएस&डब्ल्यू) ने आपूर्ति श्रृंखला संयोजन बनाये रखने के लिये पत्तन संबंधी गतिविधियों को आवश्यक सेवा घोषित की थी। किंतु कार्गो निकासी में विलंब के रूप में इसका अपरिहार्य प्रभाव पड़ा था, अनुप्रवाह सेवाओं पर प्रभाव के कारण अनेक पक्षों/अंशधारकों द्वारा दायित्व पूरा करने में असमर्थता थी, तो इन सबके दृष्टिगत तथा पोर्ट संचालकों, पोर्ट उपयोगकर्ताओं व लक्ष्य प्रयोक्ता की सहायता करने के लिये 22 मार्च, 2020 से 3 मई, 2020 (लॉकडाउन अवधि) की अवधि में निम्नलिखित व्यापार को निम्नलिखित छूट मिली थी:

- डीजी (पोतपरिवहन) ने पोतपरिवहन लाइन को परामर्श दिया था कि 22 मार्च 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक की अवधि के लिये आयात

व निर्यात नौभार पर कोई कंटेनर विलंब प्रभार (किसी नये या अतिरिक्त प्रभार सहित) न लगाया जाए।

- ii) **प्राकृतिक आपदा:** कोविड 19 महामारी को एक ऐसी प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा गया, जिसने विभिन्न संविदाओं के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने के लिये अप्रत्याशित घटना प्रावधानों को लागू करने का अधिकार दे दिया। अनुमोचन समझौते के संगत प्रावधानों को टालने के साथ ही अन्य दंडात्मक परिणामों के छूट सहित पीपीपी विधि से किसी परियोजना को क्रियान्वित करने या अन्यथा अवधि बढ़ा दी गई।

iii) **पत्तन उपयोगकर्ताओं को प्रभार से छूट:**

- ए) पत्तनों के लॉकडाउन काल में निःशुल्क भंडारण की अनुमति दी गई।
- बी) पत्तनों को अप्रैल, मई, जून 2020 के मासिक पट्टा भाड़ा/अनुज्ञप्ति शुल्क को टालने की अनुमति दी गई।
- सी) लॉकडाउन अवधि में कोई दंड प्रभार, विलंबन प्रभार, विलंब प्रभार, वास समय प्रभार, लंगरगाह शुल्क, पीनल गोदी भाड़ा शुल्क, प्रदर्शन संबंधी अर्थदंड आदि नहीं लगाये गये और साथ ही 30 दिवस की प्रतिलाभ अवधि दी गई।
- डी) अस्थाई भंडारण के लिये अतिरिक्त भूमि के आवंटन हेतु कोई शुल्क/भाड़ा नहीं लिया गया।

iv) **पीपीपी कंशेसनेयरो को प्रभार से छूट:**

- ए) आरबीआई 91 दिवस टी-बिल के बराबर ब्याज दर पर तीन मास के ब्याज अथवा छमाही ईएमआई ब्याज के बिना अप्रैल, मई व जून मास के राजस्व योगदान/अधिशुल्क का आस्थगन।

- बी) तीन मास (अप्रैल, मई, जून) के लिये पट्टा/अनुज्ञप्ति शुल्क का अधित्याग, उस सीमा तक पिछले कैलेंडर वर्ष अर्थात 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक के मासिक औसत कार्गो आयतन की तुलना में कार्गो का आयतन गिर गया था।

- सी) लॉकडाउन अवधि में कोई एमजीटी (न्यूनतम प्रत्याभूत थॉरोपुट) दायित्व नहीं।

- डी) लॉकडाउन अवधि में प्रदर्शन मापदंडों में कमी के लिये कोई अर्थदंड नहीं।

- ई) बिना किसी प्रभार/भाड़ा/शुल्क के अस्थाई आधार पर अतिरिक्त भंडारण का आवंटन।

- v) नौभार लाइन से जलपोत संबंधी प्रभार (वीआरसी): भारतीय तटीय जलपोतों को बैंक प्रत्याभूति के प्रस्तुति के विरुद्ध 60 दिवसों तक ब्याज मुक्त आस्थगन।

चूंकि महामारी और इससे उपजे लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों को खंडित कर दिया था और कंपनी ने गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत कम कार्गो को प्रबंधित किया था, तो तदनुसार समीक्षाधीन वर्ष में परिचालन आय घट गई है।

19. जहां कहीं आवश्यक था, गत वर्ष के आंकड़े पुनर्संयोजित कर दिये गये हैं।

20. वित्तीय विवरण का अनुमोदन

वित्तीय विवरण 25 जून, 2021 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एवं निर्गत करने के लिये प्राधिकृत किया गया।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

डिन : 01310101

ह/-

एम. गुणसेकरन

मुख्य वित्तीय अधिकारी और अनुपालन अधिकारी

ह/-

पी. रवींद्रन

निदेशक

डिन : 07640613

ह/-

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन

कंपनी सचिव

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फआरएन. 004371एस

ह/-

राम श्रीनिवासन

पार्टनर, एम.नं.220112

यूडिएएन : 21220112एएएबीओ8554

स्थान: चेन्नै

दिनांक : 25 जून, 2021



Contribution of Battery Cars to Stanley Medical College & Hospital



Contribution of Oxygen Concentrators to Stanley Medical College & Hospital



Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Trust)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

Corporate cum Registered Office :

"Jawahar Building", 2nd Floor,
(North Wing) & 3rd Floor,
17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

Port Office :

Vallur Post, Chennai - 600120
Tel : 044-2795 0030 - 40
Fax : 044-2795 0002

Email : info@kplmail.in

Website : www.kamarajarport.in

[facebook.com/kamarajarport](https://www.facebook.com/kamarajarport)

[twitter@kamarajarport](https://twitter.com/kamarajarport)